दशम माला

4 मार्च, 1994

फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय सूची

दशम माला, खंड 28, नवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 9, शुक्रवार, 4 मार्च, 1994/13 फाल्गुन, 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		**1-20**
*तारांकित प्रश्न संख्या :	141 से 143	1-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर		**20-237**
तारांकित प्रश्न संख्या :	144 से 160	20-36
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1515 से 1520, 1531 से 1610, 1612 से 1717, 1719 से 1757,	37-234
महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में		**238**
सभा पटल पर रखे गये पत्र		**256**
लोक लेखा समिति		
सत्तावनवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		275
सभा का कार्य		**275**
रेल बजट, 1994-95 – सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (रेल), 1994-95 तथा लेखानुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1993-94		**278-294**
श्री राम नाईक		281
श्री शरद दिघे		293

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
अठाईसवां प्रतिवेदन – स्वीकृत	294
पूर्वी क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के संबंध में संकल्प - वापस लिया गया	**294-322**
श्री सुब्रत मुखर्जी	295
श्री द्वारका नाथ दास	295
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	297
श्री चित्त बसु	298
श्री तेज नारायण सिंह	303
प्रो. रासा सिंह रावत	304
डा. कार्तिकेश्वर पात्र	306
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	306
श्री कमला मिश्र मधुकर	307
श्री नीतीश कुमार	308
कैप्टन सतीश कुमार शर्मा	310
डा. असीम बाला	320
शैक्षणिक संस्थाओं, आदि में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में संकल्प	**322-333**
श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम	322
श्री राम टहल चौधरी	331

लोक सभा

शुक्रवार, 4 मार्च 1994/13 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस

***141. श्री सुरेन्द्र[†] पाल पाठक :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर छूट योजना के अन्तर्गत दिये गये मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंसों का निर्यातकों द्वारा दुरुपयोग किये जाने की शिकायतें मिली हैं; जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने इस संबंध में अनेक मामलों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या निर्यातकों द्वारा इनके दुरुपयोग को देखते हुए सरकार का इस योजना को बंद करने का विचार है, और

(च) यदि नहीं, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (च) एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) वित्त मंत्रालय के राजस्व गुप्तचरी महानिदेशालय ने कुछ ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल की है, जिनमें कहा गया है कि इस योजना का दुरुपयोग हुआ है। ऐसे मामलों की एक सूची संलग्न है। राजस्व गुप्तचरी महानिदेशालय ने अनुबंध के क्रम सं. 7 पर दिए गए मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। शेष मामलों की राजस्व गुप्तचरी महानिदेशालय जांच-पड़ताल कर रहा है।

(ङ) और (च) मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के उद्देश्य तो मौटे तौर पर पूरे हो गए हैं। इसलिए इस समय सरकार इस योजना को वापस लेने के किसी प्रस्ताव पर विचार नही कर रही है। फिर भी, सरकार ने 14-9-1993 को संवेदनशील मदों की सूची में अनेक अतिरिक्त मदें जोड़कर सुधारात्मक उपाय किए हैं। इसी तरह, का सुधारात्मक उपाय यह भी किया गया है कि 14-9-1993 के पहले जारी मूल्य-आधारित लाइसेंसों के मामले में भी यह शर्त लगा दी गई है कि उन्हें भी इस समय अधिसूचित संवेदनशील मद-सूची की सीमा के भीतर ही होना चाहिए।

अनुबंध

राजस्व गुप्तचर महानिदेशालय द्वारा मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के दुरुपयोग के संबंध में पकड़े गए मामलों की सूची

क्रम सं.	पार्टी का नाम	मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	मै. अक्षय इंडस्ट्रीज, पांडिचेरी	जांच-पड़ताल जारी है
2.	मै. अक्षय इंडस्ट्रीज, पांडिचेरी	-वही-
3.	मै. राम एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज, मद्रास	-वही-
4.	मै. बक्का लैदर एक्सपोर्ट्स, मद्रास	जांच पूरी हो गई है। रिपोर्ट मद्रास के सीमा-शुल्क अधिकारियों को अगली कार्रवाई के लिए दे दी गई है।
5.	मै. सैन्चुरी 21 स्ट हाई-टेक इंडस्ट्रीज लि. नई दिल्ली	जांच-पड़ताल जारी है।
6.	मै. मनीषी कार्पो. बंबई	जांच-पड़ताल चल रही है।
7.	मै. डिम्पल ओवरसिज लिमिटेड, दिल्ली	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

1	2	3
8.	मै. एक्सोटिक फैशन्स, नई दिल्ली	जांच-पड़ताल जारी है।
9.	मै. गलैक्सी इंटरनेशनल, नई दिल्ली	-वही-
10.	मै. सेठ इंटरनेशनल, बंबई	-वही-

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या माननीय मंत्री जी सदन को सूचित करेंगे कि अप्रैल 1993 से दिसंबर 1993 के दौरान मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के द्वारा सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है और उसके बदले में किए गए आयात पर सब मिलाकर कितने राजस्व की हानि उठानी पड़ी है ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : जहां तक राजस्व की हानि का संबंध है, यह नाममात्र की है, क्योंकि योजना के अंतर्गत शुल्क रहित आयात की अनुमति दी गई है। अतः यदि निर्यात के उद्देश्य से सामान का आयात किया जाता है तो इस दृष्टिकोण से राजस्व की हानि का आंकलन करना कठिन होगा। लेकिन यदि हम इसका अनुमान लगाएं, तो पूरे वर्ष के दौरान आयात का मूल्य लगभग 6,200 करोड़ रुपये होगा। अप्रैल से अक्तूबर की 6 माह की अवधि के दौरान यह अनुमानतः 3,100 करोड़ रुपये होगा और इस पर 85 प्र. की दर से शुल्क का आंकलन करे तो यह लगभग 2,000 करोड़ रुपये होगा।

यदि हम क्षेत्रवार आयात देखें तो जहां तक प्लास्टिक का संबंध है, यह कुल आयात का लगभग एक तिहाई होगा और यह 600 से 700 करोड़ रुपये होगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या सरकार यह बताएगी कि डिम्पल ओवरसीज लिमिटेड, दिल्ली द्वारा मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के द्वारा किए गए आयात पर सरकार को लगभग 7 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि शुद्ध विदेशी मुद्रा का अर्जन मात्र लगभग 3.5 करोड़ रुपये का था ? यदि हां तो क्या सरकार इस नीति के गलत प्रयोग से हुए नुकसान की छानबीन कर उनसे घोटाले की राशि वसूल करेगी तथा कानून के अनुसार इस प्रकार के लोगों को दंडित करेगी?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, जहां तक जुर्माना लगाने और सज़ा देने का संबंध है, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू राजस्व का है और इस दृष्टिकोण से जांच की जाती है।

वास्तव में, डी.आर.आई. ने डिम्पल ओवरसीज़, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, सहित 10 कंपनियों की जांच की है। जांच की प्रक्रिया चल रही है और जिस मामले का डी.आर.आई. अध्ययन करेगा, उसकी जांच भी करेगा। राजस्व आसूचना महानिदेशक द्वारा इन मामलों को निपटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया है।

जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का संबंध है, यदि कोई निर्यातक इन उपबंधों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो निर्यात के दृष्टिकोण से इसके द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, जैसे उन्हें काली सूची में शामिल करना और अन्य कदम उठाना, लेकिन शुल्क वसूली तथा शुल्क अपवचन या शुल्क की धोखाधड़ी के लिए कोई जुर्माना लगाने से संबंधित कार्यवाही डी.आर.आई. द्वारा ही की जाती है और ये मामले जांचाधीन हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि अप्रैल-नवम्बर 1992 की अवधि में, जो सिल्क के तैयार माल का एक्सपोर्ट हुआ था, वह 517.56 करोड़ का था और यह अप्रैल-नवम्बर 1993 में घट कर 404.12 करोड़ हो गया ? इस दौरान कम एक्सपोर्ट हुआ है। सिल्क आपने इम्पोर्ट भी किया है। इससे सिल्क पैदा करने वाले लोगों को नुकसान हो रहा है और उसकी कीमत भी कम मिल रही है। सैंट्रल सिल्क बोर्ड ने इस सिलसिले में सिफारिश भी की है कि रा-सिल्क के इम्पोर्ट में कमी की जाये। क्या यह बात सही है कि माननीय सदस्य श्री लोकनाथ चौधरी जी ने इस सिलसिले में सैंटर को लिखा है और रिकवैस्ट भी की है ? अगर की है तो सरकार का उस पर क्या रिऐक्शन है ?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक आयात-निर्यात नीति का संबंध है, माननीय सदस्यों को 31 मार्च तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब नई नीति की घोषणा की जाएगी और मैं समस्या के बारे में जानता हूं कि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के माध्यम से कुछ कच्चे रेशम का आयात किया गया है। हम नीतियों की और अन्य माध्यमों से आयातित माल की समीक्षा करते हैं और यदि इसका स्वदेशी उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो हम इस ओर ध्यान देते हैं। जहां तक कच्चे रेशम का संबंध है, हमें कुछ व्यक्तियों, माननीय सदस्यों और रेशम बोर्ड से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि वैल्यू बेस्ड एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम के जो औबजैक्टस थे, वे पूरे प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। इसमें एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा इसके बारे में अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों ने, जो सुझाव दिए हैं, क्या आप उनको स्वीकार करेंगे ? साथ ही रा-सिल्क के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, जो सिल्क बोर्ड ने अनुशंसा की है, उसको आप स्वीकार करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह प्रश्न मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस से संबंधित है और मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत सैकड़ों, हजारों वस्तुएं आयात की जाती हैं। अतः हम किसी मद विशेष के बारे में नहीं बता सकते हैं। इस मद के बारे में मुझे याद था, इसलिए मैंने बता दिया।

जहां तक योजना का संबंध है, इससे उद्देश्य पूरा हुआ है। यह कहना सही नहीं होगा कि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। मूल्य में वृद्धि हुई है। जहां तक इस योजना विशेष का संबंध है, यह कुछ समय से चल रही है। जब मेरे सहयोगी श्री मोहन धारिया वाणिज्य मंत्री थे, तब सन् 1976-77 में सबसे पहले यह योजना शुरू की गई थी। वह मात्रा पर आधारित थी। 1992-97 की आयात्त-निर्यात नीति के अंतर्गत 1-4-1992 से मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेसिंग योजना शुरू की गई है। यह निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए है और यदि आप पुरानी और नई योजना की तुलना करें तो मुझे दिए गए आंकड़ों के अनुसार मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत मूल्य परिवर्धन 84% था और मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत यह 188% था। अतः इस बात को देखते हुए यह योजना सफल रही है।

जहां तक कच्चे रेशम के आयात की समस्या का संबंध है, मैं इससे संबंधित अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। यह हमारे विचाराधीन है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात किया जाना है; अग्रिम लाइसेंस योजना का यही सिद्धांत है। लेकिन बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और यह जानकर हैरानी होती है कि इससे संबंधित दस मामलों का पता चला है। मुझे विश्वास है कि अन्य अनेक मामले होंगे, जिनका पता नहीं लगा होगा। कुछ निर्यातकों द्वारा इस प्रकार अंधाधुंध आयात करने से किसानों, जैसे प्राथमिक उत्पादकों पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए लौंग है, जिसका उत्पादन भारत में किया जाता है। लौंग की कीमत 400 रुपये से कम होकर 80 रुपये हो गई है और किसान अब इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर आयात में अग्रिम लाइसेंस के दुरुपयोग के अनेक मामले थे और बाद में कुछ जुर्माना देकर उन्हें अपनी संपत्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने इसे बेचकर इसका दुरुपयोग किया। अतः, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह सतर्कता से कार्यवाही करें और ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें तथा उन पर न केवल जुर्माना लगाएं, बल्कि किसी भी प्रकार से आयातित मदें उन्हें न देने के लिए कड़ी कार्यवाही करें। मैं अन्य उदाहरण भी दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, दूसरे उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। आप केवल विषय के बारे में प्रश्न पूछिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्यों को मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना का औचित्य समझना चाहिए। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना इस बात को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर कच्चा माल मिले और कच्चा माल हमेशा उपलब्ध रहे, ताकि वे प्रतियोगी बन सकें। पहले निर्यातकों को, जो नकद क्षतिपूर्ति सहायता जैसे प्रोत्साहन दिए जाते थे, वे अब वापस ले लिए गए हैं। यह सोचा गया था कि यदि हम निर्यात को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो हमें निर्यातकों को कुछ प्रोत्साहन देने होंगे। यह एक ऐसी ही योजना है। यह कहना गलत है कि इस योजना का दुरुपयोग हुआ है। यह गलत धारणा नहीं रहनी चाहिए।

यहां तक कि माननीय सदस्य ने जिन दस मामलों का उल्लेख किया है, वे जांचाधीन हैं। उनके संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले गए हैं। वे जांचाधीन हैं। अभी तक एक दल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच चल रही है, अतः मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन यदि आप निर्यात के कुल मूल्य को जोड़े तो यह लगभग 17 करोड़ रुपये होगा। जब देश का कुल निर्यात 70,000 करोड़ रुपये का है और 17 करोड़ रुपये की कुछ मदों का दुरुपयोग किया गया है, तो आप निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि यह बहुत अधिक है। जहां तक लौंग का संबंध है, वैबल के अंतर्गत वे इसके आयात की अनुमति नहीं देते हैं। अतः माननीय सदस्य को आश्वस्त रहना चाहिए कि यह योजना के अंतर्गत नहीं है।

डा. रमेश चन्द तोमर : क्या माननीय मंत्री वैबल योजना के दुरुपयोग के कारण राजस्व में हुई अनुमानित हानि के बारे में बता सकते हैं?

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, इस मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना में कुछ खंड थे और आयातक तथा निर्यातक इस योजना का दुरुपयोग करते हैं। समाचार-पत्रों में इस योजना के कथित दुरुपयोग के बारे में अनेक उदाहरण छपे हैं। यह दुरुपयोग तब शुरू हुआ, जब अनुमत्य निर्यात की सूची बढ़ाई गई। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुमत्य निर्यात सूची में टूटी प्लास्टिक की बालटियों, टूटे बॉल पाइन्ट पेन, ईंटे (क्योंकि कुछ जहाज ईटें निर्यात करते हुए पकड़े गए हैं) और मसूर की दाल भी शामिल है, जो एक प्रतिबंधित मद है, और इसका निर्यात करते हुए भी पकड़ा गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुमत्य मदों की सूची बढ़ाने के लिए कोई दबाव था, जिससे उद्योग के कतिपय क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक योजना के दुरुपयोग का संबंध है, जब न केवल प्रेस बल्कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है, तो हम तत्काल कार्यवाही करते हैं। वास्तव में प्लास्टिक के कच्चे माल का निर्माण करने वाले दो विनिर्माता एसोसिएशनों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर हमने तत्काल कार्यवाही की और अनेक मदों को संवेदनशील सूची में रखा। इन मदों पर प्रतिबंध लगा था और इन्हें संवेदशील सूची में रखा गया था। स्वाभावतः आयात पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त, जनवरी में मैंने डी.जी.एफ.टी. के अधिकारियों को निदेश दिया कि वे पूरी योजना प्रस्तुत करें, उस पर अपनी सिफारिशें दे कि क्या योजना में पूर्ण परिवर्तन अथवा संशोधन करने की आवश्यकता है ? उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे।

इस सभा को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। हमें अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैंने डी.जी.एफ.टी. के अधिकारियों से इसकी जांच करने के लिए कहा है। अक्तूबर के बाद से उन्होंने 37 मामलों की जांच की है और उन 37 मामलों में आयात-निर्यात का वस्तुतः कोई दुरुपयोग नहीं पाया गया था। राजस्व की दृष्टिकोण से जांच-पड़ताल डी.आर.आई. द्वारा की जाती है। मैं पहले ही वह जानकारी दे चुका हूं। उन्होंने दस मामलों की जांच की है। एक मामले में उन्होंने कारण-बताओ नोटिस जारी किया। अन्य मामलों में जांच चल रही है।

जहां तक दुरुपयोग का संबंध है, ऐसा हो सकता है और जब भी ऐसा होता है हम तत्काल कार्यवाही करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा है कि इतने लाइसेंस का दुरुपयोग हुआ है ...(व्यवधान)... उस पर जांच-पड़ताल की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें कितना रुपया राजस्व का सरकार को घाटा हुआ है। आपने जो कहा है कि जांच-पड़ताल जारी है तो क्या इसके लिए आप टाइम फिक्स करेंगे, कि इतने दिन में जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आप कब तक करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : मैं यह जानना चाहता हूं कि कार्यवाही कब तक पूरी होगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह प्रक्रिया चल रही है। जब भी शिकायत आती है। हम इसकी जांच करते हैं और यदि हम पाते हैं कि कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं है, तो हम कार्यवाही नहीं करते हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या यह समयबद्ध होता है ? **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि आप जानकारी चाहते हैं, तो आपमें मुझे सुनने का धैर्य भी होना चाहिए अन्यथा आप बोलते रहिए।

अब मैं श्री नीतीश कुमार को उत्तर दे सकता हूं। मैंने बताया है कि दो जांच की गई है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि केवल 70 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है; परन्तु वास्तव में यह इससे भी कम है। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। इससे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जिन क्षेत्रों के लिए यह 70 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा रही है, इसका उन विशिष्ट क्षेत्रों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह राशि कुल निर्यात का एक छोटा-सा हिस्सा है या नहीं। परन्तु समस्या यह है कि एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा, जब भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने इन शुल्क माफी के दुरुपयोग के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां न की हों। समस्या इसलिए पैदा होती है, क्योंकि इन बातों पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं है। आयात एक ही पत्तन से किया जाता है, जबकि निर्यात कई पत्तनों से किया जाता है तथा प्रशासनिक नियंत्रण कई स्तरों पर है। वास्तव में, लोक लेखा समिति ने यह सुझाव दिया था कि अगर आप किसी योजना को संचालित नहीं कर सकते, तो ऐसी योजना को त्याग देना ही श्रेयस्कर है।

श्री प्रणव मुखर्जी : सर्वप्रथम, मैं यह कहूंगा कि मानीय सदस्य ने मेरी बात को पूर्णतया गलत समझा है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं 17 करोड़ रुपए की हानि की भी उपेक्षा नहीं कर रहा। माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न के उत्तर को नहीं सुना कि क्या यह बहुत बड़ा दुरुपयोग है या नहीं?

मेरा यह कहना है कि 70,000 करोड़ के लेन-देन में अगर 17 करोड़ रुपए का दुरुपयोग होता है, तो मैं यह नहीं मान सकता कि यह कोई बहुत बड़ा दुरुपयोग है।

अब मैं माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न पर आता हूं। जहां तक इस योजना का संबंध है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अग्रिम लाईसेंस योजना मात्रा के आधार पर 1976-77 से प्रभावी थी।

जहां तक मूल्य पर आधारित लाईसेंस का प्रश्न है। यह योजना केवल 1-4-92 से आरंभ की गई है, उससे पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : परन्तु समस्या तो ज्यों की त्यों है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह एक नितांत अलग मुद्दा है। अगर यह समस्या है, तो इसके बारे में आप वित्त मंत्री महोदय से पूछिए। आप को यह पता होना चाहिए, शुल्क की छूट उन्हीं के द्वारा दी जाती है। **(व्यवधान)**। आप उत्तेजित न हों।

अब मैं श्री नीतीश कुमार के प्रश्न पर आता हूं। जब उन्होंने प्रश्न पूछा था तो उस समय आधा दर्जन सदस्य खड़े हो गये थे, इसलिए मैं बैठ गया। वास्तव में समांतर जांच चल रही है। राजस्व हानि की दृष्टि से एक प्रकार की जांच राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा की जा रही है तथा मैंने आपको बताया है कि उनके द्वारा जांच का कार्य जारी है। एक मामले में उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा अन्य मामलों में भी वे ऐसा ही करने जा रहे हैं। वे इस प्रक्रिया को पूरा करने में अपना समय लेंगे। मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं कर सकता। जब कोई दोषी सिद्ध हो जायेगा, तो वाणिज्य मंत्रालय से इस सम्बन्ध में जैसी कार्यवाही अपेक्षित होगी, मैं वह कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

एयर इंडिया के विमान-मार्ग

*142. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने कुछ विदेशी एयरलाइनों को पूर्वी विमान-मार्गों पर विमान चलाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन विमान मार्गों पर कौन-कौन सी एयरलाइनें अपने विमान चला रही हैं;

(ग) उसके बदले एयर इंडिया को रायल्टी के रूप में कितनी राशि प्राप्त हो रही है;

(घ) क्या सरकार इन विमान-मार्गों को इंडियन एयरलाइन्स को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के अंतर्गत विदेशी विमान कम्पनियों को यातायात के अधिकार पारस्परिकता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। जब कभी हमारे राष्ट्रीय वाहक किसी मार्ग विशेष पर सेवा की व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं, तब अन्य वाहक के साथ वाणिज्यिक करार किया जाता है। वाणिज्यिक करारों के अंतर्गत संबंधित देशों से भारत के लिए प्रचालन कर रही विदेशी एयरलाइनों की सूची संलग्न है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान एयर इंडिया को प्राप्त हुई रायल्टी की राशि 36.96 करोड़ रुपए थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय कर रहे हैं। वे खाड़ी क्षेत्र में कई देशों के लिए संयुक्त उद्यम उड़ानों का प्रचालन कर रहे हैं।

अनुबंध

वाणिज्यिक प्रबंधकों के अधीन भारत के लिए प्रचालन कर रही एयरलाइनों के नाम

क्र.सं.	एयरलाइन
1	2
1.	एयर लंका
2.	एयर मारिशस
3.	अलेम्दा
4.	बंगलादेश विमान
5.	बुल्गारियन एयरलाइन
6.	ड्रुक एयर
7.	इजिप्ट एयर
8.	ए-अल

1	2
9.	अमीरात
10.	ईथोपियन एयरलाइन्स
11.	गल्फ एयर
12.	ईरान एयर
13.	के.एल.एम.
14.	कुवैत एयरवेज़
15.	मलेशिया एयरलाइन्स
16.	रोयल जोर्डन
17.	रोयल नेपाल एयरलाइन्स
18.	रसियन एयरलाइन्स
19.	साउदीय
20.	सिंगापुर एयरलाइन्स
21.	स्विस एयर
22.	सीरियन अरब एयरलाइन्स
23.	ताजिक एयर
24.	यमन एयरवेज़
25.	जाम्बिया एयरवेज़

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : महादेय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी विदेशी को कोई एयरलाइन विमान-मार्ग सौंपने से पहले इंडियन एयरलाइन्स की अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि क्या विश्व का कोई अन्य देश भी रायल्टी लेता है ?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में अभी बताया कि एयरइंडिया और इंडियन एयरलाइन्स अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय कर रहे हैं। परन्तु मैं उन कुछ कदमों का उल्लेख करना चाहूंगा, जो नागर विमानन मंत्रालय, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स ने पिछले कुछ महीनों के

दौरान, शायद पिछले चार महीनों के दौरान उठाये हैं। एक है संयुक्त उद्यम। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स संयुक्त रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए 12 सेवायें चला रहे हैं–चार सेवायें प्रति सप्ताह कालीकट से दुबई के लिए। चार सेवायें प्रति सप्ताह कालीकट से आबूधाबी के लिए तथा चार सेवायें प्रति सप्ताह कालीकट से मस्कट के लिए। ये उड़ानें इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के साथ चलाई जा रही हैं–इनमें कुछ एअर इंडिया की श्रेणी की हैं–तथा इससे अर्जित, लाभ दोनों एयरलाइनों द्वारा बांट लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स को पड़ोसी देशों के लिए विमान सेवायें संचालित करने का कार्य भी सौंपा गया है और इस समय वे 13 गन्तव्य स्थानों के लिए विमान सेवायें चला रहे हैं। हाल ही में, इसी वर्ष फरवरी 1994 में हमने इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कुछ और कदम उठाये हैं। इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के बीच हमने 'हब एण्ड स्पोक' सेवायें आरंभ की हैं। यात्री अहमदाबाद से मुम्बई तथा फिर मुम्बई से विश्व के किसी भी भाग को जा सकते हैं। वे हैदराबाद से मुम्बई तथा फिर हैदराबाद से विश्व के किसी भी भाग को जा सकते हैं। अमृतसर से भी अभी हाल ही में हमने ऐसी सेवा आरंभ की है। अब 'हब एण्ड स्पोक' नीति के अन्तर्गत अमृतसर से एयरइंडिया की विमान सेवा उपलब्ध है। यह सेवा अमृतसर से दिल्ली के लिए चलती है तथा दिल्ली से यात्रियों को सात देशों के लिए विमान सेवायें उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, वे अहमदाबाद से दिल्ली जाकर फिर दिल्ली से विश्व के अन्य देशों को जा सकते हैं। इस प्रकार माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के भाग (क) के संदर्भ में हमने कदम उठाये हैं। जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि रायल्टी देना एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है तथा ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही रायल्टी लेता है। हम भी उन देशों को रायल्टी देते हैं जहां हम विमान सेवायें नहीं चलाते।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि जिन देशों के साथ भारत ने द्विपक्षीय समझौते किए हैं, इन समझौतों की शर्तें क्या-क्या हैं ? तथा वे विमान पत्तन कौन-कौन से हैं जहां अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनें भारत में अपनी उड़ानें संचालित कर रही हैं ? इसके अतिरिक्त कितने देशों में एयर इंडिया विमान सेवायें संचालित कर रही हैं तथा कितने यात्री इन सेवाओं से यात्रा करते हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, 70 देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय समझौते हैं, तथा लगभग 38 अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनें भारत में विमान सेवायें संचालित कर रही हैं तथा ये सेवायें भारत में केवल अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों से संचालित की जा रही हैं, घरेलू विमान पत्तनों से नहीं। जहां तक एयर इंडिया की यात्रियों को ढोने की क्षमता का प्रश्न है। वर्ष 1989 से 1992-93 के बीच यह क्षमता 20 से 22 लाख के बीच रही। वर्ष 1992-93 में एयरइंडिया ने 22 लाख यात्रियों को ढोया।

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि एयर इंडिया संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान तथा अन्य खाड़ी देशों के लिए सीधी उड़ानें क्यों नहीं संचालित करती। तमिलनाडु के कल्याण के लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या मद्रास से अन्य देशों के लिए सीधी उड़ानें आरंभ करने का क्या कोई प्रस्ताव है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदय, यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, तथा सीधी उड़ान आरंभ करना यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है। जहां तक यात्रियों की संख्या का प्रश्न है, अन्तर्राष्ट्रीय

प्रचालनों की प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या की दृष्टि से मुम्बई विमान पत्तन का अभी भी देश में प्रथम स्थान है। इसीलिए हम विदेशी एयरलाइनों को यथा संभव अधिक से अधिक सम्पर्क सेवायें सौंपने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि मुम्बई अथवा दिल्ली से पहले एक और गन्तव्य जैसे कि मद्रास को जोड़ा जा सके, जिससे मद्रास के लोगों को सम्पर्क सेवा प्राप्त हो सके और वे मुम्बई अथवा दिल्ली होकर सीधी उड़ान ले सकें।

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम : महोदय, मद्रास देश का अति महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन वहां से सीधी हवाई सेवा नहीं है। मद्रास से कम से कम मंत्री महोदय, एक सीधी उड़ान की व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदय, इसे निकट भविष्य में नहीं किया जा सकता जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह यातायात पर निर्भर करता है, जहां एयर इंडिया का संबंध है, उनके पास बहुत बड़े हवाई जहाज हैं, जम्बो जेट हैं और जब तक हमारे पास उन्हें 60-70 प्रतिशत तक भरने की क्षमता नहीं होती, हम सीधी उड़ान नहीं चला सकते।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बताया है कि इंडियन एयरलाइन्स. और एयर इंडिया दोनों ही अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कालीकट से खाड़ी देशों के बीच चलने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में भी बताया है, लेकिन अपने ही देश में, हमें एक स्थान से दूसरे पर जाने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि हवाई जहाज ही उपलब्ध नहीं होते और कभी-कभी तो उन्हें रद्द भी कर दिया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर संयुक्त उद्यम द्वारा क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मेरे विचार में हमें देश के भीतर जहां कहीं भी इसकी आवश्यकता है, हवाई-जहाज प्रदान करने में कोई समस्या नहीं है। मेरे मित्र शायद देश के कुछ भागों में कुछ सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यह व्यवसाय है। इंडियन एयरलाइंस और एयरइंडिया व्यवसाय कर रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास यात्री यातायात कितना है। अगर किसी विशेष मार्ग पर यातायात अधिक है तो हम उस पर हवाई-जहाज की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। लेकिन किसी विशेष मार्ग पर जहां यातायात नहीं है, हम अधिक हवाई जहाज नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, जिन एयरलाइन्स को एयर इंडिया विमान मार्ग पर चलाने की अनुमति दी जाती हैं, उनकी कंडीशन के बारे में सरकार ने या एयरलाइन्स ने सोचने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसी-ऐसी एयरलाइन्स हैं, जैसे ताजिक एयरलाइन्स है जो कि पचास प्रतिशत पैसा लेकर लंदन से दिल्ली अपने यात्रियों को लाने का काम करती है, लेकिन यात्रियों की सेफ्टी और वेलफेयर का ख्याल नहीं रखती। पिछली 28 तारीख को सैंकड़ों यात्रियों को इस तरह का वाकया भुगतना पड़ा है। हमारे यहां से दो आदमियों को ताजिक एयरलाइंस ने बुक किया पचास प्रतिशत पैसे पर और बाद में मालूम हुआ कि फ्लाइट ही कैंसिल है। ये यात्रियों की सेफ्टी और वेलफेयर का ख्याल

नहीं रखते, खासकर भारतीय पैसेंजर्स का। लोगों से कम पैसा लेकर उनकी जान से साथ खिलवाड़ करने की अनमुति नहीं दी जा सकती। जो विमान मार्ग आप किसी एयरलाइन को देते हैं, तो पैसेंजर्स की सेफ्टी और वेलफेयर का ख्याल रखा जाता है या उसको सीधे उसके हाथ में सौंप दिया जाता है कि खुदा के भरोसे जिन्दा रहो ?

श्री गुलाम नबी आजाद : हम कई देशों से एग्रीमेंट करते हैं, बाइलेटरल एग्रीमेंट करते हैं। हमारी सरकार पर निर्भर है कि हम कौन–सी एयरलाइन डेजीग्नेट करें। कुछ देशों के लिए हम खाली लांगहोल फ्लाइट पर एयर इंडिया को यूज करते हैं और शार्टहाल पर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस तरफ उस सरकार पर निर्भर है कि वह कौन सी एयरलाइंस डेजीग्नेट करेगी। चूंकि माननीय सदस्य ने एक पर्टिकुलर एयरलाइन के बारे में कहा है तो जिसका वह विमान है सरकार उससे बात करेगी। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री शिवराज सिंह चौहान : आदमी जैसे ही हवा में उड़ने लगता है तो उन्मुक्त हो जाता है, लेकिन जब हवा में शराब बहा दी जाये तो बात ही कुछ और होती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या निजी विमान सेवाओं में यात्रियों को आकर्षित करने के लिए शराब परोसने की अनुमति प्रदान की है और क्या उन्हीं विमानों की यात्राओं के दौरान शराब पीकर यात्रियों ने दंगे किये हैं ? घरेलू उड़ान अधिक से अधिक दो-तीन घंटे की होती है, क्या इस दौरान शराब वितरित किया जाना आवश्यक है? ऐसे यात्री जो शराब नहीं पीते है, क्या इससे उनकी भावनाओं को ठेस नहीं लगती है? क्या मंत्री जी इस पर पाबंदी लगाकर ताजा फलों का रस परोसने का निर्देश देंगे ?

श्री गुलाम नबी आजाद : यह प्रश्न दो दिन राज्य सभा में भी उठा। जहां तक एयरक्राफ्ट एक्ट का सम्बन्ध है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि शराब नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उसमें यह प्रोविजन है कि यदि कोई शराब पीकर मस्ती करे, इनटाक्सीकेटेड हो तो उस पर एक्शन लेना चाहिए।

डा. परशुराम गंगवार : शराब पीने के बाद मस्ती तो आ ही जाएगी। **(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव : इस मस्ती का मतलब क्या हुआ ? **(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आजाद : आप जवाब सुनने में इंटरस्टेड नहीं हैं। आप जवाब ही नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूं ? **(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री बोल रहे हों, तो आप उनसे असहमत हो सकते हैं लेकिन आपके पास अनुपूरक प्रश्न रखने का अवसर है। अगर आप सभी खड़े होकर बोलने लगेंगे तो मंत्री जी किस प्रकार जवाब देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जब मंत्री महोदय बोल रहे हों, तो आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि आप खड़े हों और सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचायें।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मुक्त आकाश नीति (ओपन स्काई पॉलिसी) का तात्पर्य यह नहीं है कि वे किसी भी समय विमान कम्पनियों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था सिर्फ सभा के फायदे के लिए मैं सभा को बता सकता हूं कि वायुयान अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसकी व्यवस्था है कि वायुयान के अन्दर कोई व्यक्ति अथवा यात्री शराब के नशे में नहीं होना चाहिये। नागर-विमानन के महानिदेशक के ध्यान में एक मामला आया है जिसमें एक विशेष व्यक्ति को नशे में पाया गया और उसने अपने सहयात्रियों के साथ बदसलूकी की। शिकायत दर्ज की गई थी। नागर-विमानन के महानिदेशक उसे एक कारण बताओ नोटिस भेज चुके हैं और कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी को अब यह भली-प्रकार मालूम है कि कर्नाटक विशेष रूप से इस पर्यटन वर्ष में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षित कर रहा है। इस पर जोर भी डाला गया है। कर्नाटक में बंगलौर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा शुरू करने का एक प्रस्ताव था। हमारे मंत्री जी, एक-दो बार सभा में वायदा कर चुके हैं कि उस पर विचार किया जायेगा।

दूसरे कुछ वायुयान बीस वर्ष पुराने हैं और कार्यक्षम नहीं हैं। उनकी मरम्मत तथा इनका नवीकरण किया जाना चाहिये ताकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बेहतर सेवाओं की व्यवस्था हो सके। जब कर्नाटक और अन्य पड़ोसी राज्य अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, तो हम भी अगर उस स्तर तक अपनी खानपान सेवाओं को बेहतर बना लें तो अच्छा होगा। क्या इस संबंध में उनके पास कोई नीति है। क्या वे इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहती हूं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य के साथ-साथ हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी कर्नाटक से ही संबंध रखते हैं, मैं यह बता सकता हूं कि जहां तक बंगलौर हवाई-अड्डे का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम बंगलौर-हवाई अड्डे को भी मजबूत बनाने के लिए समान रूप से इच्छुक हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए हम पहले ही 13 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुके हैं। वास्तव में, हम नक्शे और उससे संबंधित सभी चीजें तैयार कर चुके थे। हम उसके साथ तैयार थे। हमने हवाई-पुलों के लिए भी नक्शे तैयार किये थे। इस सभा को यह मालूम ही होगा कि यह हवाई अड्डा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अथवा उस मामले में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण से संबंधित नहीं है। इसका संबंध हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। उन्हें इस विशेष हवाई-अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में कुछ आपत्तियां है। **(व्यवधान)**

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या कोई उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : उनके अनुसार अगर हम एक ही बार में हवाई-पुलों का निर्माण कर देते हैं, तो इससे उनके लिए कुछ बाधायें उत्पन्न हो सकती हैं। अभी किसी दिन मेरी उनके साथ समीक्षा बैठक हुई थी और हमने उसके बारे में निर्णय किया है। हम अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण तथा बंगलौर स्थित राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ चर्चा करने के लिए राजी करने हेतु भागदौड़ कर रहे हैं।

जहां तक वैकल्पिक हवाई-अड्डे का सम्बन्ध है, हम पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के लिए स्थान निर्धारित कर चुके हैं। लेकिन यह काम बहुत बड़ा है। इस पर हमारी 600 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और वैकल्पिक व्यवस्था पर 600 करोड़ रुपये खर्च करना हमारी क्षमता से परे है। अतः सर्वप्रथम हम विशेष हवाई-अड्डे को पूरा करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा बनायेंगे। निःसंदेह यह कार्य रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जायेगा।

महोदया, आपके प्रश्न का दूसरा भाग क्या है ?

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : यह बेहतर सेवायें प्रदान करने तथा बीस वर्ष से अधिक पुराने विमानों को चरणबद्ध रूप से हटाने से संबंधित है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : पुराने विमानों के बारे में हमने एक बेड़ा-नवीकरण-कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले वर्ष मैं चार 737 विमानों को, जो 20 वर्ष से भी अधिक पुराने थे, बेड़े से अलग कर चुका हूं। अतः, दस वर्ष के भीतर हम चाहते हैं कि हमारे पास नए विमान होंगे और हम उन विमानों को रखना पसंद करेंगे, जो 15 वर्ष से कम पुराने हैं। अतः बेड़ा-नवीकरण कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर बहुत समय ले चुके हैं। अतः कृपया मुझे अगला प्रश्न उठाने की अनुमति देने दीजिये। हम इस एक प्रश्न पर ही 25 मिनट लगा चुके हैं।

सहकारी कपड़ा मिलें

*143. **श्री अरविंद त्रिवेदी** :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां सहकारी कपड़ा मिलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधि ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) वित्तीय संस्थाओं को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में 50 सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने के उनके इरादे की सूचना प्राप्त हुई है। वित्तीय संस्थाओं को अब तक वित्तीय सहायता के लिए 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभी तक कोई सहायता मंजूर नहीं की गई है।

[हिन्दी]

श्री अरविंद त्रिवेदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि पूरे देश में केवल महाराष्ट्र सरकार से 12 आवेदन पत्र सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिये प्राप्त हुए हैं परन्तु वे कहां तक पहुंचे हैं, क्या उनको स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है या उन्हें रिजैक्ट कर दिया गया है। यदि रिजैक्ट कर दिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं। यदि पैंडिंग हैं तो कब तक उन्हें स्वीकृति दे दी जायेगी। ब्यौरा देखने से ऐसा लगता है कि हमारे गुजरात के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। गुजरात की राजधानी कर्णावति एक समय सूती कपड़ों के मामले में भारत का मानचैस्टर मानी जाती थी, लेकिन आज वहां स्थिति यह है कि अनेकों कपड़ा मिलें बंद हैं और असंख्य श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। अनेक श्रमिकों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या तक कर ली है लेकिन इसके बावजूद भी वहां की राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र में एक भी मिल स्थापित करने हेतु केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं को लांग टर्म लोन देने की सिफारिश नहीं की है। क्या केन्द्र सरकार वहां की बन्द मिलों के श्रमिकों को कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर वित्तीय सहायता देने का विचार करेगी।

डा. अबरार अहमद : उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है, महाराष्ट्र सरकार से 50 सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने के इरादे की सूचना वित्तीय संस्थाओं को प्राप्त हुई है और इन 50 इकाइयों की सूची मेरे पास है। इनमें से 12 इकाइयों के निर्धारित प्रोफॉर्मा के अंदर आवेदन हमें मिले हैं। उन 12 में से 9 आवेदन आई.डी.बी.आई. को प्राप्त हुए हैं, 8 आई.एफ.सी.आई. को प्राप्त हुए हैं और 5 उनमें कौमन हैं, लेकिन उनमें से किसी को अभी तक पैसा सैक्शन नहीं किया गया है। उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत जितनी आलरैडी कताई मिलें हैं, उन पर बहुत अधिक ओवरड्यू पहले से है। महाराष्ट्र सरकार को आई.डी.बी.आई ने 6 जुलाई को एक पत्र इस संदर्भ में लिखा है, जिसकी एक प्रति इस समय मेरे पास है। यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं यहां उसे पढ़कर सुना दूंगा या भेज दूंगा। पत्र में कहा गया है कि जो ओवरड्यू औलरैडी उन यूनिट्स की ओर हैं, उन्हें पहले वे क्लियर करें और उसके साथ-साथ उनका मौडर्नाईजेशन हो और जिस तरीके से उनका मैनेजमेंट चल रहा है, मैनेजमेंट में सुधार के लिये वे प्रयास करें। दूसरी बात, माननीय सदस्य ने गुजरात के बारे में पूछी है। गुजरात सरकार से वित्तीय संस्थाओं को किसी भी प्रकार का आवेदन ऋण देने के लिये प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री गुमान मल लोढा : यही तो वे कह रहे हैं।

श्री अरविंद त्रिवेदी : माननीय मंत्री जी के उत्तर के आधार पर, मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गुजरात के भडूच, सूरत, वीरपुर, लिमडी और हिम्मत नगर में जो 5 कोआपरेटिव मिलें अभी चल रही हैं वे सभी घाटे में चल रही हैं और बंद होने की स्थिति में आ गयी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकंठा में हिम्मत नगर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल है, उसकी स्थिति भी बहुत नाजुक है। क्या केन्द्रीय सरकार उन पांचों मिलों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आर्थिक संकट से उबारने का कोई उपाय करेगी और इन कोआपरेटिव मिलों का विक्रय कर माफ करके तथा उन्हें कुछ सुविधायें देकर उनके उच्चतम उत्पाद के निर्यात के लिये विशेष सुविधायें प्रदान करेगी। इसके अलावा, कोआपरेटिव सैक्टर कि मिलों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार है, घोटाला है और उसके कारण जो उन्हें नुकसान हो रहा है, उसकी जांच कराने के लिये क्या सरकार कोई योजना बना रही है, मैं आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूं।

डा. अबरार अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे टोटल टेक्सटाइल यूनिटस 1062 हैं, जिनमें से करीब 270 बीमार चल रही हैं और 150 बन्द हैं। नवम्बर 1992 तक 1.79 लाख लेबर उससे

प्रभावित है, लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने 5 इकाइयों का स्पैसिफिक जिक्र किया है, उस सन्दर्भ में किसी वित्तीय संस्था या बैंक को यदि वे आवेदन करें तो उसकी वायबिलिटी के आधार पर या जो भी योजना है, उसके आधार पर ऋण देने के बारे में वित्तीय संस्था या बैंक सोच सकता है। लेकिन अभी उसके बारे में किसी भी प्रकार की योजना का बताना असम्भव है।

श्री गया प्रसाद कोरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो कपड़ा बनाने वाले कर्मचारी थे, उनकी हमारे देश में गुणवत्ता थी। ढाका की मलमल हमारे देश में बहुत नामी थी। आज जो मिलें बन रही हैं, उनकी गुणवत्ता संभवतः ठीक हो सकती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में जो कपड़ा बनाया जाता है, उनकी गुणवत्ता थोड़ी कमजोर हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण अंचलों में जो सहकारी समितियां अपनी मिलें खोलना चाहती हैं, उनको अनुमति देंगे ?

डा. अबरार अहमद : मैंने पूर्व में ही कहा है कि यदि राज्य सरकार उस सन्दर्भ में वित्तीय संस्था से पैसे के बारे में सिफारिश करती है तो वित्तीय संस्था सिर्फ पैसे के बारे में सोच सकती है। जहां तक अनुमति या गुणवत्ता की बात है, वह हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है।

श्री सत्य नारायण जटिया : सरकार की नई कपड़ा नीति की रफ्तार इतनी धीरे हो रही है कि पुरानी सब कपड़ा मिलें बन्द हो रही हैं। लाखों मज़दूर बेकार, बेरोजगार हो गए हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सरकार के पास दी जाती हैं, कि सरकार मिलों की स्थापना करने के लिए काम करे। जैसा आप जानते हैं, कपड़ा मिलों में एन.टी.सी. और निजी मिलें होती हैं। इन सारी मिलों का कार्यक्रम और इनको बन्द करने का काम, जो वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत है, बी.आई.एफ.आर. की संस्था करती है। यदि संस्था ने कह दिया कि मिल नहीं चल सकती, इसका मतलब है कि नहीं चल सकती। इस कारण हजारों मजदूरों का भविष्य अधर में लटक जाता है, भूखों मरने की नौबत आ जाती है। मेरा कहना है कि सहकारिता के आधार पर ऐसे कई प्रपोजल्स आए हैं। उज्जैन की मिल, इन्दौर की मिल, रतलाम की मिल, मध्य प्रदेश की सारी ऐसी मिलों की हालत खराब है। सरकार की इंडस्ट्री, लेबर और फाईनेंशल इंस्टीट्यूशन-तीनों का कोई समन्वय नहीं होता। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सीध-सीधे प्रश्न पूछिये। आपको किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं जानना चाहता हूं, सहकारिता के आधार पर मध्य प्रदेश की ओर से ऐसे जो प्रपोजल्स आए हैं, उनको समन्वित करके निष्कर्ष निकालने की दृष्टि से सरकार के पास क्या उपाय और योजना है ?

डा. अबरार अहमद : माननीय सदस्य ने जो कॉपरेटिव इकाइयों और सिक यूनिट्स को जोड़ने का प्रयास किया है, मैं बताना चाहूंगा कि कौपरेटिव इकाइयां बी.आई.एफ.आर. के अन्दर नहीं आती हैं। बीमार इकाइयों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मौडर्नाईजेशन और रिवाइवल के लिए 1986 से लेकर 1992-93 तक स्पिनिंग यूनिट की 209 इकाइयों के लिए 455 करोड़ रुपये और कमपोजिट इकाइयों के लिए 416 करोड़ रुपये, ऐसे 871 करोड़ रुपये सैक्शन किए गए हैं।

माननीय सदस्य ने एन.टी.सी. का जिक्र किया है। उसके बारे में मौडर्नाईजेशन की 533 करोड़ रुपये की एक स्कीम बनाई गई थी जिसमें फाईनेंशल इंस्टीट्यूशन्स से 414 करोड़ रुपये देने

की बात थी, बाकी बजटरी सपोर्ट से देने का प्रावधान था। लेकिन उसकी दुबारा 1992 में स्टडी की गई और अब वह राशि 2005 करोड़ तक पहुंच गई है। उसके बारे में विचार किया जा रहा है। एन.टी.सी. के लिए 132 करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल 1992-93 के बजट में था और 1994-95 में एक करोड़ रुपये का प्रावधान है।

[अनुवाद]

श्री अनन्तराव देशमुख : उपाध्यक्ष महोदय, लगभग डेढ़ वर्ष पहले सऊदी अरब सरकार ने इस देश के सहकारी कताई मिल क्षेत्र के बारे में काफी रुचि दिखाई थी। उन्होंने सऊदी विकास कोष के अन्तर्गत अपने को शामिल करने के लिए भी भारत सरकार को रुचि दिखाई थी। उसी क्रम में भारत सरकार को विभिन्न राज्यों से सऊदी विकास कोष के अन्तर्गत उन पर विचार करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मैंने सही बात बताई है कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार सऊदी विकास कोष के अंतर्गत शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से पांच प्रस्ताव रखे गये थे। मैं इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सऊदी अरेबिया के इंटरस्ट की जो बात कर रहे हैं, वह मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है कपड़ा मंत्रालय की जानकारी में हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो जानकारी लेकर माननीय सदस्य को बता दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले ने मुझे लिखित में भेजा था। अब मैं उनका नाम पुकारूंगा और उसके बाद जार्ज फर्नांडीज जी, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्री मोहन रावले : बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हरेक को इसे लिखित में भेजना चाहिये। मैं जानता हूं कि श्री नीतीश कुमार हमेशा एक तकनीकी प्रश्न उठाते हैं। श्री नीतीश कुमार, यहं उस प्रकार से नहीं किया जाता, यह प्रथा और परम्परा के अनुसार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुम्बई शहर में मिल्स बंद हैं, उनकी वजह से 70 हजार मिल मजदूर बाहर हैं। वे कोआपरेटिव बेसिस पर मिल चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। क्या सरकार की नीति कामगार विरोधी है ? अगर वह कोआपरेटिव मिल चलाने के लिये आगे आयेंगे तो क्या आप उन्हें इक्विटी कैपिटल देंगे ?

डा. अबरार अहमद : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि क्या सरकार की नीति मजदूर विरोधी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति हमेशा मजदूरों को रोजगार देने की रही है। माननीय सदस्य ने कहा कि बंबई में सहकारी मिलों को लगाने के लिये कुछ सहकारी संस्थायें तैयार हैं। मैं इस संदर्भ में पूर्व में भी कह चुका हूं कि आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. और दूसरी वित्तीय संस्थाओं के ओवर-ड्यूज उन पर हैं। सहकारी मिलों को खोल कर ओवर-ड्यूज सरकार बढ़ाना नहीं चाहती है। घाटे में मिलें चल नहीं सकती हैं ...**(व्यवधान)**... वहां जो ऑल-रेड्डी सहकारी मिलें चल रही हैं, जिन पर ओवर-ड्यूज है, और जो घाटे में चल रही हैं, उनसे कहा गया है कि मैनेजमेंट

में सुधार किया जाये, उनका आधुनिकीकरण किया जाये और उनको वायबल बनाया जाये। उसके बाद ही नई मिलों को खोलना सार्थक होगा। नई मिलों को खोला जाये और पुरानी को बंद किया जाये या घाटे में चलने दिया जाये और मैनेजमेंट उनको डकार ले, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो नई मिलें खोलना उचित नहीं होगा। यह बात वित्तीय संस्थाओं ने सरकार से कही है। हम इस सम्बन्ध में प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से वित्तीय संस्थायें नई खुलने वाली कोआपरेटिव मिलों को लोन देने के लिये तैयार है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 1992-93 में एन.टी.सी. के माडर्नाइजेशन के लिये 136 करोड़ रुपये का इंतजाम किया था और 1993-94 में मात्र एक करोड़। इस साल के बजट में इसमें कुल आवंटन एक करोड़ का ही है। इधर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आज एन.टी.सी. की तरफ से यह सूचना गई है, होल्डिंग कम्पनी की ओर से तमाम सब्सीडियरीज को कि अब हम आपको किसी भी प्रकार का पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं और एक अप्रैल के बाद हम आपकी तनख्वाह का भी पैसे का इन्तजाम करने की स्थिति में नहीं हैं और यहां जब आप नई कोआपरेटिव मिलों को कितना पैसा देने वाले हैं, कहीं निजी क्षेत्र में कोई इकाई बीमार पड़ गई तो उसको कितना देने वाले हैं, कोई नई निजी क्षेत्र में मिल लगाये तो उसको क्या देने वाले हैं, इन सारी चीजों के लिए जहां सरकार दूसरों को पैसे का आवंटन करने के लिए तैयार हैं तो एन.टी.सी. जो आपकी ही है, यानि सरकार की है और जहां एक लाख 60 हजार मजदूरों को बेरोजगार होने की स्थिति में आपने लाकर पहुंचा दिया है, क्या उन्हें जो माडर्नाइजेशन के लिए आपने घटा दिया, घटा क्या दिया, नहीं के बराबर कर दिया तो वह भरकर निकालने का कोई इन्तजाम तत्काल करने के लिए आप तैयार हैं ? दूसरे उनके वेतन को लेकर जो समस्या खड़ी हुई है और अगर अप्रैल महीने के बाद उनको तनख्वाह नहीं मिली तो फिर लोग सड़कों पर आयेंगे, उसके जो भी परिणाम होने हैं, वह भी तो आपको देखने पड़ेंगे, तो क्या उनकी तनख्वाह वाला जो मामला है, इसके लिए आप ठोस कदम उठाने के लिए तैयार हैं ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था। कुछ कार्यक्रम इकाइयों की पहचान भी की गई थी। उसके लिए कार्यवाही भी की जानी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है? **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे माफ कीजिये। **(व्यवधान)**

डा. अबरार अहमद : शायद माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंटरी पूछने के पहले मूल प्रश्न को नहीं देखा। यह तो मैं कुछ एडीशनल इन्फोर्मेशन लेकर और तैयार होकर आया था तो मैंने जानकारी दे दी।

मूल प्रश्न जो है, वह यह है कि क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां सहकारी कपड़ा मिलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधि ऋण देने का अनुरोध किया है? यदि किया है तो ब्यौरा क्या है? जो बात माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, उससे दूर–दूर तक इस प्रश्न का कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि यह टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से सम्बन्धित है और कुछ जानकारी मेरे पास थी तो मैंने माननीय सदस्यों को दी। फिर भी जो माननीय जार्ज फर्नांडीज जी ने बात पूछी

है, मैं उस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि अभी मैंने यह कहा कि एन.टी.सी. के माडर्नाइजेशन के लिए 1992 में एर्थ प्लान में 533 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी और उसमें से 414 करोड़ रुपया फाइनेशियल इंस्टीट्यूशंस को देने का था और बाकी बजटरी सपोर्ट से देने का था लेकिन दोबारा अब जो स्थिति है, उसकी स्टडी की गई और उसके माध्यम से वह एमाउण्ट बढ़कर 2005 करोड़ रुपये हो गया तो 2005 करोड़ रुपये को कैसे देकर ठीक किया जाए, उसके बारे में विचार किया जा रहा है और मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि एन.टी.सी. के अन्दर वालेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत 33000 वर्कर्स को बैनीफिट दिया गया है और यह किया गया है। टोटल टैक्सटाइल के अन्दर वालेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत 689 करोड़ रुपये की स्कीम है, जिसमें 80000 लोगों का फायदा देने का प्रावधान है, 73000 वर्कर्स और 7000 अधिकारी।

श्री जार्ज फर्नांडीज : हमने अगले महीने की तनख्वाह के बारे में पूछा और आप उनको वालेंटरीली हटाने की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब तो आना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय से अगले महीने की तनख्वाह का इन्तजाम होगा या नहीं होगा?

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास : कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत कितने निगम हैं?

दूसरे, ये निगम सहकारी कताई मिलों की किस प्रकार से मदद कर रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कपड़ा मंत्रालय के अधीन कितने निगम हैं। मैं वित्त मंत्रालय का फाइनेंशल असीस्टेंट्स के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने जो कहा है वह जवाब दे रहा हूं। इसके लिए मुझे अलग नोटिस चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

हेरोइन की तस्करी

*144. **श्री सनत कुमार मंडल** :
श्री परस राम भारद्वाज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हेरोइन की तस्करी का प्रमुख केन्द्र बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो हेरोइन का व्यापार करने वाले संघों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे, और

(ग) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में अफीम की खेती के स्थानों से अफीम की तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिल्ली में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जब्तियों और प्राप्त आसूचना रिपोर्टें यह दर्शाती है कि पाकिस्तान मूल की हेरोइन की तस्करी के लिए औषद्य अवैध व्यापारियों द्वारा दिल्ली को पारगमन स्थान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अफीम उपजाऊ क्षेत्रों से औषद्य अवैध व्यापारियों द्वारा देशी हेरोइन भी छोटी मात्राओं में दिल्ली लाई जाती है। वर्ष 1991,1992 और 1993 के दौरान दिल्ली में पकड़ी गई हेरोइन निम्न प्रकार है :

1991	1992	19913
67 किलोग्राम	28 किलोग्राम	139 किलोग्राम

(ख) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि विभिन्न अधिनियमों में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरते। अधिकारियेां को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है।

एसेटिक एन्हाइड्राइड हेरोइन के विनिर्माण के लिए एक पूर्वगामी रसायन है जिसे एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत एक नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया है तथा एसेटिक एन्हाइड्राइड की खपत, निर्यात, आयात, ब्रिकी, परिचालन, विनिर्माण के नियमन के लिए एक नियमन आदेश जारी कर दिया गया है। भारत-पाक सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर और भारत-म्यांमार सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर रसायनों की गतिविधि पर सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण लगा दिया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में अफीम का उत्पादन सरकार के पर्यवेक्षण तथा कड़े लाइसेंस नियंत्रण के अंतर्गत नियमित किया जाता है। विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां पॉपी खेती पर कड़ी सतर्कता रखती हैं और किसी उल्लंघन पर एन.डी.पी.एस. एक्त के अंतर्गत कड़े दण्डनीय उपाय किए जाते हैं।

महिला श्रमिक

*145. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री राम बदन :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिला श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्यवार निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, और

(घ) यदि नहीं, तो इनके उत्थान तथा नियोजकों द्वारा उनके शोषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्षों को भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालय ने संघीय मूल जनगणना सार 1991 में प्रकाशित कर दिया है। राज्यवार महिला कर्मकारों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ग) पुरुष तथा महिलाओं को समान मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कानून अधिनियमित किये हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न रोजगारों में पुरुषों तथा महिलाओं के लिए समान न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत उसी प्रतिष्ठान अथवा नियोजन तथा समान कार्य एवं उसी प्रवृत्ति के कार्य के लिए पुरुषों तथा महिला कर्मकारों के बीच लिंग-भेद के आधार पर भेदभाव प्रतिषिद्ध है।

(घ) सरकार की जानकारी में जब भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अथवा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उल्लंघन के कोई मामले आते हैं तो उपचारी कार्रवाई के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। प्रवर्तन क्रियाकलापों की आवधिक मॉनिटरिंग की जाती है। सरकार द्वारा महिला श्रमिकों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

विवरण

महिला श्रमिकों की राज्यवार संख्या (1991 की जनगणना)

क्रम सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीमान्त कर्मकारों सहित कुल महिला कर्मकार
1	2	3
	भारत	89,767,563
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,252,643
2.	अरुणाचल प्रदेश	149,789
3.	असम	2,324,535
4.	बिहार	6,116,974
5.	गोवा	117,977
6.	गुजरात	5,180,886
7.	हरियाणा	821,299
8.	हिमाचल प्रदेश	888,985
9.	कर्नाटक	6,472,816
10.	केरल	2,347,268
11.	मध्य प्रदेश	10,430,890
12.	महाराष्ट्र	12,617,454

1	2	3
13.	मणिपुर	350,134
14.	मेघालय	302,853
15.	मिजोरम	143,964
16.	नागालैंड	215,722
17.	उड़ीसा	3,241,991
18.	पंजाब	4,18,646
19.	राजस्थान	5,744,129
20.	सिक्किम	57,790
21.	तमिलनाडु	8,236,872
22.	त्रिपुरा	184,333
23.	उत्तर प्रदेश	8,019,310
24.	पश्चिम बंगाल	3,662,855
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	16,584
26.	चण्डीगढ़	29,443
27.	दादरा और नागर हवेली	32,944
28.	दमन और दीव	11,584
29.	दिल्ली	314,076
30.	लक्षद्वीप	1,906
31.	पांडिचेरी	60,911

टिप्पणी : 1991 में जम्मू तथा कश्मीर में जनगणना नहीं की गयी थी।

[हिन्दी]

हेरिटेज होटल

*146. **श्री राम सिंह कस्वां :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) ऐसी इमारतों की संख्या क्या है, जिन्हें अब तक हेरिटेज होटलों के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है, और

(ग) इससे अनुमानतः पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) सरकार ने एक स्वैच्छिक स्कीम चलाई है, जिसके अंतर्गत वर्ष 1950 से पहले निर्मित भवनों जैसे-दुर्गों, महलों, गढ़ों, हवेलियों आदि को होटलों में बदलने पर हेरिटेज होटलों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे देश को पर्यटन के लिए नया आयाम मिलेगा। अब तक हेरिटेज श्रेणी के अंतर्गत 629 कमरों सहित 20 होटलों को वर्गीकृत किया गया है।

(ग) पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा आय पर अलग से स्कीम के प्रभाव का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि पर्यटक यातायात अनेक कारणों पर निर्भर करता है। तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ये शानदार इमारतें विदेशी पर्यटकों की कल्पना को अवश्य ही लुभाती है।

सोने का आयात

*147. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में सोने का आयात किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष सोने के आयात को हतोत्साहित करने के लिये कोई कदम उठाए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी उत्पादों की भरमार के विरुद्ध कार्यवाही

*148. **श्री सुदर्शन राय चौधरी :**
श्री हाराधन राय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किन्ही विदेशी उत्पादों पर "एण्टी डम्पिंग" शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) चालू वर्ष में विदेशी सरकारों द्वारा भारतीय उत्पादों की भरमार की आशंका में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) दिनांक 18 जनवरी, 1994 को ऐसे पोली-विनाइल क्लोराइड रेसिन व्हाइट फ्री फ्लोइंग पाउडर (पेस्ट, बैटरी या ऐमलशन ग्रेड को छोड़कर) के निर्यात पर पाटन-रोधी शुल्क लगा दिया गया है, जो निम्नलिखित देशों से चला हो। शुल्क की दरें देश के नाम के सामने दी गई हैं।

प्रेषण का मूल देश	शुल्क की दर (रु. प्रति टन)
ब्राजील	2036
मैक्सिको	1619
कोरिया गणतंत्र	1253
संयुक्त राज्य अमेरिका	504

जापान से बिसफेनोल-ए के आयात पर 23 प्र. पाटन का मार्जिन पद-नामित प्राधिकारी ने निश्चित किया है। प्राधिकरी ने निश्चित बिसफेनोल-ए के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच-पड़ताल के उस अंतिम निष्कर्ष में किया है, जिसे 18 फरवरी, 1994 को अधिसूचित किया गया है।

(ग) : अप्रैल, 1993 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टेनलैस-स्टील वायर रॉड पर और स्टेनलेस-स्टील फ्लनजिस के आयात पर पाटन-रोधी लगा दिया था और आस्ट्रेलिया ने भारत से सोडियम-साइनाइड के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया है।

इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण में सुधार

*149. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण में सुधार लाने की कोई योजना तैयार की है, ताकि यह निजी क्षेत्र की विमान कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स का किराया कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में से कुछ निम्नलिखित हैं :-

(1) उत्पाद सम्बन्धी सुधार :

– विमान के अन्दर और भूमि पर दोनों जगह सेवा में सुधार

– ए-300 के इकॉनॉमी क्लास में सीट पिच को बढ़ाकर यात्री के आराम में वृद्धि।

– ए-320 विमान में बिजनैस क्लास शुरू करना।

(2) मूल्य निर्धारण और वितरण कार्य नीतियां :

– ग्राहकों और एजेंटों के लिए प्रोत्साहन/रियायतें शुरू करना

– अधिक व्यवसाय जुटाने के लिए बिक्री बलों की स्थापना करना।

(3) संगठनात्मक सुधार :

– वातावरण के अनुरूप गतिशील और संसक्तिशील अनुक्रिया के लिए ढांचा संगठनात्मक उद्देश्यों, ढांचा और प्रणाली में परिवर्तन।

– पारस्परिक सहमति का वातावरण पैदा करने के लिए कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों के साथ निकट परामर्श।

(4) पारिश्रमिक की उत्पादकता से जुड़ी योजना को शुरू करने के परिणामस्वरूप विमान बेड़े के उपयोग में वृद्धि।

(5) उपलब्ध क्षमता को सफलतापूर्वक नियोजित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि।

(6) खाड़ी देशों में संयुक्त उद्यम प्रचालनों, हब एण्ड स्पोक प्रचालनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एयर इंडिया के साथ मिलकर काम करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) किरायों में बड़े पैमाने पर कटौती करने से प्रचालन, आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रहेंगे।

मूल्य वृद्धि

*150. **श्री श्री के.टी. वाण्डायार :**
श्री शरद दिघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक बिक्री और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अंक दर अंक आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर कितनी है;

(ग) मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि का मुद्रास्फीति की दर पर क्या प्रभाव पड़ा है, और

(ङ) मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति दर में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) (क) गत चार महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

आवश्यक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक

महीना	थोक मूल्य सूचकांक (1981-82=100)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) (1982=100)
अक्तूबर, 1993	262.4	257.4
नवम्बर, 1993	262.6	257.4
दिसंबर, 1993	260.2	उ.न.
जनवरी, 1994	257.1	उ.न.

(ख) और (ग) गत चार महीनों के दौरान प्रत्येक सप्ताह के लिए बिन्दु-प्रति-बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, जैसी कि नीचे दर्शायी गई है, मुद्रास्फीति दर में लगातार वृद्धि का संकेत नहीं करती :

को समाप्त सप्ताह	मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (बिन्दु-प्रति-बिन्दु) (प्रतिशत)
1	2
2-10-93	8.8

1	2
9-10-93	8.7
16-10-93	8.5
23-10-93	8.3
30-10-93	8.2
6-11-93	8.7
13-11-93	8.7
20-11-93	8.4
27-11-93	8.5
4-12-93	8.7
11-12-93	9.0
18-12-93	8.8
25-12-93	7.7*
1-1-94	8.1*
8-1-94	8.4*
15-1-94	8.4*
22-1-94	8.2*
29-1-94	8.2*
5-2-94	8.5*
12-2-94	8.5*
(*अनन्तिम)	

(घ) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि का नवीनतम मुद्रास्फीति दर पर सीधा प्रभाव 4.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ङ) मूल्य वृद्धि को संतुलित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप मूलतः आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने में था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवंटन बढ़ाना, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खुला बाजार बिक्रियां, एक लाख टन खाद्य तेलों का आयात प्राधिकृत करना और लेवी-भिन्न चीनी का बढ़ा हुआ मासिक निर्गम, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछ है।

बैंक की शाखाओं का बंद/विलय किया जाना

*151. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री रामदेव राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को राज्य सरकारों के माध्यम से अपनी अलाभप्रद शाखाओं को बन्द करने या उनका विलय करने के संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में बैंकों के कार्मिक संघों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले, और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बन्द की जाने वाली या विलय की जाने वाली शाखाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से केवल ग्रामीण शाखाओं को बन्द करने अथवा उनका विलय करने के संबंध में ही अपने प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे हरियाणा सरकार से पंजाब नेशनल बैंक की रामपुरा ढिल्लो शाखा को जमाल में स्थानांतरित कर उसे जपाल में स्थित वर्तमान शाखा (तत्कालीन न्यू बैंक आफ इंडिया की शाखा) में विलय करने के संबंध में केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) वित्त मंत्री ने "सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय क्षेत्र सुधार बेहतर भविष्य के पुनर्निर्माण हेतु चर्चा पेपर" पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ जनवरी, 1994 में एक बैठक बुलायी थी। इस बैठक में ट्रेड यूनियन के नेताओं द्वारा शाखाओं को बंद करने के संबंध में व्यक्त की गयी आशंकाओं को दूर किया गया। यह बताया गया कि गैर-अर्थक्षमता के कारण चालू वर्ष में संभावित रूप से बंद की जाने वाली कुल शाखाओं की संख्या अनुमानतः 100 होगी।

बाल श्रमिक

*152. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाल श्रमिकों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश में, राज्यवार कुल कितने बाल श्रमिक हैं ?

(ग) क्या उनके आर्थिक और शैक्षिक पुनर्वास की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) बाल श्रम समाप्त करने हेतु तैयार की गई समय-बद्ध कार्य योजना क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ) कामकाजी बालकों (बाल श्रमिकों) की संख्या के संबंध में प्रमाणिक आंकड़े प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर होने वाले जनगणना के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

2. बाल श्रमिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिये श्रम मंत्रालय की योजनाओं में बाल श्रमिकों की सघनता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनायें शुरू करना और कार्योन्मुख कार्यक्रम शुरू करने के लिये गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देना शामिल है। इन परियोजनाओं में कार्य से हटाये गये बालकों को शिक्षा, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, वजीफा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसी सुविधायें दी जाती हैं। अ.श्र.सं. से सहायता प्राप्त, अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के कल्याण के लिये इसी तरह के कार्यक्रम लागू किये जाते हैं।

3. सामाजिक आर्थिक दशाओं के कारण निकट भविष्य में बाल श्रम प्रथा का पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं है, सरकार की नीति इसे क्रमिक रूप से समाप्त करने की है। जिन नियोजनों में बाल श्रम को पहले ही प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, उनके अलावा अन्य नियोजनों को, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रतिषेध में विस्तार करने के लिये समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। राज्य सरकारें, जो बाल श्रम से संबंधित कानूनों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करती हैं, को कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन करने के लिये निर्देश दिये गये हैं। बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिये बाल श्रमिकों की बहुलता वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को समेकित नीति योजनाएं तैयार करने को कहा गया है। कम बाल श्रमिकों वाले दस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समयबद्ध तरीके से ऐसा करने का अनुरोध किया गया है। बाल श्रम प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिये दो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्षेत्रों, अर्थात, आंध्र प्रदेश में जग्गमपेट और मध्य प्रदेश में मंदसौर का पता लगाया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	0-14 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिक 1981 की जनगणना
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,951,312
2.	असम	**
3.	बिहार	1,101,764

1	2	3
4.	गुजरात	616,913
5.	हरियाणा	194,189
6.	हिमाचल प्रदेश	99,624
7.	जम्मू और कश्मीर	258,437
8.	कर्नाटक	1,131,530
9.	केरल	92,854
10.	मध्य प्रदेश	1,698,597
11.	महाराष्ट्र	1,557,756
12.	मणिपुर	20,217
13.	मेघालय	44,916
14.	नागालैंड	16,235
15.	उड़ीसा	702,293
16.	पंजाब	216,939
17.	राजस्थान	819,605
18.	सिक्किम	8,561
19.	तमिलनाडु	975,055
20.	त्रिपुरा	24,204
21.	उत्तर प्रदेश	1,434,675
22.	पश्चिम बंगाल	605,263
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,309
24.	अरुणाचल प्रदेश	17,950
25.	चंडीगढ़	1,986
26.	दादरा और नागर हवेली	3,615
27.	दिल्ली	25,717

1	2	3
28.	गोवा, दमण और दीव	9,378
29.	लक्षद्वीप	56
30.	मिज़ोरम	6,314
31.	पांडिचेरी	3,606
		13,640,872

**उस समय असम में अशांत स्थिति व्याप्त होने के कारण वहां 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी।

रुई का निर्यात

*153. **श्री तारा सिंह :**
श्री साईमन मरान्डी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में रुई के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है, और .

(ग) प्रतिबंध लगाने से रुई के मूल्यों में कितनी कमी आएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) सरकार ने अभी हाल ही में अपरिष्कृत कपास की कीमतों में असामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कपास का निर्यात आस्थगित कर दिया है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य से 8 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक अधिक होने की तुलना में 65 प्रतिशत से 116 प्रतिशत तक अधिक है। ऐसा बताया गया है कि कपास तथा सूती यार्न की कीमत में अचानक उछाल आने के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्युतकरघा हथकरघा एककों को उत्पादन रोकने को विवश होना पड़ा है।

(ग) कपास की निर्यात का आस्थगन करने से कपास की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सका है।

[हिन्दी]

इस्राइल का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल

*154. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्राइल के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने परियोजनाओं में निवेश करने हेतु उनका अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने जिन परियोजनाओं का अध्ययन किया और जिनमें निवेश का निर्णय लिया उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) 1994 के दौरान दोनों देशों के बीच कितने मूल्य का व्यापार होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इज़रायल से अनेक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत में व्यापार-संभावनाओं का पता लगाने के लिए आते रहे हैं। यहां संभवतः उस प्रतिनिधिमंडल का संदर्भ दिया गया है, जिसमें इज़रायल की लगभग 40 कंपनियों के प्रतिनिधि थे और जिसने दिनांक 22 जनवरी, 1994 से तीन हफ्तों के लिए भारत का दौरा किया था। यह प्रतिनिधिमंडल इज़रायल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट (आई.ई.आई) ने प्रायोजित किया था। इस प्रतिनिधिमंडल की बंबई और नई दिल्ली में बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुई थीं। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त-उद्यमों की संभावनाएं हैं, तथापि इज़रायली दृष्टिकोण से ''इलेक्ट्रॉनिक्स' तथा 'धातु एवं मशीनरी' उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र प्रतीत होते हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इज़रायल के साथ भारत का व्यापार लगभग 660 करोड़ रुपए मूल्य का हुआ था और वर्ष 1993-94 के दौरान इसके 1000 करोड़ रुपए से अधिक होने की आशा है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स

*155. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में परिवर्तित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पब्लिक इश्यू जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ.) ये पब्लिक इश्यू कब तक जारी कर दिए जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश 1994 के अनुसरण में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, 1-3-1994 से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के उपक्रम क्रमशः इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड में अन्तरित और निहित कर दिए गये हैं। इस पुनर्गठन से, इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड अपनी इक्विटी में वृद्धि करने और पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने में सक्षम हो सकेंगे।

(ग) से (ङ) एयरलाइनों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नयी इक्विटी जारी करके, भविष्य में इन कम्पनियों के इक्विटी बेस को व्यापक बनाने की आवश्यकता होगी। अभी से कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रतिभूति घोटाला

*156. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री रूपचंद पाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिभूति घोटाले संबंधी संयुक्त समिति के निष्कर्षों, टिप्पणियों तथा सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) और (ख) संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 21-12-93 को संसद में पेश कर दी थी। रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में विचार किया गया। सरकार "की गयी कार्रवाई" की रिपोर्ट तैयार कर रही है और उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

[हिन्दी]

चाय का निर्यात

*157. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 की तुलना में 1993 के दौरान विदेशों में भारतीय चाय की मांग कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय चाय की लोकप्रियता बनाये रखने के लिए कोई योजना तैयार की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। जनवरी, 1993 से दिसंबर, 1993 तक की अवधि के दौरान भारत से 1155.86 करोड़ रु॰ मूल्य की 180.06 मिलियन कि.ग्रा. चाय का निर्यात होने का अनुमान है, जबकि जनवरी, 1992 से दिसंबर, 1992 तक की अवधि में 942.04

करोड़ रुपए मूल्य की 170.82 मिलियन कि.ग्रा. चाय का निर्यात किया गया था। इससे यह पता चलता है कि विदेशी बाजारों में वर्ष 1992 की तुलना में वर्ष 1993 में भारतीय चाय की मांग बढ़ी है।

(ग) और (घ) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें चाय बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों के ज़रिए संवर्धन अभियान भी शामिल हैं। संवर्धन अभियान में किए जाने वाले काम हैं : (1) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना (2) भारतीय चाय की विभिन्न अनोखी विशेषताओं के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए संचार-माध्यमों के ज़रिए अभियान (3) चाय बोर्ड के मार्केटिंग सिम्बल के ज़रिए भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए संचारमाध्यमों के ज़रिए अभियान तथा (4) उन विभिन्न विदेशी ब्राण्डों को सहायता देना जिनमें भारतीय चाय रहती है। आयातकों द्वारा संवर्धन अभियानों पर किए गए खर्च का कुछ भाग बोर्ड के बजट से किया जाता है। चार्य बोर्ड ने भारतीय चाय की क्लासिक किस्मों को यूनाइटेड किंगडम में लोकप्रिय बनाने के लिए वहां दार्जिलिंग और असम लोगों ने अभियान भी चलाए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंक

*158. **श्री राजेश कुमार :**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करने तथा उन्हें और अधिक उत्तरदायी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सभी परिचालनात्मक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। उन्हें और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार किए हैं, जिसके अनुसार निष्क्रिय परिसंपत्तियों में कमी करने, लाभप्रदता में सुधार करने और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन जैसे कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके कार्यनिष्पादन के संबंध में प्रतिबद्धताएं प्राप्त की गई हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारत और अफ्रीकी देशों के बीच पर्यटन

*159. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अफ्रीकी देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारत पर्यटन केन्द्र तथा भारत में दक्षिण अफ्रीका पर्यटन केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 2 अक्तूबर 1993 से दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग और बंबई के बीच एयरइंडिया की उड़ान शुरू करने से दोनों देशों के बीच सीधा एयरलिंक स्थापित कर दिया गया है। एयरइंडिया की उड़ान डर्बन भी जाती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका में व्यापार प्रतिनिधिमंडल और उच्च स्तरीय मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल जा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से भी भारत में प्रतिनिधिमंडल आए हैं।

(घ) और (ङ) जोहानिसबर्ग में शीघ्र ही भारत सरकार पर्यटक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन दोनों देशों के बीच पर्यटकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार बंबई में कार्यालय खोलने के लिए उत्सुक है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स के पायलट

*160. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स में प्रतिवर्ष कितने पायलट भर्ती किये गए;

(ख) क्या पायलटों की सेवा में भर्ती के समय इंडियन एयरलाइन्स में एक निश्चित अवधि के लिए सेवा करने हेतु बांड भरना होता है तथा निर्धारित अवधि से पहले सेवा छोड़ने का निर्णय लेने पर उन्हें दिये गये प्रशिक्षण पर आये खर्च की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रशिक्षित अनेक पायलट अपेक्षित क्षतिपूर्ति का भुगतान किये बिना एयरलाइन्स को छोड़कर चले गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) दोषी पायलटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उनसे क्षतिपूर्ति वसूल करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने 1991 में 2 और 1992 में 14 विमानचालकों की भर्ती की। 1993 में कोई विमानचालक भर्ती नहीं किया गया।

(ख) जी, हां। सितंबर, 1965 से, बांड भरने की अपेक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है।

(ग) से (ङ) जनवरी, 1991 से फरवरी, 1994 तक की अवधि में अपना त्यागपत्र देने वाले 116 विमानचालकों में से, 35 विमानचालकों ने बांड भरा हुआ था। 3 विमानचालकों के संबंध में अंतिम हिसाब-किताब करते समय अनुपातिक राशियां वसूल कर ली गयी हैं। शेष 32 विमानचालकों की वसूली हेतु पत्र/कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं।

पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम निधियां

1515. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा से पर्यावरण संबंधी दो परियोजनाओं के वित्त पोषण की घोषणा की है,

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं को ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी, और

(ग) इस संबंध में कितनी राशि दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परियोजना पुनर्विलोकन समिति ने विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा के अंतर्गत जनवरी, 1994 में भारत के लिए दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। विस्तृत परियोजना दस्तावेजों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।

पोलैंड के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1516. **श्री बी. देवराजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड की सरकार ने अपने यहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश करने के लिए भारतीय उद्यमियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोलैंड में उदार विदेशी निवेश संबंधी कानूनों से भारतीय उद्यमियों के लिए वहां एक अवसर पैदा हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1993 में वरसा में आयोजित भारत-पोलैंड संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठक में पोलैंड ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की अपनी नीति के अनुसरण में अपनी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में निवेश करने के लिए भारतीय उद्यमियों को आमंत्रित किया था। पोलैंड पक्ष ने सूचित किया कि राज्य द्वारा संचालित 6000 उद्यमों तथा कुछ सहयोग से चल रहे उद्यमों का नाम निजीकरण हेतु पोलैंड की सूची में हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) 38.3 मिलियन की जनसंख्या वाला पोलैंड केन्द्रीय यूरोप में सबसे बड़ा देश है और यह यह एक बड़ा बाजार है तथा यूरोपीय देशों के बाजारों के निकट है। इसके यूरोपीय समुदाय के साथ करार-संबंध हैं तथा ईएफटीए के साथ इसने व्यापार करार किया है जिसके तहत इन देशों को पोलैंड से व्यापक मात्रा में उत्पादों का निःशुल्क निर्यात होता है। उपरोक्त संयुक्त व्यापार परिषद् में पोलैंड पक्ष ने कहा कि पोलैंड विदेशी निवेश खासकर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में निवेश का स्वागत करता है। उन्होंने बताया कि निजीकरण उनकी सरकार की एक उच्च्य प्राथमिकता है।

इस क्षेत्र में व्यापार संवर्धन योजना के एक भाग के रूप में सरकार पोलैंड सहित इन देशों में निवेश को प्रोत्साहन तथा सुविधा दे रही है।

बाल श्रमिकों के लिए वेतन बोर्ड

1517. **श्री मोहन रावले** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या बंधुआ बाल श्रमिक प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बंधित बाल श्रम सहित बंधित श्रम पहले ही प्रतिषिद्ध है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक ऋण

1518. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आर्थिक सुधार की धीमी गति के कारण विचाराधीन सात प्रस्तावित ऋणों को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन इन ऋणों का संक्षिप्त ब्यौरा और संख्या क्या है;

(ग) इन ऋणों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है, और

(घ) विश्व बैंक द्वारा पहले ऐसा कितना ऋण मंजूर किया गया है, परंतु 31 दिसंबर, 1993 तक लिया नहीं गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 31-12-93 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की अनुमोदित परियोजनाओं से असंवितरित ऋण/उधार क्रमशः 4134.085 अमरीकी डालर और 4682.267 अमरीकी डालर।

शेयर बाजार में हड़ताल

1519. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 में और विशेषतः जनवरी-फरवरी, 1994 के दौरान शेयर बाजारों में हड़तालों के कारण कारोबार सम्पन्न नहीं हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक हड़ताल में राजकोष, शेयर धारकों, दलालों और जनता को अनुमानतः कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इन हड़तालों के दौरान दलालों द्वारा की गई मांगों पर कोई निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, और नई दिल्ली स्थित स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों ने वर्ष 1993 के दौरान कुछ दिनों के लिए कारोबार नहीं किया था। जनवरी-फरवरी, 1994 के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

(ख) कारोबार का बहिष्कार "सेबी" द्वारा अहमदाबाद स्टाक एक्सचेंज के दस सदस्यों को पंजीकरण शुल्क की अदायगी न करने, आयकर विभाग द्वारा शेयरों की जब्ती किए जाने और बंबई कलकत्ता, अहमदाबाद और नई दिल्ली स्थित स्टाक एक्सचेंजों को "सेबी" का यह विनिर्देश दिए जाने कि प्रतिभूतियों में सभी लेन-देनों को प्रत्येक निपटान अवधि की समाप्ति पर सुपुर्दगी और भुगतान द्वारा निपटाया जाए और मौजूदा वायदा-कारोबार संबंधी परिस्थितियों को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर लेन-देनों में वायदा-कारोबार करने की अनुमति न दी जाए, के कारण निलम्बित किए जाने के विरोध से संबंधित था।

(ग) ऐसा मूल्यांकन करना संभव नहीं है, विशेषकर तब जब उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित एक्सचेंजों में कोई कारोबार नहीं हो रहा था और देश में अन्य स्टाक एक्सचेंजों में कारोबार किया जा रहा था।

(घ) से (च) सरकार उठाए गए मुद्दों के प्रति सतर्क और सजग है और उसने स्टाक एक्सचेंजों में स्पष्टता सुनिश्चित करने और कारोबार के विवेकपूर्ण मानदंडों पर जोर देने में निवेशकों के संरक्षण हेतु कार्रवाई की है।

रूस का निर्यात

1520. **श्री कृपासिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने संभावना का पता लगाया है, और

(ग) आठवीं योजना के दौरान रूस को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने संबंधी किन प्रस्तावों पर विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर उपाय करती रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) व्लाडीवोस्टक और सेन्ट पीटर्सबरों में नए महावाणिज्य दूतावास खोलना;

(2) व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के संबंध में एक नया द्विपक्षीय ढांचागत करार सम्पन्न करना, दुर्लभ मुद्रा में व्यापार बढ़ाना और परममित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करना;

(3) रूस द्वारा भारत से माल तथा सेवाओं का आयात करके पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा दिए गए सरकारी ऋणों के भारतीय भुगतान के लिए रूस के साथ करार करना और तदनुरूपी प्रबंधों को अन्तिम रूप देना;

(4) अन्तः बैंकिग प्रबन्ध स्थापित करना जिनमें पत्राचार करार करके एक संयुक्त उद्यम बैंक स्थापित करना शामिल है;

(5) प्रति व्यापार संवर्धन, खेप निर्यात संवर्धन और भाण्डागारों का सृजन/पट्टे पर देना;

(6) संयुक्त उद्यम और परस्पर पूंजी निवेश बढ़ाना जिनमें संयुक्त व्यापार उद्यम, उत्पादन-भागीदारी आधारित संयुक्त उद्यम और तृतीय देश को निर्यात संबंधी संयुक्त उद्यम शामिल हैं;

(7) निर्यात ऋणों की आसानी से उपलब्धता को सुगम बनाने संबंधी उपाय;

(8) हवाई कार्गो यातायात बढ़ाना;

(9) अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिनिधि कार्यालय खोलकर सीधे व्यापारी-स्तरीय सम्पर्क बढ़ाना और उसे प्रोत्साहित करना; और

(10) व्यापार, विपणन, बैंकिंग, प्रबंधन और कार्मिकों के प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करना।

बैंकों में एयर इंडिया का निवेश

1521. **श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों में किए गए निवेश की कुल राशि कितनी है,

(ख) क्या यह निवेश वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान एयर इंडिया द्वारा विभिन्न बैंकों में किए गए निवेशों की कुल राशियां नीचे दी गई हैं।

1990-91	560.83 करोड़ रुपये
1991-92	1260.65 करोड़ रुपये
1992-93	1582.42 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) इनमें से कुछ निवेश, जो सिटी बैंक में पोर्टफोलियो मैनेजमैंट स्कीम के अंतर्गत जमाराशियों, डण्ड बैंक मर्चैंट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड में जमा राशियों "रेडी फारवर्ड" ट्रांजेक्शन आदि के रूप में थे। वायुयान निगम अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत जारी किए गए अनुदेशों के उल्लंघन में थे।

(घ) इस संबंध में सरकार की अप्रसन्नता एयर इंडिया को जता दी गई है और मुख्य कार्यकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि सभी निवेश अधिनियम के संगत उपबंधों के सर्वथा अनुसार हों। अनियमित निवेशों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु एयर इंडिया ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

सुन्दर वन में पर्यटन विकास

1522. **डा. सुधीर राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सुन्दरवन में पर्यटन के विकास हेतु पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सुन्दर वन में पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :-

(1) सुन्दरवन के लिए भ्रमण-पोत

(2) पियाली में पर्यटक गृह

(3) कैखाली में पर्यटक गृह

(4) ढमखली में मार्गस्थ सुविधाएं।

(ख) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए धन स्वीकृत किया जाता है। क्षेत्रों के विकास के लिए धन निर्धारित नहीं किया जाता।

भूकंप पीड़ितों को विदेशी सहायता

1523. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भूकंप राहत हेतु विभिन्न देशों से प्राप्त नकद और रुपये के सममूल्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सहायता संपूर्ण रूप से महाराष्ट्र तक पहुंचा दी गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सहायता को वहां शीघ्र पहुंचा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) महाराष्ट्र में भूकंप राहत के लिए अद्यतन तारीख तक प्राप्त सहायता की राशि और सहायता प्रस्ताव (नकद और वस्तु रूप में मिलाकर) जिसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नीदरलैंड्स, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र निकाय और विश्व बैंक से प्राप्त प्रस्ताव शामिल हैं, 894.52 करोड़ रुपये के हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त सहायता राशि की मात्रा बतलाना इस स्तर पर संभव नहीं है, चूंकि कुछ सहायता-प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर हैं और इसके अलावा यह सहायता गैर-सरकारी संगठनों सहित अन्य स्रोत्रों के माध्यम से भी प्रदान की जा रही है।

बेनामी शेयर कारोबार

1524. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोड़ों रुपये के शेयर बेनामी शेयर कारोबार में लगे हुए हैं, जैसा कि 29 दिसम्बर, 1993 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले, और

(ग) इन सौदों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) आयकर विभाग ने हर्षद मेहता ग्रुप के बेनामी शेयरों के मामलों के बारे में जुलाई, 1992 से दीर्घकालिक जांच कार्य किया था। उन्होंने 22-2-1994 की स्थिति के अनुसार हर्षद मेहता ग्रुप के बेनामी शेयर के निधिपत्रों के रूप में 35 कंपनियों में लगभग 36.5 लाख शेयरों का पता लगाया है जो सम्मिलित रूप से लगभग 298 करोड़ रुपये की कीमत के हैं। आयकर विभाग द्वारा पता लगाए गए बेनामी शेयरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कर-निर्धारण अधिकारी ने 1994 की प्रकीर्ण आवेदन पत्र सं. 53 दिनांक 31 जनवरी, 1994 विशेष न्यायालय के समक्ष विभिन्न तथ्यों को न्यायालय के ध्यान में लाते हुए बम्बई में दायर की है। इस न्यायालय का गठन विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों की जांच) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत किया गया था। इस आवेदन-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की गई है कि न्यायालय लगभग 610 बेनामीदारों द्वारा धारित शेयरों को हर्षद मेहता ग्रुप से संबंधित शेयर घोषित करे। ये संपत्तियां अभिरक्षक के अधिकार में दी जाएं और श्री हर्षद मेहता को यह निर्देश दिया जाए कि वह बेनामी परिसंपत्तियों सहित अपनी सारी परिसंपत्तियों का उल्लेख करे।

विवरण

हर्षद मेहता ग्रुप के बेनामी शेयरों के ब्यौरे

22-2-94 की स्थिति के अनुसार मूल्य निर्धारण

क्र.सं.	स्क्रिप	शेयरों की संख्या	दर रु.	मूल्य रु.
1	2	3	4	5
1.	ए.सी.सी.	5,15429	3,670	1,89,16,24,430
2.	आई.टी.सी. अग्रोटेक	2,16,000	350	7,58,10,000
3.	जे.पी. इंडस्ट्रीज	2,19,125	100	2,19,12,500
4.	एक्सल इंडस्ट्रीज	9,000	905	81,45,000
5.	सा पाइप्स	1,87,900	560	10,52,24,000
6.	आर.आई.एल.	6,80,740	398	27,09,34,520
7.	टाटा टी	1,30,035	820	10,66,28,700

1	2	3	4	5
8.	माजदा इंडस्ट्रीज	2,45,921	171	4,20,52,491
9.	अपोलो टायर्स	1,27,275	205	2,60,91,375
10.	इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स	72,100	125	90,12,500
11.	इंडियन रेयन	8,635	632.50	59,61,637.50
12.	आई.टी.सी. क्लासिक फाइनेंस	6,400	325	20,80,000
13.	बॉम्बे डाइंग	52,706	410	2,16,09,460
14.	सैंचुरी टैक्सटाइल्स	964	10,100	97,36,400
15.	ओरके इंडस्ट्रीज	37,475	3650	13,67,837.50
16.	कैस्ट्रोल	2,500	1,100	27,50,000
17.	यूनाइटेड फास्फोरस	30,370	1,260	3,82,66,200
18.	सेसा गोवा	1,70,450	650	11,07,92,500
19.	एसेम केटलिस्ट	1,22,700	30	36,81,000
20.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	2,500	310	7,75,000
21.	कोलगेट	1,850	537.50	9,94,375
22.	ओसवाल फैट्स	16,300	115	18,74,500
23.	विक्रांत टायर्स	7,600	30	2,28,000
24.	अरविंद मिल्स	1,150	260	2,99,000
25.	आई.टी.सी.	68,600	745	5,11,07,000
26.	गुजरात फर्टिलाइजर्स	3,435	275	9,44,625
27.	गुजरात नर्मदा	2,08,750	92.50	1,93,09,375
28.	एन.ओ.सी.आई.एल.	800	845	6,76,000
29.	माजदा इंटरप्राइजेज (पैकेजिंग)	1,06,400	90	05,76,000

1	2	3	4	5
30.	जुआरी एग्रो	3,500	400	14,00,000
31.	वी.आई.पी. इंडस्ट्रीज	3,11,000	लागत	3,58,30,000
32	बजाज आटो लिमिटेड	2,600	1140	29,64,000
33.	जे.के. इंडस्ट्रीज	40,050	180	72,09,000
34.	ग्लैक्सो इंडिया	38,550	462.50	1,78,29,375
35.	मद्रास सीमेंट	6,230	9,000.00	5,60,70,000

गारमेंट एक्सपोर्ट इनटाइटलमेंट डिस्ट्रिब्यूशन पालिसी

1525. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गारमेंट एक्सपोर्ट इनटाइटलमेंट डिस्ट्रिब्यूशन पालिसी के कार्यान्वयन के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) : सरकार को व्यापार क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के अभ्योवदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें नई दीर्घावधि परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के विभिन्न पहलुओं पर कुछ परस्पर विरोधी अभ्यावेदन भी शामिल हैं। यह अभ्यावेदन पंजीकृत कोटा एजेंटों के माध्यम के बिना पंजीकृत निर्यातकों के बीच सीधे अन्तरण करने की अनुमति प्रदान करने, विगत निर्यात-निष्पादन हकदारी (पी.पी.ई.) तथा गैर कोटा निर्यातक हकदारी (एन.क्यू.ई.) की परिकलन करने की आधार अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने, पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के लिए वार्षिक स्तर का कुछ प्रतिशत उद्दिदष्टि करने, नए विनिर्माता निर्यातकों की परिभाषा में परिवर्तन करने, जून-सितम्बर की अवधि के दौरान हकदारियों का अंतरण 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित करने आदि से संबंधित हैं। सरकार ने निर्यातकों के बीच सीधे अन्तरण करने तथा जून-सितम्बर की अवधि के दौरान हकदारियों के अन्तरण को प्रतिबंधित करने से संबंधित अभ्यावेदनों पर पहले से ही कार्रवाई की है।

विदेशी विमानों के शुल्क में वृद्धि

1526. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारत में उड़ान भरने वाले विदेशी विमानों के लिए शुल्क में वृद्धि की है,

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि की है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार देश में प्रमुख विमानपत्तनों पर सुविधाओं में वृद्धि करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1-2-94 से टर्मिनल दिक्यालन अवतरण प्रभारों मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभारों और अवतरण प्रभारों में लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि की है।

(ग) और (घ) टर्मिनल और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और इन्हें प्रत्याशित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं शुरू की हैं :

1. बम्बई और दिल्ली हवाई अडडों पर विमान यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण;
2. विमानपत्तन निगरानी राडार/मोनो पल्स सैकण्डरी निगरानी राडार की खरीद और संस्थापन;
3. उपस्कर अवतरण प्रणाली की खरीद और संस्थापन, और
4. आदर्श हवाई अड्डों का विकास।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बैंकों में धोखाधड़ी/डकैती

1527. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी/डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 और 1992-93 का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन घटनाओं में प्रत्येक में कितनी राशि शामिल है और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इन घटनाओं में कुछ बैंक कर्मचारी भी शामिल पाये गये थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से धोखाधड़ियों के राज्यवार मामलों से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, भारत में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित की गयी वर्ष 1991, 1992 और 1993 (मार्च तक) में हुई धोखाधड़ियों की कुल संख्या और उसमें अन्तर्ग्रस्त रकम का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त रकम (लाख रुपए में)
1991	1535	6265.06
1992	1702	11978.80
1993 (मार्च तक)	509	1642.76

धोखाधड़ियों के मामलों में अन्तर्ग्रस्त रकमों से अनिवार्यतः उन वास्तविक हानियों का पता नहीं चलता, जो अन्ततोगत्वा बैंकों को उठानी पड़ सकती हैं। आमतौर पर बैंकों के पास दिये गये अग्रिमों को कवर करने की कुछ प्रतिभूतियां होती हैं। बैंक, सिविल तथा आपराधिक मुकदमें भी दायर करते हैं और समुचित राहत की मांग करते हैं। इसके अलावा बैंक बीमा कवर की सुविधा लेते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1991 और 1992 के दौरान, धोखाधड़ियों के मामलों में अन्तर्गस्त दोष-सिद्ध बड़ी/छोटी सजा प्राप्त और सेवा से हटाये गये/बरखास्त किये गये कर्मचारियों के बारे में सूचित की गयी वर्तमान स्थिति नीचे दी गयी है :

		1991	1992
(1)	दोषसिद्ध कर्मचारियों की संख्या	82	51
(2)	बड़ी/छोटी सजा दिये गये कर्मचारियों की संख्या	829	849
(3)	उपर्युक्त (2) में से सेवामुक्त/बरखास्त/ हटाये गये कर्मचारियों की संख्या	289	275

वर्ष 1991-92 और 1992-93 में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित बैंकों में हुई लूटपाट/डकैतियों की घटनाओं से संबंधित जानकारी नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	बैंक/शाखा का नाम	घटना की तारीख	अन्तर्ग्रस्त रकम (लाख रुपये में)	अन्तग्रेस्ट कर्मचारी और उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई
1.	बैंक आफ इंडिया, मदन महल शाखा, भोपाल (मध्य प्रदेश)	22.4.91	3.45	शून्य
2.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, नरेला शंकर, जिला रायसेन (मध्य प्रदेश)	25.4.91	1.41	शून्य
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर, अमाना शांखा, जिला रायसेन (मध्य प्रदेश)	12.12.91	0.85	शून्य
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, गुना से आनंदपुर के रास्ते लूटी गयी नकदी	9.4.92	0.38	पता नहीं। अलबत्ता, प्रबंधक और गार्ड को निलंबित कर दिया गया था और विभागीय कार्रवाई चल रहीं है।

(च) धोखाधड़ियों की रोकथाम तथा तुरंत पता लगाने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों ने समय-समय पर अनेक कार्रवाइयां की हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापक दिशानिर्देश देते हुए परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें बैंकों के नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए परामर्श दिया है, ताकि कदाचारों को समाप्त किया जा सके। धोखाधड़ी के मामलों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवीक्षा की जाती है तथा विशिष्ट मामलों में, कार्य प्रणाली और अपेक्षित सुरक्षा के बारे में बैंकों को परामर्श दिए जाते हैं, ताकि बैंक उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रचालन कर्मियों के उचित प्रशिक्षण के लिए भी बैंक पर दबाव डाला है ताकि वे निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया में ढील के प्रभाव को समझ सकें और वास्तविक कार्य में अपेक्षित सतर्कता बरतें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट किए गए प्रमुख धोखाधड़ियों के मामलों की जांच करने और स्नैप जांच प्रणाली तथा पता लगाए गए धोखाधड़ी बहुल क्षेत्रों में प्रक्रिया और नियंत्रक व्यवस्था के लिए एक विशेष जांच कक्ष का गठन किया है।

जब गंभीर अनियमितता/धोखाधड़ी पूर्ण लेनदेनों का उधार खातों में पता चलता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्षों के सूचनार्थ चेतावनी नोटिस भी जारी करता है और उन्हें सलाह देता है कि ऐसी पार्टियों को सुविधाएं देने/नवीकृत करने से पहले व्यापक और गहन जांच कर लें।

बैंको से यह भी आग्रह किया गया है कि खातों के मिलान और अन्तर शाखा मिलान कार्य के बकाया और अन्य लेखों को निरंतर आधार पर पूरा करें, ताकि इन क्षेत्रों में धोखाधड़ी को रोका जा सके। बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों और सुधारों की भारतीय रिजर्व बैंक समीक्षा करता है।

बैंकों में धोखाधड़ी और कदाचारों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए गठित घोष समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की भी निगरानी कह जाती है।

अन्तर्ग्रस्त जोखिम के तत्व जैसे कि अवस्थिति, नकदी संचालन, कानून और व्यवस्था की स्थिति के आधार पर बैंकों ने अपनी शाखाओं को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किये हैं, जैसे कि सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराना, अलार्म तंत्र लगाना आदि। लूटपाट/डकैतियों को रोकने के लिए कर्मचारियों, पुलिस और आम जनता को प्रेरित करने के लिये पुरस्कार देने की एक योजना भी चलायी गयी है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र से कपास का निर्यात

1528. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र से कितनी मात्रा में कपास का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने कपास के निर्यात हेतु नए बाजारों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र परिसंघ द्वारा निर्यात किए गए कपास की मात्रा क्रमशः शून्य, 4.190 लाख गांठ तथा 0.345 लाख गांठ (25 फरवरी, 1994 तक) है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बन्द होना

1529. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को बन्द करने की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने संबंधित उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने की सिफारिश की है :

1. ए.पी. स्कूटर्स लि.
2. कर्नाटक इम्प्लिमेंट्स एण्ड मशीनरी कं. लि.
3. सहाद्री ग्लास वर्क्स लि.
4. नेशनल बाइसिकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.

चीनी का निर्यात

1531. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान चीनी का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या इस निर्यात के फलस्वरूप चीनी उद्योग को हानि उठानी पड़ी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) दी इंडियन शुगर एण्डं जनरल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कारपोरेशन लि. जो देश में चीनी की सभी मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है, को चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत चीनी का निर्यात करने का दायित्व सौंपा गया है। चीनी के भावी आयातकों के साथ संविदा करते समय आई.एस.जी. आई.ई.आई.सी. से आशा की जाती है कि वह चीनी का निर्यात करने के लिए अपने वाणिज्यिक निर्णय का प्रयोग करे। अतः हानि/लाभ का हिसाब निर्यातक अभिकरण अर्थात् आई.एस.जी.आई.ई.आई.सी. द्वारा फैक्टरियों को प्रशासनिक व्यय आदि के लिए किए गए भुगतान की कीमत और बिक्री-आय के आधार पर किया जाता है।

दी इंडियन शुगर एण्ड जनरल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कारपोरेशन लि. ने वर्ष 1992-93 के दौरान एफ.ओ.बी. लागत तथा आय निम्नानुसार बताई है :

वर्ष	एफ.ओबी. लागत रु./प्र. मी. टन	आय रु./प्र. मी. टन
1992-93	8950	8440

वर्ष 1992-93 के दौरान, 3.76 लाख मी. टन. चीनी का निर्यात किया गया।

रेशम का उत्पादन

1532. **श्री वी. कृष्णाराव :**
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री एच.डी. देवगौड़ा
श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यवार और किस्मवार कुल कितने रेशम का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में रेशम की कितनी खपत हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चीनी रेशम का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(घ) चीनी रेशम का आयात करने के क्या कारण हैं, और

(ङ) आठवीं योजना के दौरान रेशम के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान देश में रेशम का राज्यवार/किस्मवार उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। तथापि, वर्ष 1993-94 के लिए इसी प्रकार के आंकड़े, वर्ष की समाप्ति के बाद राज्य रेशम-उत्पादन विभागों से रिपोर्टें प्राप्त होने पर संकलित किए जायेंगे।

(ख) देश में उत्पादित अपरिष्कृत रेशम मुख्यतः घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न देशों से अपरिष्कृत रेशम की 2918 टन की कुल मात्रा का आयात किया गया, जिसमें चीन तपेई तथा चीन गणराज्य से आयातित 1906 टन रेशम भी शामिल है। वर्ष की समाप्ति के बाद ही वर्ष 1993-94 के आयात के आंकड़े उपलब्ध होंगे।

(घ) एकजीम नीति की अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत निर्यातकों को निर्यात उत्पादन के लिए अपनी आवश्यकतानुसार अपरिष्कृत रेशम चीन सहित विभिन्न देशों से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर आयात करने की सुविधा प्रदान की गई है। तथापि, अपवादिक परिस्थितियों में जबकि घरेलू बाजार में आपूर्ति की जटिल कमी से विशेष कर हथकरघा क्षेत्र के बुनकर संकट में हों, अपरिष्कृत रेशम का सीमित आयात करने की अनुमति दी जाती है, जिस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(ङ) आठवीं योजना में रेशम वस्त्र उत्पादों का निर्यात लक्ष्य लगभग 3000 करोड़ रु. है।

विवरण

राज्यवार अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन (मी. टन में), 1992-93

राज्य	शहतूती	टसर	ईरी	मूगा	कुल
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	3139	1	-	-	3140
असम	20	-	389	60	469
अरुणाचल प्रदेश	1	-	5	-	6
बिहार	43	265	31	-	339
गुजरात	1	-	-	-	1
हिमाचल प्रदेश	9	-	-	-	9
जम्मू व कश्मीर	23	-	-	-	23
कर्नाटक	7285	-	-	-	7285
केरल	नगण्य	-	-	-	नगण्य
मध्य प्रदेश	4	20	-	-	24
महाराष्ट्र	2	2	-	-	4
मणिपुर	39	1	139	-	179
मिजोरम	1	नगण्य	1	नगण्य	2
मेघालय	1	-	137	-	138
नागालैंड	1	नगण्य	18	नगण्य	19
उड़ीसा	4	71	1	-	76
पंजाब	नगण्य	-	-	-	नगण्य
राजस्थान	नगण्य	-	-	-	नगण्य

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	1342	-	-	-	1342
त्रिपुरा	2	-	-	-	2
उत्तर प्रदेश	19	2	-	-	21
प॰ बंगाल	1064	20	6	-	1090
	13000	382	727	60	14169

बासमती और अन्य किस्म के चावल की बिक्री

1533. **श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामाय्या :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल निर्यातोन्मुखी एककों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बासमती और अन्य किस्म के चावल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन एककों द्वारा बासमती, धान तथा ब्राउन राइस का आयात निषिद्ध कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो इससे घरेलू और निर्यात आवश्यकताओं के बीच संतुलन रखने में कितनी सहायता मिली है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी.टी.ए.) में चावल की बिक्री की अनुमति नहीं है, क्योंकि चावल पर शून्य प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है और 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों, जो शुल्क रहित आधार पर अपना सभी पूंजीगत माल खरीद सकते हैं उन्हें घरेलू टैरिफ क्षेत्र की अन्य चावल मिलों की तुलना में बेजा लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

(ग) तथा (घ) इस प्रकार के आयात को न तो भारतीय बासमती की छवि के हित में उत्तम समझा जाता है और न ही बासमती पैदा करने वालों के हित में। अतः इस प्रकार के आयात की अनुमति नहीं दी गयी है।

"गैट" समझौते में परिवर्तन

1534. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में होने वाली मंत्रियों की बैठक में "गैट" समझौते को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व उसके प्रारूप में पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त चिंताओं को ध्यान में रख कर उपयुक्त फेर-बदल करने के प्रयास किये जाने की संभावना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) "गैट"समझौते के सिलसिले में पर्यावरण संबंधी उपायों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक दल 1991 से कार्य कर रहा है जो इन दोनों क्षेत्रों के बीच पारस्परिक संबंध का.पता लगायेगा।

अप्रैल 1994 में उरुग्वे दौर के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए निर्णय के मसौदे पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि सतत विकास का संवर्धन करने के लिए व्यापार एवं पर्यावरण उपायों के बीच संबंध की पहचान करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया जा सके और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रावधानों में कोई संशोधन अपेक्षित है अथवा नहीं इस संबंध में सिफारिश की जा सके।

चाय बागान के अंतर्गत क्षेत्र

1535. **श्री साक्षीजी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कुल कितने हेक्यटर क्षेत्र चाय बागान के अंतर्गत हैं;

(ख) क्या सरकार ने चाय निर्यात को बढ़ाने हेतु चाय बागान के क्षेत्र को बंढ़ा दिया है, और

(ग) यदि हां, तो कितना क्षेत्र चाय बागान के अन्तर्गत लाया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1992 में भारत में चाय रोपण के अन्तर्गत कुल क्षेत्र लगभग 423000 हेक्टेयर था।

(ख) चाय बोर्ड उद्यमियों को विस्तृत रोपण क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और पर्याप्त मात्रा में निर्यात योग्य देशी माल का सृजन किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए बोर्ड 1962 से चल रही योजनाओं के अन्तर्गत दीर्घावधि ऋण तथा बैंक ऋणों पर लगने वाले ब्याज में आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

(ग) पिछले तीन दशकों के दौरान विभिन्न चाय उगाने वाले राज्यों में लगभग 88 हजार हेक्टेयर जमीन विस्तृत चाय रोपण के अंतर्गत लाई गई है।

फूलों का निर्यात

1536. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों को अनेक किस्म के फूलों का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य पूर्व और खाड़ी के देशों में भारतीय फूलों, विशेष रूप से मोगरा की भारी मांग है, और

(घ) यदि हां, तो उन देशों को ऐसे निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान कट फलावर्स का निर्यात निम्नलिखित रहा :

(लाख रुपये में)

वर्ष	निर्यात
1991-92	683.30
1992-93	844.37

स्रोत : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण

(ग) पोगरा सहित सभी भारतीय फूलों की पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में अच्छी मांग है।

(घ) पुष्पोत्पादन को एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है और विश्व में बढ़ती हुई मांग का लाभ उठाने के लिए कट-फलावर्स के निर्यात पर वायुभाढ़ा आर्थिक सहायता की शुरूआत सहित कई उपाय प्रारम्भ किए गए हैं।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1537. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता प्राप्त राज्यवार कितनी केन्द्रीय परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) उनके कार्यान्वयन में कितना विलम्ब हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है, और

(घ) सरकार द्वारा उनकी लागत में होने वाली और अधिक वृद्धि को रोकने के लिए इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में विदेशी सहायता प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पूरे होने की मूल/संशोधित तारीख	देरी के कारण	मूल लागत संशोधित लागत	और लागत वृद्धि को रोकने के लिए किए गए उपाए
1	2	3	4	5	6
1.	एन.ए.आर.पी. II (विश्व बैंक) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, जम्मू और कश्मीर	30-6-93/ 30-6-94	हिमाचल प्रदेश और बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा धीमी प्रगति	133.12 करोड़ रु.	राज्य सरकारों से आवश्यक कदम उठाने/उपाय करने के लिए कहा गया है।
2.	पर्यटन आधारभूत ढांचा विकास परियोजना (आई.डी.पी.-54) (जापान)-बिहार, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय संघटक	20-1-94/ 20-1-96	आधारभूत ढांचे संबंधी समस्याओं और राज्य सरकारों द्वारा निधियों की उपलब्धता की समस्याओं के कारण विलंब होना शुरू हुआ।	9244 मिलियन येन/9244 मि. येन	पर्यटन मंत्रालय ने सलाह दी है कि नियमित रूप से कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की जाए।

3.	रेलवे-I (एन.एन. 857-इंडिया) (ए.डी.बी.) केन्द्रीय	31-1-93/ 31-3-97	लोकोमोटिव्स की वसूलियों के लिए संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी	524 करोड़ रुपये	रेल इंजिनों की वसूली के लिए संविदा को अंतिम रूप दिया जा चुका है और सिवाय विनिमय दर समायोजन के किसी भी प्रकार की लागत में वृद्धि की आशा नहीं हैं परियोजना अब संतोषजनक तरीके से चल रही है।
4.	प्रथम दूर संचार (ए.डी.बी.) केन्द्रीय	28-2-93/ 30-6-93	स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के कारण और वसूलियों के लिए संविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण परियोजनाओं के क्षेत्र में परिवर्तन।	322 करोड़ रुपये	पूरी परियोजना के ऋण समापन तारीख 30-6-95 तक पूरा होने की आशा है। परियोजना अब संतोषजनक तरीके से चल रही है।
5.	दूसरा दूर संचार (ए.डी.बी.) केन्द्रीय	31-12-92/ 31-12-94	संविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब	380.2 करोड़ रु.	परियोजना के समापन तारीख 31-12-94 तक पूरा होने की आशा है।
6.	निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन-II (यू.एस.ए.आई.डी.) बहु-राज्यीय	30-9-95/ 31-8-97	I. परियोजना क्षेत्र का विस्तार II. निर्माण संबंधी क्रियाकलापों में देरी III. उपकरणों की खरीद में देरी IV. पी.वी.ओ.एच-II के अधीन निजी संगठनों से खराब प्रतिक्रिया	13.41 मिलियन अमरीकी डालर 13.41 मिलियन अमरीकी डालर	परियोजना प्राधिकारियों ने परियोजना संबंधी गतिविधियों की अनवरत आधार पर समीक्षा करने का अनुरोध किया ताकि समय अनुसूची का पालन किया जा सके।

1	2	3	4	5	6
7.	प्लांट जैनेटिक संसाधन (यू.एस.ए.आई.डी.) दिल्ली में स्थित केन्द्रीय परियोजना	30-9-95/ 30-9-97	I. परियोजना क्षेत्र का विस्तार II. निर्माण संबंधी क्रियाकलापों में देरी III. उपकरणों की खरीद में देरी	21.66 मिलियन अमरीकी डालर/23.95 मि. अमरीकी डालर	-तदैव-
8.	टिहरी पन बिजली कम्पलैक्स (2400 मे.वा.) तथा संबद्ध पारेषण प्रणाली (800 के.वी.) (यू.एस.एस.आर.) उत्तर प्रदेश	जून 1996/ 1889-99	दिसम्बर 1991 में सोवियत संघ के विखण्डित हो जाने के कारण ऋण की उपलब्धता स्पष्ट नहीं है। अतः निधि की कमी के कारण परियोजना पर प्रभाव पड़ा है।	5058 करोड़ रु./ 5583 करोड़ रु.	निधि संबंधी दबावों तथा लागत में वृद्धि पर विचार करके 2963.66 करोड़ रु. की कुल लागत पर मूलतः टिहरी चरण-I को शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
9.	कोरापुट रायगढ़ रेलवे लाइन परियोजना (सऊदी विकास निधि) उड़ीसा, मध्य प्रदेश	30-9-90/ 31-12-93 समय बढ़ाने की मांग की गयी है।	वन क्षेत्र की विलम्बित क्लियरेंस, कठोर भू-भाग, मजदूरों की कमी, कान्ट्रेक्टर की मशीनरी का बार-बार फेल होना आदि जैसी बहुत सी बाधाएं।	112.1 करोड़ रु./405.1 करोड़ रु.	कार्य पूरा करने के लिए संविदाओं की दरों में वृद्धि करने जैसे उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।

10.	रामागुण्डम तापीय बिजली परियोजना चरण-II आंध्र प्रदेश (सऊदी वि.नि.)	31-12-91/ 31-12-94	परियेजना का कार्यान्वयन प्रारंभतः मद था।	1518 करोड़ रु./2083.14 करोड़ रु.	परियोजना के कार्यान्वयन की गति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं और परियोजना पूर्ण होने की अवस्था में है।
11.	गैस पाइप लाइन (आई.डी.पी.-37) जापान)	18-12-93/ 17-12-95	जी.ए.आई.एल. और विदेशी कंपनियों के संघ के बीच न्यायालय में मामला होने के कारण।	18904 मि. येन/ 18904 मि.येन	जी.ए.आई.एल. ने कहा है कि न्यायालय के मामलों में शीघ्रता बरती जाए।
12.	सीमेंट उद्योग (एल.एन. 2660) आई.एन.) (विश्व बैंक)	30-6-92/ 30-6-94	लाभ भोगी सीमेंट कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी	495.34 करोड़ रु.	सभी परियोजनाओं संघटकों के ऋण समापन तारीख 30-6-94 तक पूरा होने की आशा है।
13.	रोलिंग स्टाक माडर्नाइजेशन वर्कशाप प्रोजक्ट (आई.डी.पी.-68) (जापान) तमिलनाडु, बिहार	27-3-95/ 27-3-96	विदेशी कंपनी के साथ परामर्शी संविदा के अनिर्णीत रहने के कारण।	1256 मि. येन/ 1256 मि.	इस मामले को ओ.ई.सी.एफ. और रेलवे बोर्ड के पास ले जाया गया है। परामर्शी संविदा के शीघ्र ही संपन्न होने की संभावना है।
14.	यूरी पन बिजली परियोजना (एस.आई.डी.ए.) -जम्मू और कश्मीर	28-11-89/ 21-11-95	जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक स्थिति के कारण परियोजना अपनी कार्यान्वयन सूची से थोड़ा पीछे है।	1632.62 करोड़ रु./ 3424.40 करोड़ रु.	परियोजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6
15.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (चौथी भारतीय जनसंख्या परियोजना)	31-8-93/ 31-3-94	परियोजना के और अधिक क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए उसके व्यापित क्षेत्र को बढ़ा दिया है।	104.47 करोड रु. 117.12 करोड़ रु.	परियोजना के 31-3-94 तक बंद होने की आशा है।
16.	एन.सी.टी.पी.पी.-दादरी (यूनिट-4) (विश्व बैंक) उत्तर प्रदेश	मई, 1993/ जून, 1994	I. एन.बी.सी. और अन्य अभिकरणों द्वारा सिविल निर्माण कार्यों में विलंब II. भेल/उप-अभिकरणों द्वारा सप्लाई और स्थापना में विलंब III. रेलवे के साइडिंग कार्य के लिए भूमि की उपलब्धता में विलंब।	1063.60 करोड़ रु./ 1669.21 करोड़ रु.	स्टीम ब्लोइंग प्रगति पर है। अनुसूची के अनुसार जून, 1994 तक तुल्यकालन की संभावना है।
17.	कहलगांव एस.टी.पी.पी. (यूनिट-2) रशिया की सहायता से) (बिहार)	जनवरी, 92/ अप्रैल, 94	रशिया से सप्लाई में विलंब और स्थल पर आई.आर. की समस्याएं	884.16 करोड़ रु./	स्टीम ब्लोइंग 22-2-94 को पूरा हुआ और सामान्यीकरण प्रगति पर है।
18.	कहलगांव (एस.डी.पी.पी. (यूनिट-3) (रशियन सहायता) बिहार	जुलाई, 92/ जून, 95	एशियन सामग्री की सप्लाई में विलंब और स्थल पर आई.आर. समस्याओं के कारण संभरकों ने शेष कार्य के लिए ऊंची दरों की	1928.45 करोड़ रु.	बायलर की स्थापना और वैल्डिंग का कार्य प्रगति पर है।

			मांग की और धीमी गति से कार्य किया। इससे एक प्रमुख पैकेज अर्थात् एच.पी.पाइपिंग का दुबारा टेंडर मंगाना आवश्यक हो गया।		
19.	कहलगांव एस.टी.पी.पी. (यूनिट-4) रशियन सहायता) बिहार	जनवरी, 93/ मार्च, 96	-तदैव-	-तदैव-	बायलर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
20.	दादरी गैस (यूनिट-6) (पश्चिम जर्मनी)-उ.प्र.	जनवरी, 93/ मार्च, 94	बाईपास की चट्टी के कार्य में बड़े संशोधन करने पड़े। टी.जी. के लिए मेज के उप-विक्रेता द्वारा कम मात्रा में साधन उपलब्ध कराना	692.44 करोड़ रु. 960.35 करोड़ रु.	बायलर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
21.	चामेरा एच.ई.परियोजना (चरण-I) हि.प्र. (कनाडी सहायता)	मार्च, 90 मार्च, 94	कनाडी फर्मों के साथ करारों के निष्पन्न किए जाने में विलंब, वन अधिकारियों से स्वीकृति में विलंब भूमि अधिग्रहण, भूमिगत निर्माण कार्यों में भौगोलिक स्थितियों का प्रतिकूल होना आदि।	2400 करोड़ रु.	परियोजना की प्रगति का परिवीक्षण किया जा रहा है और उपचारात्मक उपाय किए किए जा रहे हैं।
22.	जम्मू और कश्मीर में दुलहस्ती पन-बिजली परियोजना (फ्रेंच सहायता)	मैसर्स सेगेलेक के नेतृत्व में फ्रांसीसी फर्मों के संघ को सितम्बर, 1989 में परियोजना की टर्नकी के निष्पादन का संविदा किया गया था। कार्य आरंभ करने का आर्डर दिए जाने की तारीख से 57 महीने में परियोजना को पूरा करना और स्थापित करना निर्धारित हुआ था, यह आर्डर अक्तूबर 1989 में दिया गया था। परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा की बिगड़ी हुई स्थिति के कारण 1992 के मध्य में परियोजना के निर्माण कार्य को फ्रांसीसी संघ ने स्थगित कर दिया। वर्तमान में भारत सरकार फ्रांसीसी संघ के साथ मामले को सुलझाने के लिए बातचीत कर रही है।			

1	2	3	4	5	6
23.	एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन (फ्रेंच सहायता) महाराष्ट्र दिल्ली, उ.प्र., म.प्र., गुजरात।	"गेल" ने मई 1986 में एच.बी.जे. पाइपलाइन परियोजना के निर्माण के लिए मै. स्पाईकेपेग आफ फ्रांस के नेतृत्व में कंसोर्शियम को एक संविदा दिया था, जिसमें टोयो इंजीनियरिंग और एन.के.के. आफ जापान भी शामिल थे। संविदा के मूल्य की अनुमानित राशि 568 मिलियन अमरीकी डालर थी। "गैल" और फ्रांसीसी संघ के बीच एक वाणिज्यिक विवाद खड़ा हो गया जिसके कारण कुछ समय के लिए परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य स्थगित कर देना पड़ा है। इस मामले को संबंधित पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा रहा है।			
24.	नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना पंजाब, हि.प्र. के लिए उत्तर क्षेत्रीय संप्रेषण प्रणालीं	अप्रैल, 96/ मार्च, 98	विद्युत उत्पादन परियोजना को आरंभ करने में विलम्ब के कारण परियोजना को पुनः कार्य रूप देना	1402.82 करोड़ रु./ 1402.82 करोड़ रु.	संप्रेषण प्रणाली का आयोजन इस प्रकार किया गया है कि उत्पादन परियोजना के उत्सर्जन की आवश्यकता के अनुरूप यह समय पर उपलब्ध होगी।
25.	संप्रेषण प्रणाली-काथाल गुड़ी गैस पर आधारित विद्युत परियोजना-असम	मार्च,92/ मई, 95	I. सरकार से समय पर पर्याप्त मात्रा में निधियों न मिलने के कारण और काथाल गुड़ी विद्युत परियोजना को आरंभ करने में विलंब के कारण परियोजना के कार्यान्वयन को पुनः सूची बद्ध करना पड़ा।	301.38 करोड़ रु./ 868.45 करोड़ रु.	I. संप्रेषण परियोजना समय पर विद्युत के उत्सर्जन के लिए उपलब्ध होगी

		II. कानून और व्यवस्था की समस्याएं।		II. परियोजना अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए मामले को समय-समय पर सम्बद्ध राज्य प्राधिकारियों के पास ले जाया गया।
		III. स्थान की स्थितियां दुःसाध्य होना।		
26. सम्प्रेषण प्रणाली फरक्का-II दुर्गापुर-जमशेदपुर 400-के.वी. लाइन पश्चिम बंगाल।	जून, 92/ मार्च, 94	I. कानून और व्यवस्था की समस्या।	190.76 करोड़ रु.	I. मामले को समय-समय पर संबंधित राज्य प्राधिकारियों के पास ले जाया गया।
		II. स्थापित टावर के हिस्सों की कटाई और अति संवेदनशील एल्यूमीनियम कंडक्टर की चोरी।	252.47 करोड़ रु.	II. स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।
		III. संविदाकारों द्वारा खराब कार्य निष्पादन		III. केवल एक को छोड़कर जो कि प्रणाली को मुख्यतः विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए है, समस्त प्रणाली पूरी हो गई है।

[अनुवाद]

रुग्ण कंपनियां

1538. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुग्ण कंपनियों के शीघ्र परिसमापन के लिए ढांचागत परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्रस्तावित परिवर्तनों को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा, और

(घ) प्रस्तावित ढांचागत सुधारों का तात्पर्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) रांज्य सभा में 14 मई, 1993 को प्रस्तुत कम्पनी बिल 1993 में अन्य बातों के साथ ये प्रस्तावित है :

(I) न्यायालय के पर्यवेक्षणाधीन रहते हुए परिसमापन के प्रावधान को समाप्त किया जाए;

(II) परिसमापन की प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए व्यावसायिक अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को परिसमापक के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रावधान किया जाए;

(III) परिसमापनाधीन कम्पनियों की परिसंपत्तियों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत नीलामकर्ताओं का पैनल तैयार करने का प्रावधान;

(IV) लेखा बहियों की प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रावधान;

(V) स्वैच्छिक परिसमापकों को केन्द्रीय सरकार को सूचित किए बगैर उपकरण कार्रवाइयों को फाइल करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ताकि वर्तमान जटिल तथा लम्बी प्रक्रिया को कम किया जा सके।

विदेशी संयुक्त उद्यम

1539. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय फर्मों के साथ विदेशी संयुक्त उद्यमों के कार्य निष्पादन के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों की कमियों/खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यद्यपि विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों के कार्य करने से देश को निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, फिर भी, कुछ वृहत भारतीय संयुक्त उद्यमों के विश्लेषण से यह पता चला है कि इन्हें लागू करते समय प्रत्यावर्तन के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उन्हें वास्तविक कार्य निष्पादन के द्वारा पूरा नहीं किया गया।

(ग) विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों का संवर्धन करने तथा उनके प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय संयुक्त उद्यमों की स्थापना की कार्य प्रणाली को उदार बना दिया है और उनके कार्यों में काफी लचीलापन ला दिया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1540. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में कुछ विकास परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता की स्वीकृति दी है, और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये यह सहायता उपलब्ध कराने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी सहायता के साथ मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा अनुमोदित चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	ऋण		दाता अभिकरण
1	2	3	4		5
1.	इन्द्रा सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट	विद्युत	अमरीकी डालर	44.4	विश्व बैंक
2.	विपदा प्रबंधन संस्था भोपाल का सुदृढ़ीकरण	उद्योग	नार्वे क्रोनर	1.95	नार्वे
3.	रेवा अस्पताल परियोजना	स्वास्थ्य	अमरीकी डालर	10.00	ओपेक
4.	स्वास्थ्य देखभाल परियोजना चरण-II	परिवार कल्याण	डेनमार्क क्रोनर	62.9	डेनमार्क

1	2	3	4		5
5.	मध्य प्रदेश कृषि में महिलाएं	कृषि	डेनमार्क क्रोनर	12.6	डेनमार्क
6.	मध्य प्रदेश जलापूर्ति चरण-II	शहरी	ड्यूश मार्क	45	जर्मनी
7.	बांध सुरक्षा परियोजना (बहुराज्यीय)	सिंचाई	अमरीकी डालर	154.37	विश्व बैंक
8.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना (बहुराज्जीय)	सिंचाई	अमरीकी डालर	127.27	विश्व बैंक
9.	VI जनसंख्या परियोजना (बहुराज्जीय)	सामाजिक	अमरीकी डालर	119.08	विश्व बैंक
10.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण (बहुराज्जीय)	स्वास्थ्य	अमरीकी डालर	84.0	विश्व बैंक
11.	बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व (बहुराज्यीय)	स्वास्थ्य	अमरीकी डालर	214.5	विश्व बैंक
12.	तकनीकी शिक्षा-I (बहुराज्यीय)	शिक्षा	अमरीकी डालर	218.21	विश्व बैंक
13.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन परियोजना (बहुराज्यीय)	स्वास्थ्य	अमरीकी डालर	85.0	विश्व बैंक
14.	आई.सी.डी.एस.II (बहुराज्यीय)	सामाजिक	अमरीकी डालर	194.0	विश्व बैंक
15.	इन्दौर गंदा बस्ती सुधार परियोजना	शहरी	पोंड	14.4	यूनाइटिड किंगडम
16.	एन.ए.आर.पी.II	कृषि	अमरीकी डालर	78.93	विश्व बैंक

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी इकाई योजना

1541. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण के कारण निर्यातोन्मुखी इकाई योजना का आकर्षण कम हो गया है तथा उनमें से कई इकाइयों ने इस योजना का विकल्प ढूंढने तथा घरेलू शुल्क क्षेत्र परियोजनाओं में परिवर्तन करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई.ओ.यू) की वृद्धि का रुख सामान्यतः सकारात्मक रहता है। कुछ इकाइयों ने तकनीकी अप्रचलन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और वित्तीय/प्रबंधन की समस्याओं जैसे कारणों से इस योजना का कोई विकल्प ढूंढ़ने की अनुमति मांगी है। ई.ओ.यू. का निष्पादन सुधारने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें ये शामिल हैं : नीतिगत ढ़ाचे का सरलीकरण, घरेलू बिक्रियों पर शुल्क में कमी/कृषि-आधारित उत्पादों की स्थानीय बाजारों में अधिक पहुंच, निर्यातोन्मुख इकाइयों के बारे में निर्यात संसाधन जोनों के विकास आयुक्तों को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

विदेश यात्राएं

1542. **श्री रवि राय :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को, सचिवों की छानबीन समिति की स्वीकृति प्राप्त किए बिना विदेशों में विचार-गोष्ठियों, संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों में भाग न लेने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सचिवों ने, अपने मंत्रियों की स्वीकृति से, मंत्रालयों से कार्य-व्यवहार रखने वाले संगठनों द्वारा आयोजित विचार-गोष्ठियों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए अपनी विदेश यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार करने की सूचना भेज दी थी, और

(घ) यदि हां, तो गत छह माह के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, भारत सरकार के सचिवों और अपर सचिवों के स्तर के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरों के प्रस्तावों पर सचिवों की जांच समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय हाल ही में यह पता चला कि कुछ सचिवों ने संगोष्ठियों और सेमिनार आदि में भाग लेने के लिए विदेशी दौरों हेतु निमंत्रण स्वीकार कर लिए थे। अतः ये अनुदेश जारी कर दिए गए थे कि सचिवों/अपर सचिवों को संगोष्ठियों, सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए सचिवों की जांच समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए।

समेकित ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण
परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

1543. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने समेकित ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण परियोजना विश्व बैंक सहायता के लिए भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ;

(ग) प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत कितने गांव समाविष्ट किए जाएंगे ; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 447.2 करोड़ रुपए है।

(ग) आशा है कि परियोजना में कर्नाटक के 12 जिलों के लगभग 1200 गांव समाविष्ट किए जाएंगे।

(घ) भारत सरकार ने यह परियोजना विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की थी और इस परियोजना के लिए 92 मिलियन अमरीकी डालर की आई.डी.ए. सहायता हेतु 4.6.93 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

बागवानी उत्पादों का निर्यात

1544. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**
श्रीमती वसुंधरा राजे :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
डा. डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री अनंतराव देशमुख :
श्री एस.बी. संदनाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागवानी उत्पादों के विश्व-व्यापार में भारत का कितना हिस्सा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में बागवानी उत्पादों की कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार ने बागवानी के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई नई योजना अथवा कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गैर सरकारी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में पूंजी निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को बागवानी का विकास करने हेतु कोई विदेशी सहायता मिली है; और

(ज) यदि हां, तो पता लगाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1% से कम है।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी एवं अंकसंकलन महानिदेशालय के संकलन के अनुसार 1990-91 से फूलों, सब्जियों और पुष्पोत्पादों के निर्यात का विस्तृत विवरण निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु. में)
1990-91	221.12
1991-92	363.79
1992-93	374.64
1993-94 (अप्रैल-नवंबर)	256.56

(ग) और (घ) बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार (कृषि मंत्रालय) ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1000 करोड़ रु. की लागत से एक व्यापक योजना तैयार की है। बागवानी उत्पादों की बढ़ी हुई उपलब्धता से निर्यात उद्देश्यों के लिए काफी बेशी उपलब्ध होगी।

(ङ) और (च) बागवानी उत्पादों के निर्यात (प्याज, जो कि निर्यात के लिए सरणीकृत है, जैसे कुछ उत्पादों को अपवाद स्वरूप छोड़कर) की अनुमति नियंत्रणमुक्त आधार पर है। बागवानी उत्पादों के निर्यात हेतु फसल पश्चात प्रबंध और बाजार विकास में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास अनेक योजनाएं हैं। निजी क्षेत्रों ने भी इन योजनाओं का लाभ उठाया है।

(छ) और (ज) भारत से मसालों सहित बागवानी उत्पादों के निर्यातों के विकास में सहायता करने के लिए यू.एन.डी.पी. ने अपनी इच्छा जाहिर की है।

केंद्रीय मंत्रियों की विदेश यात्राएं

1545. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 और 1994 के दौरान अब तक द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से केंद्रीय मंत्रियों ने विदेश यात्राएं की और उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा कीं;

(ख) केंद्रीय सरकार और उन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने इन यात्राओं पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की, और

(ग) इन यात्राओं का क्या निष्कर्ष निकला?

वाणिज्य मंत्री (प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की उप-समिति

1544. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री विजय कुमार यादव :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री परसुराम भारद्वाज :
श्री माणिक राव होडल्या गावील :
डा. असीम बाला :
श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **वस्त्र मंत्री** 24 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम संबंधी विशेष समिति की उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मामलों से संबंधित विशेष समिति की उप समिति ने विशेष समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस उप समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

1. अनुसंधान संस्थानों द्वारा दी गई रिपोर्टों से पता चलता है कि एन.टी.सी. मिलों के साथ-साथ अधिगृहीत मिलों को आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है।

2. इसलिए उप-समिति मिलों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। लेकिन प्रत्येक स्तर पर आधुनिकीकरण के साथ पुनर्निर्माण करना होगा।

3. यदि कुछ मिलों के मिश्रित स्वरूप को बनाए रखना संभव नहीं है तो उनको कताई एककों को चालू करके अर्थक्षम बनाया जाए। फालतू भूमि को बेच दिया जाए, ताकि आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज मुक्त निधि का उपयोग किया जा सके तथा उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सके।

4. इसलिए मजदूर संघों के परामर्श से विषाद रहित आधुनिकीकरण सुव्यवस्थीकरण किया जाए।

5. धारक कंपनी तथा सहायक कंपनी दोनों स्तर पर व्यवसायिक प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू की जाए तथा एकक से लेकर धारक कंपनी के स्तर तक के सभी स्तर में प्रबंधन में कामगारों की प्रभावी सहभागिता के लिए बोर्ड स्तर पर मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मामलों से संबंधित विशेष समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है।

महाराष्ट्र में कताई मिलें

1547. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की सरकार द्वारा कताई मिल परियोजनाओं की स्थापना हेतु गत दो वर्षों के दौरान भेजे गये उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो केंद्र सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) उन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा हुआ नहीं है। एन.सी.डी.सी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषक एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने के वास्ते महाराष्ट्र सरकार द्वारा एन.सी.डी.सी. को अग्रेषित की गई पांच परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

यह बता पाना कठिन है कि इन परियोजनाओं के लिए कब तक धन राशि प्राप्त की ली जाएगी।

नोट मुद्रण परियोजना

1548. **श्री सनत कुमार मण्डल :**
श्री तारा सिंह :
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की नोट मुद्रण परियोजना ने तीसरे बोलीकर्ता द्वारा यह दावा करने पर कि उसके पास एक सस्ती तथा बेहतर प्रौद्योगिकी है, एक नया आयाम ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो चुनी गयी प्रौद्योगिकी तथा बोलीकर्ता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत विशेषकर विदेशी मुद्रा कितनी लगेगी तथा उसका प्रस्तावित स्थान क्या है, और

(घ) नोटों के मुद्रण का कार्य कब से शुरू होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) नयी नोट प्रेस परियोजना के लिए संयंत्र एवं उपस्कर की पूर्ति हेतु इस क्षेत्र में केवल दो ही पार्टियां हैं।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा संघटक होगा। दोनों संयंत्रों का प्रस्तावित स्थल कर्नाटक में मैसूर और पश्चिमी बंगाल में सालबोनी में होगा।

(घ) उत्पादन की आरम्भिक श्रृंखला, आदेश दिये जाने के पश्चात् 18 महीने में परिचालन में आने की आशा है और पूरी प्रेसें आर्डर दिये जाने के पश्चात् 39 महीने में सारा कार्य आरंभ कर देंगी।

भूकम्प पीड़ितों के लिए विश्व बैंक का ऋण

1549. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री राम नाईक :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री गोविन्द राव निकाम :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में आए भूकम्प राहत के लिए विश्व बैंक के ऋण को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तों का ब्यौरा क्या है, और विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण सहायता राशि दी गई है/दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा ब्याज किस दर पर प्रभारित किया जायेगा तथा केन्द्रीय सरकार किस दर पर राज्य सरकारों से ब्याज प्रभारित करेगी;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से ब्याज की दर कम करने हेतु कोई अनुरोध मिला है, और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित विश्व बैंक ऋण राज्य सरकारों को आगे उन्हीं शर्तों पर दिया जाए जिन शर्तों पर यह भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि यह उनके लिए लाभप्रद नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली में राज्य सरकार को परिशोधन अवधि में वापस अदायगियों के लिए विनिमय जोखिम अवश्य उठाना पड़ेगा।

पूर्वी समुद्रतट पर तस्करी

1550. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी समुद्रतट पर हथियारों तथा मादक द्रव्यों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी समुद्रतट पर 1993 के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा होने के कारण यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इसमें वृद्धि हुई या नहीं। वर्ष 1993 के दौरान पूर्वी तट पर वित्त मंत्रालय की तस्करी रोधी एजेन्सियों द्वारा शस्त्रों और स्वापक पदार्थों संबंधी पता लगाए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

	मामलों की संख्या
शस्त्र	3
स्वापक औषध द्रव	74

(ग) पूर्वी तट सहित, तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ तस्करी-रोधी गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। संवेदनशील पत्तनों से आने वाले समुद्री जहाजों की पूरी तरह से तलाशी की जाती है। ऐसी तस्करी का पता लगाने और इसकी रोकथाम में लगी सभी केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से ऋण

1551. **डा. बसंत पवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी.) का ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए ऋण देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आई.एफ.ए.डी. ने भारत सरकार को कुल कितनी धनराशि की पेशकश की है;

(ग) राज्यवार किन-किन परियोजनाओं के लिए सरकार का इस धनराशि को व्यय करने का विचार है;

(घ) राज्यवार धनराशि का अनुमानित आवंटन कितना है, और

(ङ) ऋण वसूली के तरीके का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अभी तक भारत को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से कुल 261.3 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त हुई है। अनुमोदित 9 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं बन्द हो गई हैं और 4 परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। इस स्तर पर यह बतलाना संभव नहीं है कि निकट भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से भारत को उपलब्ध कराई जाने वाली संभावित सहायता की राशि कितनी होगी या उन परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या होगा, जिनमें इन राशियों का उपयोग किया जाएगा।

(ङ) ऋणों की वापसी अदायगी ऋण करार में निर्धारित मानक शर्तों के अनुसार की जाती है।

तंजावूर असैनिक विमानपत्तन

1552. **श्री के.टी वान्डायार** : क्या **नागर विमानन** और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजावूर असैनिक विमानपत्तन के विकास पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या इस विमानपत्तन से उड़ानों का संचालन किया जाता है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क), (ख) और (ग) तंजावूर हवाई अड्डा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारतीय वायु सेना की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सितम्बर, 1989 में सौंप दिया गया था।

[हिन्दी]

बैंकों में धोखाधड़ी

1533. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न बैंकों में भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी के मामलों में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यातकों को बैंकों में हो रही इन धोखाधड़ियों के परिणामस्वरूप अधिक असुविधा हो रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यातकों को हो रही असुविधाओं को टालने हेतु ठोस कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) 1991, 1992 और 1993 (सितम्बर) में भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई कदाचार की घटनाओं और धोखाधड़ी के मामलों की संख्या क्रमशः 1559, 1717 और 1612 थी।

(ख) धोखाधड़ी की घटनाओं से अन्यों के साथ-साथ निर्यातकों सहित ग्राहकों को असुविधा हुई होगी।

(ग) और (घ) निर्यातकों को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए किए गए कुछ प्रमुख उपाय ये हैं :

(I) निर्यात से संबंधित मामलों को विशेष रूप से निपटाने के लिए राज्य सरकारों और दूसरे संगठनों की सहायता से राज्य स्तरीय संवर्धन समितियां (एस.एल.ई.पी.सी.) गठित करने का निर्णय लिया गया है।

(II) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे हर प्रकार से पूर्ण ऋण सूचनाओं के संबंध में निर्यातक से मांग की प्रतिक्षा किए बगैर उसे विलम्ब से ऋण प्रदान किये जाने के बदले भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अप्रैल, 1992 में जारी किए गए परिपत्र की शर्तों में निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान करें।

(III) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे प्रणालियों, प्रक्रियाओं, संगठनात्मक व्यवस्थाओं और शक्तियों के प्रत्यायोजन पर नए सिरे से विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात क्षेत्र को बिना किसी विलम्ब के पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सके।

(ङ) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन

1554. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चाय की कौन-कौन सी किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) उत्पादित चाय की औसत मात्रा तथा गुणवत्ता क्या है, और

(ग) सरकार ने राज्य में उत्पादित चाय की गुणवत्ता, मात्रा तथा विपणन में सुधार करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में तीन प्रकार की चाय अर्थात सी.टी.सी., ओरथोडोक्स और ग्रीन टी का उत्पादन होता है। वर्ष 1993 के दौरान पश्चिम बंगाल में इन चाय की किस्मों का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार रहा :

प्रकार	उत्पादन (एम. किग्रा)
सी.टी.सी.	151.41
ओरथोडोक्स	13.04
ग्रीन टी	3.57
जोड़	168.02

(ग) चायों के उत्पादन में वृद्धि करने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए टी बोर्ड विभिन्न विकास योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत चाय बागानों को समग्र विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। जिन रूपों में सहायता दी जाती है, उनमें ये शामिल हैं : आवधिक ऋण, पूंजीगत सहायता, बैंक ऋण पर ब्याज सहायता, विभिन्न विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिये सहायता अनुदान, आदि इसके अतिरिक्त, टी रिसर्च एसोसिएशन को अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं और इसके बदले में गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करके चाय के उत्पादन में वृद्धि की जाती है।

दार्जिलिंग चाय की अद्धितीयता के संबंध में, दार्जिलिंग में चाय बागानों के समेकित विकास के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत बागानों को नाबार्ड की पुनर्वित योजना के अधीन एक ही स्थान से ऋण लेने की अनुमति दी जाती है। बैंक ऋण पर ब्याज के लिए टी बोर्ड द्वारा 5.1% प्रति वर्ष की दर से सहायता दी जाती है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता की छवि में सुधार करने के लिए टी बोर्ड द्वारा 100 प्रतिशत शुद्ध दार्जिलिंग चाय के पहचान के चिह्न के रूप में एक लोगो शुरू किया गया है।

किसानों को ऋण

1555. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने देश में किसानों को 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अब तक राज्यवार, कितनी ऋण राशि वितरित की है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने किसानों को लाभ मिला है;

(ग) क्या ऋण समय पर प्राप्त करने के लिए किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अग्रिमों के राज्यवार संवितरण की सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) ऋण देने की प्रक्रिया को सरल एवं उदार बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान है :

(I) फसल ऋणों के लिए वित्त मानों का निर्धारण। इन वित्त मानों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। ताकि लागत की वृद्धि पर ध्यान दिया जा सके।

(II) 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदनों का एक पखवाड़े के अन्दर और 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों का 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटान।

(III) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी की उपयुक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किए जा सकें।

(IV) जहां चल परिसंपत्तियां सृजित की जाती हैं, वहां 15,000 रुपए तक के फसल ऋणों और 15,000 रुपए तक के सावधि ऋणों के संबंध में जमीन के बंधक/जमीन पर प्रभार या अन्य पक्ष की गारंटी के रूप में कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जाती है। अचल परिसंपत्तियां सृजित किए जाने के मामले में, यह सीमा 5,000 रुपए है।

(V) 10,000 रुपए तक के अल्पावधिक, मध्यावधिक/दीर्घावधिक फसल ऋणों के लिए कोई मार्जिन अपेक्षित नहीं है।

कपास का उत्पादन

1556. **श्री एच.डी. देवगौड़ा :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री गुमान मल लोढा :
श्री नवल किशोर राय :
श्री साईमन मरान्डी
श्री राजवीर सिंह :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान घरेलू खपत के लिए कितनी रुई की मांग थी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय बाजार की तुलना में विश्व बाजार में रुई का मूल्य कितना था;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी रुई का निर्यात किया गया और यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया, और

(ङ) चालू वर्ष के लिए इसका क्या लक्ष्य रखा गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कपास की मात्रा और खपत निम्न प्रकार है :

(मात्रा लाख गांठों में—प्रत्येक 170 कि.ग्रा.)

	1990-91	1991-92	1992-93
उत्पादन	117.00	119.00	135.00
खपत	115.00	111.09	125.01

(ग) और (घ) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ङ) कपास निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

(ग) फरवरी, 1994 और 1992-93 तथा 1991-92 में उसी माह में प्रचलित कपास की कुछ प्रमुख घरेलू किस्मों तथा अन्तर्राष्ट्रीय किस्मों में उसके समकक्ष कीमतें

यूनिट : भारतीय किस्म रु. प्रति कि.ग्रा. एफ.ओ.बी.
विदेशी किस्म रु. प्रति कि.ग्रा. एफ.ओ.बी.

क्र.सं.	कपास की कीमत	फरवरी, 92	फरवरी, 93	फरवरी, 94
1	2	3	4	5
1.	(क) भारतीय किस्म जे-34 (एस.जी)	38.18	22.36	41.34
	(ख) विदेशी किस्म के समकक्ष ओरलीन्स टेक्सास	32.68	42.12	55.67
2.	(क) भारतीय किस्म—एच-4 एम.पी.	36.56	26.29	43.87

1	2	3	4	5
	(ख) विदेशी किस्म के समकक्ष-केलिफ आरिज	35.67	43.96	56.70
3.	(क) भारतीय किस्म-शंकर-6	41.06	29.53	47.80
	(ख) विदेशी किस्म के समकक्ष-केलिफ अकाला	38.53	41.64	58.61
4.	(क) भारतीय किस्म-डी.सी.एच-32	64.11	46.11	67.49
	(ख) विदेशी किस्म के समकक्ष-अमेरिकन पूमा	65.07	64.19	72.61

(घ) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 की अवधि के दौरान निर्यात की गई कपास की मात्रा निम्न प्रकार है :

मात्रा : लाख गांठों में–प्रत्येक 170 किग्रा.
मूल्य : करोड़ रु. में

क्र. सं.	देश का नाम	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
1990-91			
1.	ताइवान	1.11	58.11
2.	हांगकांग	2.26	127.30
3.	बैंकाक	0.35	20.48
4.	जापान	1.81	93.40
5.	सिंगापुर	0.12	6.13
6.	मलेशिया	0.165	7.77
7.	जर्मनी	0.077	4.64
8.	पोलैंड	0.2215	10.79
9.	लेस्पेजिया	0.08	3.95

1	2	3	4
10.	इटली	0.12	6.73
11.	श्रीलंका	0.178	9.80
12.	इण्डोनेशिया	0.32	18.62
13.	बंगलादेश	0.09	4.66
14.	स्पेन	0.43	23.13
15.	बेल्जियम	0.28	13.60
16.	थाईलैण्ड	0.24	11.92
17.	इंग्लैंड	0.93	50.81
18.	चेकोस्लोवाकिया	0.17	9.42
19.	रूमानिया	0.12	6.46
20.	दक्षिण कोरिया	0.74	38.53
21.	यू.एस.एस.आर.	0.80	26.86
22.	स्विट्जरलैंड	0.15	17.24
23.	वियतनाम	0.54	28.73
24.	अन्य	0.571	21.46
1991-92			
1.	लाहर	1729	0.87
2.	बेल्जियम	7091	3.48
3.	ब्रेमाह	2028	1.03
4.	यू.के.	2770	1.36
5.	इटली	2595	1.24
6.	जापान	54383	27.01
7.	नेपाल	4484	2.81

1	2	3	4
8.	अन्य	2020	0.95
1992-93			
1.	ताइवान	7181	410.27
2.	जापान	203037	11076.72
3.	मलेशिया	14839	848.09
4.	थाईलैंड	171402	8116.64
5.	श्री लंका	24105	1362.94
6.	बंगला देश	30692	1417.36
7.	इण्डोनेशिया	147191	8945.78
8.	हांगकांग	387799	19248.01
9.	फिलीपाइन्स	82740	4315.28
10.	इंग्लैंड	42021	2276.40
11.	ब्राजील	128286	7455.06
12.	नेपाल	9597	554.69
13.	टर्की	6000	358.77
14.	रोमानिया	37457	2160.94
15.	स्विटजरलैंड	11037	606.33
16.	बेल्जियम	38174	1720.96
17.	सिंगापुर	21765	996.56
18.	अन्य	13295	666.40

उड़ीसा में आई.आर.डी. ऋणियों को वित्त

1557. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक उड़ीसा में आई.आर.डी. ऋणियों को इस क्षेत्र में की गई कम वसूली के नाम पर वित्त उपलब्ध कराने में बहुत अनिच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान उड़ीसा राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1,65,479 परिवारों को सहायता दिये जाने का वास्तविक लक्ष्य है। इसमें से दिसंबर, 1993 तक 54,343 परिवारों को सहायता दी गई थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणियों को और विशेष रूप से खराब वसूली कार्यनिष्पादन के कारण उड़ीसा के भद्रक और बालासोर जिलों के ऋणियों का वित्तपोषण करने में सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों द्वारा हिचकिचाहट दिखाने से भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे उपलब्धियों की तुलना में बैंकों के लिए रखे गए लक्ष्य की स्थिति की समीक्षा करें और अपने तंत्र को ऐसा मजबूत बनायें ताकि कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

गुजरात में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

1558. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान अब तक खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि-आधारित उद्योगों, पम्पिंग सेटों तथा कृषि उपकरणों जैसे ग्रामीण रोजगारोन्मुखी सैक्शनों को बैंकों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता/ऋण दिया गया है, और

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता/ऋण देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, गुजरात राज्य के लिए वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के लिए वार्षिक ऋण आयोजनाओं के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता की धनराशि निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़)

क्षेत्र	1991-92 (31-3-92 की स्थिति के अनुसार)	1992-93 (31-3-93 की स्थिति के अनुसार)	1993-94 (30-6-93 की स्थिति के अनुसार)
कृषि तथा उससे संबद्ध गतिविधियां	766.88	877.17	370.25
लघु उद्योग	176.72	244.53	43.72
सेवाएं	85.61	87.22	12.93
	1029.21	1208.92	426.90

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नागर विमानन का विकास

1559. **श्री भीम सिंह पटेल :** क्या **नागर और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में नागर विमानन के क्षेत्र में विकास और निर्माण कार्य के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 35.20 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।

[अनुवाद]

बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऋण

1560. **श्री चन्द्रजीत यादव :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने हेतु ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिस गति से देश के बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हो रहा है उस पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी निराशा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस संबंध में किन-किन मूल कमियों का उल्लेख किया है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(च) देश के वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से संबंधित संभव ऋण पर विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श हुआ है। यह विषय अभी विचार-विमर्श के अंतर्गत ही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) देश के बैंकिंग क्षेत्र में मूल कमियों का उल्लेख नरसिम्हन समिति द्वारा पहले ही किया जा चुका है जिसने इन कमियों को किस प्रकार दूर किया जाए के संबंध में भी सिफारिशें

दी हैं। सरकार का इन सिफारिशों के आधार पर एक चरणबद्ध तरीके से इस क्षेत्र में सुधारों को आरंभ करने का विचार है।

(च) देश में सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में सांविधिक नकदी और नकद़ी प्रारक्षित अपेक्षाओं में कटौती करना, सरकार के प्रतिभूति बाजार का विकास करना, ब्याज ढांचे का यौक्तिकीकरण, बैंकिंग पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाना और नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश क़े माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना शामिल हैं। सरकार द्वारा इस दिशा में और आगे सुधार करने के लिए जिन व्यापक दृष्टिकोणों पर विचार किया जा रहा है वे "सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय क्षेत्र के सुधार, बेहतर भविष्य का पुनर्निर्माण" शीर्षक वाले परिचर्चा पत्र में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रखी हुई हैं।

केलों का निर्यात

1561. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केलों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा उससे अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1993-94 के लिये इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(घ) देश में केलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है, और

(ङ) केलों के उत्पादन में अग्रणी राज्यों के नाम क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान केलों के निर्यात संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य हजार रु. में)
मात्रा की इकाई कि.ग्रा.

वस्तु/देश	1990-91		1991-92		1992-93	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
प्लानटेन सहित केले ताजे या सूखे						
आस्ट्रिया	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
बहरीन आई.एस.	16893	143	16348	174	5185	67
बंगलादेश	–	–	6016	35	3000	16
जी.एफ.आर.	700	10	2150	30	96516	1320
सी.आई.एस.	–	–	–	–	244523	5031
इजराइल	–	–	15480	241	–	–
हांगकांग	–	–	–	–	–	–
मिस्र	–	–	–	–	46440	705
कुवैत	–	–	30392	313	12029	[illegible]
मालदीव	–	–	–	–	–	–
नेपाल	291633	305	470457	768	816148	2124
मोजांबिक	–	–		–	–	–
नीदरलैंड	–	–	–	–	99940	930
ओमान	–	–	120	1	–	–
कतर	2554	19	4333	50	6906	75
सऊदी अरब	15104	124	101912	996	18873	184
स्विटजरलैंड	–	–	–	–	–	–
संयुक्त अरब अमीरात	3317	33	6281	58	2610	34
यू.के.	25	–	205	4	–	–
यू.एस.ए.	–	–	–	–	780	1
यू.एस.एस.आर.	–	–	2000	23	–	–
	290226	634	655694	2693	1352890	10664

(ख) और (ग) केले के निर्यात के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) भारत सरकार इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट ऑफ ट्रापिकल एरिड एंड टैम्परेट जोन्स फ्रूट्स की एक योजना क्रियान्वित कर रही है, जिसके लिए आठवीं योजना के दौरान 74.40 करोड़ रु. का

परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना में केला सहित विभिन्न फल शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, केला प्रदर्शन प्लाटों (संख्या-124) को तैयार करने, केला-बागानों के अंतर्गत क्षेत्र (5598 हैक्टेयर) का विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में फलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

(ङ) केले का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं - महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम।

निर्यात संवर्द्धन स्थापित करना

1562. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक मंत्रालय में एक निर्यात संवर्द्धन कक्ष स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या उद्देश्य है, और

(ग) क्या सरकार प्रत्येक मंत्रालय में ऐसे कक्षों का प्रमुख निर्यात व्यावसायियों को बनाने पर विचार कर रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने निर्यात से संबंधित सभी शिकायतों/दिक्कतों/समस्याओं/सुझावों की जांच करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक-एक सदस्यीय निर्यात संवर्धन डेस्क/कक्ष स्थापित करने का निश्चय किया है। इस कक्ष का प्रमुख कम से कम निदेशक स्तर का एक अधिकारी होगा।

फैशन डिजायन संस्थान

1563. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की तरह और अधिक फैशन डिजायन संस्थान स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार, अपेक्षित संसाधन जुटाने तथा संस्थानों के प्रबंधन में संबंधित राज्य सरकारों और उद्योग का सहयोग प्राप्त करके मुख्य परिधान विनिर्माता केन्द्रों में कुछ और फैशन टेक्नालाजी संस्थानों की स्थापना करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए राज सहायता

1564. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1994 के समाचार पत्र "टेलीग्राफ" में प्रकाशित समाचार "सब्सिडी फार नॉन-बैंकिंग एफ आईज में बी स्क्रप्ड" शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत कई वर्षों से सरकार गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को राज सहायता दे रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में इन संस्थाओं को कितनी राजसहायता दी गई;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन वित्तीय संस्थाओं ने आर्थिक सहायता की मांग की थी;

(च) यदि हां, तो किस आधार पर सहायता मांगी गई थी, और

(छ) इन संस्थाओं को ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सरकार द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सब्सिडी दिये जाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई.आर.बी.आई) के मामले में 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष तक हुए आय से अधिक खर्च की भारत सरकार से प्राप्त राशियों द्वारा पूर्ति की जानी थी। वर्ष 1990-91, 1991-92, और 1992-93 के दौरान इसके लिये आई.आर.बी.आई को क्रमशः 2 करोड़ रु., 5 करोड़ रु. और 5 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गई थी।

(ङ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत कुछ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं उनसे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। आम तौर पर वित्तीय संस्थाएं अपने संसाधन संबंधी अपेक्षाओं का मूल्यांकन अपनी ऋण नीती, अनुमोदित मंजूरियों, वसूली की प्रतिशतता संसाधन के अंतर के आधार पर करती है और सहायता के लिये आर.बी.आई के पास जाती है और साथ ही दीर्घावधि उधारों के लिये पूंजी बाजार और अल्पावधि निधि अपेक्षाओं के लिये मुद्रा बाजार का भी उपयोग करती हैं।

[अनुवाद]

फिजूल खर्ची

1565. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे :
डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :
श्री चित्त बसु :
श्री वीर सिंह महतो :
श्री शिबू सोरेन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में फिजूल खर्ची कम करने के लिये मितव्ययिता अभियान शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वह अभियान कब शुरू किया गया था और उसके अब तक क्या परिणाम निकले है;

(ग) गत 12 माह के दौरान प्रति माह कितने केन्द्रीय मंत्रियों ने विदेशों की यात्रा की थी और उसकी इससे पूर्व के 36 माह की अवधि के संबंध में तुलनात्मक स्थिति क्या है, और

(घ) इन यात्राओं में कटौती के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, और

(ङ) फिजूलखर्ची को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या नये कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क), (ख) और (ङ) सरकारी व्यय को नियंत्रित रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। मितव्ययिता संबंधी विभिन्न उपायों जैसे, विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या में कटौती करना, प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, दौरे के समय होटल के सूटों में ठहरने पर प्रतिबंध लगाना, पेट्रोल/डीजल की खपत/व्यय में कटौती करना, समयोपरि भत्ते पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करना, टेलीफोन लाइनों को वापस करना, सम्मेलनों, सेमिनारों और वाहनों आदि की खरीद पर रोक लगाने से संबंधित अनुदेश समस-समय पर जारी किए गए हैं। इन उपायों के कारण होने वाली बचतों के संबंध में सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घं) मंत्रियों द्वारा विदेशों की यात्रा उसी अवस्था में की जाती है जब वह उनके सरकारी कार्य निष्पादन के लिए जरूरी होती है। केन्द्रीय मंत्रियों की विदेश यात्राओं के संबंध में सूचना केन्द्रीय तौर पर संकलित नहीं की जाती है।

होजरी निर्यात

1566. **श्री के. प्रधानी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होजरी के निर्यात को बढ़ाने की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई होजरी का तथा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है, और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान होजरी के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाऐ गए है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां। देश से होजरी के निर्यात बढ़ाने की अत्यधिक संभावना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई होजरी और अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में
1991	542.40
1992	751.00
1993	1052.72

(स्रोत : अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद)

(ग) सरकार ने हौजरी के निर्यात सहित निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें एकीकृत बाजार विनिश्चित विनिमय दर प्रणाली, चालू खाते में रुपये की परिवर्तनीयता, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात को सुदृढ बनाना, निर्यात संबंधी ऋण की उपलब्धता बढ़ाना, विदेशी मुद्रा लेखा में 25 प्रतिशत की सीमा तक विदेशी मुद्रा आय रखने की अनुमति प्रदान करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों, प्रदर्शनियों में निर्यातकों की सहभागिता को प्रोत्साहन देना आदि शामिल हैं।

गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

1567. **श्री हरिलाल नानजी पटेल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) उसके क्या कारण है, और

(घ) सरकार ने इन मिलों को फायदे में चलाने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा गुजरात में 11 वस्त्र मिलें चलाई जा रही हैं।

(ख) और (ग) इन सभी मिलों में पुरानी तथा अप्रचलित मशीनों, कम उत्पादकता, कम क्षमता उपयोग, फालतू जन-शक्ति, कपास और अन्य आवकों की लागत में वृद्धि होने आदि के कारण घाटे हो रहे हैं।

(घ) सरकार ने गुजरात में एन.टी.सी. मिलों सहित एन.टी.सी के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के मुख्य संघटकों में चुनिन्दा आधुनिकीकरण, वित्तीय तथा

प्रबंधकीय पुनर्निर्माण तथा स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अंतर्गत फालतू कामगारों का सुव्यवस्थीकरण करना शामिल है। ऐसी आशा है कि एन.टी.सी. सर्वांगीण सुधार नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने से तीन वर्षों में लाभ कमाने में सक्षम हो जाएगा। इसमें उनकी गुजरात की मिलें भी शामिल हैं। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को, रुग्ण औद्योगिक कंम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अन्तर्गत एन.टी.सी. (गुजरात) लि. को मिलों को पुनरुद्धार करने का उत्तर दायित्व सौंपा गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के बन्द पड़े औद्योगिक एककों के बेरोजगार श्रमिक

1568. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान मध्य प्रदेश में बन्द हुए औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एककों के बन्द हो जाने से कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए, और

(ग) बेरोजगार श्रमिकों को काम दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में बैंक शाखाएं

1569. **श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम'** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या दिल्ली के इस क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंक शाखाओं की कमी के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में 1994-95 के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक वार संख्या नीचे दी गई हैं :

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	1
2.	आन्ध्रा बैंक	1

1	2	3
3.	बैंक आफ बड़ौदा	4
4.	बैंक आफ इंडिया	2
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2
6.	केनरा बैंक	2
7.	कारपोरेशन बैंक	1
8.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	6
9.	देना बैंक	3
10.	इंडियन बैंक	1
11.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4
12.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	4
13.	भारतीय स्टेट बैंक	22
14.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
15.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1
16.	विजया बैंक	3
17.	पंजाब नेशनल बैंक	2
18.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2
19.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2
20.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्रा	1
21.	सिंडिकेट बैंक	2
22.	यूको बैंक	2
23.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र के लोगों से उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें बैंक शाखाओं की कमी के कारण उनके सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में कहा गया हो। फिर भी, पुरानी सीमापुरी के निवासियों ने कालोनी में

राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने के लिए अभ्यावेदन किया है। 1990-95 की शाखा विस्तार योजना के अंतर्गत यमुनापार क्षेत्र में कार्पोरेशन बैंक और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स को शाखा खोलने के लिए प्रत्येक को एक-एक केन्द्र आवंटित किया गया है और संबद्ध बैंकों द्वारा परिसरों और दूसरी आधारभूत सुविधाओं को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात जब भी ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन करेंगे तभी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।

व्यापार सन्तुलन

1570. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :
श्री मनोरंजन भक्त :
डा. रमेश चन्द्र तोमर :
श्री शरत पटनायक :
श्री जार्ज फर्नांडीज :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के व्यापार सन्तुलन में चालू वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान रुपयों, एस.डी.आर. और डालरों में किये गये आयात और निर्यात के आंकड़े दर्शाते हुये गिरावट की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिये निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(च) सरकार का व्यापार घाटे में अन्तर को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। चालू वर्ष के प्रथम दस महीनों के दौरान तथा गत वर्ष में इसी अवधि के दौरान आयात, निर्यात एवं व्यापार संतुलन का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

करोड़ रुपये में

	अप्रैल-जनवरी 1992-93	अप्रैल-जनवरी 1993-94
आयात	52206	57649
निर्यात	41922	55825
व्यापार संतुलन	−10284	−1824

सं.रा. अमरीकी मिलियन डालर में		
आयात	18256	18380
निर्यात	14660	17799
व्यापार संतुलन	–3596	–581
एस.डी.आर. मिलियन में		
आयात	14255	13128
निर्यात	11447	12713
व्यापार संतुलन	–2808	–415

(ग), (घ) एवं (ङ) मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषदों एवं वस्तु बोर्डों के परामर्श से वर्ष 1993-94 के लिए 22.138 बिलियन सं. रा. अमरीकी डालर (70842 करोड़ रुपए) का निर्यात लक्ष्य रखा है जो वर्ष 1992-93 के 18.537 बिलियन सं. रा. अमरीकी डालर (53688 करोड़ रुपए) के वास्तविक निर्यातों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। पहले दस महीनों (अप्रैल-जनवरी, 1993-94) के दौरान 17.799 बिलियन सं. रा. अमरीकी डालर (55825 करोड़ रुपए) के निर्यात होने का अनुमान है और इस प्रकार पिछले वर्ष की इसी अवधि के वास्तविक निर्यात की तुलना में डालर के हिसाब से 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की संभावना है।

(च) जुलाई, 1991 में शुरू किए गए और 1992-97 की निर्यात-आयात नीति में मजबूत किए गए व्यापार सुधारों को वर्ष 1994-95 के बजट में और सुदृढ़ किया गया है। इनका उद्देश्य है निर्यात उत्पादन को बढ़ाना, कार्य क्षमता को बेहतर करना और निर्यात की प्रतियोगिता क्षमता को तेज करना। ऐसी उम्मीद है कि इन उपायों से व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

कनिष्ठ लिपिक और वरिष्ठ लिपिक के वेतनमान

1571. **श्री सूर्य नारायण यादव :**
डा. लाल बहादुर रावल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे कनिष्ठ लिपिकों और वरिष्ठ लिपिकों के वेतनमानों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत अवर-श्रेणी लिपिकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों में संशोधन करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उच्च श्रेणी लिपिकों से संबंधित प्रस्ताव पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विभागीय परिषद में विचार विमर्श किया गया था। किन्तु इस प्रस्ताव से सहमत होना संभव नहीं हो पाया है। इस मामले को माध्यस्थम बोर्ड के पास भेजा है और अनिर्णित है। यह भी निर्णय लिया गया है कि अवर श्रेणी लिपिकों के मामले को उनके विचार हेतु पांचवें वेतन आयोग को भेजा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क समाहर्तालय द्वारा बिक्री कर की चोरी

1572. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सीमा शुल्क समाहर्तालय द्वारा विमानपत्तन पर अपने निपटान केन्द्र तथा कस्टम हाउस सहित अन्य दुकानों के माध्यम से बेचे जा रहे सामान पर लाखों रुपये के बिक्री कर की चोरी किए जाने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमानतः कितनी धनराशि के बिक्रीकर की चोरी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं, और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सीमा शुल्क विभाग और बिक्री कर विभाग, दिल्ली के प्राधिकारियों के बीच जब्तशुदा माल की बिक्री पर बिक्री-कर की उगाही के बारे में एक विवाद चल रहा है, जो कि माननीय बिक्री-कर अधिकरण, दिल्ली के पास निर्णय हेतु लम्बित पड़ा है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

आयकर और निगमित कर की बकाया राशि की वसूली

1573. **श्री विजय नवल पाटील** :
श्री गुमान मल लोढ़ा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वसूली योग्य आयकर और निगमित कर बकायों में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय और तीन वित्तीय वर्षों के अन्त में शुद्ध वसूली योग्य कर का कितना बकाया था;

(ग) क्या सरकार का विचार बकाया कर की समय पर और शीघ्र वसूली के लिए अतिरिक्त उपाय करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। बाद के वर्षों में बकाया धनराशियों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों तथा जनवरी, 1994 तक आयकर और निगम कर की संचित बकाया धनराशि निम्न प्रकार है :

(रु. करोड़ों में)

1990-91	3936.42
1991-92	4219.02
1992-93	5149.33
1993-94 (जनवरी, 94 तक)	5924.33 (अनंतिम)

न्यायालयों, आयकर अपील अधिकरण, समझौता आयोग द्वारा स्थगित मांगे, अदेय मांग और प्रदत्त परन्तु सत्यापन के लिए लम्बित मागें इसमें शामिल नहीं हैं। वर्ष 1993-94 के आंकड़ों में चालू और बकाया मांगें शामिल हैं।

(ग) से (ङ) बकाया मांग में कमी करने के कार्य को उच्च्य प्राथमिकता दी जाती है तथा उसे कम करने हेतु उपयुक्त प्रशासनिक कानूनी और अन्य उपाय किए जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियर रखे जाते हैं और स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अपील प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां वसूली कार्यवाहियों के संबंध में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया जाता है, वहां स्थगन आदेश रद्द करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उचित मामलों में विभाग द्वारा सम्पत्ति की कुर्की करने तथा बिक्री करने, दण्ड लगाने आदि जैसे बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं।

तम्बाकू की गुणवत्ता में सुधार

1574. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू के उत्पादन, श्रेणीकरण विधियों और तम्बाकू की अंतर्भूत गुणवत्ता में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं विकास और किसानों के प्रशिक्षण पर हुए व्यय तथा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव है कि अनुसंधान केन्द्रों पर विकसित कृषि पद्धतियों और उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करके तथा अनुसंधान के निष्कर्षों/सिफारिशों को कृषकों में वितरित करके एफ.सी.वी. तम्बाकू की पैदावार और गुणवत्ता तथा ग्रेडिंग स्टैण्डर्ड में सुधार किया जाएगा।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात बढ़ाना

1575. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को सुझाव दिया है कि निर्यात को तेजी से बढ़ाने के लिए विनिमय दर के निरंतर लचीले प्रबंधन और प्रतिबंधों को और अधिक विनियंत्रित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क),(ख) और (ग) भुगतान संतुलन के प्रबंधन और सुधार की अपनी नीति के एक भाग के रूप में सरकार ने जून, 1991 से ही निर्यात में तेजी से वृद्धि लाने के उद्देश्य से अनेक उपाय आरम्भ किए है। इनमें मार्च, 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को आरम्भ करना, मार्च, 1993 में विनिमय दर का एकीकरण करना और इसके बाद अप्रैल 1993 में निर्यातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की काट-छांट करना शामिल हैं। विश्व बैंक ने अपने दिनांक 24 मई, 1993 के देश के आर्थिक ज्ञापन में यह भी अवलोकित किया था कि सतत लचीले विनिमय दर प्रबंधन और प्रतिबंधों को हटाना निर्यात वृद्धि के हित में होगा। अभी हाल ही में वर्ष 1994-95 के बजट में चालू खातें पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता भी लागू की गई है।

गुजरात में हवाई अड्डों का निर्माण

1576. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से , उस राज्य में नये हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों में घाटा

1577. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) तथा राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी) द्वारा अर्जित लाभ तथा उन्हें हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस घाटे से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1992-93 के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ और उठाए गए घाटे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) दो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में घाटे के मुख्य कारण, अधिक मात्रा में अतिदेय राशियां, कार्यशील पूंजी की तुलना में उच्च प्रबंधकीय लागत और अपर्याप्त ब्याज मार्जिन का प्रसार हैं। संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और राज्य सरकार के सक्रिय मार्गदर्शन में कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं ताकि अगले कुछ वर्षों में लाभ अलाभ कि स्थिति प्राप्त की जा सके।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान लाभ/घाटा

(लाख रुपये में)

क्र. संख्या	बैंक का नाम	लाभ	घाटा
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र एस.सी.बी.	824.87	-
2.	बंबई डी.सी.सी.बी.	330.92	-
3.	रायगढ़ डी.सी.सी.बी.	83.48	-
4.	रत्नागिरी	106.41	-

1	2	3	4
5.	सिंधुदुर्ग डी.सी.सी.बी.	31.72	-
6.	ठाणे डी.सी.सी.बी.	128.19	-
7.	अहमदनगर डी.सी.सी.बी.	304.51	-
8.	धुले डी.सी.सी.बी.	122.02	-
9.	जलगांव डी.सी.सी.बी.	24.28	-
10.	कोल्हापुर डी.सी.सी.बी.	306.74	-
11.	नाशिक डी.सी.सी.बी.	227.40	-
12.	पुणे डी.सी.सी.बी.	4.04	-
13.	सांगली डी.सी.सी.बी.	201.83	-
14.	सातारा डी.सी.सी.बी.	159.97	-
15.	सोलापुर डी.सी.सी.बी.	251.68	-
16.	औरंगाबाद डी.सी.सी.बी.	7.22	-
17.	बीड़ डी.सी.सी.बी.	20.27	-
18.	जालना डी.सी.सी.बी.	-	114.73
19.	लातूर डी.सी.सी.बी.	20.54	-
20.	नांदेड़ डी.सी.सी.बी.	36.19	-
21.	ओस्मानाबाद डी.सी.सी.बी.	64.60	-
22.	परभणी डी.सी.सी.बी.	52.36	-
23.	अकोला डी.सी.सी.बी.	78.15	-
24.	अमरावती डी.सी.सी.बी.	-	128.76
25.	भण्डारा डी.सी.सी.बी.	31.56	-
26.	बुलढ़ाना डी.सी.सी.बी.	21.92	-
27.	चन्द्रपुर डी.सी.सी.बी.	16.53	-

1	2	3	4
28.	गढ़चिरोली डी.सी.सी.बी.	37.94	-
29.	नागपुर डी.सी.सी.बी.	35.43	-
30.	वर्धा डी.सी.सी.बी.	15.80	-

वस्त्रों का आयात

1578. **डा. के.डी. जेस्वाणी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान श्रेणीवार कुल कितना वस्त्र आयात किया गया और इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई, और

(ख) विदेशी मुद्रा की बचत के लिए इन वस्तुओं का उत्पादन देश में करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) वर्ष 1992-93 तथा अप्रैल-नवम्बर, 1993 के दौरान आयातित वस्त्रों की कुल मात्रा और मूल्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

		1992-93		1993-94 (नवम्बर, 93 तक)	
मद	मात्रा की इकाई	आयातित मात्रा	मूल्य (करोड़ रु.)	आयातित मात्रा	मूल्य (करोड़ रु.)
परिधान	लाख अदद	6512.79	6.22	4544.75	4.64
फैब्रिक	मिलियन वर्ग मीटर	24.17	144.56	21.26	127.43
यार्न	टन	12436	169.51	12545	175.63
मेड अप्स निटिड	टन	71905	150.94	42115	120.60
फैब्रिक	टन	757	14.28	389	7.54

(स्रोत : डी.जी.सी.आई.एस.)

(ख) निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त करने के लिए यार्न और फैब्रिकों के अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। इस समय लागू औद्योगिक नीति, व्यापार नीति तथा एक्जीम नीति का उद्देश्य उपर्युक्त सामान सहित देश में सभी प्रकार के सामान के उत्पादन को बढ़ाना है।

ऋण देने की प्रणाली में सुधार

1579. **डा. चिन्ता मोहन** : क्य **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी धनराशि के वसूल न हो सकने वाले बैंकों के मामले काफी संख्या में न्यायालयों में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंकों द्वारा ऋण देने की वर्तमान प्रणाली में सुधार करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) सितम्बर, 1992 के अंत तक की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) बाद दाखिल खातों की संख्या और उनके कुल अग्रिमों की तुलना में अतर्गत राशि की प्रतिशतता क्रमशः 1.94 और 3.06 थी; ऋण प्राप्त करने के पात्र ऋणकर्ताओं द्वारा आर्थिक रूप से अर्थक्षम कार्य किए जाने के लिए बैंक उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। ऋण मंजूरी के समय ही नकद प्रवाह तैयार किया जाता है और वापसी अदायगी अनुसूची निर्धारित की जाती है। इस प्रकार बैंकों द्वारा तभी ऋण मंजूर किये जाते हैं जब वे उनकी वापसी अदायगी के बारे में संतुष्ट हो जाते हैं। फिर भी खाते के परिचालन में कई कारणों से ऋण के अशोध्य हो जाने की संभावना रहती है जिससे वह अतिदेय हो जाता है। विभिन्न खातों के वित्तीय स्वास्थ्य के स्तर का पता लगाने और जिन खातों की स्थिति ठीक नहीं है उन खातों के संबंध में आरंभ में ही उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सभी ऋणकर्ता खातों के लिए एक समान स्वास्थ्य कोड निर्धारित किया है जो 31 दिसम्बर, 1985 से प्रभावी है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ऋणकर्ता खातों के स्वास्थ्य की निगरानी करे और उन्हें निर्धारित की गई 8 श्रेणियों में से किसी एक में रखें। बैंकों के प्राधिकारियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रणाली के माध्यम से अपने ऋण पोर्टफोलियों पर और कारगर ढंग से निगरानी रखें। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें यह सहमति प्रकट की गई है कि "वसूली कक्ष" गठित कर निष्क्रिय परिसंपत्तियों की वसूली की जाये। इस कक्ष का गठन प्रधान कार्यालय में किया जाना है, जो महा प्रबंधकों के अधीन होंगे। वसूली के लिए शाखावार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और निष्क्रिय परिसंपत्तियों में कमी तथा वसूली में विभिन्न शाखाओं के कार्यनिष्पादन पर मुख्य कार्यपालकों द्वारा आवधिक अंतरालों पर प्रधान कार्यालय स्तर पर निगरानी रखी जाएगी।

रुपये का मूल्य

1580. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री ब्रह्मानन्द मण्डल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 के आधार पर रुपये का क्रय मूल्य क्या है;

(ख) क्या भारतीय रुपये का मूल्य निरन्तर गिरता जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रुपये का मूल्य किस सीमा तक गिरा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) वर्ष 1960 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सुचकांक के व्युत्क्रम में मापित दिसम्बर, 1993 में रुपये का मूल्य 7.68 पैसे था।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रुपये की क्रय शक्ति में गिरावट का विस्तार नीचे दर्शाया गया है :

अवधि	वर्ष 1960 आधार वर्ष के अनुसार रुपये का मूल्य
1991 (पूर्ण वर्ष के लिए औसत)	9.56 पैसे
1992 (पूर्ण वर्ष के लिए औसत)	8.56 पैसे
जनवरी, 1993	8.42 पैसे
दिसम्बर, 1993	7.68 पैसे

सिंगापुर के साथ पर्यटन संवर्धन संबंधी समझौता

1581. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :**
श्री शांताराम पोतदुखे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर ने हाल ही में पर्यटन संवर्धन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां, नई दिल्ली में दिनांक 24-1-1994 को भारत और सिंगापुर के बीच पर्यटन सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) करार में व्यवस्था है कि वर्तमान कानूनों और विनियमों के अंतर्गत संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित के लिए प्रयास करेंगे :

(1) यात्राओं के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं का सरलीकरण।

(2) पर्यटन उद्योगों और पर्यटन की विकास-परियोजनाओं के संबंध में जानकारी आदान-प्रदान करना।

(3) संयुक्त उद्यम की संभावनाओं का पता लगाना।

(4) पर्यटन प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिकों का आदान-प्रदान करना।

[हिन्दी]

हैंडलूम कपड़ों का निर्यात

1582. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में सिलेसिलाए भारतीय कपड़ों की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्यात को सहायता देने हेतु अथवा सिलेसिलाए कपड़ों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बनायी है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) विदेशों में भारतीय सिले-सिलाए परिधानों की मांग बढ़ रही है। परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें एकीकृत बाजार विनिश्चित विनिमय दर प्रणाली, चालू खाते में रुपये की परिवर्तनीयता, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात को सुकर बनाना, निर्यात संबंधी ऋण की उपलब्धता बढ़ाना, विदेशी मुद्रा लेखा में 25 % की सीमा तक विदेशी मुद्रा आय रखने की अनुमति प्रदान करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों, प्रदर्शनियों में निर्यातकों की सहभागिता को प्रोत्साहन देना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बैंकिंग सुधार

1583. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी :**
श्री राम नाईक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बैंकिंग सुधारों के संबंध में अखिल भारतीय मजदूर संघों के साथ विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो उन मजदूर संघों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने चर्चा में भाग लिया था;

(ग) मजदूर संघों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझाव क्या हैं, और

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है/की जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) वित्त मंत्री ने दिनांक 29-1-94 को, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये पेपर "सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय क्षेत्र सुधार : बेहतर भविष्य के पुनर्निर्माण हेतु", पर विचार-विमर्श करने और उनके विचार जानने के लिए ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उपस्थित यूनियनों का विवरण संलग्न है। बैठक में बहुत से विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और सरकार ने ट्रेड यूनियनों के सुझावों को नोट किया है। बैठक में, जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ, वे निम्नलिखित हैं : इक्विटी में जनता के अंशदान द्वारा सरकारी क्षेत्र

के बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाना; सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाना, बैंको के बोर्डों की रिक्तियों को भरना; बकाया देय राशियों की वसूली करना, वसूली अधिकरणों की स्थापना, बैंकों/शाखाओं की लाभप्रदता, बैंकों की पुनर्संरचना, गैर-सरकारी/विदेशी बैंकों की भूमिका आदि।

विवरण

1.	नेशनल फ्रंट आफ इंडियन ट्रेड यूनियन (एन.एफ.आई.टी.यू.)
2.	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आई.एन.टी.यू.सी.)
3.	आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ए.आई.टी.यू.सी.)
4.	नेशनल लेबर आर्गनाइजेशन (एन.एल.ओ.)
5.	हिन्द मजदूर संघ (एच.एम.एस.)
6.	भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.)
7.	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर (एल.एस.) (यू.टी.यू.सी.) (एल.एस.)
8.	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यू.टी.यू.सी.)
9.	सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सी.आई.टी.यू.)
10.	ट्रेड यूनियन को आर्डिनेशन सेन्टर (टी.यू.सी.सी.)
11.	नेशनल आर्गनाइजेशन और बैंक आफिसर (एन.ओ.बी.ओ.)
12.	इंडियन नेशनल बैंक एम्पलाइज फेडरेशन (आई.एन.बी.ई.सी.)
13.	इंडियन नेशनल बैंक आफिसर्स कांग्रेस (आई.एन.बी.ई.एफ.)
14.	इंडियन नेशनल बैंक एम्पलाइज कांग्रेस (आई.एन.बी.ई.सी.)
15.	आल इंडिया बैंक आफिसर्स कनफडरेशन (ए.आई.बी.ओ.सी.)
16.	आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसियेशन (ए.आई.बी.ओ.ए.)
17.	नेशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स (एन.ओ.बी.डब्ल्यू.)
18.	बैंक एम्पलाइज फेडरेशन आफ इंडिया (बी.ई.एफ.आई.)
19.	नेशनल कनफेडरेशन आफ बैंक एम्पलाइज (एन.सी.बी.ई.)
20.	आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसियेशन (ए.आई.बी. ई.ए.)

[हिन्दी]

स्वदेशी और विदेशी ऋण

1584. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991, 1992 और 1993 को कितना आन्तरिक और बाह्य ऋण बकाया था, और

(ख) आन्तरिक और बाह्य ऋणों के लिए इन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रभार सेवा पर अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी लेखे पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की बकाया कुल ऋण राशि निम्नानुसार है :

		के अन्त में बकाया (करोड़ रुपए)		
		1990-91	1991-92	1992-93
(I)	आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	282733	317414	359355
(II)	विदेशी ऋण (वर्ष के अंत में मौजूद विनिमय दर पर)	66314	109667	120979

(ख) उपरोक्त वर्षों में ऋण-परिशोधन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

		1990-91	1991-92	1992-93
(1)	**वापसी-अदायगी**			
	आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां*	25132	31171	34151
	विदेशी ऋण	2220	3301	4306
(2)	**ब्याज**			
	आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	19665	23891	27546
	विदेशी ऋण	1834	2704	3529
	कुल ऋण परिशोधन	48851	61067	69532

* इसमें 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, प्रारक्षित निधियों और सब्याज जमाराशियों और उचंत लेन-देनों की चुकौती शामिल नहीं हैं।

आंतरिक और विदेशी ऋण पर ब्याज, राजस्व बजट का हिस्सा होता है, जबकि मूल राशि की वापसी-अदायगी पूंजी बजट का हिस्सा होती है।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों की शाखाएं

1585. **श्री हरिन पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय विदेशी बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएं खोलने हेतु आवेदन किया है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विदेशी बैंकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में विद्यमान विदेशी बैंकों से अतिरिक्त शाखाओं के लिए उन्हें आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं॰	बैंक का नाम	उस स्थान का नाम जहां अतिरिक्त शाखा खोलने का प्रस्ताव किया गया है	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	सिटी बैंक	हैदराबाद	प्रतिभूतियों के लेनदेनों में अनियमितताओं में इस बैंक के अंतर्ग्रस्त होने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करना आस्थगित रखा गया है।
2.	एन.जेड॰ ग्रिंडलेज बैंक	अहमदाबाद	-वही-
3.	ए.बी.एन॰ आम्रो बैंक	मद्रास	-वही-
4.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	पुणे	-वही-
5.	बैंक नेशलन डे पेरिस	पुणे	सिद्धांत रूप में अनुमोदन जारी कर दिया गया है। स्थानों के संबंध में बैंक से परामर्श की प्रतीक्षा है। तत्पश्चात्, औपचारिक लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।

1	2	3	4
6.	-वही-	बंगलौर	-वही-
7.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक	बंबई	-वही-
8.	मशरिक बैंक पी.एस.सी.	नई दिल्ली	-वही-
9.	बैंक आफ बहरीन तथा कुवैत	-वही-	-वही-
10.	बैंक आफ अमेरिका	बंगलोर, पुणे अथवा बड़ौदा	भा.रि. बैंक के विचाराधीन है
11.	हांगकांग बैंक	हैदराबाद	-वही-
12.	ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट	नई दिल्ली	-वही

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात कोटा

1586. **श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :** क्या **वस्त्र मंत्री** 3 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात कोटे की बिक्री में काले बाजारी के संबंध में आरंभिक सी.बी.आई. की जांच के बारे में आदेश दे दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को पहले से ही कहा हुआ है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

वायुदूत का "एवरो" विमान

1587. **श्री अनन्त राव देशमुख :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत द्वारा कितने एवरो विमान चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन विमानों की उड़ान बंद करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए किस वैकल्पिक विमान का उपयोग किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वायुदूत के विमान-बेड़े में 8 एवरो और 8 डोर्नियर विमान हैं।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस की डार्ट इंजन शॉप के बंद हो जाने और कल-पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण, एवरो प्रचालनों को 31 मार्च, 1994 के बाद समाप्त करने का प्रस्ताव है। विमान प्रस्थापन के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जूट की पैकिंग करने की सामग्री

1588. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
डा. रमेश चंद तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री बलराज पासी :
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जूट का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या जूट के पैकिंग की सामग्री के लिए कच्चे जूट का आयात करना पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे आयातों में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार पैकेज सामग्री की बढ़ती हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए जूट पैकेज सामग्री (पैके की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की समीक्षा करने का है जिसके अंतर्गत एच.डी.पी.ई. बुनी हुई बोरियां/थैलों का खाद्यान्नों, सीमेंट, उर्वरकों, चीनी को पैक करने के लिए उपयोग करना मना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कच्चे पटसन के उत्पादन के अंतिम प्राक्कलन नीचे दिए गए हैं :

वर्ष (जुलाई-जून)	उत्पादन (हजार गांठ में प्रत्येक गांठ 180 कि.ग्रा.)	(हजार टन में) समतुल्य टन क्षमता
1990-91	91,03	16,39
1991-92	101,82	18,33
1992-93	89,88	16,18

(ख) और (ग) चूंकि घरेलू उत्पादन पर्याप्त मात्रा से अधिक हुआ था, इसलिए पटसन की पैकेजिंग सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाल ही में कच्चे पटसन का आयात करने की जरूरत नहीं हुई।

(घ) से (च) पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की प्रासंगिकता, पटसन और एच.डी.पी.ई. वूवन दोनों क्षेत्रों को बाजार की उचित साझेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। ताकि दोनों सुव्यवस्थित ढंग से समान रूप से बने रहें तथा इसी कारणवश सरकार का अधिनियम की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं है।

मछली पालकों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता

1589. **श्री सुधीर सावंत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा सीमांत मछली पालकों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मार्ग निर्देश रखे गए हैं, और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान मछली पालकों को राज्यवार कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) मछली पकड़ने से लेकर उसका निर्यात करने की स्थिति तक के सभी पहलुओं में मत्स्य पालन का विकास करने, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक उपकरणों का वित्तपोषण करने और मत्स्य जनन आदि कार्यों को कृषि से संबद्ध गतिविधियों के रूप में माना जाता है। 22 सितंबर, 1990 से ब्याज दरों का युक्तियुक्तीकरण किया गया है और उन्हें ऋण के आकार के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार जितनी कम राशि का ऋण होगा उतनी ही कम ब्याज दर होगी। इसके अतिरिक्त 2 सितंबर, 1993 से फसल ऋणों और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए निवेश ऋणों की ब्याज दरें समान हैं। अल्पावधि ऋणों और सावधि ऋणों के लिए मत्स्य पालन हेतु इस समय निम्नलिखित ब्याज दरें लागू हैं :

	ऋण सीमा	ब्याज दर वार्षिक
(I)	25,000 रुपए तक	12%
(II)	25,000 रुपए से अधिक और दो लाख रुपए तक	15%
(III)	2 लाख रुपए से अधिक	15% (न्यूनतम)

इस प्रकार 25,000 रुपये तक की ऋण सीमा वाले छोटे और सीमांतिक किसानों को 12% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा और यह ली गई ऋण की अधिक राशियों की तुलना में रियायती दर है।

(ग) जून 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान मत्स्य पालन के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए राज्य-वार ऋणों के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन

1590. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के दौरान पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई, और

(ख) भविष्य में पर्यटन से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1993 में पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय का अनुमान 4248 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ख) पर्यटन से अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए किए जा रहे उपायों में शामिल हैं-देश में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए विदेशी बाजारों में प्रचार और विपणन प्रयासों को तेज करना।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में संशोधन

1591. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू बोर्ड के अंतर्गत लाने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि तक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 में समुचित संशोधन किए जाने की संभावना है, और

(ग) तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) गैर-वर्जीनिया तम्बाकू को तम्बाकू बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) तम्बाकू उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों में शामिल है :

- एफ.सी.वी. तम्बाकू की फसल के आकार का नियोजन इस प्रकार से करना ताकि मांग और आपूर्ति में संतुलन रह सके और उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित हो सकें।
- एफ.सी.बी. तम्बाकू के विपणन के लिए नीलामी प्रणाली आयोजित करना जो किसानों को सही वर्गीकरण त्वरित तुलाई, प्रतिस्पर्धात्मक बोली और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराती है।

– एफ.सी.वी. तम्बाकू के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित करना।

– एफ.सी.वी. तम्बाकू के लिए न्यूनतम गारणटीशुदा कीमत निर्धारित करने के लिए तम्बाकू के व्यापारियों के साथ बातचीत करना।

– तम्बाकू का गुणवत्ता में सुधार के लिए विस्तार सेवाएं प्रदान करना।

– उत्पादित तम्बाकू की विपणनशीलता बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन का कार्य करना।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र को आबंटित धनराशि

1592. **श्री शान्ताराम पोतदुखे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान अब तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि दी गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है तथा इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में बैंकों की भूमिका और कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के अन्तर्गत सब्सिडी के रूप में 91.74 करोड़ रुपये का कुल आबंटन किया था जिसे केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को बराबर-बराबर वहन करना था। दिसंबर 1993 तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में जारी की गई राशियां क्रमशः 26.72 करोड़ रुपए और 10.96 करोड़ रुपए हैं और बैंक द्वारा दिसंबर 1993 तक संवितरित ऋण की राशि 107949 हिताधिकारियों के लिये 57.43 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) बैंकों की भूमिका और उनके कार्यनिष्पादन सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति नियुक्ति की है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का श्रेणीकरण

1593. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्राहक सेवा स्तर और बैंक प्रबंधन के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणीकरण प्रणाली आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों के मुख्य कार्यकारी निदेशकों ने सरकार के साथ किसी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ग्राहक सेवा को छः महीने के अन्दर उन्नत बनाने का वचन दिया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94 के लिए पूंजी के आबंटन के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता पर प्रतिबद्धता तथा विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने में दक्षता का उच्च स्तर बनाए रखना सम्मिलित हैं। बैंक बाहर की एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ग्राहक के संतोष की एक मूल्यांकन प्रणाली बनाएंगे। बैंक एजेंसी की सहायता से, ग्राहक संतोष से संबंधित पैरामीटरों का मात्रात्मक निर्धारण भी करेंगे। इस कार्य को चालू वित्त वर्ष के अन्दर, अर्थात् 31-3-1994 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1594. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इन बैंकों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान इन उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या इनमें से कुछ बैंक भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार ने इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या उक्त क्षेत्रीय बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित आरक्षण के मानदंडों के अनुरूप है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ज) सरकार का इन बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) गुजरात राज्य में 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे जिनका मार्च, 1993 के अंत की

स्थिति के अनुसार 430 शाखाओं का नेटवर्क था और जिनके मुख्यालय भुम, जामनगर, पाडन गौधरा, सुरेन्द्र नगर, वलसाड, मरूच, हिम्मत नगर और जूनागढ़ में थे।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, ग्रामीण बचतें जुटाने और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक क्रिया-कलापों को सहयोग देने में लगाने, पुनर्वित्त के माध्यम से केन्द्रीय मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह के लिये अनुपूरक चैनल तैयार करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रबंध की लागत में कमी लाने के लिये बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता, खासकर अब तक के बैंक रहित क्षेत्रों तक ले जाना है।

मार्च, 1993 के अनुसार गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 5.92 लाख खातों में लगभग 136.34 करोड़ रुपए जुटाये। इन बैंकों द्वारा दी गई ऋण सहायता 2.21 लाख खातों में 89.82 करोड़ रुपए (बकाया) थीं। इस प्रकार उक्त अवधि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संस्थागत ऋण सहायता देकर और अब तक अप्रयुक्त ग्रामीण बचतों को जुटाकर बैंकिंग सेवा को उन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

(ग) कमजोर वर्गों तक पहुंचने की प्रक्रिया में तथा व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य लक्ष्य पूरा करने में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आर्थिक दृष्टि से नुकसान हुआ है। गुजरात में स्थित सभी बैंकों को 1992-93 में 9.66 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और मार्च, 1993 के अंत तक उनकी संचित हानियों की रकम 32.30 करोड़ रुपए बैठती है। सभी 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि का पूरी तरह से ह्रास किया है, जिसके कारण चल निधि में समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं और इसके परिणाम स्वरूप ऋण संबंधी कार्यकलापों में कमी आ गयी है। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की खराब वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन के कारण चल निधि की समस्या भी गंभीर हो गयी है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठायी जाने वाली हानियों के कई कारण हैं, जैसे कि ग्राहकों के चयन पर रोक, परिचालन का सीमित क्षेत्र, न्यून ब्याज मार्जिन, खासकर राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के पंचाट के कार्यान्वयन के पश्चात तेजी से बढ़ते हुए स्थापना व्यय आदि।

(ङ) उनकी अर्धगत में सुधार लाने की दृष्टि से इन बैंकों के ऋणों में और अधिक लचीलापन लाने तथा उनकी संबद्ध बैंकिंग सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए दिसंबर, 1993 में उपायों का एक पैकेज घोषित किया गया है। इन उपायों में गैरलक्ष्यगत समूह वित्तपोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर निधि पर आधारित कारोबार में वृद्धि, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र संबंधी बाध्यताओं से मुक्त करना, जिनका वर्ष 1992-93 में संवितरण 2 करोड़ रुपये से कम था और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुका/जिला मुख्यालयों, कृषि उपज केन्द्रों आदि जैसे स्थानों में पुनः स्थापित करने की अनुमति देना और उन संस्थाओं के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलना,

जिनके लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख बैंकर है, आदि उपाय शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपाजिट लाकर लगाने की भी अनुमति दी गयी है।

(च), (छ) और (ज) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, गुजरात में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत 1689 कर्मचारियों में से 381 कर्मचारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे जो कर्मचारियों की कुल संख्या का 22.5 प्रतिशत बैठता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के मामले में सरकार द्वारा जारी की गयी हिदायतों का अनुपालन करें। सरकार के अनुरोध पर, नाबार्ड ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, दिनांक 17 सितंबर, 1993 को पिछली बकाया के रिक्त पद, अगर कोई हों, भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये एक विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिये कहा है।

बैंक खाते खोलना

1595. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में खाता खोलने के लिए फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी बैंक उक्त प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वे कौन से बैंक हैं, जो प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ङ) सरकार द्वारा धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सभी खाताधारकों के लिए फोटो लगाना अनिवार्य करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 1-1-1994 से सभी नवीन खाता चलाने वालों के खाता खोलते समय, जमाकर्ताओं/खाता धारकों, जिन्हें खाते चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के फोटो प्राप्त करने का परामर्श दिया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त निर्देश अनिवार्य हैं तथा सभी बैंकों द्वारा इनका क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। इन निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिस में नहीं आया है।

[अनुवाद]

गेहूं और चावल का निर्यात

1596. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
डा. परशुराम गंगवार :
श्री सोपजी भाई डामोर :
डा. डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री खेलन राम जांगड़े :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा और मूल्य का चावल और गेहूं निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान इन मदों के निर्यात हेतु मद-वार और किस्मवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) किन-किन देशों ने गेहूं और चावल की मांग की है तथा सरकार ने इन मदों के निर्यात के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया है, और

(घ) सरकार ने इन मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) चावल और गेहूं की निर्यात की गई कुल मात्रा निम्नलिखित है :

(मात्रा-टन में)
(मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	चावल		गेहूं	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1990-91	505029	46157.2	139470	3113.47
1991-92	678463	75558.75	588519	12698.14
1992-93	606980	97193.03	37278	1017.58

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. कलकत्ता)

(ख) इस तरह मदवार और क्वालिटी वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) हमारे गेहूं और चावल के बाजार हैं : सऊदी अरब, इण्डोनेशिया ईरान, जोर्डन, सिंगापुर, यू.के., सी.आई.एस., कोरिया, ओमान, यू.ए.ई. आदि।

सरकार ने बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) हटा ली है और सुपरफाइन गैर बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत 225 अमरीकी डालर प्रति एम.टी. से घटाकर 200 अमरीकी डालर प्रति एम.टी. कर दी है। दुड़म गेहूं के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत 160/- अमरीकी डालर प्रति एम.टी. निर्धारित की गई है।

कर रहित कम्पनियां

1597. **श्री निर्मल कांति चटर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी अनेक कम्पनियां हैं, जो लाभ तो अर्जित कर रही है, लेकिन किसी कर का भुगतान नहीं करतीं;

(ख) यदि हां, तो शीर्ष बीस कर रहित कम्पनियों के नाम क्या हैं, और

(ग) इन कम्पनियों को इस प्रकार की छूट दिए जाने का क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115-अ को, जिसमें कम्पनियों के खाता लाभों पर कर लगाने का प्रावधान था, कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से हटा दिया गया है, अतः अब यह संभव है कि ऐसी कुछ कम्पनियां होंगी जो खाता लाभ दिखा रही हैं, परंतु वे किसी कर का भुगतान नहीं करतीं।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115-अ को हटा देने से आयकर विभाग कम्पनियों के खाता लाभों का रिकार्ड नहीं रखता, परन्तु विवरणी में दी गई आय और निर्धारित की गई आय के आधार पर ही रिकार्ड रखता है और यह दोनों आयकर अधिनियम के अन्तर्गत की गई संगणना पर आधारित हैं। अतः खाता लाभों वाली परन्तु क़िसी कर का भुगतान न करने वाली कुछ कम्पनियों का पता लगाने के लिए हजारों कर-निर्धारण रिकार्डों की अलग-अलग संवीक्षा करनी पड़ेगी और इसमें जो समय, प्रयत्न एवं व्यय निहित होंगे वह प्राप्त किए जाने वाले परिणामों से काफी अधिक होंगे।

(ग) निर्यात एवं पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आमदनी, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सुधार, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने जैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ कम्पनियों के क्रियाकलापों के महत्व के आधार पर सामान्यतया रियायतें दी जाती हैं।

केरल की होटल परियोजनाओं के लिए ओमान से पूंजी निवेश

1598. **श्री आर. अन्बारासु :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल की होटल परियोजनाओं के लिए ओमान से पूंजी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो ओमान के पूंजी निवेश की संभावित राशि क्या है;

(ग) क्या इस होटल परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओमानी निवेशकर्ताओं की भारत की होटल परियोजनाओं में दिलचस्पी है। कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

समुद्री खाद्य का निर्यात

1599. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य बाजार में भारत के निर्यात का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या भारतीय कम्पनियां केवल कच्चे उत्पादों का ही निर्यात कर रही हैं, क्योंकि इन कंपनियों की विदेशी उपभोक्ताओं की आवश्यकता, रुचि, तथा खाने के तौर तरीकों की जानकारी नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो देश को निकट भविष्य में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बनाने हेतु इस समस्या के निवारण हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक तथा वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1991 में विश्व के समुद्री खाद्य बाजार में भारत का हिस्सा 1.31 प्र. था।

(ख) जी, नहीं। भारतीय कम्पनियां आयातकों की वरीयताओं के आधार पर अपरिष्कृत प्रशीतित उत्पादों तथा आई. क्यू.एफ. और पके हुए प्रशीतित उत्पादों जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात कर रही हैं।

(ग) प्रसंस्कर्ता निर्यातकों को उपभोक्ता मूल्यवर्धित पैकों के उत्पादन, जो प्रमुख बाजारों में एक आकर्षक समुद्री खाद्य मद के रूप में उभरा है, के लिए इंडिविजुअलो क्विक फ्रोजेन (आई.क्यू.एफ.) संयंत्रों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कालीकट हवाई अड्डा

1600. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पूरे कर लिए गए कार्य का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) केरल के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह निर्णय किया गया है कि हवाई अड्डे पर विशालकाय विमानों के प्रचालन हेतु धावनपथ के विस्तार के लिये अपेक्षित संसाधनों की पूर्ति अनिवासी भारतीयों सहित जनता से अंशदान द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा गठित सोसाइटी संसाधनों को जुटाने और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में अग्रिम धन राशि देने की जिम्मेदारी वहन करेगी जिसकी वापस-अदायगी हवाई अड्डे द्वारा अर्जित आय में से की जाएगी। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस परियोजना को केवल उस स्थिति में ही शुरू कर सकेगा, जब उक्त सोसायटी द्वारा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जायेगी।

राज्य सरकारों को ऋण

1601. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1993 तक केन्द्र की राज्यों पर कितनी ऋण-राशि बकाया थी और उस पर ब्याज के रूप में चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमानतः कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) असम की सरकार को केन्द्र से चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना है, और

(ग) 1993-94 तथा 1994-95 के लिये देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की ऐसी अनुमानित आय कितनी है जिसमें केन्द्रीय ऋण शामिल नहीं है परन्तु क्षेत्रवार केन्द्रीय अनुदान शामिल है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति अनुसार वित्त मंत्रालय की राज्यों पर बकाया ऋण-राशि और चालू वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान बकाया ऋण की चुकती से पड़ने वाले अनुमानित भार को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) असम सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए उनके आरम्भिक घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को आबंटित 103.88 करोड़ रुपए की अग्रिम योजनागत सहायता के ऋण अंश के रूप में वर्ष 1993-94 के दौरान 10.388 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि मिलने की संभावना है।

(ग) वर्ष 1993-94 के राज्यों के बजट के आधार पर केन्द्रीय ऋणों को छोड़कर वर्ष 1993-94 के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों की अनुमानित आय को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। चूंकि वर्ष 1994-95 के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों के बजट अभी उपलब्ध होने हैं, अतः 1994-95 के लिए यह सूचना प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

विवरण-I

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	31 दिसंबर, 1993 की स्थिति अनुसार वित्त मंत्रालय की राज्यों पर बकाया ऋण की राशि	चालू वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान ऋण की चुकती से पड़ने वाला अनुमानित भार
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6537.75	800.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	137.82	21.57
3.	असम	3144.76	517.34
4.	बिहार	7041.45	948.00
5.	गोवा	672.13	63.69
6.	गुजरात	6900.70	921.11
7.	हरियाणा	2136.42	288.01
8.	हिमाचल प्रदेश	932.26	152.49
9.	जम्मू व कश्मीर	2377.29	363.66
10.	कर्नाटक	4212.91	576.94
11.	केरल	2962.05	389.71
12.	मध्य प्रदेश	4567.42	623.25
13.	महाराष्ट्र	10739.64	1441.33
14.	मणिपुर	160.07	37.74
15.	मेघालय	173.53	24.89
16.	मिजोरम	89.88	14.83
17.	नागालैंड	185.51	36.33
18.	उड़ीसा	3207.04	444.22

1	2	3	4
19.	पंजाब	8145.10	1196.96
20.	राजस्थान	4569.02	581.65
21.	सिक्किम	93.27	12.36
22.	तमिलनाडु	5266.83	716.42
23.	त्रिपुरा	283.66	47.58
24.	उत्तर प्रदेश	14214.86	1872.90
25.	पश्चिम बंगाल	7752.60	1007.73
	जोड़	96503.97	13100.97

विवरण-II

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 1993-94 के लिए राज्यों के बजट के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों की अनुमानित आय, इसमें वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय ऋण शामिल नहीं है
1.	अरुणाचल प्रदेश	534.91
2.	असम	3730.10
3.	मणिपुर	514.61
4.	मेघालय	612.39
5.	मिजोरम	461.77
6.	नागालैण्ड	670.20
7.	त्रिपुरा	734.59

बकाया ऋण

1602. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने निजी क्षेत्र को राज्यवार कितनी-कितनी ऋणराशि वितरित की;

(ख) कितनी बकाया राशि शेष है, और

(ग) बकाया राशि वसूलने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, मार्च 1991, 1992 और 1993 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया अग्रिम अतिदेय राशियां नीचे दर्शायी गई हैं;

(करोड़ रुपए)

समाप्त वर्ष	बकाया राशि	अतिदेय राशि
मार्च 1991	110002	17320
मार्च 1992	116260	19901
मार्च 1993	125954	22989

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिदेय राशियों को कम से कम करने और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों को उनके अग्रिमों के संबंध में वसूली कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए भिन्न मार्गनिर्देश जारी किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश निम्नलिखित हैं :

1. बैंकों से कहा गया है कि बैंकों के संसाधनों के पुनः उपयोग के लिए अर्थक्षम वसूली प्रणाली तैयार करें, ताकि उसका उपयोग एक ओर तो जरूरत-मंद और उत्पादक क्षेत्र में किया जा सके और दूसरे उधार देने वाले बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता में सुधार हो सके।
2. अलग-अलग अग्रिमों के प्रभावी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन से उनके स्वास्थ्य को दर्शाने हेतु समेकित और एक समान ग्रेडिंग प्रणाली लागू करना।
3. बड़े अवरुद्ध खातों की वसूली पर निगरानी करना।
4. जहां अग्रिम अवरुद्ध पाए जाएं वहां उपचारी कार्रवाई करना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हाल ही में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में एक "वसूली कक्ष" गठित कर गैर निष्पादित आस्तियों की वसूली पर सहमति हुई है। यह कक्ष प्रधान कार्यालय में स्थापित किया जाना है जो किसी महाप्रबंधक के चार्ज में होगा। वसूली और गैर निष्पादित आस्तियों को कम करने के लिए शाखावार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और मुख्य कार्यपालकों द्वारा आवधिक अंतरालों में प्रधान कार्यालय स्तर पर वसूली कक्ष में विभिन्न शाखाओं की निगरानी की जाएगी।

"फारेन कम्युनीकेशन प्रोजेक्ट" के लिए विदेशी सहायता

1603. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में "फारेन कम्युनीकेशन प्रोजेक्ट" के लिए कोई विदेशी सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ,

वित्त मंत्रलाय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लघु उद्योग

1604. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु उद्योग स्थापित करने हेतु कोई विशेष स्व्रोजगार योजना विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इन उद्योगों की आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न बैंकों को दिशा निर्देश जारी किये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विभिन्न बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने 2 अक्तूबर 1993 से शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) नामक एक योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य माइक्रो उद्यमों में लगभग 10 लाख शहरी शिक्षित बेरोजगार युवकों को दीर्घकालीन रोजगार प्रदान करना है। इन उद्यमों में उतपादन, सेवा और व्यापार संबंधी कार्य शामिल होंगे। इस योजना में 1993-94 के दौरान केवल शहरी क्षेत्र शामिल होंगे और 1994-95 से आगे इसमें सारा देश शामिल होगा। पहली अप्रैल, 1994 से शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना पी.एम.आर.वाई. में सम्मिलित हो जाएगी। पी.एम.आर.वाई. की मुख्य विशेषताएं हैं :

(1) उन परिवारों के 18 और 35 वर्ष के बीच के वे सभी शिक्षित बेरोजगार युवक, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय कुल 24000 रुपए से कम हो, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(2) इन सभी शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को माइक्रो उद्यम आरंभ करने के लिए प्रत्येक को 7500 रुपए की सीमा के अध्यधीन 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

(3) उन्हें मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रस्तुत करना होगा।

(4) प्रत्येक उद्यमी एक लाख रुपए की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा और इस ऋण के लिए संवार्श्विक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) जिन उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत चुना जाएगा, उन्हें ऋण संवितरित किए जाने से पहले प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(6) मैट्रिक (उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण) विद्यार्थी, आई.टी.आई. उत्तीर्ण युवक और ये सभी व्यक्ति, जिन्होंने कम से कम छः महीने तक सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम में भाग लिया है, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन में ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को भी शामिल किया जाएगा।

(8) इस योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5 प्र. और दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्र. का आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(9) हिताधिकारी शहरी क्षेत्र का तीन वर्ष तक का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 सितंबर 1993 को भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पी.एम.आर.वाई. (योजना) को लागू करने के लिए हिदायतें जारी की हैं। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के लिए लघु उद्योगों की आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम में कार्यचालन का पुनर्निर्धारण

1605. **प्रो. प्रेम धूमल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम के कार्यचालन का पुनर्निर्धारण कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अब तक एस.टी.सी. के जरिए सरणीबद्ध अनेक मदों के आयात एवं निर्यात का गैर-सरणीकरण कर दिए जाने के फलस्वरूप, सरकार इस तरीके से इसका नया रूप देने की तथा इसके पुनर्गठन की आवश्यकता की पुनरीक्षा करती रही है, जो उदारीकृत अर्थव्यवस्था एवं प्रतियोगी वातावरण के अनुकूल हो।

[हिन्दी]

गुजरात में नागर विमानन का विकास

1606. **श्री दिलीपभाई संघाणी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नागर विमानन क्षेत्र में विकास तथा निर्माण का कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ख) इसके लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गुजरात में हवाई अड्डों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 40.57 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।

[अनुवाद]

हथकरघा विकास केन्द्र

1607. **श्री शरत् पटनायक :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्थापित किए जाने वाले हथकरघा विकास केन्द्रों के लिए स्थलों की स्वीकृत दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस योजना की मौजूदा स्थिति क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए हथकरघा विकास केंद्रों के लिए स्थलों को स्वीकृति दे दी है।

(ख) राज्यवार ब्यौरा का विवरण संलग्न है।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 198 लाख रुपये की राशि अब तक जारी की जा चुकी है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	एच.डी.सी.	क्यू.डी.यू.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	100	38

1	2	3	4
2.	असम	39	10
3.	कर्नाटक	16	5
4.	केरल	8	-
5.	महाराष्ट्र	1	-
6.	मणिपुर	1	-
7.	उड़ीसा	38	38
8.	उत्तर प्रदेश	3	3
9.	पश्चिमी बंगाल	22	10
	कुल	228	104

भविष्य निधि में जमाराशि पर ब्याज दर

1608. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज को वर्तमान 12 प्र. से बढ़ाकर 13 प्र. प्रतिवर्ष करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को कम से कम प्रतिवर्ष 13% ब्याज दर स्वीकार किए जाने के लिए इंटक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, क्योंकि फिलहाल भविष्य निधि पर ब्याज की विद्यमान 12% ब्याज दर को पर्याप्त समझा गया है।

[हिन्दी]

खादी और हथकरघा निर्मित वस्त्रों का निर्यात

1609. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और हथकरघे से निर्मित वस्त्रों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) इसका निर्यात किन-किन देशों को किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे अर्जित लाभ और विदेशी मुद्रा का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार ने ऐसे कपड़ों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) भारत के हथकरघा के सामान का निर्यात विश्व के सौ से भी अधिक देशों को किया जा रहा है। तथापि, अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देश, जापान तथा आस्ट्रेलिया हमारे हथकरघा वस्त्रों के लिए प्रमुख बाजार हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान रुपये और डालर के रूप में सूती हथकरघा फैब्रिकों और मेडअप्स के निर्यात निम्न प्रकार हुए हैं :

(अनन्तिम)

निर्यात

	करोड़ रु. में	मिलियन अमरीकी डालर में
1991-92	692.22	284.759
1992-93	1033.31	356.422
1993-94	1052.10	330.415
(अप्रैल, 93-जनवरी, 1994)		

(घ) सरकार हथकरघा वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है, जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों को प्रायोजित करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन करना।

रोजगार उपलब्ध कराने में होने वाले खर्च का आकलन

1610. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजूरी के आधार पर प्रत्येक बेरोजगार युवक को रोजगार उपलब्ध कराने में प्रतिवर्ष होने वाले व्यय के बारे में कोई आकलन किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) युवाओं के बीच बेरोजगारी तथा अल्प रोज़गार के चालू स्तरों के संदर्भ में नौकरियां प्रदान करने में वार्षिक व्यय संबंधी कोई आकलन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

ऊन का आयात

1612. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कुल कितनी ऊन का और किस-किस किस्म की (परिधान किस्म) ऊन का आयात किया तथा किन-किन क्षेत्रों से ऊन का आयात किया गया, और

(ख) कुल खपत की कितने प्रतिशत ऊन का आयात किया जा रहा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सरकार ऊन का आयात नहीं करती। तथापि, ऊनी वस्त्र उद्योग द्वारा ऊन का आयात किया जाता है, अपैरल ग्रेड की ऊन का आयात मुख्यतः आस्ट्रेलिया से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वहां से किए गए आयात निम्न प्रकार हैं :

1990-91	-	13765 मी. टन
1991-92	-	13127 मी. टन
1992-93	-	14683 मी. टन

(ख) 46.9 प्रतिशत तक।

[हिन्दी]

बिहार चाय विकास निगम लि.

1613. **श्री प्रेम चंद राम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने बिहार में चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिहार चाय विकास निगम लि. की किसी योजना को मंजूरी दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चाय बोर्ड को बिहार चाय विकास निगम लिमिटेड से विकास संबंधी सहायता के लिए अभी तक कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

काफी उत्पादकों को सहायता

1614. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के माध्यम से काफी उत्पादकों को विकास ऋण के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या काफी उत्पादकों के पास अभी भी कोई देय राशि बकाया है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिदेय ब्याज माफ करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बोर्ड द्वारा काफी उत्पादकों को प्रदत्त विकास ऋण सहायता की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1990-91	374.26
1991-91	344.23
1992-93	409.52

(ग) जी, हां। काफी उत्पादकों की ओर बकाया राशि 26.77 करोड़ रुपए है।

(घ) तथा (ङ) इन ऋणों के मामले में अतिदेय ब्याज माफ करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत

1615. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग के गठन के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हाल ही में स्वीकृत की गई अंतरिम राहत, आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की अवधि तक जीवनयापन लागत में हो रही वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए दी जाती है,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी परिसंघ के साथ हुए समझौते के निदेश पदों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की अवधि तक अंतरिम राहत की समय-समय पर समीक्षा करने का प्रावधान है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सितंबर, 1993 से 100/- (एक सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह की स्वीकृत की गई अंतरिम राहत संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की स्थायी समिति की बैठक में हुए समझौते पर आधारित है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण

1616. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक लघु उद्योगों आदि के विकास के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण देते रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्यवार उक्त समुदाय के कितने उद्यमियों को ऋण दिया गया;

(घ) राज्यवार उक्त श्रेणी के कितने आवेदन पत्र राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लंबित पड़े हैं, और

(ङ) सरकार का लम्बित आवेदन पत्रों को निपटाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक प्राथमिकता क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम देते रहे हैं, जिनमें लघु उद्योग क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, मार्च 1991, मार्च 1992 और मार्च 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों से संबंधित खातों की संख्या और बकाया राशि निम्नानुसार थी :

समाप्त वर्ष	खातों की संख्या (लाख में)	बकाया राशि (रुपए करोड़ में)
मार्च 1991	54.31	4662.94
मार्च 1992	55.98	5129.80
मार्च 1993	56.96	5674.67

(ङ) सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिकता क्षेत्र, जिसमें लघु उद्योग भी शामिल हैं, को दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदनों को दो सप्ताह के भीतर और 25,000/-. से अधिक के ऋण आवेदनों को 6 से 9 सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।

सी.आई.एस. देशों के साथ व्यापार

1617. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत का सी.आई.एस. देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार सी.आई.एस. देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिए निरंतर उपाय कर रही है। कुछ निश्चित उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है :

(1) 15 नए गणराज्यों में प्रत्येक के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना, तदुपरान्त शिशन खोलना अथवा उनका दर्जा बढ़ाना;

(2) व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के बारे में नए तथा अलग-अलग द्विपक्षीय व्यापार ढांचा करार सम्पन्न करना;

(3) वाणिज्यिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के लिए अन्तर-सरकारी द्विपक्षीय संयुक्त आयोगों की स्थापना करना;

(4) सादृश्य करार सम्पन्न करके अन्तर-बैंकिंग व्यवस्थाएं करना; अन्य बातों के साथ-साथ रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, उजबेकिस्तान तथा किरगिस्तान में संयुक्त उद्यम बैंकों का संवर्धन;

(5) प्रतिव्यापार, खेप निर्यात तथा गोदाम बनाने/पट्टे पर देने के कार्य को बढ़ावा देना;

(6) संयुक्त व्यापार उद्यमों, उत्पादन-भागीदारी के आधार पर संयुक्त उद्यम, और तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए संयुक्त उद्यमों सहित संयुक्त उद्यमों, और पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देना;

(7) दोहरे कराधान से बचने और पारस्परिक संवर्धन तथा निवेश संरक्षण के बारे में द्विपक्षीय करारों पर विचार करना/सम्पन्न करना;

(8) निर्यात ऋण की आसान उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए उपाय;

(9) पांच केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों के लिए कुल 55 मिलियन अमकीरी डालर को सरकारी ऋण सुविधा प्रदान करना;

(10) सी.आई.एस. देशों के साथ भारत के व्यापार के लिए अधिक अर्थक्षम ट्रांजिस्ट मार्गों का पता लगाना और उनका संवर्धन करना जिसमें ईरान के रास्ते केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों के साथ व्यापार भी शामिल है;

(11) द्विपक्षीय एयर ट्रैफिक करार सम्पन्न करना और सीधी उड़ान शुरू करना; एयर कार्गो ट्रैफिक को बढ़ाना;

(12) अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिनिधि कार्यालय खोलकर, द्विपक्षीय व्यापार संघों और संयुक्त व्यापार परिषदों की स्थापना, व्यापार शिष्ट मंडलों के आदान-प्रदान, तथा व्यापार मेलों में सहभागिता के जरिए व्यापारिक स्तर पर सीधे सम्पर्कों को प्रोत्साहित करना;

(13) सी.आई.एस. देशों को व्यापार विपणन, प्रबंधन, बैंकिंग तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करना।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लाभांश वारंटों का भेजा न जाना

1618. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लाभांश वारंट न दिए जाने से संबंधित धोखाधड़ी के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) क्या निवेशकर्ताओं को उनके लाभांश और यू.टी.आई. को इसके धन से वंचित करने के लिए यू.टी.आई. और डाक सेवाओं में कोई संगठित गिरोह कार्य कर रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लाभांश वारंटों तथा चैकों को धोखाधड़ी से भुनाने के 1600 से अधिक मामले, जिनमें 27 लाख रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी, पकड़ में आए हैं।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित अनेक संगठनों के लाभांश वारंटों को धोखे से भुनाने में लिप्त एक गिरोह का पुलिस द्वारा पता लगाया गया है। तथापि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि अब तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कर्मचारियों के इसमें शामिल होने का कोई मामला उसके ध्यान में नहीं आया है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं : 10,000 रुपए से अधिक के यूनिट के सर्टिफिकेटों तथा लाभांश वारंटों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजना, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए सभी चैकों को अपरक्राम्य बनाना, जिसके साथ-साथ वे केवल आदाता के खाते में देय होंगे और जब भी आपराधिक गतिविधि पाई जाए, तो उसके पंजीयक को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह देना।

[हिन्दी]

दालों का आयात व निर्यात

1619. **श्री रामपूजन पटेल :**
श्री रामप्रसाद सिंह :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री मोहन रावले :
डा. सुधीर राय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों की प्रति-व्यक्ति खपत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या इस समय स्वदेशी बाजार में दाल की मांग और पूर्ति में भी अन्तर है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दालों का कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया;

(ङ) क्या 1994-95 के दौरान दालों के निर्यात का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरकार ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सूखे मेवों का आयात

1620. **डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मेवे विशेषकर बादाम, किशमिश तथा अन्य प्रकार के मेवों का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है, और

(ख) विदेशी मुद्रा की बचत को दृष्टिगत रखते हुये देश में ही सूखे मेवे का उत्पादन करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान मेवों के आयात आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :

क्र॰ सं॰	वस्तु का नाम	1991-92		1992-93	
		मात्रा	मूल्य (लाख रु॰ में)	मात्रा	मूल्य (लाख रु॰ में)
1	2	3	4	5	6
1.	कच्चा काजू	106080 (मि.ट.)	26668	134985 (मि.ट.)	37633

1	2	3	4	5	6
2.	बादाम	9722978 (कि.ग्रा.)	3980	13340814 (कि.ग्रा.)	9505
3.	छिलका युक्त बादाम	1379783 (कि.ग्रा.)	757	1864304 (कि.ग्रा.)	2054
4.	छिलकायुक्त पहाड़ी बादाम	700 (कि.ग्रा.)	1	-	-
5.	पिस्ता	1018402 (कि.ग्रा.)	342	1634207 (कि.ग्रा.)	616
6.	अन्य	127579 (कि.ग्रा.)	30	33015 (कि.ग्रा.)	5
7.	खजूर नम खजूरों वे अलावा	8641297 (कि.ग्रा.)	228	4858758 (कि.ग्रा.)	131
8.	खजूर, नम	30022529 (कि.ग्रा.)	1568	20771723 (कि.ग्रा.)	756
9.	सूखे खजूर	54117676 (कि.ग्रा)	3123	23012023 (कि.ग्रा.)	3092
10.	किशमिश	4404888 (कि.ग्रा.)	1088	3922230 (कि.ग्रा.)	2004
11.	अन्य किशमिश	6215027 (कि.ग्रा.)	1544	1604535 (कि.ग्रा.)	479
12.	खूबानी	240804 (कि.ग्रा.)	58	157232 (कि.ग्रा.)	34
13.	मेवे	133278 (कि.ग्रा.)	39	96209 (कि.ग्रा.)	128
14.	अन्य मेवे	42027 (कि.ग्रा.)	9	69008 (कि.ग्रा.)	13

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. कलकत्ता

(ख) काजू को बागवानी फसल के रूप में उगाया जाता है और जहां तक उत्पादन से संबंधित क्रियाकलापों का संबंध है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। किंतु, कृषि मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 48 करोड़ रुपए के परिव्यय से देश में कच्चे काजू के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम बनाई है। देश में अंगूरों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही किशमिश का उत्पादन भी बढ़ रहा है।

[हिन्दी]

नोट प्रिंटिंग प्रेस

1621. **श्री आनन्द अहिरवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवास तथा नासिक स्थित नोट मुद्रणालय प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की अधिक मूल्यों वाली करेंसी नोट की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) देवास और नासिक में विद्यमान दो नोट प्रिंटिंग प्रेसें नए नोटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की केवल लगभग 36.55 प्रतिशत मांग को पूरा करने में समर्थ हैं।

(ख) और (ग) मांग और पूर्ति के अन्तराल को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपचार उपायों को शुरू किया गया है :

(1) दो नए नोटों प्रिंटिंग प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित की जा रही हैं-एक पश्चिम बंगाल के सालबोनी में और दूसरी कर्नाटक के मैसूर में प्रत्येक वार्षिक रूप से 4950 मिलियन अदद की उत्पादन क्षमता सहित स्थापित की जा रही हैं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के साथ सरकार देवास और नासिक में स्थित विद्यमान नोट प्रिंटिंग प्रेसों के आधुनिकीकरण/विस्तार पर विचार कर रही है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः निर्गमनीय नोटों की अधिकतम संख्या को उबारते हुए और उन्हें पुनः परिचालन में लाते हुए निर्गमनीय मैले नोटों को पुनः परिचालित किया है।

(4) सरकार घटाए गए आकारों में नोटों की नई श्रृंखला को लागू किए जाने पर विचार कर ही है, जिससे देवास और नासिक में स्थित नोट-प्रिंटिंग प्रेसों के विद्यमान उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों को सिक्कों में चरणबद्ध ढंग से ढाले जाने का निर्णय लिया है, जिससे उच्चतर मूल्य वर्ग के नोटों के मुद्रण के लिए अब तक प्रयुक्त क्षमता का उपयोग किया जा सके।

[अनुवाद]

ग्रामीण बैंक प्रणाली

1622. **डा. विश्वनाथन कैनिथी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी और ग्रामीण बैंक प्रणाली को कारगर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सहकारी बैंकों का ग्रामीण बैंकों में विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) सहकारी बैंक संस्थागत ऋण वितरण प्रणाली का एक भाग है, जिसमें सहकारी बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की ग्रीमण शाखायें समाविष्ट हैं। सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के परिचालन और कार्य पद्धति को युक्तियुक्त बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान कई कदम उठाये गये हैं और भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देशन के अतिरिक्त उक्त प्रणाली की कई प्रमुख समितियों द्वारा पुनरीक्षा की गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

असम में नशीली दवाओं की समस्या

1623. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में नशीली दवाओं की समस्या बढ़ रही है, और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार करने वाले कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा उक्त अवधि में कितनी नशीली दवाओं को जब्त किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) चूंकि स्वापकों की बिक्री और खपत एक गुप्त गतिविधि है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि असम मे यह समस्या बढ़ रही है अथवा नहीं। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान राज्य में पकड़े गए औषधों की मात्रा और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना निम्न प्रकार है :

औषध	1991	1992	1993
		(पकड़ी गई मात्रा कि.ग्रा. में)	
अफीम	2.390	5.185	1.556
हेरोइन	1.428	2.577	3.778
गांजा	5791	1822	8044
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.	132	223	117

[हिन्दी]

वायुदूत सेवा को बंद करना

1624. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायुदूत की सेवाएं बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां वायुदूत सेवाएं बंद किए जाने के कारण इस समय कोई विमान सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्थानों की आवश्यकता के लिए इंडियन एयरलाइंस को शीघ्र ही प्राप्त होने वाले चार ए-320 विमानों द्वारा पूरा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वायुदूत के अधिकांश स्टेशनों पर, ए-320 विमान के प्रचालन के लिए पर्याप्त आधारं संरचनात्मक सुविधाएं नहीं हैं।

[अनुवाद]

रबड़ बोर्ड का कार्यालय स्थापित करना

1625. **श्री जितेन्द्रनाथ दास :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में रबड़ बोर्ड का एक कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार का पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रबड़ का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल, जिसका कुछ भाग रबड़ उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया है, के उत्तरी जिलों में रबड़ की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रबड़ बोर्ड ने सिलिगुड़ी में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय पहले ही खोल रखा है। इन क्षेत्रों में रबड़ रोपण विकास कार्य अपने शुरुआती चरण में है। केवल कुछ रोपणकर्ता ही रबड़ उगाने के लिए आगे आए हैं। यहां किया जाने वाला कार्य ज्यादातर संवर्धनात्मक प्रकृति का है। इसलिए इस समय जलपाईगुड़ी में एक अन्य कार्यालय खोलना आवश्यक नहीं समझा गया है।

कर्नाटक में अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने हेतु विश्व बैंक से सहायता

1626. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता से द्वितीय स्तर के अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने तथा उनमें सुधार करने हेतु परियोजना को स्वीकृति दे दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) कर्नाटक में सैकेण्डरी स्तर के अस्पतालों के उन्नयन और सुधार के लिए कोई प्रस्ताव विश्व बैंक से सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि ऐसी एक परियोजना जर्मन सहायता हेतु प्रस्तुत की गई है और राज्य सरकार द्वारा जर्मन प्राधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है।

(ख) परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही परियोजना के आकार प्रमात्रा और सहायता की समयानुसूची के संबंध में ब्यौरे ज्ञात हो सकेंगे।

पर्यटन का विकास

1627. **श्री हरीशनारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने भारत में पर्यटन के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनेक देशों की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) भारत में पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न देशों से हाल ही में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिए गए;

(घ) इस समय विदेशी सहायता से निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) गोवा में पर्यटन के विकास के विशेष सन्दर्भ में अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए किए गए या किए जाने वाले विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में दिनांक 27 जनवरी से 6 फरवरी 1994 तक एक प्रतिनिधिमंडल निम्नलिखित देशों में गया :

(1) , संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.)

(2) ओमान

(3) बहरीन

(4) कतर

(5) कुवैत

(6) जोर्डन

कार्यक्रम "इंडिया इवनिंग" की प्रस्तुति भारतीय राजदूतावास, एअर इंडिया और पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई। लक्षित श्रोतागण में संबंधित देशों में यात्रा व्यवसाय के व्यक्ति अनिवासी भारतीय, स्थानीय राय निर्माता और सुविख्यात व्यक्ति और संबंधित देशों में अन्य प्रवासी भारतीय शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन, समाचार पत्र और रेडियो द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। इन देशों के यात्रा व्यवसाय व यात्रा करने वाले लोगों तथा भारतीय यात्रा व्यवसाय के मध्य घनिष्ठ परस्पर सहयोग पैदा करने का प्रयास किया गया। यह भी उद्देश्य था कि भारत के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जाए कि यह एक सुरक्षित और आकर्षक गंतव्य देश है। यह विशेष कार्यक्रम अयोध्या की घटना के दुष्परिणामों और देश के विभिन्न भागों में हुए बम विस्फोटों के कारण पर्यटकों के आगमन में आई भारी गिरावट की पृष्ठभूमि में किया गया था। यह यात्रा एक अभियान का भाग थी, जिसमें यूरोप के अन्य देशों, कामनवैल्थ आफ इंडिपेन्डेंट स्टेट्स (सी.आई.एस.), दक्षिण अफ्रीका सुदूर पूर्व देश आदि में भेजे गए अन्य प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल में यात्रा व्यवसाय और होटल उद्योग के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और पर्यटन और नागर विमानन विभागों के अधिकारी शामिल थे। और यह पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर, 1993 और जनवरी 1994 के महीनों में पर्यटकों के आगमन के मामले में कीर्तिमान स्थापित हुआ है। देशों के शासनाध्यक्षों सहित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी की गईं और विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिसमें नागर विमानन और पर्यटन से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। पर्यटन का संवर्धन करना पर्यटन विभाग का एक निरंतर कार्यकलाप है।

(ग) और (घ) सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अभिनिर्धारित बौद्ध यात्रा परिपथों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 9,244 बिलीयन जापानी येन की वित्तीय सहायता हेतु दिनांक 15 दिसंबर, 1988 को जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ.ई.सी.एफ.) के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण करार को 20 जनवरी, 1997 तक बढ़ाया गया है। इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं : राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों को सुदृढ़ करना/भूदृश्यांकन करना, जल, विद्युत और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करना और मार्गस्थ सुख सुविधाओं, और सुधार करना आदि की स्थापना करना।

सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में अजन्ता एलौरा क्षेत्र के संरक्षण और पर्यटन के विकास के लिए 3745 मिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता हेतु जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ दिनांक 9-1-92 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के प्रमुख घटक हैं : राज्यीय राजमार्गों को सुदृढ़ करना, औरंगाबाद हवाई अड्डे का स्तरोन्नयन करना, वनरोपण, जल, विद्युत और मल-निर्यात सुविधाओं की वृद्धि करना। यह ऋण करार 9 नवम्बर, 1996 को समाप्त हो जाएगा।

(ङ) पर्यटन विभाग राज्य सरकारों तथा यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों के सहयोग से देश में पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए सतत एवं संयुक्त प्रयास करता है। इनमें शामिल हैं : आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, पर्यटक सुविधाएं और सेवाएं बढ़ाना और प्रैस मीडिया, सम्मेलन, सेमिनार और श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से विदेशों में विपणन और प्रचार करना। पर्यटन विभाग ने रात्रि में गोवा हवाई अड्डे पर उड़ानों के उतरने और वहां से उड़ान भरने की व्यवस्था कराने के लिए विशेष प्रयास किए थे।

हड़तालें और तालाबंदी

1628. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के दौरान कितनी हड़तालें और तालाबंदी की घटनाएं हुईं और इसके परिणामस्वरूप कितने श्रम दिवसों की हानि हुई, और

(ख) समय पर कार्यवाही करने से कितने औद्योगिक विवादों का समाधान किया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1993 (जनवरी से नवंबर तक) के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में 1050 हड़तालें तथा तालाबंदी हुईं, जिससे 15.46 मिलियन श्रम दिवसों का ह्रास हुआ यह आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में किसी औद्योगिक विवाद या संभावित विवाद में समयपूर्व हस्तक्षेप करने का प्रावधान है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि संसाधन अधिकारी द्वारा किसी सुलह कार्यवाही प्रारंभ होने के 14 दिनों के भीतर अथवा समुचित सरकार द्वारा नियत इससे कम अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करना आवश्यक है। जनवरी-नवंबर, 1993 के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में सुलह, मध्यस्थता अथवा अन्य प्रकार से 3887 औद्योगिक विवादों को निपटाया गया। इस प्रकार केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र 807 संभावित हड़तालें तथा संभावित तालाबंदी के दो मामले टालने में सफल रहा।

पटसन रेशे का निर्यात

1629. **डा. असीम बाला : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में पटसन रेशे का निर्यात किया गया;

(ख) पटसन रेशों का निर्यात मूल्य कितना है, और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों को कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए पटसन फाईबर की मात्रा और मूल्य तथा इकाई मूल्य वसूली के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष (जुलाई-जून)	मात्रा (लाख गांठ)	एफ.ओ.बी. रु./करोड़	इकाई मूल्य वसूली (रु./टन)
1990-91	0.55	10.18	10283
1991-92	0.11	1.53	7727
1992-93	0.60	7.54	6981

(स्रोत्र : पटसन आयुक्त, कलकत्ता)

वर्ष 1990-91 के दौरान कच्चे पटसन का निर्यात मुख्यतः पूर्ववर्ती सोवियत संघ, रोमानिया, पोलैंड आदि जैसे पूर्व यूरोपीय देशों को किया गया। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान कच्चे पटसन के निर्यात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, रशिया आदि जैसे सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को किए गए।

बेशी उपलब्धता की स्थिति तथा कीमत स्थिरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः मध्यम तथा घटिया ग्रेड के कच्चे पटसन के निर्यात किए गए।

भारतीय संस्कृति पर पर्यटन का प्रभाव

1630. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति पर पर्यटन से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों और पर्यटन केन्द्रों में प्रायः किए जा रहे पर्यटन की संभावना के सर्वेक्षणों में पर्यटन के विकास से पड़ने वाले पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को सहायता

1631. **श्री सूरजभान सोलंकी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मध्य प्रदेश की विभिन्न स्वयंसेवी एर्जेसियों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत हुए और कितने आवेदनों को अस्वीकार किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राज्य में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मध्य प्रदेश के औद्योगिक एककों को और अधिक सीधी वित्तीय सहायता देने का निर्देश देने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मध्य प्रदेश में वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों से चार आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने तीन आवेदनों पर सहायता मंजूर कर दी है, लेकिन एक स्वैच्छिक एजेंसी को सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से सम्पर्क स्थापित करने के लिए कहा गया था, क्योंकि प्रस्तावित गतिविधि सिडबी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत थी।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को मंजूर की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	स्वीकृत सहायता (करोड़ रु.)
1990-91	315.5
1991-92	177.2
1992-93	221.6

(घ) और (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि किसी खास क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का निर्णय उद्यमी में निहित होता है, जिसका मार्गदर्शन आधारभूत सुविधा की उपलब्धता, राज्य सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहनों, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार से निकटता आदि द्वारा होता है। संस्थाओं द्वारा परियोजना के स्थान का मूल्यांकन परियोजना के लिए उसकी उपयुक्तता की दृष्टि से किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि वे सभी अर्थक्षम परियोजनाओं को सहायता प्रदान करें, चाहे वे कहीं भी क्यों न स्थित हों।

[अनुवाद]

रुई का शुल्क मुक्त आयात

1632. **श्री बापू हरि चौरे :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा बुनकरों को आसानी से रुई उपलब्ध कराने हेतु रुई के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) कपास और सूती यार्न की कीमत में असामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कताई मिलों द्वारा कपास की पांच लाख गांठों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी है, ताकि घरेलू बाजार स्थिति पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके तथा कपास की समग्र उपलब्धता में सुधार लाया जा सके।

[हिन्दी]

इजरायल को कोयले का निर्यात

1633. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत से कोयला निर्यात करने के लिए इजरायल से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इजरायल को कोयले की आपूर्ति करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इजरायल को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का कोयला निर्यात करने का विचार है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंक

1634. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 तक सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की कितनी शाखाएं थीं;

(ख) प्रत्येक बैंक में कितने कर्मचारी थे, और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1993 के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक बैंक को, बैंकवार कितनी शाखाएं खोलने के लिये लाइसेंस जारी किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) 31-12-93 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की शाखाओं की कुल संख्या 31-12-1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त प्रत्येक बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या और वर्ष 1993 के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक बैंक को शाखायें खोलने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंसों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बैंक का नाम	31-12-93 की स्थिति के अनुसार बैंक शाखाओं की संख्या	31-12-92 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या			1993 के दौरान जारी लाइसेंसों की संख्या
		अधिकारी	लिपिक	सब-स्टाफ	
1	2	3	4	5	6
भारतीय स्टेट बैंक	8679	59717	114893	51198	55
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	703	3316	7268	4090	20
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	722	3063	7382	3214	10
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	336	1498	3645	1547	3
स्टेट बैंक आफ मैसूर	519	2376	6080	1873	9
स्टेट बैंक आफ पटियाला	599	2540	6409	3484	24
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	344	1828	4067	2191	9
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	611	2863	6646	2267	6
इलाहाबाद बैंक	1820	6611	10305	5453	16
आन्ध्रा बैंक	959	5309	7563	3633	10
बैंक आफ बड़ौदा	2336	12676	21853	9424	48
बैंक आफ इंडिया	2358	11140	29620	12366	29
बैंक आफ महाराष्ट्र	1128	4082	9499	5159	8
केनरा बैंक	2072	12990	28860	10171	42
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3043	16811	22871	15152	22
कार्पोरेशन बैंक	449	2661	5080	1296	18
देना बैंक	1098	4195	8143	4196	7
इंडियन बैंक	1366	8601	12958	5565	33

1	2	3	4	5	6
इंडियन ओवरसीज बैंक	1312	7705	15567	5488	21
न्यू बैंक आफ इंडिया	-	3080	6405	2935	-
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	559	3570	5089	2603	35
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	682	4192	5562	3455	1
पंजाब नेशनल बैंक	3672*	15106	30386	14510	39**
सिंडिकेट बैंक	1558	9369	22000	7143	11
यूनाइटेड बैंक	1323	5746	11375	6993	7
यूनियन बैंक	1866	9777	14857	8186	26
यूको बैंक	1780	9271	17876	8493	5
विजया बैंक	752	3787	7223	2723	31
	42646	233880	449468	172564	545

* भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया की 60 प्रतिशत शाखायें शामिल हैं, जिसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है।

** भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया की 2 शाखाएं शामिल हैं, जिसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था।

विदेशी निवेशकर्ताओं के लिए बी.ओ.टी. योजनाएं

1635. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में आधारभूत उद्योग में शामिल विदेशी निवेशकर्ताओं के लिए निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (बॉट) योजनाओं के चयन पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो "बाट" प्रणाली के पक्ष में कोई निर्णय लिया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकार गुणावगुण के आधार पर तथा मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों की परिधि के भीतर ऐसे किसी प्रस्ताव के प्रति अनिच्छुक नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंक डकैतियां

1636. **श्री शिबू सोरेन :**
श्री साईमन मरान्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 के दौरान बैंक डकैती की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यवार राष्ट्रीयकृत बैंकों की उन विभिन्न शाखाओं का ब्यौरा दें, जहां पर पचास हजार रुपए से अधिक की डकैती हुई, और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) चूंकि वित्तीय वर्ष 1993-94 पूरा नहीं हुआ है, इसलिए 1993-94 के पूरे वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार 1-4-93 से 30-9-93 तक की अवधि के दौरान, बैंक लूटपाटों/डकैतियों के 47 मामले घटित हुए, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष अर्थात् 1-4-92 से 30-9-92 तक की तदनुरुप अवधि के दौरान बैंक लूटपाटों/डकैतियों के 36 मामले घटित हुए थे।

(ख) 1-4-93 से 30-9-93 तक की अवधि के दौरान घटित पचास हजार रुपए से अधिक की बैंक लूटपाटों/डकैतियों की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अंतर्ग्रस्त जोखिम घटक जैसे कि अवस्थिति, लेनदेन की जाने वाली नकदी, कानून और व्यवस्था की स्थिति के आधार पर बैंकों ने अपनी शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सशस्त्र गार्डों का प्रावधान करने, अलार्म प्रणालियां स्थापित करने आदि जैसे कई उपाय किए हैं। कर्मचारियों पुलिस और आम जनता को लूटपाटों/डकैतियों का मुकाबला करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते पुरस्कार देने की एक योजना भी चलाई जा रही है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (रु. लाख में)
1.	असम	1	22.58
2.	बिहार	12	29.68
3.	मेघालय	1	1.29
4.	उत्तर प्रदेश	5	22.01
	कुल	19	75.56

[हिन्दी]

अभ्रक की खानों के बंद होने के परिणामस्वरूप बेरोजगारी

1637. **श्री राम टहल चौधरी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अप्रैल, 1992 में 162 अभ्रक खानों के बंद हो जाने के कारण कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) उनमें से कितने मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया है, और

(ग) शेष मजदूरों को यथाशीघ्र वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा लाभांश का भुगतान

1638. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने बहुत दिनों के पश्चात् 1992-93 के लिए हाल ही में लाभांश की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के लम्बे अंतराल के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया ने पहले कभी लाभांश की घोषणा की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयर इंडिया भविष्य में लाभ अर्जित करता रहे और भविष्य में लाभांश की घोषणा करता रहे, कुछ उपाय करने का है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क), (ख), (ग) और (घ) पिछले दस वर्षों के दौरान एयर इंडिया द्वारा घोषित लाभांश के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	लाभांश की दर	(करोड़ रुपए)
1982-83	10 प्रतिशत	7.24
1989-90	10 प्रतिशत	7.44
1991-92	20 प्रतिशत	15.85
1992-93	20 प्रतिशत	15.89

(ङ) और (च) सरकार का यह प्रयास रहता है कि एयर इंडिया दक्ष और मुनाफा देने वाले उपक्रम के रूप में कार्य करता रहे।

केरल में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना करना

1639. **प्रो. पी.के. कुरियन :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.जी.आई.पी.) की स्थापना करने की कोई योजना सरकार की स्वीकृति के लिए प्रतीक्षारत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) केरल सरकार ने निर्यात संवर्धन औद्यौगिक पार्क योजना के तहत एर्णाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम में औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इंस योजना को वर्ष 1994-95 में क्रियान्वित करने का विचार है। ऐसे मामलों में गुण-अवगुण आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी ताकि अगले वित्तीय वर्ष में परियोजनाओं को शुरू किया जा सके। किन्तु, इस योजना में यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य सरकार को दूसरा पार्क स्थापित करने की स्वीकृति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक पहला पार्क स्थापित नहीं हो जाता और यह नहीं पाया जाता कि वह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण

1640. **श्री पी.पी. कालियापेरूमल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने विभेदक ब्याज दर (डी.आर.आई.) योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितना-कितना ऋण दिया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों में से डी.आर.आई. ऋणों का राज्यवार प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कुल ऋण का 1% डी.आर.आई. ऋण के रूप में देने का उद्देश्य प्राप्त किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) मार्च 1990, मार्च 1991 और मार्च 1992 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार विभेदी ब्याज दर योजना (डी.आर.आई.) के अंतर्गत सभी अनुसूचित भारतीय वाणिज्यिक बैंकों (राज्यवार) द्वारा

दिए गए बकाया अग्रिमों की राशि संलग्न विवरण में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1993 को समाप्त वर्ष से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों की तुलना में डी.आर.आई. अग्रिमों से संबंधित राज्यवार प्रतिशतता की सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 1991, 1992 और 1993 को समाप्त वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में कुल अग्रिमों की तुलना में डी.आर.आई. अग्रिमों की अखिल भारतीय प्रतिशतता नीचे दी गई है :

को समाप्त वर्ष	पिछले वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कुल ऋण की तुलना में डी.आर.आई. अग्रिमों की प्रतिशतता
मार्च 1991	0.68%
मार्च 1992	0.69%
मार्च 1993	0.63%

देश के लिए समग्र रूप से पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार बैंकों को अपने कुल ऋण की तुलना में डी.आर.आई. योजना के अंतर्गत 1 % के अग्रिमों का लक्ष्य प्राप्त करना अपेक्षित है। प्रत्येक राज्य या क्षेत्र के लिए अलग से लक्ष्य नहीं हैं।

(ग) बैंकों ने 1991 से 1993 तक के वर्षों के दौरान अपने निवल ऋण की तुलना में डी.आर.आई. योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए 1% के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि डी.आर.आई. योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकों की असफलता के मुख्य कारण ये हैं :

(i) डी.आर.आई. योजना की बजाय सरकारी सब्सिडी से जुड़े कार्यक्रमों को लक्ष्य समूह की वरीयता जिससे रियायती ब्याज दर ही प्राप्त होती है।

(ii) कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अतिदेय ऋणों की वसूली।

(iii) पात्र उधारकर्ताओं का पता लगाने में कठिनाई।

(ङ) सरकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ डी.आर.आई.योजना के कार्यान्वयन की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला परामर्शदात्री समिति और भारत सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जैसे विभिन्न मंचों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन बैठकों में बैंकों से डी.आर.आई. योजना के अंतर्गत अपने अग्रिमों में वृद्धि करने के लिए अधिक प्रयास करने के लिए कहा जाता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च 1990	मार्च 1991	मार्च 1992
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8603.35	7584.27	8208.76
2.	असम	743.11	615.79	574.49
3.	बिहार	4193.84	4194.34	3903.81
4.	गुजरात	4552.40	3397.37	3370.18
5.	हरियाणा	2389.94	1838.96	1578.91
6.	हिमाचल प्रदेश	1128.08	845.02	777.06
7.	जम्मू व कश्मीर	300.40	364.99	333.73
8.	कर्नाटक	8833.25	7646.57	6967.03
9.	केरल	3723.36	3513.46.	3280.02
10.	मध्य प्रदेश	3489.50	2743.46	2511.55
11.	महाराष्ट्र	4385.16	4190.11	3981.69
12.	मणिपुर	59.88	38.58	29.23
13.	मेघालय	93.35	91.71	99.17
14.	नागालैण्ड	37.83	40.86	34.07
15.	उड़ीसा	3382.97	2137.96	2093.81
16.	पंजाब	2340.55	2353.05	2330.11
17.	राजस्थान	2531.37	2181.70	2762.94
18.	सिक्किम	90.80	66.85	57.71
19.	तमिलनाडु	5627.32	5080.87	4487.62
20.	त्रिपुरा	218.31	179.01	162.79

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	7265.47	7791.00	15257.63
22.	पश्चिम बंगाल	4667.03	4189.43	4367.74
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.86	4.36	5.64
24.	अरुणाचल प्रदेश	18.25	8.05	9.6
25.	चण्डीगढ़	124.47	85.39	229.0
26.	दादरा और नागर हवेली	0.69	0.38	0.4
27.	गोवा	555.34	534.69	523.5
28.	मिजोरम	14.51	8.26	11.6
29.	पाण्डिचेरी	129.57	119.25	104.7
30.	लक्षद्वीप	2.45	2.05	.49
31.	दमन और दीव	169.09	181.06	.21
32.	दिल्ली	1221.62	1098.13	2509.46
	जोड़	70906.12	63126.98	70572.51

(स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक)

विमान परिवहन बोर्ड

1641. **प्रो. के.वी. थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या विमान परिवहन बोर्ड और क्षेत्रीय परामर्शदायी समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) हवाई परिवहन बोर्ड की स्थापना सरकार के विचाराधीन विभिन्न विकल्पों में से एक है।

चालू परियोजनाओं हेतु जर्मन सहायता

1642. **श्री के.एच. मुनियप्पा :**
श्री वी. कृष्णाराव :
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने हाल ही में देश में चल रही परियोजनाओं के लिए रियायत और ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इससे कौन-कौन सी परियोजनाएं लाभान्वित होंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच हुए एक समझौते के तहत, जर्मन संघीय गणराज्य ने भारत को 230.2 मिलियन ड्यूश मार्क का रियायती ऋण देने हेतु सहमति दी है। यह ऋण 0.75 प्रतिशत की ब्याज-दर पर उपलब्ध होगा और इसकी अदायगी 40 वर्ष की अवधि, जिसके साथ 10 वर्ष की रियायती अवधि भी है, में की जानी होगी।

(ग) इस ऋण से निम्नलिखित परियोजनाओं को लाभ होगा :

	परियोजना	राशि (मिलियन ड्यूश मार्क)	अभ्युक्तियां
(i)	नाबार्ड-VI	30.0	नई परियोजना
(ii)	वित्तीय क्षेत्र ढांचागत कार्यक्रम	60.0	नया कार्यक्रम
(iii)	उर्वरक-III	60.0	दूसरी ट्रांश की अनुपूरक
(iv)	राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण	27.3	चल रही परियोजना
(v)	एन.एल.सी.-I का विस्तार	37.7	चल रही परियोजना
(vi)	एस.आई.डी.बी.आई.-II	15.2	प्रथम ट्रांश की अनुपूरक
		230.02	

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

1643. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994 के दौरान अंशतः विनिवेश हेतु चुने हुये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची तैयार कर ली है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिवेश से अधिकतम संभव संसाधन प्राप्त हो सकें, कोई प्रक्रिया तैयार की है;

(ग) क्या सरकार ने इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समतुल्यता में निजी भागीदारी को सामान्यतः अथवा उपक्रमवार सीमित करने का निर्णय लिया है, और

(घ) क्या प्रवासी भारतीयों और विदेशी संस्थाओं के निवेशकर्ताओं को इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समतुल्यता में भागेदारी की अनुमति दी जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान नीति के तहत, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी में निजी भागीदारी, जिसमें सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और म्यूचुअल फण्डों द्वारा धारित शेयर शामिल हैं, 49 प्रतिशत तक सीमित है।

(घ) जब भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी की बिक्री हेतु नीलामी आयोजित की जाएगी, विदेशी संस्थागत निवेशक तथा अनिवासी भारतीयों सहित उन सभी को जिन्हें अनुमत सीमा तक भारतीय कंपनियों के शेयरों को खरीदने, बेचने और रखने की अनुमति है, नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

चीनी रेशम धागों की तस्करी

1644. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तस्करी द्वारा चीनी रेशम धागों के आने से देश में विशेष रूप से कर्नाटक में रेशम उद्योग के विकास एवं इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से भारत में तस्करी द्वारा रेशम धागों के लाने पर रोक लगाने के लिए कारगर उपाय करने हेतु अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने अग्रिम लाइसेंस देने की योजना का दुरुपयोग किये जाने और साथ ही बेईमान लोगों द्वारा तस्करी किये जाने के कारण रेशम उद्योगपतियों को पेश आ रही कठिनाइयों के बारे में अभिवेदन किया था। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों से देश में चीनी रेशम की तस्करी किये जाने का पता नहीं चलता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों में दंड देना, अग्रिम लाइसेंस देने की योजना के अन्तर्गत निर्यातित रेशमी टैक्सटाइल उत्पादों का निरीक्षण करना, अग्रिम लाइसेंस देने की

योजना के अन्तर्गत रेशम के आयात के लिए निविष्ट-उत्पादन संबंधी मानदंडों को संशोधित करना और रेशमी टैक्सटाइल उत्पादों के लिए मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना को समाप्त करना शामिल है।

इसके अलावा, तस्करी रोधी एजेन्सियां रेशमी धागों की तस्करी सहित तस्करों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहती हैं। तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम और उसका पता लगाने के कार्य में लगी सभी केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

ट्रेड यूनियन कानूनों में संशोधन

1645. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई आर्थिक नीति एवं उदार औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान ट्रेड यूनियन कानूनों में संशोधन लाने का है;

(ख) क्या सरकार को किसी औद्योगिक क्षेत्र/वित्तीय संस्थाओं से इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार कब तक अपने निर्णय की घोषणा करेगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) "नए औद्योगिक संबंध विधान" पर रामानुजम समिति की सिफारिशों तथा विभिन्न त्रिपक्षीय मंचों पर आयोजित विचार-विमर्श के आधार पर तथा औद्योगिक पुनर्संरचना संबंधी अन्तर मंत्रालयीन ग्रुप की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने के लिये विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इन प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई की जा रही है, और संसद के चालू बजट सत्र के दौरान इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आबिद हुसैन समिति

1646. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने हेतु गठित आबिद हुसैन समिति ने हथकरघा बुनकरों को सभी तरह की सहायता देने की सिफारिश की है तथा यह भी सुझाव दिया है कि यह निगमित अथवा निगम संबंधी सदस्यता पर आधारित नहीं होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने हेतु कोई अभ्यावेदन मिले हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह निर्णय लिया गया था कि हथकरघा क्षेत्र में सहकारी व्यवस्था को बढ़ाया जाए तथा साथ ही जब कभी भी व्यावहारिक रूप से संभव हो सहकारी व्यवस्था से बाहर के बुनकरों को भी हथकरघा बुनकरों को दी जाने वाली सहायता प्रदान की जाए। तदनुसार सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में इस समय क्रियान्वित की जा रही कुछ योजनाओं में संशोधन किए हैं। इस संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसका उपयुक्त उत्तर दे दिया गया है।

हवाई अड्डे निर्माण करने हेतु मारीशस सरकार को सहायता

1647. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मारीशस सरकार को हवाई अड्डे के निर्माण, प्रबन्धन और होटल-प्रबन्धन के क्षेत्र में सहयोग की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच यदि कोई समझौता हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) सरकार द्वारा ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु सहायता

1648. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उन परियोजनाओं/ऐतिहासिक स्थानों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए यह सहायता प्रदान कह गई है;

(ग) इनमें से उन स्थानों के नाम, जो मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं, और

(घ) केन्द्र सरकार के पास 1994-95 और 1995-96 के दौरान वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु लम्बित ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य में चार परियोजनाओं/स्कीमों के लिए 1992-93 में 39.07 लाख रुपए

स्वीकृत किए हैं। वर्ष 1993-94 में 9.35 लाख रुपए के दो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। मध्य प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रमांक	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
	1992-93	
1.	मांडु में पर्यटक कुटीरें	21.43
2.	उज्जैन में तीर्थ शैड और जन सुविधाएं	4.66
3.	गहुर महल, भोपाल की प्रकाश पुंज व्यवस्था	4.98
4.	मेले और उत्सव	8.00
	1993-94	
1.	प्रचार साहित्य का मुद्रण	6.50
2.	ओरछा के लिए टैंट	2.55

(ग) पर्यटन परियोनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकार को दी जाती है। उनके स्थानों का निर्धारण, परियोजनाएं प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) विभाग को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए परियोजना प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

एयर टैक्सी प्रचालकों द्वारा विमान को सुरक्षापूर्ण चलाने के लिए अनुदेश

1649. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने एयर टैक्सी चालकों को अपने विमानों को सुरक्षापूर्ण ढंग से चलाने के लिए कुछ अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में कौन से अन्य कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय, विमान के सुरक्षित प्रचालन के लिए, समय-समय पर नागर विमानन संबंधी अपेक्षाओं, विमान संरक्षा परिपत्रों आदि के रूप में अनुदेश जारी करता रहता है। हाल ही में जारी अनुदेश नीचे दिए गए हैं :

(i) एयरलाइन और हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा पट्टे पर लिए गए विदेशी विमानों का उड़न योग्यता और प्रचालनात्मक नियंत्रण।

(ii) विमान परिवहन सेवा प्रचालकों द्वारा आयात किए जाने वाले विमानों की अधिकतम अनुमत्य आयु और आवृत्तियां/उड़ान घंटे निर्धारित करना।

(iii) भार और ट्रिम शीट तैयार करने के लिए कर्मीदल और यात्रियों के मानक भार का प्रयोग करना।

(iv) विमान के उड़ान भरते समय और उतरते समय सही अधिकतम अनुमत्य भार का निर्धारण।

(v) वर्षाकाल और खराब, दृश्यता की स्थितियों में किए जाने वाले पूर्वोपाय।

(vi) फ्लाइट रिकार्डरों की निगरानी।

(ग) पहले से किए गए उपायों के अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय ने हाल ही में, 5700 कि॰ ग्रा॰ अथवा इससे अधिक के आल अप वेट और 30 सीट से ज्यादा यात्री क्षमता वाले सभी टरबाइन इंजन वाले विमानों में मोड-एस ट्रांसपोंडर लगाने के अनुदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

कृषि ऋणों की बकाया अतिदेय राशि

1650. **श्री प्रकाश वी॰ पाटील :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की कुल कितनी अतिदेय राशि राज्यवार बकाया है;

(ख) यह अतिदेय धनराशि कब से बकाया है;

(ग) इस अतिदेय राशि की अदायगी करने वाले दोषी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और

(घ) अतिदेय राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) से (ग) जून, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार अतिदेय रकमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अवधिवार ये ऋण एक वर्ष से कम समय से लेकर तीन वर्ष से अधिक अवधि से बकाया हैं। आंकड़ा सूचना प्रणाली से चूककर्ताओं की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती।

(घ) अतिदेय रकमों की वसूली के वास्ते कई उपाय किये गये हैं। इन उपायों में, कृषि ऋणों के संबंध में वसूली की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रयास

करना तथा ग्रामीण ऋणकर्ताओं के साथ फील्ड स्तरीय संपर्क कार्यक्रम भी शामिल हैं। वसूली संबंधी स्थिति पर बैंकों और विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों द्वारा निरंतर आधार पर नजर रखी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी वसूली संबंधी प्रयासों पर निरंतर आधार पर निगरानी रखता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रकम
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	82.41
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	119.39
3.	आन्ध्र प्रदेश	53161.04
4.	असम	3671.09
5.	बिहार	19761.92
6.	चण्डीगढ़	2603.63
7.	दिल्ली	1259.96
8.	दमन और दीव	30.44
9.	दादरा और नागर हवेली	60.50
10.	गुजरात	24055.57
11.	गोवा	1239.28
12.	हरियाणा	16496.48
13.	हिमाचल प्रदेश	1653.94
14.	जम्मू व कश्मीर	331.37
15.	कर्नाटक	48347.18
16.	केरल	13452.51
17.	लक्षद्वीप	9.25
18.	मणिपुर	266.34

1	2	3
19.	मेघालय	551.51
20.	मिजोरम	137.01
21.	मध्य प्रदेश	30097.72
22.	महाराष्ट्र	51061.37
23.	नागालैण्ड	1130.63
24.	उड़ीसा	11045.28
25.	पंजाब	27121.76
26.	पाण्डिचेरी	867.45
27.	राजस्थान	25363.33
28.	सिक्किम	144.59
29.	त्रिपुरा	237.06
30.	तमिलनाडु	42650.25
31.	उत्तर प्रदेश	36358.99
32.	पश्चिम बंगाल	13753.75

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मामलों का निपटान

1651. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री रामकृपाल यादव :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को 1992 और 1993 के दौरान अलग-अलग राज्यवार रुग्ण औद्योगिक एककों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, और

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने मामलों को अन्तिम रूप से निपटाया गया और ऐसे मामलों के संबंध में क्या सिफारिशें की गयीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा 1992-93 के दौरान राज्यवार दर्ज किए गए संदर्भों और 31-1-94 की स्थिति के अनुसार उनके निपटान की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य	पंजीकृत और आबंटित संदर्भों की संख्या		*सिका की धारा 18(4) के तहत मंजूर योजनाएं		सिका की धारा 17(2) के तहत अनुमोदित		रख-रखाव योग्य न होने के कारण खारिज		बन्द करने की सिफारिश	
		1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	19	4	0	2	0	6	7	3	1
2.	असम	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0
3.	बिहार	8	3	0	0	0	0	2	1	0	0
4.	गोवा दमन एवं दीव	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
5.	गुजरात	11	9	0	0	1	0	2	2	0	0
6	हरियाणा	3	4	1	0	0	0	1	2	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	3	4	0	0	0	1	2	2	0	0
8.	केरल	16	6	1	0	0	0	3	3	1	0
9.	कर्नाटक	13	11	1	0	1	1	1	2	2	1
10.	मध्य प्रदेश	7	10	0	0	0	0	1	1	1	0
11.	महाराष्ट्र	21	26	0	0	1	0	7	5	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	नागालैंड	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-
13.	उड़ीसा	5	4	0	0	0	0	2	1	0	0
14.	पांडिचेरी(बी)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
15.	पंजाब	1	7	0	0	0	0	1	3	0	0
16.	राजस्थान	6	8	0	0	0	0	2	6	0	0
17.	तमिलनाडु	6	12	1	0	2	1	0	6	0	0
18.	त्रिपुरा	1	-	0	-	0	-	1	-	0	-
19.	उत्तर प्रदेश	30	16	1	0	1	0	6	4	1	0
20.	पश्चिम बंगाल	17	6	1	0	0	0	2	3	0	0
21.	नई दिल्ली	-	2	-	0	-	0	-	0	-	0
22.	दादरा और नागर हवेली	-	1	-	0	-	0	-	1	-	0
		177	152	10	0	8	3	40	52	10	3

*सिका – रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1986

रसोई गैस पर सीमा शुल्क

1652. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस के आयात पर सीमा-शुल्क 85 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कितने राजस्व की हानि होगी, और

(ग) इस निर्णय से क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) रसोई गैस पर मूल सीमा शुल्क को दिनांक 12 जनवरी, 1994 की अधिसूचना सं. 3/94-सी. शु. द्वारा 85% से घटाकर कर

25% कर दिया गया था। वर्ष 1994-95 के बजट में, रसोई गैस पर मूल सीमा शुल्क को पहली मार्च, 1994 से और अधिक घटाकर 15% कर दिया गया है।

(ख) : रसोई गैस पर सीमा शुल्क को 85% से घटाकर 25% करने से आयात के मौजूदा स्तर पर एक पूरे वर्ष में 175 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) : रसोई गैस पर सीमा शुल्क में कमी करने से रसोई गैस की समानान्तर मार्किट को प्रोत्साहन मिलने और पोषक स्टाक के रूप में रसोई गैस पर निर्भर करने वाले पेट्रोल रसायन उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को खोलना

1653. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सातों राज्य व्यापार और पारगमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अपने-अपने क्षेत्र में खोलने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने इस विषय पर कोई स्थिति पत्र तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कुछ राज्य समय-समय पर सीमावर्ती व्यापार को शुरू करने की मांग करते रहे हैं और इस बारे में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय मंत्रालयी बैठकों में भी विचार-विमर्श किया गया है। भारत गणराज्य की सरकार तथा म्यांमार संघ की सरकार ने दोनों देशों के बीच एक सीमावर्ती व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सीमावर्ती व्यापार दोनों में से किसी भी देश में लागू कानून, विनियम तथा क्रियाविधि के अनुसार तथा नामित सीमाशुल्क चौकी के जरिए किया जाएगा। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग विशेष वस्तुओं में विनिमय प्रक्रिया सहित प्रचलित प्रथाएं जारी रखेंगे। यह व्यापार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में अथवा दोनों देशों द्वारा जिस मुद्रा के विषय में परस्पर सहमति हो जाए, उस मुद्रा में किया जाएगा।

(ग) से (ङ) उत्तर-पूर्वी परिषद ने इस मामले पर वस्तु स्थिति संबंधी कोई पत्र तैयार नहीं किया है।

इजरायल के साथ आर्थिक सहयोग

1654. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इजरायल से राजनयिक संबंध स्थापित हो जाने के बाद इस देश के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने तथा बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जनवरी, 1992 में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हो जाने के बाद जुलाई, 1992 में यह निर्णय लिया गया कि सामान्य रूप से अन्य देशों के साथ अंतः क्रिया के संबंध में लागू नियमनों के आधार पर इज़रायल के साथ व्यापार को सामान्य बनाया जाए। 17 मई, 1993 को भारत और इजरायल के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए 1 मई, 1993 में दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 24 दिसंबर, 1993 को दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

सापटा की घोषणा का लागू किया जाना

1655. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सार्क" सदस्यों ने इस क्षेत्र में और अधिक व्यापार और आर्थिक सहयोग करने के लिए दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार समझौते को कार्यान्वित करने में पाकिस्तान द्वारा सहयोग न किये जाने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या "सार्क" देशों के चेयरमैन ने अप्रैल 1993 में ढाका शिखर सम्मेलन में पारित घोषणा को लागू करने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) "सार्क" सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णयों को सदस्य देशों की संतुष्टि के अनुसार कार्यान्वित किये जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) ढाका में दिसंबर, 93 में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पाकिस्तान सहित सार्क के सभी सदस्य राष्ट्रों ने यथेष्ट आग्रह के साथ साप्टा के परिचालन की आवश्यकता तथा साप्टा के अंतर्गत टैरिफ रियायतों से संबंधित वार्ताओं को 1994 के पूर्वार्द्ध में पूरा करने पर बल दिया।

उत्पाद-दर-उत्पाद आधार पर टैरिफ अधिमानों की वार्ता के प्रथम चरण के रूप में निर्यात हित के उत्पादों की सूचियों तथा संबद्ध सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया अभी चल रही है। सरकार इस प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से भाग ले रही है।

[हिन्दी]

कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (आपिडा) का शाखा कार्यालय

1656. **श्री रामकृपाल यादव : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, आपिडा, की एक शाखा कार्यालय खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, आपीडा, का कलकत्ता में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह क्षेत्रीय कार्यालय बिहार सहित संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र का कार्य देखेगा।

[अनुवाद]

शहतूत की नयी किस्म

1657. **श्री वी॰ कृष्णा राव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती ८सन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली ने शहतूत की अधिक पैदावार देने वाली तथा सूखा-प्रवरण क्षेत्रों के लिये उपयुक्त किस्म का विकास किया है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सूखे में भी जीवित रहने वाली शहतूत की यह नयी किस्म कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उगाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारती दसन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई शहूतत की प्रजातियों का मूल्यांकन किया है तथा यह पाया है कि एस-13 तथा एस-34, जो कि सूखे की स्थिति में विकसित होने वाली किस्में हैं, तमिलनाडु में उसकी अच्छी फसल हो रही है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के "न्यूक्लियस फार्म" के अंतर्गत तथा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों के शहूतत के फार्मों में शहतूत की एस-13 तथा एस-34 किस्मों का बड़े-पैमाने पर बहु प्रजनन का कार्य शुरू किया है।

[हिन्दी]

जनता कपड़े की चोर बाजारी

1658. **श्रीमती कृष्णन्द्र कौर (दीपा)** :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री महेश कनोडिया :
श्री नवलकिशोर राय :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कपड़ा, जिसका उत्पादन गरीब जनता के लिए होता है, को काले बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके कारण करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में जनता कपड़े का वितरण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाता है। केन्द्र और राज्य सरकारों के प्राधिकारियों द्वारा जनता कपड़ा योजना के कार्यान्वयन की भौतिक जांच से ज्ञात हुआ है कि जनता कपड़े के वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं नहीं हुई हैं। तथापि जनता कपड़े की थोक बिक्री के कुछ मामले सरकार के नोटिस में आए हैं।

(ग) ऐसे कार्यान्वयन अभिकरणों को, जो इस मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए पाए गए, उन्हें उस उल्लंघन के लिए उसी अनुपात में राशि लौटाने का दंड दिया गया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर मार्गदर्शिका के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किया गया है ताकि उनके कार्यान्वयन में अनियमितताओं को रोका जा सके।

यात्री विमानों का निर्माण

1659. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन का विचार संयुक्त रूप से यात्री विमान का विनिर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विमान की क्षमता कितनी होगी;

(ग) इस विमान का विनिर्माण कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है, और

(घ) विमान के विनिर्माण की अनुमानित लागत कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कोरिया गणराज्य, चीन पीपल्स गणराज्य, सिंगापुर और भारत द्वारा संयुक्त रूप से एक मध्यम आकार के यात्री विमान के निर्माण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए दक्षिण कोरिया की मैसर्स देऊ हैवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, के साथ हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इसके निर्माण के संबंध में निर्णय व्यवहार्यता अध्ययन के पूरे होने के बाद ही लिया जायेगा।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए फिलहाल ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तंबाकू उत्पादकों का कल्याण

1660. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के तंबाकू उत्पादकों से उनके कल्याणार्थ कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से तम्बाकू उपजकर्ताओं का एक दल दिसंबर 1993 में नई दिल्ली आया और उसने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर अभ्यावेदन दिया :

1. भारतीय तम्बाकू खरीदने के लिए रूस को ऋण प्रदान करना।
2. किसानों को बेहतर कीमत दिलाने की दृष्टि से रूस तथा भारत के बीच तम्बाकू व्यापार के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत व्यवस्था पुनः शुरू करना।
3. विपणन मौसम शुरू होने के पूर्व निर्यात आर्डर सुनिश्चित करना।
4. उपजकर्ताओं के लिए फसल विनियमन तथा लाइसेंसिंग जारी करना।
5. फसल आकार में बड़ी कमी होने की दशा में सभी किसानों की फसल कटौती में एकरूपता।
6. यदि वैकल्पिक फसलें उगाई जानी हों, तो उस दशा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करना।
7. गारण्टीशुदा न्यूनतम कीमतों के लिए सांविधिक समर्थन प्रदान करना।
8. ऊंची पत्ती वाली तथा जुट्टी तम्बाकुओं को तम्बाकू बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाना।

(ग) इनके संबंध में स्थिति बिन्दुवार नीचे दी जा रही है :

1. भारत सरकार ने किसानों की मदद करने और किसानों के पास पड़े विशाल स्टाक के निपटान के उद्देश्य से वर्ष 1993 में रूस की 100 करोड़ रुपये की तदर्थ पेशगी प्रदान की, इसके आधार पर रूस ने अब तक केवल 70 करोड़ रुपये मूल्य के तम्बाकू का ही आयात किया है।
2. एफ.पी.टी. तम्बाकू के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) को तम्बाकू व्यापार के दीर्घावधि हित में व्यापार उदारीकरण के लिए उपाय के रूप में समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि विशेषकर रूस से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग से अधिक सप्लाई की वर्तमान हालत को देखते हुए तम्बाकू के लिए एम.ई.पी. को पुनः शुरू नहीं किया जाए।
3. जहां कहीं आयातक देशों के सरकारी संगठन भारतीय तम्बाकू के आयात में लगे हैं, वहां उन्हें विपणन मौसम में अपने आयात को जल्दी अन्तिम रूप देने के लिए कहा जा रहा है।

4. वर्ष 1993-94 मौसम के लिए जारी रहा।

5. अलग-अलग किस्म की भूमि में उगाई गई अलग-अलग किस्म की फसल की घरेलू तथा निर्यात मांगों में अन्तर है। ऐसा वांछनीय तथा व्यवहार्य नहीं है कि सभी क्षेत्रों के संबंध में फसल के आकार में एकरूपता हो।

6. बोर्ड अलग-अलग उपजकर्ताओं से प्राप्त विशेष अनुरोध के मामले में, बैंकों आदि से सम्पर्क करके, आवश्यक मदद करेगा।

7. सरकार पहले ही न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कर रही है, जिसे कानूनी समर्थन प्राप्त है। गारण्टीशुदा न्यूनतम कीमत अतिरिक्त सहायता के लिए व्यापारी वर्ग द्वारा दिए गए एक आश्वासन के रूप में है।

8. ये पहले से ही बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है।

कारखाना मजदूर

1661. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंटरनेशनल कमीशन फॉर आक्युपेशनल हेल्थ के प्रेजीडेंट द्वारा की गई टिप्पणियों की जानकारी है कि बैन्जीडिन, मैगनीज डस्ट और एस्बेस्टास फाइबर जैसे विषैले पदार्थ देश में कारखाना मजदूरों के स्वास्थ्य को धीरे-धीरे नष्ट कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) इंटरनेशनल कमीशन फार आक्युपेशनल हैल्थ के अध्यक्ष द्वारा की गयी कथित टिप्पणियों की सत्यता की जांच की जा रही है और इस संबंध में सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माण प्रक्रिया उद्योगों में व्यावसायिक स्वास्थ्य के तथ्यों को विनियमित करने के लिये व्यापक उपबंध विहित है। जोखिमाकारी प्रक्रिया वाले उद्योगों के संबंध में एकान्तिक कार्रवाई करने हेतु, वर्ष 1987 में इस अधिनियम में एक नया अध्याय (IV-क) शामिल किया गया है। एस्बेस्टस तथा मैंगनीज डस्ट और इसके यौगिकों सहित कतिपय रसायनों तथा विषैले पदार्थों के प्रभावन की अनुमेय सीमाएं निर्धारित की गयी हैं। इस अधिनियम में जोखिमाकारी प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मकारों के स्वाथ्स्य परीक्षण तथा उनके चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड के रख-रखाव का प्रावधान है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाए गए मॉडल नियमों के अंतर्गत बैन्जीडिन तथा इसके लवण को, उस अवस्था को छोड़कर जब इन्हें एक प्रतिशत तक कुल संकेन्द्रण में रसायन प्रक्रिया के वाई-प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत अथवा तैयार किया जाता है, "प्रतिषिद्ध पदार्थों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के पालन का दायित्व मूलतः कारखाने के अधिष्ठाता का है। संबंधित राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिष्ठाता द्वारा उक्त उपबंधों के अनुपालन

की समय-समय पर जांच करने और दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिये उत्तरदायी हैं।

पूर्व सोवियत संघ को ऋण अदायगी

1662. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व सोवियत-संघ द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस को ऋण-अदायगी के लिए सरकार को भारतीय उद्यमियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में भारतीय उद्यमियों से सम्पर्क करके कोई ठोस कार्यक्रम शुरू किया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) और (ख) जनवरी, 1993 में रूस के साथ निष्पन्न किये गये करार के अनुसार भारत भूतपूर्व सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ द्वारा प्रदत्त सरकारी ऋणों की वापसी अदायगी/मूल्य रुपयों में कर रहा है। मूलधन और ब्याज की वापसी अदायगी सहमत अनुसूची के अनुसार 45 वर्ष की अवधि में विस्तारित हैं। ये वापसी अदायगियां भारतीय रिजर्व बैंक में रूस के केन्द्रीय खाते में जमा की जाती हैं और रूसी पक्ष द्वारा हमारी निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत निर्यात के लिए अनुमत्य किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं।

(ग) से (ङ) निर्यातों को अंतिम रूप, रूसी वेंशकॉम बैंक (बी॰एफ॰ई॰ए॰) द्वारा ऋण वापसी-अदायगी के बदले में साख-पत्र खोलने के शर्ताधीन रूसी आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच सीधी व्यवसाय वार्ताओं द्वारा दिया जाता है।

कर जमा करने के कार्य में कम्प्यूटरों का प्रयोग

1663. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड दोनों के कार्यों को कम्प्यूटर से करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राजस्व के दोनों बोर्डों के कार्यों के लिए कम्प्यूटर सुव्यवस्थित और व्यापक रूप से लगाने का निश्चय किया है। सीमा शुल्क गृहों में कम्प्यूटर द्वारा कार्य 1986 में आरंभ किया गया था और इनमें से ज्यादातर गृहों में 1995 तक पूरा कम्प्यूटरीकरण हो जाएगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भी कम्प्यूटर द्वारा कार्य 1986 में आरंभ किया गया था और सभी समाहर्तालयों में वर्ष 1994 के अन्त तक कम्प्यूटर द्वारा कार्य होने की संभावना है। आयकर की तरफ भी कुछ कम्प्यूटीकरण आरंभ किया गया है और बड़े स्तर की कम्प्यूटर प्रणाली वर्ष 1994-95 के दौरान बड़े शहरों में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) कम्प्यूटर लगाना एक अनवरत प्रक्रिया है।

चमड़ा उत्पादकों को ऋण राहत

1664. **श्री अरविंद त्रिवेदी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उत्पादकों को ग्रामीण दस्तकार की श्रेणी में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत (ए.आर.डी.आर.) योजना, 1990 के अंतर्गत गुजरात में चमड़ा उत्पादकों को अलग-अलग कितनी ऋण राहत सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई, और

(ग) गुजरात सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी राशि का दावा किया गया है और वास्तव में अब तक कितनी राशि बांटी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों में 50000 से अनधिक की जनसंख्या वाले गांवों और छोटे कस्बों में स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और/या माननीय कौशल में लगे कारीगरों को (चाहे वे कहीं भी रहते हों) कारीगर के रूप में परिभाषित किया गया है। तदनुसार ही, चमड़ा उत्पादक कारीगरों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।

(ख) और (ग) भारतीय सरकार ने उन किसानों, भूमिहीन मजदूरों और कारीगरों को राहत प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, (ए.आर.डी.आर.), 1990 तैयार की थी, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी संचित देय राशियों का भुगतान करने में असमर्थ थे। राज्य सरकारों ने भी सहकारी बैंकों के ऋणकर्ताओं को ऋण राहत प्रदान करने के लिए इसी प्रकार की योजनायें तैयार की थीं। इस प्रकार की योजनाओं से होने वाली देयताओं के 50 प्रतिशत भाग का वहन करने के लिए भारत सरकार सहमत हो गई थी और बाकी भाग सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था। चूंकि योजना के तहत कुछ राज्य सरकारें अपनी शेयर की देनदारियों को पूरा करने में संसाधनों की कमी का अनुभव कर रही थीं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात से सहमति व्यक्त की थी कि राज्य सरकारों को नाबार्ड के मार्फत ऋण उपलब्ध कराए जाए। गुजरात में ए.आर.डी.आर. योजना के तहत कवर किए गए ग्रामीण कारीगरों, किसानों और अन्य हिताधिकारियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :

		एस.सी.बी.	एस.एल.डी.बी.	आर.आर.बी.(9)
1.	ग्रामीण कारीगर (चमड़ा उत्पादक सहित)	9533	5	10850
2.	किसान (कृषक)	655750	114441	20384
3.	अन्य हिताधिकारी	55140	3592	4590
		720423	116038	45824

गुजरात में सहकारी बैंकों द्वारा दर्ज दावों के ब्यौरे और योजना के तहत अब तक नाबार्ड द्वारा जारी राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

		गुजरात एस.सी.बी.	गुजरात एस.एल.डी.बी.	आर.आर.बी.(9)
I.	दर्ज दावे	302.634	48.902	8.571
II.	नाबार्ड द्वारा मंजूर राशि			
	(क) अनुदान	127.737	20.824	6.681
	(ख) ऋण	127.737	20.824	-
	(ग) योग	255.474	41.648	6.681

राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम का निजीकरण

1665. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम के निजीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम का निजीकरण करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

सोने के बिस्कुट जब्त करना

1666. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई सीमाशुल्क अधिकारियों ने आबूधाबी-दुबई-मुम्बई उड़ान ए.आई.-700 की उड़ान वाले एयर इंडिया विमान को हाल ही में जब्त कर लिया था तथा उससे लाखों रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट बरामद हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है, और

(ङ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 17 जनवरी, 1994 की एयर इंडिया विमान उड़ान सं. ए.आई.-700 से 62,23,510,80 रुपये मूल्य के 13,298.1 ग्राम वजन के सोने के बिस्कुट बरामद किये गये थे और उन्हें जब्त कर लिया गया था। तथापि, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा विमान को जब्त नहीं किया गया था।

(ग) से (ङ) इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर तस्करीरोधी गतिविधिकों में तेजी लाई गयी है। संवेदनशील विमानपत्तनों से आने वाली उड़ानों की तलाशी ली जाती है। तस्करी की रोकथाम के लिए किये गये उपायों में सभी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना, आसूचना एकत्र करने के कार्य में तेजी लाना, असबाब एक्स-रे मशीनों और धातुखोजी यंत्रों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों की सहायता से संवेदनशील उड़ानों से आने वाले यात्रियों के असबाब की जांच करना और तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखना शामिल है।

[हिन्दी]

विदेशी बैंक खाते

1667. **डा. परशुराम गंगवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के लोगों के विदेशी बैंक खातों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा सर्वेक्षण करना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकतर विदेशी बैंक खाते गुप्त रूप से रखे जाते हैं और बैंकिंग गोपनीयता कानून के कारण विदेशी बैंक विवरण नहीं बताते।

भेड़ ऊन विकास परियोजना

1668. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से भेड़ ऊन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और इसके अन्तर्गत किन-किन कार्यो को शुरू किया जायेगा, और

(घ) इस परियोजना पर अब तक कितना खर्च किया गया है और क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

भविष्य निधि की देय राशि

1669. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त/छंटनी किये गये कर्मचारियों की भविष्य निधि की 100 करोड़ रुपयों से अधिक की देयराशि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा वितरित नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस धनराशि को वितरित करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) त्यागपत्र, सेवा निवृत्ति इत्यादि के तीन वर्ष पश्चात अंशदाताओं द्वारा दावा न किए जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संचयनों को "बिना दावा जमा खाता" शीर्ष में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार इस शीर्ष खाते में 72.80 करोड़ रुपये की राशि जमा थी।

(ग) और (घ) संबंधित अंशदाताओं से जब भी दावे प्राप्त होते हैं तो उस राशि को "बिना दावा जमा खाता" के नामे खाते डालकर कर्मचारी भविष्य निधि संचयनों को अद्यतन ब्याज सहित अदा किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों और स्थानीय व्यवसाय संघों से भी सहयोग की अपेक्षा करता है कि वे संबंधित सदस्यों को अपने भविष्य निधि दावे प्रस्तुत करने की सलाह दें।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विमानपत्तन

1670. **श्री राम बदन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न विमानपत्तनों से वर्षवार कितनी आय हुई, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक विमानपत्तन पर वर्षवार कितना व्यय हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अपने हवाई अड्डों से अर्जित आय और किये गये खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपयों में)

	1990-91		1991-92		1992-93	
	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
आगरा (सिविल एंक्लेव)	10.28	27.19	12.95	27.79	12.39	27.51
देहरादून	0.39	4.09	0.84	4.13	2.90	4.46
कानपुर	2.67	17.69	2.57	18.19	1.10	18.84
लखनऊ	49.52	138.28	44.60	142.86	54.35	164.72
पंत नगर	0.97	6.97	0.66	7.08	0.40	7.48
वाराणसी	35.02	111.25	58.01	120.46	69.25	130.55
गोरखपुर	0.31	0.26	0.67	0.28	0.18	0.29

[अनुवाद]

नई वस्त्र नीति

1671. **श्री तारा सिंह :**
श्री ताराचंद खंडेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में हुई टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गेट) वार्ता को ध्यान में रखते हुए 1985 की वस्त्र नीति में संशोधन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में हाल ही में संसद सदस्यों के विचार मांगे हैं, और

(घ) नई वस्त्र नीति की घोषणा तथा उसका कार्यान्वयन कब तक किया जायेगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

साधारण बीमा निगम

1672. **श्रीमती वसुंधरा राजे :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम के कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनमें से कुछ कार्यालय अर्थक्षम नहीं हैं, और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यालयों को अर्थक्षम बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) भारतीय साधारण बीमा निगम का बंबई में केवल एक कार्यालय है और दिल्ली में एक सम्पर्क कार्यालय है। तथापि, भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों के 31-03-1993 की स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर 3,151 शाखा कार्यालय और 1124 मंडल कार्यालय हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। इन अन-अर्थक्षम कार्यालयों को कम्पनी के अन्य कार्यालयों के साथ विलय के माध्यम से अथवा ऐसे स्थानों पर, जहां एक कम्पनी के एक से अधिक अन-अर्थक्षम कार्यालय हैं, अन्तर-कम्पनी विलयन के माध्यम से पुनर्गठित किए जाने की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है।

विमानों का अपहरण

1673. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1993 तथा 10 फरवरी, 1994 की अवधि के दौरान विमानों के अपहरण की कुछ घटनाएं घटी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में अपहरण के कारण क्या हैं;

(घ) कितने यात्री, विमानकर्मी और अपहरणकर्ता मारे गये, तथा कितने घायल हुए और प्रत्येक पीड़ित को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) अपहरण की ऐसी घटनाओं को रोकने तथा यात्रियों और विमान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) किन्हीं श्री एम. अनंथ कुमार द्वारा 13-1-1994 को इंडियन एयरलाइंस की आई.सी.-995 उड़ान (मद्रास-कालीकट) के अपहरण का असफल प्रयास किया गया था। उसने अपने कमरबन्द के नीचे एक प्लास्टिक बम होने का ढोंग रचाया जो एक झूठ साबित हुआ और उसने बंगलौर हवाई अड्डे पर शांतिपूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया।

(ग) (1) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डा. अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्नामित करना।

(2) गैट समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

(3) देश में तम्बाकू की खेती पर रोक लगाई जानी चाहिए।

(4) पूरे देश में शराब पर रोक लगाई जानी चाहिए।

(घ) कोई भी यात्री, कर्मीदल का सदस्य या अपहरणकर्त्ता घायल या मरा नहीं।

(ङ) अपहरण-विरोधी और तोड़-फोड़ विरोधी उपायों को मजबूत करने के लिए पहले जारी किए गए अनुदेशों और मार्गदर्शी सिद्धांत कड़ाई से लागू करने हेतु पुनः दोहराए गए हैं।

जापानी सहयोग

1674. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री सत्य देव सिंह :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने विकास कार्य के लिए भारत को 3230 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की पेशकश की है;

(ख) क्या चालू वर्ष में जापान, भारत को ऋण देने वाला सबसे बड़ा देश रहा है;

(ग) यदि हां, तो किस अवधि के लिए उपरोक्त ऋण प्रस्तावित है, और

(घ) ऋण के ब्याज की दर और इसके पुनर्भुगतान की विधि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह ऋण जापान सरकार द्वारा दो से सात वर्ष तक की अवधि के लिए छह परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा।

(घ) ऋण के लिए जापान सरकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज-दर 2.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी और पुनः अदायगी जापानी येन में की जाएगी।

[हिन्दी]

तम्बाकू का निर्यात

1675. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान तम्बाकू के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा तम्बाकू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गये उपायों में निम्नलिखित शामिल है :

1. निर्यातकों को सलाह दी गई कि वे निम्नलिखित उपायों द्वारा महत्वपूर्ण बाजारों में जोरदार विपणन कार्य शुरू करें :

    (i) स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल (सी.आई.एस.) देशों, सिंगापुर और अन्य स्थानों में निर्यात संवर्धन कार्यालय स्थापित करना;

(ii) तम्बाकू और सिगरेटों के स्टाक और बिक्री के लिए सी.आई.एस. गणराज्यों में गोदाम स्थापित करना;

(iii) सी.आई.एस. देशों को वस्तु-विनिमय/प्रति व्यापार के आधार पर तम्बाकू का निर्यात करना।

(iv) सिगरेट उत्पादन के लिए सी.आई.एस. गणराज्यों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना, जिससे इन गणराज्यों को भारतीय तम्बाकू के निर्यात में सहायता मिलेगी।

2. एफ.सी.वी. तम्बाकू और उत्पादों के लिए अभिज्ञात बाजारों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना।

3. अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना।

4. विदेश स्थित बाजारों में प्रचार।

5. भारतीय तम्बाकू एवं उत्पादों के आयात के लिए संयुक्त समिति की बैठकों के जरिए सरकारों के साथ बातचीत करना।

6. सिगरेटों और तम्बाकू-कतरन के निर्यात के लिए निर्यातोन्मुख एककों को बढ़ावा देना।

7. उत्पाद विकास के लिए सिगरेट विनिर्माताओं को विभिन्न मदों के आयात की अनुमति देना।

8. भारतीय पैकेजिंग संस्थान की सहायता से बीड़ी, हुक्का तम्बाकू, पेस्ट जैसे उत्पादों के लिए पैकेजिंग विकास कार्य करना।

[अनुवाद]

निपटान आयोग आयकर तथा सम्पत्ति कर नयी दिल्ली के समक्ष लंबित पड़े आवेदन पत्र

1676. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में निपटान आयोग (आयकर तथा सम्पत्ति कर) की मुख्य पीठ में दाखिल करने हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) इन आवेदन पत्रों को इतनी अधिक अवधि तक लंबित रखने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा आयोग में आवेदन पत्रों का निपटान शीघ्र करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 388 आवेदन।

(ख) गत वर्षों के बहुत से बकाया मामले।

(ग) आयोग के कार्यों की गहन मानीटरिंग, एक सदस्य के अस्थाई रूप से स्थानान्तरण द्वारा मुख्य पीठ को सुदृढ़ बनाना, आयोग द्वारा निश्चित अभियान आरम्भ करना आदि।

[हिन्दी]

बिहार में बेरोजगार

1677. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बिहार में इंजीनियरिंग में डिग्री, डिप्लोमा और आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र धारक बेरोजगारों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : अनुप्रयुक्त श्रम शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 1991 में बिहार में अभियान्त्रिकी में उपाधि व डिप्लोमाधारी बेरोजगारों की कुल संख्या क्रमशः 1049 और 2034 थी। आई.टी.आई. प्रमाण पत्र धारकों के लिए ऐसे अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन 31 दिसम्बर 1991 तक, बिहार में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र धारकों की कुल संख्या, जिनमें आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, 93.7 हजार थी।

कर ढांचे में सुधार लाना

1678. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर-दर कम करने तथा सरल कर प्रक्रिया लागू करने के लिए कर ढांचे में सुधार लाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कर ढांचे में सुधार लाने के लिए कर अनुसंधान ब्यूरो स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कर संरचना में सुधार करना एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कर की दरों को युक्तिपूर्ण बनाना और कर प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है। वित्त विधेयक, 1994 में सिविल संविदाकारों और ट्रक मालिकों के लिए अनुमानित आय पद्धति को आरंभ करके कर दरों में कटौती और कर प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रस्ताव निहित हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। चेलेय्या समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में विशेषज्ञों के एक कर अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की है, जो कर नीति संबंधी समस्याओं पर अनुसंधान करेगा। इस सिफारिश की सरकार जांच कर रही है।

[अनुवाद]

आपदा में एयरलाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता

1679. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाइनों का ध्यान प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं में देश की सहायता करने की आवश्यकता के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी संसदीय समिति के अपने दूसरे प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एयर लाइनों द्वारा क्या आश्वासन दिए गए हैं;

(ग) क्या हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिलों में आए भूकंप के दौरान किसी एयरलाइन द्वारा भूंकप पीड़ितों को राहत और सहायता प्रदान की गई थी, और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कैरियर तथा उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं तथा इसके कार्यों के लिए आयोजित उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) संसदीय परिवहन और पर्यटन समिति (1993-94) की दूसरी रिपोर्ट में कोई ऐसी विशिष्ट सिफारिश नहीं की गयी है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के अन्य बातों के साथ-साथ, पीड़ितों की सहायता के लिए, अपनी सेवाओं पर राहत सामग्री निःशुल्क वहन करने के प्रबंध किये थे।

[हिन्दी]

रुग्ण राज्य वित्त निगम

1680. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण राज्य वित्त निगमों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने उनकी रुग्णता दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) रुग्ण और स्वस्थ निगमों के तौर पर राज्य वित्तीय निगमों का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता। फिर भी, कुछ ऐसे निगम हैं जो कमजोर होने के चिह्न दर्शाते हैं। राज्य वित्तीय निगमों के स्वास्थ्य कोड वर्गीकरण और 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिए उनकी पूंजी पर्याप्तता अनुपात के आधार पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सात राज्य वित्तीय निगमों को श्रेणी "घ" में वर्गीकृत किया है। इनकी मानक परिसंपत्तियां 60 प्रतिशत से कम थीं, और पूंजी पर्याप्तता 4 प्रतिशत से कम थी। उपर्युक्त के अतिरिक्त तीन राज्य वित्तीय निगमों को श्रेणी "ग" में वर्गीकृत किया गया है। इनकी मानक परिसंपत्ति 60 प्रतिशत से कम थी लेकिन पूंजी पर्याप्तता 4 प्रतिशत से अधिक थी। एक राज्य वित्तीय निगम को श्रेणी "ख" में वर्गीकृत किया गया था जहां मानक परिसंपत्तियां लगभग 60 प्रतिशत थीं और पूंजी पर्याप्तता 4 प्रतिशत से कम थी।

(ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ राज्य वित्तीय निगमों के वित्तीय स्वास्थ्य में गिरावट आई है। यह गिरावट बाहरी निधियों पर अत्यधिक निर्भरता, अतिदेय राशियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति,

कम वसूलियों से निधियों की लागत बढ़ने के कारण मार्जिन कम होने, पूंजी पर्याप्तता का ह्रास होने, परियोजना मूल्यांकन में कमी और कारबार के और अधिक लाभप्रद/नए क्षेत्रों को अपनाने में कमी सहित कई कारणों से आई है।

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और एस.एफ.सी. तथा एस आई.डी.सी. के मुख्य कार्यपालकों की केन्द्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 अगस्त, 1993 को एक बैठक हुई थी। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की समीक्षा करने के लिए सरकार ने भी आई.डी.बी.आई. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

[अनुवाद]

प्रायोगिक रेशम कीटपालन परियोजनाएं

1681. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री प्रेमचद राम :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्यवार किन-किन जिलों में प्रायोगिक रेशम कीट पालन परियोजना चलाई जा रही है;

(ख) क्या इस परियोजना के अंतर्गत और अधिक जिलों को शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौर क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड निम्नलिखित जिलों प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित कर रहा है :

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	उड़ीसा	कोरापूत
2.	उत्तर प्रदेश	देहरादून, हरिद्वार तथा सहारनपुर
3.	असम	जोहाट तथा सिरबसागर
4.	महाराष्ट्र	अकोला तथा बूलदाना
5.	केरल	इडूकी तथा पालघजाट
6.	मध्य प्रदेश	बस्तर

1	2	3
7.	बिहार	पूर्णिया, किशनगंज तथा अररिया
8.	राजस्थान	उदयपुर तथा बानश्वर
9.	गुजरात	सूरत तथा वलसद
10.	पंजाब	होशियारपुर
11.	हरियाणा	अम्बाला
12.	हिमाचल प्रदेश	सोलन

(ख) उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत और अधिक जिलों को शामिल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

1682. **डा. साक्षीजी :**
श्री सूर्यनारायण यादव :
श्री वी. कृष्णा राव :
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री के.एच. मुनियप्पा :
डा. लाल बहादुर रावल :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1994 से मंहगाई भत्ते की एक और किश्त देय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) मंहगाई भत्ते की यह किश्त कब तक जारी कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मंजूर करने संबंधी मौजूदा फार्मूले के अनुसार मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें, औद्योगिक कामगारों (सामान्य) (1960-

100) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में 608 के आधार सूचकांक, जिसके साथ 1-1-86 से लागू मौजूदा वेतनमान संबद्ध हैं, ये ऊपर प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई से देय हो जाती हैं। पहली जनवरी को देय मंहगाई भत्ते की किस्त सामान्यतया मार्च महीने के वेतन के साथ भुगतान योग्य हो जाती है जो अप्रैल में दिया जाता है।

इस्पात के घटिया पाइपों का निर्यात

1683. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इस समय कुल कितनी धनराशि के इस्पात के पाइपों का निर्यात कर रहा है;

(ख) क्या भारत को घटिया किस्म के इस्पात के पाइपों के कारण अधिकांश देशों से क्रयादेश प्राप्त नहीं हो रहे हैं और इनका निर्यात मुख्यतः खाड़ी के देशों तक ही सीमित हो गया है;

(ग) क्या सरकार को घटिया किस्म के इस्पात पाइपों के निर्यात के बारे में विदेशों से शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं, और

(छ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान निर्यात किए गये इस्पात के पाइपों का कुल मूल्य क्रमशः 78.19 करोड़ रु. और 67.35 करोड़ रुपए था।

(ख) हालांकि भारत से इस उत्पाद के निर्यात के लिए प्रमुख बाजार खाड़ी के देश हैं, किंतु इस्पात के पाइप कई अन्य देशों जैसे चीन, ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, आदि को भी निर्यात किए जा रहे हैं।

(ग) हाल में घटिया क्वालिटी के इस्पात के पाइप सप्लाई करने के सम्बंध में कोई शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार मेले

1684. **डा. महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्षभर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मेलों के आयोजन पर वर्षवार कितना खर्च किया गया और इनसे कितनी आय हुई;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संगठन द्वारा प्रगति मैदान में निर्मित स्थायी इमारतों पर जनवरी, 1994 तक कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या वहां अनेक व्यापारिक संगठन स्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं, और

(ङ) यदि हां तो ऐसे कितने संगठन कार्य कर रहे हैं और उनसे कितनी वार्षिक आय होती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आई.टी.पी.ओ. द्वारा मेले आयोजित करने से अर्जित की गई कुल आय तथा इन मेलों में आयोजन पर हुआ कुल खर्च निम्नानुसार है :

वर्ष	आय	व्यय (लाख रु. में)
1990-91	716.98	210.94
1991-92	925.77	188.11
1992-93	1189.40	277.43

(ग) प्रगति मैदान में स्थायी ढांचों पर जनवरी, 1994 तक भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा करीब 1756 लाख रु. खर्च किए गए।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशियों की वृद्धि दर

1685. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशियों की वृद्धि दर में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) वृद्धि दर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 4 फरवरी, 1994 (नवीनतम उपलब्ध) तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशि की वृद्धि दर 14.8 प्र. थी जबकि 1992-93 की पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में यह 14.8 प्र. थी। इस प्रकार वृद्धि वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक वृद्धि दर लगभग वही रही, जो पिछले वर्ष थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुये ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों की ब्याज दर

1686. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अन्तर्गत ब्याज दर ढांचे में परिवर्तन की घोषणा की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों पर अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दरों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वांछनीय कीमत-लागत अन्तर के आधार पर हाल के महीनों (अमरीकी डालरों में जमाराशियों के अपवाद सहित) में सामान्यतया ब्याज दरें कम की गई हैं। दिनांक 4 फरवरी, 1994 से प्रभावी ब्याज दरें निम्नानुसार हैं :-

परिपक्वता	पौंड स्टर्लिंग	अमरीकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
6 महीने	6.25	4.25	6.75	2.75
1 वर्ष	6.25	4.50	6.25	2.75
2 वर्ष	6.25	5.00	5.75	3.00
3 वर्ष	6.75	5.50	5.75	3.25

पांचवां वेतन आयोग

1687. **श्री सूर्य नारायण यादव :**
श्री वी. कृष्ण राव :
श्री जीवन शर्मा :
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री ए. जयमोहन :
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री रामनिहोर राय :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री आर. जीवरत्नम :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचरियों के वेतन ढांचे की जांच करने के लिये पांचवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संरचना और निदेश पद क्या हैं;

(ग) इस आयोग द्वारा अपना कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है, और

(घ) सरकार द्वारा वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का विलय करने और सरकारी कर्मचारियों के लिये स्थायी वेतन बोर्ड का गठन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार ने पांचवें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय किया है। इसकी रचना तथा विचारार्थ विषयों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का विलय

1688. **श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री शरत पटनायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का विलय करके एक ही संयुक्त बैंक बनाने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय यह बता पाना संभव नहीं होगा कि इस मामले में कब तक निर्णय लिया जा सकेगा।

व्यापार सुधार

1689. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :**
श्री शरत पटनायक :
श्री जार्ज फर्नांडीज :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नये व्यापार सुधार लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या निर्यात-आयात नीति में भी कुछ संशोधन किये जाने पर विचार किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) चालू निर्यात एवं आयात नीति पांच वर्षों की अवधि अर्थात् मार्च, 1997 तक के लिए वैध है। नीति की पुनरीक्षा एक सतत एवं चलती रहने वाली प्रक्रिया है और जब भी जनहित में आवश्यक समझा जाता है, इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण

1690. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विशेष रूप से गुजरात में नये ऋण देने तथा बकाया ऋणों की वसूली में कमी आयी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान जारी किये गये ऋणों में आमतौर पर वृद्धि दर्ज की गयी है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से प्रतीत होता है। वर्ष 1991-92 म हुई कमी को छोड़कर, वसूलियों के मामले में भी वृद्धि हुई है। मांग की तुलना में वसूली के प्रतिशत के अनुसार, वर्ष 1990-91 में प्राप्त किया गया लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(रकम करोड़ रुपये में)

	जारी किये किये ऋण	वसूल किये गये ऋण	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1990-91	24.39	26.57	61.74
1991-92	31.11	22.49	49.54
1992-93*	33.77	35.95	56.94

*आंकड़े अनन्तिम

खराब वसूली के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, ऋण के अंतिम उपयोग पर अपर्याप्त निरागनी, ऋण माफी जिससे वसूली संबंधी स्थिति दूषित हो जाती है, वसूली की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों में स्थानीय प्रशासन का अपर्याप्त सहयोग तथा जानबूझ कर चूक करना आदि।

(ग) उनकी अर्थक्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से, दिसंबर 1993 में उपायों का एक पैकेज घोषित किया गया था। इन उपायों में गैर-लक्ष्यगत समूह वित्तपोषण को 40 प्र. से बढ़ाकर 60 प्र. करना, गैर-निधि पर आधारित कारोबार में वृद्धि, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र संबंधी बाध्यताओं से मुक्त करना जिनका वर्ष 1992-93 में संवितरण 2 करोड़ रुपये से कम था और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुक/जिला मुख्यालयों, कृषि उपज केन्द्रों आदि जैसे स्थानों में पुनः स्थापित करने की अनुमति देना और उन संस्थाओं के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलना, जिनके लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख बैंकर हैं, आदि उपाय शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपाजिट लाकर लगाने की भी अनुमति दी गयी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अर्थक्षम बनाने के प्रश्न पर, वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी जिक्र किया गया है।

भारत में ब्रिटेन द्वारा निवेश

1691. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने सितंबर में ब्रिटेन के अपने दौरे के दौरान ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्सचैकर और ब्रिटेन की कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों, जो भारत में निवेश का पता लगाने के लिए भारत-ब्रिटेन भागेदारी (आई.बी.पी.आई.) में भाग ले रहे थे, के साथ बातचीत की थी, और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटिश पक्ष ने भारत की आर्थिक सुधारों संबंधी नीतियों के प्रति अपना समर्थन दोहराया और अर्थ व्यवस्था को उदार बनाने में की गई प्रगति पर अपनी सराहना व्यक्त की। वित्त मंत्री ने ब्रिटिश कंपनियों द्वारा उठाए गए भारत में निवेश संबंधी माहौल से जुड़े कई विषयों का उत्तर दिया और उन्हें आर्थिक उदारीकरण का कार्य पूरा करने के भारत के संकल्प के प्रति आश्वस्त किया। बैठकों के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि जब से आई.बी.पी.आई. आरंभ हुआ है। यूनाइटेड किंग्डम को किए जाने वाले भारत के निर्यातों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा दोनों देशों के बीच अनेक सहमति-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

1692. **श्री के.डी. जेस्वाणी** :. क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक की और शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां खोली जाएंगी, और

(ग) ये शाखाएं कब तक खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क), (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की 1990-95 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक को राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपाय के अंतर्गत दो ग्रामीण केन्द्रों अर्थात भाटपोर, जिला सूरत और रामपारा में शाखाएं

खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जहां तक अर्द्धशहरी केन्द्रों का संबंध है, बैंकों को अखिल भारत आधार पर उन्हें आवंटित कोटे के अन्दर अपनी पसंद के केन्द्रों में शाखाएं खोलने की स्वतंत्रता है। अर्द्धशहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के प्रयोजन के लिए बैंकों को कोई राज्यवार-कोटा आवंटित नहीं किया गया है। शहरी/महानगरीय/पत्तन केन्द्रों के बैंकरहित/कम बैंक सुविधाओं वाले स्थानों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित कार्यकारी समूहों द्वारा पता लगाए गए केन्द्रों के आधार पर, गुजरात में भारतीय स्टेट बैंकों को निम्नलिखित 6 केन्द्र और 4 विशेषज्ञ शाखाएं आवंटित की गई हैं :

1. अहमदाबाद (असरवा), नूतन मिल्स के पीछे, जिला अहमदाबाद।
2. अहमदाबााद, सोमेश्वर काम्पलेक्स, जिला अहमदाबाद।
3. नाडियाद-पी.आई.जे. रोड, जिला खेड़ा।
4. राजकोट, अजी इंडस्ट्रियल एरिया, जी.आई.डी.सी. काम्पलेक्स, जिला राजकोट।
5. सूरत, नवसारी बाजार, जिला सूरत।
6. बड़ोदरा, न्यू सीमा रोड, जिला बड़ोदरा।

1. अहमदाबाद (राजकोषीय शाखा)
2. अहमदाबाद (एन.आर.आई.शाखा)
3. बड़ोदरा (राजकोषीय शाखा)
4. बड़ोदरा (औद्योगिक वित्त शाखा)

आवंटित केन्द्रों में शाखाओं का खोला जाना उपयुक्त परिसरों की उपलब्धता पक्की सड़कों, दूर-संचार आदि जैसी बुनियादी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अधीन है।

[हिन्दी]

संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर

1693. **श्री चिंता मोहन :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बार डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करने के पश्चात् संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आने की संभावना है, जैसा कि दिनांक 7 फरवरी, 1994 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार डंकल प्रस्तावों को स्वीकृत करने से पहले इनमें संशोधन करने का है ताकि भविष्य में रोजगार की समस्या में और वृद्धि न हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) उरुग्वे दौर की समझौता वार्ताओं के सम्पन्न हो जाने के परिणास्वरूप विश्व-व्यापार, आय एवं रोजगार में प्रत्याशित वृद्धि से भारत में रोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है। हमारे व्यापार भागीदारों को सेवा-बाजारों में पहुंचने के जो अवसर मिलेंगे, उससे भी हमें लाभ होगा। कुछ सेवा क्षेत्रों में बाजार पहुंच के मामले को छोड़कर, उरुग्वे दौर में समझौता वार्ताएं सम्पन्न हो गई हैं।

[अनुवाद]

दोहरे कराधान से बचने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता

1694. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर ने दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अंतर्गत किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह समझौता कब तक लागू किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारत तथा सिंगापुर के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए एक करार पर दिनांक 24 जनवरी, 1994 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसे दिनांक 20 अप्रैल, 1981 को हस्ताक्षर किए गए पूर्ववर्ती करार के स्थान पर निष्पादित किया गया है।

(ख) इस करार में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कराधान की घटी हुई दरों की व्यवस्था है ताकि दोनों देशों के बीच निवेश तथा प्रौद्योगिकी की प्राप्ति को बढ़ावा दिया जा सके। उदाहरण के तौर पर तकनीकी शुल्क तथा रायल्टियों पर भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत विदेशी कंपनियों के मामले में 30 प्रतिशत के बजाय उनके स्वरूप को देखते हुए सकल धनराशि के 15 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। इस करार के द्वारा स्रोत देश में विमान परिवहन तथा जहाजरानी कारोबार, दोनों के संबंध में पूर्ण छूट दी जाएगी। इस करार के द्वारा दूसरे देश में करदाताओं की समस्याओं को आपसी समझौते की प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके द्वारा संधि के अंतर्गत आने वाले करों की धोखाधड़ी अथवा उसके अपवंचन को रोकने के लिए दोनों देशों के कर प्राधिकारियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान जारी रहेगा।

(ग) उक्त संशोधित करार में यह व्यवस्था है कि दोनों पक्ष करार को प्रवृत्त करने के लिए प्रक्रिया के पूरा होने के बारे में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे। उक्त करार इस प्रकार की अधिसूचना के बाद प्रवृत्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। यह करार भारत में दिनांक 1-4-1994 से और सिंगापुर में दिनांक 1-1-1994 से प्रभावी होगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सिल्क उद्योग का विकास

1695. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सिल्क बोर्ड ने राज्य के बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में सिल्क उद्योग का और विकास करने हेतु केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) योजना के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के बिलासपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में रेशम उत्पादन का और विकास करने के लिए बनाई गई परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई.एफ.ए.डी.) से बाह्य सहायता की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार कर लिया गया है तथा परियोजना की आई.एफ.ए.डी. की सहायता देने की अनुमति प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश सरकार को प्रबंध करने होंगे तथा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित अन्य कदम उठाने होंगे।

[अनुवाद]

कनाडा द्वारा भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध "एन्टी डंपिंग" जांच

1696. **श्री नीतिश कुमार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने काले ग्रेनाइट और स्लैबों की कथित डंपिंग के मामले में कई भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध "एन्टी डंपिंग" जांच-पड़ताल आरंभ की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे निर्यातों पर रियायत दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) कनाडा ने भारत में उत्पन्न या भारत से निर्यात किए गये काले ग्रेनाइट मेमोरियल्स और काले ग्रेनाइट स्लैब्स को कथित हानिकारक उपदान देने और पाटन के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1993 में जांच शुरू कर दी है।

(ग) तथा (घ) ग्रेनाइट के निर्यात पर कोई विशिष्ट उपदान नहीं है, तथापि, आयकर अधिनियम में निर्यात-आयात के सम्बन्ध में कर-रियायतों का प्रावधान किया गया है।

(ङ) कनाडा को अभी जांच पूरी करनी है।

[हिन्दी]

आयकर-अपवंचन

1697. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य में आयकर अपवंचन के कितने मामलों का पता चला है, और

(ख) इन मामलों में प्रत्येक राज्य से कुल कितनी राशि वसूल की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) आयकर अपवंचन का पता विभिन्न कार्यवाहियों अर्थात् धारा 133-क (1), 133-क (5) तथा 133-ख के अन्तर्गत सर्वेक्षणों, धारा 132 के अन्तर्गत तलाशियों और कर-निर्धारण संबंधी कार्यवाहियों के दौरान चलता है। इन विभिन्न कार्यवाहियों के दौरान पता लगाए गए कर अपवंचन के बारे में राज्यवार कोई संयुक्त आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। कर अपवंचन के लिए जुर्माने को आमतौर पर उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील कर निर्णय दिए जाने के पश्चात् लगाया जाता है। अतः विगत दो महीनों के दौरान पता लगाए गए कर अपवचन के मामलों के बारे में जुर्माना संबंधी कार्यवाहियां अभी भी लम्बित पड़ी होंगी। दिसंबर, 1993 तथा जनवरी, 1994 के दौरान तलाशी की कार्यवाहियों में अभिगृहीत की गई अघोषित परिसम्पत्तियों तथा धारा 132 (4) के अन्तर्गत घोषित की गई आय के बारे में राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिसंबर, 1993 तथा जनवरी, 1994 के महीने के लिए तलाशी एवं अभिग्रहण के राज्यवार आंकड़े

राज्य	ली गई तलाशियों/ कार्यान्वित किए गए वारंटों की सं.	अभिग्रहण (लाख रु. में)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(4) के अन्तर्गत घोषणा (लाख रु. में)
1	2	3	4
असम (उ.पू.क्षे.)	38	121.54	220.08
आन्ध्र प्रदेश	112	353.13	1311.34
बिहार	27	117.91	56.75
चंडीगढ़	8	14.98	24.03
दिल्ली	173	1593.26	215.31

1	2	3	4
गुजरात	157	1128.26	2257.92
हरियाणा	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–
केरल	40	330.93	196.31
कर्नाटक	47	391.93	1036.83
गोवा	3	27.30	64.00
मध्य प्रदेश	19	377.67	220.59
महाराष्ट्र	162	1798.19	2170.32
उड़ीसा	1	73.90	29.26
पंजाब	47	1063.90	165.59
राजस्थान	25	149.89	81.94
तमिलनाडु	68	357.23	1731.15
उत्तर प्रदेश	35	145.04	56.64
पश्चिम बंगाल	124	908.25	693.26
योग	1086	8952.58	10531.32

श्रमजीवी और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नया वेतन

1698. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों की नए वेतन बोर्ड संबंधी मांग पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने श्रमीजीवी पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र में भाण्डागारों की स्थापना

1699. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए आयातित्र कच्चे माल की भंडार क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार देश में कहीं भी गैर-सरकारी क्षेत्र में भाण्डागार स्थापित करने की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो भाण्डागार स्थापित करने के लिए अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं और इसके लिए सरकार द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं, और

(ग) सरकार की अनुमति से गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने भाण्डागार स्थापित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार बांड के अंतर्गत निर्यात मदों का निर्माण करने के लिए निर्यातोन्मुखी एककों को देश में कहीं भी सीमाशुल्क बंधकित निजी भाण्डागार स्थापित करने के लिए अनुमति देती रही है। तथापि, यदि आयातित कच्ची सामग्रियों को ऐसे वास्तविक प्रयोगकर्ता को आपूर्ति किए जाने की मंशा हो, जो निर्यातक को ऐसे वास्तविक प्रयोगकर्त्ता को आपूर्ति किए जाने की मंशा हो जो निर्यातक हों, तो इन्हें केवल चुनिन्दा शहरों में ही भाण्डागारित किया जा सकता है।

(ख) और (ग) यह अनुमति निम्नोक्त शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है कि :

(1) आयातक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59 के अधीन एक बांड निष्पन्न करे, जिससे आयात किए गए माल के संबंध में उसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों तथा नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य हो;

(2) आयातक जहां आवश्यक हो, भाण्डागार विनियमन, 1966 में विनिर्माण तथा अन्य संकार्यों का अनुपालन करें, और

(3) जहां आवश्यक हो, भाण्डागार में गतिविधि पर सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा पार्टी के खर्चे पर निगरानी रखी जाती है।

जहां तक निर्यात गतिविधि के लिए भाण्डागार खोलने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या तथा निजी सैक्टर में खोले जाने के लिए स्वीकृत किए गए भाण्डागारों की संख्या का संबंध है, सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	आवेदनों की संख्या	स्वीकृतियों की संख्या
1992	997	765
1993	710	687
1994 (फरवरी तक)	105	88

इस सूचना में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक स्कीम के तहत प्राप्त हुए आवेदन भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग

1700. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा कोष की रुपये के समतुल्य मुद्रा को उत्पादक उपयोग में लाने के लिए कोई व्यवहार्य नीति बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) किसी विशेष समय पर विदेशी मुद्रा के भंडार विदेशी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में किए गए लेन-देनों का निवल परिणाम होते हैं। इसलिए विदेशी मुद्रा के अन्तः प्रवाह के रुपया प्रतिपूरक को लेन-देनों की प्रकृति के अनुरूप उपयोग में लाया जाता है। सरकार द्वारा विदेशी उधारों के रुपया प्रतिपूरक को उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता है, जिस प्रयोजन हेतु उधार के लिए व्यवस्था की गई है। अन्य विदेशी मुद्रा अन्तः प्रवाहों का रुपया प्रति पूरक ऐसे लेन-देनों के प्रयोजनार्थ सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए उपयुक्त नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होता है। इस प्रकार, विदेशी वाणिज्यिक उधारों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों, भारतीय कम्पनियों आदि द्वारा सार्वभौम निक्षेयक प्राप्तियों को जारी करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं, जिनमें ऐसे लेने-देनों के लिए विदेशी मुद्रा के अन्तः प्रवाह के प्रयोजन और उपयोग का उल्लेख किया गया है।

बांग्लादेश के साथ सीमा व्यापार

1701. **श्री सुधीर राय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा व्यापार को कानूनी रूप देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) ढ़ाका में 28-12-93 को हुई भारत-बांगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोग (जे.ई.सी.) की चौथी बैठक के दौरान, भारतीय पक्ष के दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं का उपाय करने के लिए आपसी जरूरत तथा आवश्यकता पर बल दिया। इसने इस बात पर जोर दिया कि अन्य लाभों के साथ, सीमा व्यापार से अवैध व्यापार में कमी आएगी, जो कि ऐसा उद्देश्य है, जिसके लिए दोनों सरकारें बचनबद्ध थी। बांग्लादेश पक्ष ने यह विचार व्यक्त किया कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के अपनाए जाने से ऐसा व्यापार व्यर्थ हो गया था तथा इससे प्रशासन के रूप में अतिरिक्त भार पड़ेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि जे.ई.सी. की अगली बैठक में इस मामले पर पुनः विचार किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन विकास

1702. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार को राज्य में पर्यटन विकास हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों को चुना गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अपेक्षित निधियों का आवेदन कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए 1993-94 में निम्नलिखित सात प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :

क्रमांक	परियोजना का नाम
1.	गोलकुंडा दुर्ग में रेस्तरां
2.	बोरा गुफाओं में रेस्तरां
3.	माल्लेपल्ली में मार्गस्थ सुविधाएं
4.	हेमावती में पर्यटक गृह
5.	मंत्रालय में पर्यटक परिसर
6.	नाचारम में पर्यटक परिसर
7.	वारंगल दुर्ग में रेस्तरां

इनमें से 59.76 लाख रुपए की पांच परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं।

कृषि ऋण

1703. **श्री वी. शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले समय ऋण में ऋण राशि और उसकी प्रतिशतता, कृषि ऋण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करती है, और

(ख) यदि नहीं, तो किसानों को अधिक राशि का ऋण देने के लिये क्या संसाधन जुटाये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) वर्तमान ऋण नीति कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों की ऋण आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिये तैयार की गई है। देशभर के ग्रामीण उधारकर्ताओं को इस संबंध में उनके द्वारा स्वयं या सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से शुरू किये गये क्रिया कलापों के लिए सरकारी क्षेत्र में बैंकों, सहाकरी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये हैं। सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत देश के सभी गांवों को अब वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को आवंटित किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी सेवा क्षेत्र शाखायें अब ग्रामवार वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार कर रही हैं, जो लघु, मध्यम और बड़े किसानों सहित गांवों के सभी प्रकार के उधारकर्ताओं की ऋण अपेक्षाओं को ध्यान में रखती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में सभी वाणिज्यिक बैंकों से प्रत्यक्ष कृषि के लिये अपने कुल ऋण का कम से कम 18 प्रतिशत देने की अपेक्षा की जाती है। कृषि ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम भी उठाये गये हैं। इनमें से महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :

(1) बैंकों को निर्देष दिया गया है कि वे 25,000 रुपए की ऋण सीमा तक के सभी आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अंदर-अंदर और 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदन पत्रों को 8-9 सप्ताह तक निपटा दें।

(2) आवेदन पत्रों को तेजी से निपटाने का दृष्टि से आवेदन फार्मों को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराया गया है। मार्जिन/प्रतिभूति से संबंधित शर्तों को आवेदन फार्मों के दूसरी तरफ ही छापा जाना चाहिए।

(3) 25,000 रुपए तक के ऋणों पर ब्याज दर को 12.0 प्रतिशत वार्षिक रखा गया है।

(4) सावधि ऋणों को रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है।

(5) 10,000 रुपए तक के ऋणों के लिए अन्य पार्टी की गारंटी या संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाता है।

(6) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूरी की उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किए जा सके।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भण्डार और निर्यात

1704. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना विदेशी मुद्रा भण्डार होने का अनुमान है तथा निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को हवाला बाजार और व्यापार के माध्यम से प्राप्त लाभ के जरिए डालर खरीदे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा भण्डार सभी विदेशी लेन-देनों के निवल परिणाम हैं और इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 1993-94 के लिए निर्यात हेतु लक्ष्य (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) 22.14 बिलियन डालर निर्धारित किया गया जो वर्ष 1992-93 के दौरान 18.42 बिलियन डालर (अनन्तिम) के वास्तविक निर्यात से लगभग 20 प्रतिशत की अधिक वृद्धि परिलक्षित करता है। अप्रैल-जनवरी, 1993-94 के दौरान वास्तविक निर्यात 17.80 बिलियन डालर के थे जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक उपलक्षित करता है। वर्ष 1993-94 के लिए निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है।

(घ) और (ङ) यह एक सामान्य धारणा है कि दुर्लभ मुद्रा कुछ भारतीय राष्ट्रिकों और एन.आर.आई. (गैर-निवासी भारतीयों) द्वारा हवाला बाजारों के माध्यम से गुप्त रूप से विदेशों से अर्जित की जाती है और व्यापार प्रणालियों के माध्यम से पुनः भारत में लाई जाती है। यह गैर-कानूनी मार्ग कभी-कभी हिसाब में न ली गई राशियों को हिसाब में लेने के लिए चूंकि निर्यात आय कर रहित होने के साथ विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए भी अपनाया जाता है। ज्यों की ऐसे ठगों के विरुद्ध विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त होती हैं, त्यों ही प्रवर्तन निदेशालय तुरंत कार्यवाही करता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना

1705. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने किन-किन स्थानों का सुझाव दिया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राज्य में सांताक्रुज, बंबई में एक निर्यात संसाधन जोन पहले ही कार्य कर रहा है। ऐसा अन्य जोन स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि ऋण

1706. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जा रहे विभिन्न प्रकार के कृषि ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सोने के बदले कृषि और आवास प्रयोजनों के लिए ऋण नहीं दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) वाणिज्यिक बैंक किसानों को उत्पादन ऋण (फसल उगाने के लिए) और कृषि के प्रयोजनों के लिए निवेश वित्त प्रदान करते हैं। वे उत्पादकता आदि के क्षेत्रों में उर्वरकों, बीजों के वितरण भंडारण की सुविधाओं के निर्माण के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन का विकास करने, कुक्कुट पालन, सूअर पालन आदि जैसे कार्यों के लिए ऋण दिये जाते हैं। सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फसल के उत्पादन (मौसमी कृषि परिचालन), फसलों के विपणन, प्रापण, स्टोरेज और रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लिए अल्पावधिक ऋण प्रदान करते हैं। वे लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि से संबंधित मशीनरी और उपस्करों की खरीद, पशुपालन आदि जैसे मंजूरशुदा निवेश प्रयोजनों के लिए मध्यावधिक ऋण प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उन सभी कार्यों के लिए सावधि ऋणों के बदले पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है, जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से अर्थक्षम हों।

(ख) से (घ) सोने की प्रतिभूति के बदले वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि से संबंधित प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। जहां सृजित चल परिसंपत्तियां 15000 रुपए तक की हों वहां फसल ऋणों और सावधि ऋणों के लिए बैंकों को संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं लेनी होती है। इस राशि से अधिक की राशि पर बैंक कृषि कार्यों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वर्ण आभूषण स्वीकार कर सकते हैं। जहां तक आवास ऋणों के लिए प्रतिभूति का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि संपत्ति या सरकारी गारंटी का दृष्टिबंधन आवास वित्त के लिए प्रतिभूति होनी चाहिए। जहां इन में से कोई भी संभव न हो वहां बैंक अपने विवेक पर एल.आई.सी. की पालिसियों, सरकारी रुक्का नोटों, शेयरों और डिबेंचरों, स्वर्ण आभूषण के रूप में पर्याप्त मूल्य की प्रतिभूति को या किसी ऐसी दूसरी प्रतिभूति को जिसे वे उचित समझते हों, स्वीकार कर सकते हैं।

कॉफी की बिक्री

1707. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1993 के दौरान कुल कितनी काफी की बिक्री की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान देश के दक्षिणी और उत्तरी भागों में, अलग-अलग काफी की कुल कितनी बिक्री हुई है;

(ग) क्या देश के उत्तरी भागों में काफी को लोकप्रिय नहीं बनाया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इन भागों में काफी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993 के दौरान घरेलू बाजार में काफी की 64,132 मी. टन मात्रा बेचे जाने का अनुमान है।

(ख) इंस्टैंट काफी सहित काफी की बिक्री के समग्र अनुमान के अनुसार देश के दक्षिणी और उत्तरी भागों में बिक्री के मोटे अनुमान निम्नानुसार हैं :

उत्तरी भाग	-	15,000 मी. टन
दक्षिणी भाग	-	49,132 मी. टन

(ग) और (घ) काफी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक लोकप्रिय है। काफी को उत्तरी भाग में काफी बोर्ड के इंडियन काफी हाऊसिंग, काफी वेन और भारतीय काफी डिपुओं के नेटवर्क के जरिए लोकप्रिय बनाया जा रहा है। अपरिष्कृत काफी और काफी पाउडर काफी बोर्ड की दुकानों से सामान्य दरों पर जनता को बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त इंस्टैंट काफी के विनिर्माता सक्रिय प्रचार अभियान के जरिए देश के उत्तरी भागों में अपने ब्रांड के उत्पादों की बिक्री का संवर्धन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज

1708. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) नेशनल स्टाक एक्सचेंज किस तिथि तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज ने एक स्वचालित स्क्रीन आधारित कारोबार प्रणाली अपनाई है और यह प्रचालन आरंभ करने से पहले उपयुक्त दूर-संचार संबंधी आधार-ढांचे की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहा है।

(ग) राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज का अप्रैल, 1994 तक थोक-ऋण बाजार खण्ड में प्रचालन का प्रथम चरण और अक्तूबर, 1994 तक पूंजी बाजार खण्ड में दूसरा आरंभ करने का प्रस्ताव है।

पिछड़े वर्ग के लोगों को ऋण वितरण

1709. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्रों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को अब तक राज्यवार कितनी ऋण राशि वितरित की है;

(ख) इन ऋणों के फलस्वरूप सरकार क्षेत्रों के बैंकों को कितना घाटा उठाना पड़ा, और

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त ऋणों की शीघ्र वसूली हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों से प्राप्त विवरणियों के माध्यम से विभिन्न पहलुओं संबंधी आंकड़े इकट्ठे करता है। कमजोर वर्गों को बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों संबंधी राज्यवार अद्यतन सूचना जून, 1992 से संबद्ध है। तदनुसार जून, 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए गए कुल ऋणों की राशि 3596.25 करोड़ रुपए थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त ऋणों के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों को होने वाली हानि से संबंधित सूचना, सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होती है। तथापि, लघु उद्योगों, कृषि और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के बारे में अतिदेय धनराशि मार्च, 1992 के अंत में क्रमशः 3946 करोड़ रुपए, 3953 करोड़ रुपए और 3092 करोड़ रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अतिदेय की राशि को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए उनके अग्रिमों के बारे में वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए विभिन्न मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इनमें से मुख्य मुख्य मार्गनिर्देश इस प्रकार हैं :

1. बैंकों को कहा गया है कि वे एक सक्षम वसूली प्रणाली स्थापित करें ताकि एक तरफ अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद और उत्पादक क्षेत्रों को इन दुर्लभ संसाधनों का पुनर्विनियोजन किया जा सके तथा दूसरी ओर ऋणदाता बैंकों की लाभप्रदता और उत्पादकता में सुधार लाया जा सके।

2. अलग-अलग अग्रिमों के स्वास्थ्य को सूचित करने वाली एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की जाए, ताकि उन पर प्रभावशाली मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

3. अवरुद्ध खातों की वसूली पर नजर रखी जाए।

4. जहां अग्रिम अवरुद्ध हो जाते हैं वहां उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

विवरण

राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	(राशि करोड़ रुपये)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	254
हरियाणा	38
हिमाचल प्रदेश	19
जम्मू एवं कश्मीर	4
पंजाब	111

1	2
राजस्थान	74
चंडीगढ़	1
दिल्ली	7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	27
असम	14
मणिपुर	2
मेघालय	2
नागालैंड	2
त्रिपुरा	3
अरुणाचल प्रदेश	0.76
मिजोरम	0.87
सिक्किम	2
पूर्वी क्षेत्र	415
बिहार	131
उड़ीसा	170
पश्चिम बंगाल	114
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.39
मध्य क्षेत्र	358
मध्य प्रदेश	119
उत्तर प्रदेश	239
पश्चिमी क्षेत्र	298
गुजरात	99
महाराष्ट्र	195

1	2
गोवा	3
दमन एवं दीव	0.07
दादरा नागर हवेली	0.26
दक्षिणी क्षेत्र	2445
आंध्र प्रदेश	412
कर्नाटक	154
केरल	1223
तमिलनाडु	454
पांडिचेरी	6
लक्षद्वीप	0.30
अखिल भारत	3595

चीनी फेरे-सिलिकॉन पर एन्टी-डंपिंग ड्यूटी

1710. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी फेरे-सिलिकॉन की भारी मात्रा भारत में अविकसित देशों के माध्यम से पहुंच रही है;

(ख) क्या भारतीय फेरे-सिलिकॉन विनिर्माताओं ने केन्द्रीय सरकार से चीनी फेरे-सिलिकॉन पर एण्टी डंपिंग ड्यूटी लगाने का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में यथाविहित नामोदि्दष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग क्षेत्र से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, जिसमें चीन के मूल के फेरो-सिलिकॉन की भारत में डंपिंग किए जाने का आरोप लगाया गया हो।

[हिन्दी]

गुजरात में कपड़ा मिलें

1711. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेष रूप से आदिवासी बहुल जिलों में कार्यरत कपड़ा मिलों/हथकरघा एककों की वर्तमान संख्या कितनी है और कितनी वस्त्र मिलें बंद पड़ी हैं,

(ख) उन्हें बंद करने के क्या कारण हैं, और

(ग) उन मिलों को फिर से खोलने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) गुजरात राज्य में कार्यरत सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों/हथकरघा एककों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(1)	सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की संख्या (31-12-1993 की स्थिति अनुसार)	122
(2)	आदिवासी बाहुल्य जिलों में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की संख्या	18
(3)	प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की संख्या (1993-94)	239
(4)	शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समिति की संख्या (1993)	1

ऐसा बतलाया गया है कि 31-12-93 की स्थिति अनुसार गुजरात में 34 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बंद थीं। राज्य में कंपनी अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत 21 मिलें बंद बतलाई गई हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कोई मिल बंद नहीं हैं। वित्तीय कठिनाइयों और विद्युत आपूर्ति की समस्या के कारण 13 मिलों को अस्थाई रूप से बंद बतलाया गया है। बंद पड़ी 2 मिलें उन जिलों में हैं, जिसमें क्षेत्र के पाकेट हैं। हथकरघा एककों के संबंध में आदिवासी क्षेत्र के लिए कोई आंकड़ें अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) अस्थाई रूप से बंद मिलों के कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने अर्थक्षम रुग्ण एककों के संबंध में पुनर्वासन पैकेज को तैयार करने और उनका प्रबंधन करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। मिलों की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि स्थापित की गई है।

विवरण

अस्थाई रूप से बंद मिलों की सूची

क्र. सं.	मिल का नाम	कारण
1	2	3
1.	फाइन निटिंग क.लि.	प्रबंधन द्वारा काम बंदी

1	2	3
2.	मानिक चौक एंड अहमदाबाद मैन्यू.क.लि.	वित्तीय
3.	भालकिया मिल्स क.लि.	वित्तीय
4.	मार्सडेन स्पि. एण्ड मैन्यू.क.लि.	वित्तीय
5.	तरुण कमर्शियल मिल्स लि.	वित्तीय
6.	अभय मिल्स लि.	वित्तीय
7.	श्री आम्बिका मिल्स लि.	वित्तीय
8.	कांटिनेंटल टेक्सटाइल मिल्स	विद्युत आपूर्ति
9.	गांधी धाम स्पि. एण्ड मैन्यू.क.लि.	वित्तीय
10.	श्री मण्डवी स्पि.लि.	वित्तीय
11.	नवज्योत टेक्सटाइल्स मिल्स लि.	वित्तीय
12.	गायकवाड़ मिल्स लि.	विद्युत आपूर्ति
13.	श्री महुवा स्पिनिंग मिल्स क. (प्रा.) लि.	वित्तीय

लिमिटेड कम्पनियों पर आयकर की बकाया राशि

1712. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश लिमिटेड कम्पनियों ने उनके नाम आयकर की बकाया पड़ी राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन शीर्ष लिमिटेड कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन पर अत्यधिक कर बकाया है; और

(ग) इन कम्पनियों से इस बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) 30-9-1993 की स्थिति के अनुसार, शीर्षस्थ 10 लिमिटेड कम्पनियों, जिनकी तरफ कर की अधिकतम धनराशि बकाया है, के नाम नीचे दिए गए है :

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
4. डनलप इंडिया लिमिटेड
5. रिलायन्स इंडस्ट्रीज
6. सिटी बैंक
7. पीयरलैस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
8. डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन
9. कान्टीनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
10. आई.सी.आई.सी.आई.।

(ग) करों की वसूली के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) बोर्ड तथा आयकर निदेशालय (वसूली) 1 करोड़ रु. से अधिक की राशि की भारी-भरकम बकाया के मामलों की निरन्तर समीक्षा करते हैं।

(ii) चूंकि अधिकांश मामलों में कर-बकाया अनिर्णीत अपीलों में विवादग्रस्त है, इसलिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण सहित अपीलीय प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपीलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें।

(iii) जहां आवश्यक हो दंड लगाने, चल तथा अचल सम्पत्तियों की कुर्की करने जैसे कठोर उपाय किए जाते हैं।

(iv) कुछ मामलों में कर चूककर्त्ताओं के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाहियां भी की जाती हैं।

(v) जिन मामलों में करदाताओं को किस्तों की अनुमति दी गई है, उनमें किस्तों की समय पर अदायगी करने के कार्य को सुनिश्चित करने के निमित्त कड़ी नजर रखी जाती है।

(vi) जिन मामलों में वसूली की कार्यवाहियों पर अदालत द्वारा रोक लगा दी गई है, उन मामलों में स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने के बारे में कार्यवाही की जाती है।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

1713. **श्री आर. अन्बारासु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आयकर आयुक्तों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में आयकर मामलों संबंधी किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या सिफारिशें की गई, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) हाल ही में दिसम्बर, 1993 में नई दिल्ली में केवल मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर महानिदेशकों का एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में चर्चित विषय तथा की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :

चर्चित विषय

(i) वार्षिक कार्य योजना, 1993-94;

(ii) सामान्य प्रशासन;

(iii) कर आधार का विस्तार करना; और

(iv) कम्प्यूटरीकरण।

की गई सिफारिशें

1. बकाया करों में कमी करना;
2. अनुमानित कर स्कीमों को लोकप्रिय बनाना;
3. तलाशी और जब्ती के मामलों का शीघ्र निपटान करना;
4. वापसियों का तत्काल भुगतान करना;
5. नई कम्प्यूटर प्रणाली को शुरू करना;
6. प्रभावकारी जांच के लिए आधुनिक तकनीकी उपायों को शुरू करना।

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय

1714. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह विलय कब तक हो जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। दोनों एयरलाइनों के विलय के लिए विस्तृत जांच और आयोजना की आवश्यकता होगी, जिसमें काफी समय लगेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण वसूली

1715. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 में किन शीर्षस्थ पांच बैंकों ने अधिकतम ऋण वसूली की है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा अकार्यक्षम परिसम्पत्तियों की वसूली के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, मार्च 1993 तक की स्थिति के अनुसार बकाया अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम अतिदेय रकमों वाले पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम नीचे दिये गये हैं :

क्र. सं.	बैंकों के नाम	बकाया अग्रिमों की प्रतिशत के रूप में अतिदेय रकमें
1.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	8.69
2.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	13.03
3.	बैंक आफ बड़ौदा	13.05
4.	कारपोरेशन बैंक	13.44
5.	इलाहाबाद बैंक	15.33

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन में निष्क्रिय आस्तियों की वसूली के लिए एक "वसूली कक्ष" गठित करने की सहमति दी गयी है। यह कक्ष प्रधान कार्यालय में गठित किया जायेगा और किसी एक महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन होगा। वसूली के लिये शाखावार लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे और निष्क्रिय अस्तियों में कमी तथा वसूली के संबंध में विभिन्न शाखाओं के कार्यनिष्पादन पर मुख्य कार्यपालकों द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर पर आवधिक अंतरालों पर नजर रखी जायेगी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत असम को आवंटित धनराशि

1716. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत असम को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि दी गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है तथा इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या असम में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों की भूमिका और उनके कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में 27.70 करोड़ रुपये का कुल आवंटन किया था, जिसे केन्द्र सरकार और असम सरकार को बराबर-बराबर वहन करना था। नवम्बर 1993 तक केन्द्र सरकार और अक्तूबर 1993 तक राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में जारी की गई राशियां क्रमशः 11.31 करोड़ रुपये और 2.48 करोड़ रुपये हैं और बैंक द्वारा अक्तूबर 1993 तक संवितरित ऋण की राशि 24014 हिताधिकारियों के लिये 8.15 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) बैंकों की भूमिका और उनके कार्यनिष्पादन सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति नियुक्त की है।

कृषि श्रमिक हेतु कल्याणकारी योजनाएं

1717. **श्री गाभजी मंगाजी ठाकुर :**
डा. अमृतलाल कालीदास :
श्री गया प्रसाद कोरी :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कृषि श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कल्याणकारी योजनाओं को ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से कृषि श्रमिकों को कितना लाभ हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई और कदम उठाने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) कृषि कर्मकारों सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण के लिए चलाई जा नहीं कुछ मुख्य योजनाओं में निम्नलिखित योजनाए शामिल हैं :

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एग्राविको)

इस योजना के अन्तर्गत, छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को और विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं की आय सृजन परिसम्पत्ति उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायताएं एवं विभिन्न दरों पर एवं अवधियों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सहायता लेने वाले परिवारों की संख्या क्रमशः 28,97,775, 25,36,566 और 20,68,773 (अनन्तिम) है।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.का.), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रा.भू.रो.गा.का.) और जवाहर रोजगार योजना (ज.रो.यो.)

इन योजनाओं का उद्देश्य अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन एवं उत्पादक समुदाय परिसम्पति का निर्माण करना है। दो योजनाओं को (अर्थात, रा.ग्रा.रो.का. और ग्रा.भू.रो.गा.का.) समन्वित कर दिया गया था और परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि करके 1989 में इसका नाम जवाहर रोजगार योजना रख दिया गया। वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1991-93 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सृजित किए गए रोजगारों की संख्या क्रमशः 8746, 8082 और 7821 लाख (अनन्तिम) श्रम दिवस है।

(iii) ग्रामीण युवा स्वःरोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

इस योजना का उद्देश्य स्वःरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल का उन्नयन करना है।

(iv) रोजगार गारण्टी योजना (रो.गा.यो.)

2 अक्तूबर, 1993 को 1752 पता लगाए गए पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार गारण्टी योजना" नामक एक नई योजना चलाई गई, जिसके अर्न्तगत खेती के अपर्याप्त कार्य के मौसम में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए 100 दिन के सुनिश्चित युक्त रोजगार की व्यवस्था की गई है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि कर्मकारों को लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास नामक एक अन्य योजना है, जिसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए 1982-93 में शुरू किया गया था, जिसके अन्तर्गत उनके कौशल और अभिरुचि के अनुरूप आय सृजन करने वाले कार्यकलापों को करने के लिए उनके समेत तैयार करने की व्यवस्था की गई थी। यह योजना ट्राइसेम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ-साथ कार्य करती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भूतिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा योजना में शामिल करने के लिए जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अन्तर्गत 1987 में भूतिहीन कृषि श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना एवं 1988 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभनुभोगियों के लिए बीमा योजना चलाई है। विभिन्न राज्य सरकारें पृथक अर्हता मानदण्ड एवं पेंशन दरों वाली वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही हैं।

केरल राज्य ने "केरल खेतिहर मजदूर कल्याण निधि योजनाएं" और "खेतिहर मजदूर पेंशन योजनाएं" भी चलाई है, जिसके अन्तर्गत क्रमशः 9 लाख और 3.5 लाख मजदूर शामिल किए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार खेतिहर मजदूरों के कार्यों तथा उनकी सेवा शर्तों, कल्याणकारी पहलुओं सहित, को विनियमित करने के लिए एक विस्तृत विधान अधिनियमित करने पर विचार कर रही है।

दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार

1719. **श्री शरत् पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण अफ्रीका के व्यापार तथा उद्योग उप मंत्री के भारत के साथ व्यापार खण्डों की स्थापना संबंधी सुझावों की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री श्री आर.एफ. बोथा ने अक्टूबर, 1993 में अपनी भारत यात्रा के दौरान एक गहन आर्थिक सहयोग के सृजन और दक्षिण अफ्रका, पाकिस्तान, खाड़ी और पूर्व अफ्रीकी राज्यों सहित हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के बीच एक व्यापारिक ब्लाक बनाए जाने का सुझाव दिया था। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

भारत और डेनमार्क के बीच संयुक्त उद्यम

1720. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** :
श्री एस.बी. थोरात :
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क के उच्चस्तरीय व्यापार एवं पूंजी निवेश शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच आपसी लाभ के लिए व्यापार बढ़ाने के लिए जिन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक पूंजी निवेश के कितने प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं, कितनों पर विचार किया गया है और कितनों को स्वीकृति दी गयी है; और

(घ) दोनों देशों के बीच कौन से व्यापार और आर्थिक सहयोग की संभावनाएं हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां। डेनमार्क के प्रतिनिधिमण्डल ने संचार, ऊर्जा, भेषजों, इलेक्टॉनिकी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त

उद्यम स्थापित करने में रुचि दर्शाई। इस दिशा में एल.पी.जी. सिलिन्डरों के लिए वाल्वों तथा प्रेशर रेगुलेटरों के विनिर्माण और एल.पी.जी. भराई संयत्रों के लिए डेनमार्क के एक औद्योगिक दल तथा एक भारतीय कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए।

(ग) 1989 से लेकर 1993 तक के 5 वर्षों की अवधि के दौरान डेनिश कंपनियों से प्राप्त विदेशी सहयोग के 64 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 33 प्रस्ताव वित्तीय सहायोग से संबंधित थे। इन मामलों में पूंजीनिवेश की कुल अनुमानित राशि लगभग 72.77 करोड़ रु. रही थी।

(घ) ऐसी संभावना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए सतत पारस्परिक सम्पर्कों के फलस्वरूप बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ेगा।

[हिन्दी]

ऋण माफ करना

1721. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :
श्री राम पूजन पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन निर्धन व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा विद्युतकरधा बुनकरों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है, जिनके ऋण गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अब तक माफ किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी व्यक्तियों के ऋण माफ करने का है, और

(ग) यदि हां, तो उनके ऋण कब तक माफ कर दिये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उधारकर्ताओं की चुनी हुई श्रेणियों को, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, भूमिहीन मजदूर, कारीगर और बुनकर शामिल हैं, ऋण राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 से है। केन्द्रीय सरकार के परामर्श पर, राज्य सरकारों ने भी सहकारी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय योजना की तरह अपनी योजनाएं तैयार की थीं। 2-10-1989 की स्थिति के अनुसार, प्रति उधारकर्ता 10,000 रुपये तक, पात्र उधारकर्ताओं के सभी अतिदेय इस योजना में शामिल थे। अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, उधारकर्ताओं की कुल संख्या, जिसमें गरीब लोग, अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा बुनकरों से संबंधित लोग शामिल हैं, को कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के तहत 316.32 लाख रुपये की राहत प्रदान की गई थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों आदि को, जो अपने संचित अतिदेयों की वापसी अदायगी करने में असमर्थता के कारण उत्पादन संबंधी

गतिविधियों के लिए नए ऋण प्राप्त कर सकते थे, राहत प्रदान करने के लिए एक बारगीय योजना थी। कृषि और ऋण राहत योजना 15 मई, 1990 से प्रभावी थी तथा 31-3-1991 को समाप्त हो गई। ऐसी कोई योजना शुरू करने के लिए, वर्तमान में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण ऋण प्रणाली को पुनर्जीवित करने तथा ऋणों के पुनः प्रदान करने के लिए स्वास्थ वसूली वातावरण विकसित करने का प्रयास है। अब ग्रामीण ऋण प्रणाली को पुनर्जीवित करने और ऋणों का पुनर्नियोजन के लिए स्वस्थ वसूली वातावरण का विकास करने पर बल दिया जा रहा है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हिताधिकारियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	2993966
अरुणाचल प्रदेश	11960
असम	530530
बिहार	3745416
गोवा	19185
गुजरात	1344180
हरियाणा	598941
हिमाचल प्रदेश	286032
जम्मू व कश्मीर	33721
कर्नाटक	1610286
केरल	851429
मध्य प्रदेश	1984542
महाराष्ट्र	2874320
मणिपुर	79244
मेघालय	71679
मिजोरम	6450
नागालैण्ड	24659

1	2
उड़ीसा	2154086
पंजाब	456638
राजस्थान	2020872
सिक्किम	9394
तमिलनाडु	1974753
त्रिपुरा	209641
उत्तर प्रदेश	5181664
पश्चिम बंगाल	2489916
चंडीगढ़	3280
दादरा व नागर हवेली	2798
दमन व दीव	1115
दिल्ली	10590
लक्षद्वीप	91
पांडिचेरी	45219
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4754
जोड़	31631351

[अनुवाद]

चाय का निर्यात

1722. **श्री राम विलास पासवान : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय बाजार ने भारतीय चाय के निर्यात में गुणवत्ता नियंत्रण विनियमों को लागू करने तथा चाय बोर्ड द्वारा गुणवत्ता को सुनिश्चित न करने की स्थिति में उसके विश्लेषण की लागत को भी वहन करने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चाय की गुणवत्ता की जांच करने तथा निर्यातकों को लाइसेंस देने के लिए उपलब्ध विद्यमान आधारभूत ढांचा कैसा है, और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में किन-किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यूरोपीय संघ ने चाय सहित सभी कृषिजन्य उत्पादों में शामिल कीटनाशक दवाओं के अवशिष्टों के बारे में अपनी परिषद को निर्देश लागू किया है। जर्मनी भी यूरोपीय संघ का सदस्य है और उनके यहां भी कीटनाशक दवाओं के अवशिष्टों के बारे में इसी तरह के कानून हैं। भारत में चाय उत्पादन में अधिकतर प्रयुक्त कीटनाशक दवाओं और रसायनों के संबंध में यूरोपीय संघ 0.2 और उससे कम मिलीग्राम प्रति कि.ग्रा. के हिसाब से अधिकतम अवशिष्ट स्तर निर्धारित करता है। एथियन के मामले में अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एम.आर.एल.) 2 पी.पी.एम. की दर से निर्धारित किया गया है, लेकिन एन्डोसल्फान के मामले में एम.आर.एल. 30 पी.पी.एम. पर निर्धारित किया गया है। कम महत्वपूर्ण रसायनों के मामलों में यह स्तर 0.1 से 0.2 पी.पी.एम. के बीच रखे जाने का प्रस्ताव है। चाय बोर्ड से ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है कि वह भारत मे निर्यात होने वाली चाय का कीटनाशक अवशिष्ट स्तर का निर्धारण करने के लिए इस तरह के किसी विश्लेषण की लागत में योगदान करे।

(ग) भारत में ऐसी कुछ ही प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें सीमित मात्रा में अवशिष्ट मात्रा हेतु चाय के नमूनों के विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध हैं। जब कभी आवश्यक होता है, चाय व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र अपने-अपने चाय नमूनों का विश्लषण इन प्रयोगशालाओं में करवाते हैं। प्रमुख चाय अनुसंधान संस्थान और सी.एस.आई.आर. कांप्लेक्स, पालमपुर कीटनाशक अवशिष्ट के विश्लेषण के लिए अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं को सुसज्जित कर रहे हैं। इसके लिए वे अत्याधुनिक उपस्करों की खरीद कर रहे हैं। निर्यात के प्रयोजनों के लिए चाय बोर्ड द्वारा, जो पोतलदान लाइसेंस दिए जाते हैं, उनका कीटनाशक दवाओं के अवशिष्ट के लिए यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित क्वालिटी नियंत्रण मानदंडों से कोई संबंध नहीं होता है। निर्यातकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अलग-अलग आयातक देशों के निर्धारण के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण सुनिश्चित कर लें।

(घ) चाय बोर्ड व्यापारियों और उद्यमियों को संबंधित कीटनाशक दवाओं संबंधी विनियमों तथा निर्धारणों की सूचना देता रहता है और उसने इस बारे में चाय उद्योग के साथ चर्चा भी की है। भारतीय चाय उद्योग और चाय अनुसंधान संस्थान सबसे निचले स्तर पर सेमिनार/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिससे रसायनों की मात्रा निर्धारण, कीटनाशक दवाओं के अवशिष्ट संबंधी विभिन्न शर्तों, छिड़काव तथा पत्ती तोड़ने के बीच में समय-अंतराल रखने और डी.डी.टी., टैट्राडाइफन, हेप्टेक्योर, बी.एच.सी. जैसे रसायनों का पंजीयन समाप्त करने, आदि के बारे में प्रबंधकीय स्टाफ और बागान कामगारों को शिक्षित किया जा सके।

अनन्नास का निर्यात

1723. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अनन्नास का देशवार निर्यात किया गया;

(ख) क्या कुछ अन्य नये देशों को भी अनन्नास का निर्यात करने की संभावना है;

(ग) क्या केरल के अनन्नास का निर्यात किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले, और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान किए गए निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(मात्रा की इकाई कि.ग्रा.)

वस्तु/देश	1990-91		1991-92		1992-93	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजे शुष्क अनन्नास						
बहरीन आई.एस.	3415	22	3111	20	1130	12
बंगलादेश	–	–	48146	270	–	–
कनाडा	–	–	–	–	413	4
कुवैत	–	–	11955	80	340	3
लेबनान	–	–	2976	38	–	–
नेपाल	168236	1070	39730	107	27100	148
ओमान	425	7	197	3	–	–
कतर	–	–	210	1	690	4
सऊदी अरब	5761	43	7330	48	2225	26
स्विट्जरलैंड	–	–	–	–	1611	26
यू.ए.ई.	19365	241	24249	222	17000	280
यू.के.	–	–	–	–	460	5
उरुग्वे	–	–	–	–	17340	414
	197202	1383	137904	709	68309	922

अनन्नास और इसके उत्पादों का खाड़ी क्षेत्र और यूरोप के अन्य विभिन्न देशों को निर्यात बढ़ाना संभव है।

(स्रोत – डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता)

(ग) और (घ) राज्यवार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम

1724. **श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितना घाटा हुआ;

(ख) इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने निगम को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को वर्ष 1992-93 में 676.55 करोड़ रु. का निवल घाटा हुआ तथा वर्ष 1993-94 (अप्रैल-जनवरी) में 504.26 करोड़ रु. का अनन्तिम निवल घाटा हुआ। घाटों के कारण हैं पुरानी और अप्रचलित मशीनें, कम उत्पादकता, कम क्षमता उपयोग, फालतू जन शक्ति, कपास और अन्य आवकों की लागत में वृद्धि होना आदि।

(ग) सरकार ने एन.टी.सी. के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के मुख्य संघटकों में चुनिन्दा आधुनिकीकरण, वित्तीय तथा प्रबंधकीय पुनर्निर्माण तथा स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अंतर्गत फालतू कामगारों का सुव्यवस्थीकरण करना शामिल है। ऐसी आशा है कि एन.टी.सी. सर्वांगीण सुधार नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने से तीन वर्षों में लाभ कमाने में सक्षम हो जाएगा।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत एन.टी.सी. की मिलों का पुनरुद्धार करने का उत्तर दायित्व सौंपा गया है।

बिहार में आभूषण निर्यात क्षेत्र की स्थापना

1725. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के आभूषण निर्यातकों से राज्य में आभूषण निर्यात क्षेत्र बनाने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वित्तीय क्षेत्र में सुधार

1726. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का वित्तीय क्षेत्र में क्या प्रमुख सुधार करने का विचार है;

(ख) क्या बैंकों के कर्मचारियों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा कर्मचारियों पर उपरोक्त सुधारों के संभावित प्रभाव के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख संकल्पित सुधारों में ये शामिल हैं : सरकारी ऋण पर मिलने वाली आय को बाजार के बराबर लाकर एस.एल.आर. और सी.आर.आर. में और कटौती करके, बैंकों की ऋण संबंधी क्षमता पर पूर्वाधिकार में कमी, क्रास सब्सिडी को केवल छोटे ऋणकर्त्ताओं तक सीमित रखना, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार और पूंजी बाजार से अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराना, विशेष वसूली अधिकरणों की स्थापना करके वसूली की संभावना में सुधार करना, प्रबंधकीय उत्तरदायित्व और स्वायत्तता में वृद्धि करना, कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से बैंकों में तकनीकी आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना, निजी क्षेत्र के आधुनिक व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित प्रवेश देकर बेहतर प्रतिस्पर्द्धा पैदा करना, अनुपालन और पर्यवेक्षण संबंधी मामलों पर खास तौर से ध्यान देने और उन मामलों में चूक करने वाले उधारकर्त्ताओं की सूची प्रकाशित कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उधारकर्त्ताओं में अधिक अनुशासन लाने के लिये वित्तीय पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड की स्थापना करना जहां मामले दायर किये गये हैं और स्वीकृत सीमा से अधिक वाले चूककर्त्ता उधारकर्त्ताओं के नाम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच परिचालित करना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वास के लिये दीर्घावधि संरचनात्मक उपायों सहित ग्रामीण क्षेत्र को ऋण की आपूर्ति करने हेतु अर्थक्षम तंत्र सुनिश्चित करने के लिये उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) बैंक कर्मचारियों (कामगारों और अधिकारियों) के प्रतिनिधियों ने तथाकथित निजीकरण/निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश, शाखाओं के बंद करने, जनता से शेयर पूंजी जुटाने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों को सक्षम बनाने के लिये, संसद में बिल के पेश किये जाने, नौकरी की सुरक्षा इत्यादि के बारे में चिंता प्रकट की है। सरकार ने कई अवसरों पर दोहराया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विराष्ट्रीयकरण या कर्मचारियों की छंटनी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तथापि, इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रतिस्पर्द्धात्मक अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिये कार्यक्षमता में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता है।

भारतीय निर्यात संगठन संघ द्वारा पूर्वी यूरोप, रूस तथा अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात के विकास के लिए गठित समिति

1727. **श्री सुल्तान अलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठन संघ ने पूर्वी यूरोप, रूप तथा अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) क्या निर्यातकों ने रूस तथा अन्य पी.आई.एस. देशों की किए जाने वाले निर्यात के लिए एम्पोर्ट प्रोमोशन गारन्टी कारपोरेशन से सुरक्षा मांगी है;

(ग) क्या निर्यातकों ने उन देशों में भाण्डागार स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) सरकार पूर्वी यूरोप, रूस तथा स्वतन्त्र राष्ट्रकुल के देशों के लिए फिओ द्वारा निर्यात विकास सम्बन्धी समिति की स्थापना की पहल का स्वागत करती है। समिति इस क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार को फिर से बहाल करने तथा विकास के लिए चल रहे प्रयास के लिए पूरक का कार्य करेगी।

सरकार रूस तथा राष्ट्रकुल के अन्य देशों को किये जानें वाले निर्यात के लिए ई.सी.जी.सी. संरक्षण की आवश्यकता को महसूस करती है। ई.सी.जी.सी. की पहले से ही यह नीति है कि इस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाए, लेकिन यह प्रत्येक मामले के गुणावगुण के अनुसार प्रतिबंधित आधार पर उपलब्ध है। इसलिए सरकार ऐसे प्रस्तावों पर कार्य कर रही है, जिसमें ई.सी.जी.सी. कवर मुकर हो सकेगा, जिसमें आंशिक जोखिम का बीमा अन्तिम उपाय के लिए गारण्टीदाता के रूप में सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत के ऋणपुनर्भुगतान के बदले रूस को जो निर्यात होता है, उसके लिए ई.सी.जी.सी. कवर लदानपूर्व ऋणों पर उपलब्ध है।

सरकार पहले से ही उन देशों को निर्यात बढाने की कार्यनीति के एक भाग के रूप में वहां गोदाम खोलने अथवा किराये पर लेने को बढ़ावा देने तथा मुकर बनाने के लिए उपाय कर रही है।

सोना, चांदी और नशीली दवाओं की तस्करी

1728. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सोना,चांदी और नशीली दवाओं की तस्करी का पता लगाने हेतु छापे डाले गये हैं, और

(ख) यदि हां तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य में प्रत्येक वर्ष जब्त की गयी वस्तुओं का मूल्य कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। केरल में सोने, चांदी और स्वापक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने के लिए वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत तस्करी रोधी एजेन्सियों द्वारा छापे मारे गये थे। विगत दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मारे गये छापों में पकड़ी गयी मदों का मूल्य निम्नानुसार है :

(मूल्य लाख रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	सोना	चांदी	स्वापक पदार्थ
1991-92	74.55	9.20	गांजा 30 किलोग्राम
1992-93	33.29	0.44	गांजा 50 किलोग्राम और दो लाख रुपये मूल्य के स्वापक पदार्थ।

विदेशी कारें किराये पर देने वाली कम्पनियां

1729. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कारें किराये पर देने वाली कितनी कम्पनियों को भारत में काम करने की अनुमति मिली है;

(ख) इन कम्पनियों को देश में अपना कारोबार स्थापित करने की अनुमति किन शर्तों के अन्तर्गत दी गई है;

(ग) कारें किराये पर देने वाली इन.कम्पनियों के संचालन से देश ने विदेशी मुद्रा में कुल कितनी आय अर्जित की है;

(घ) इनके संचालन के फलस्वरूप कुल कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई है; और

(ङ) विदेशी कारें किराये पर देने वाली इन कम्पनियों से अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार पैदा करने में कुल मिला कर क्या लाभ मिला?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में कार किराए पर देने की स्कीम (रेंट-ए-कार स्कीम) चलाने के लिए तीन भारतीय कम्पनियों का विदेशी सहयोग करार अनुमोदित किया है। विदेशी सहयोग की शर्तों में शामिल हैं–तकनीकी जानकारी के लिए एकमुश्त अदायगी करना, प्राप्त विदेशी बुकिंग पर विदेशी सहयोगी को रायल्टी और कमीशन की अदायगी करना।

(ग) देश ने कुल 2,16,85,292 रु. की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

(घ) कुल 35,56,653 रु. की विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई है।

(ङ) विदेशी मुद्रा आय को ध्यान में रखते हुए, कुल लाभ पर्याप्त है। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार का रोजगार उपलब्ध होता है तथा विदेशी पर्यटकों के आकर्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सेवा मानक सुनिश्चित होते हैं।

सहकारी कताई मिलों को लच्छा धागे के उत्पादन से छूट

1730. **डा. बसंत पवार** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी कताई मिलों को लच्छा धागे के उत्पादन से कोई छूट देने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) हथकरघा क्षेत्र में हैंक यार्न की मांग की पूर्ति और हैंक यार्न के मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी कताई मिलों सहित कताई मिलों द्वारा हैंक यार्न की पैकिंग के संबंध में भारत सरकार द्वारा लगाए गए अनुबंध में छूट देना संभव न हो सकेगा।

[हिन्दी]

सब्जियों का निर्यात

1731. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से कौन-कौन सी सब्जियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसी सब्जियों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया, और उनका मूल्य कितना होगा;

(ग) क्या देश में कुकरिट सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो देश में उनका कितनी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है और निर्यात के बाद इसकी कितनी मात्रा नष्ट हो जाती है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) आलू, टमाटर, बन्दगोभी, फूलगोभी, खीरा, प्याज, सलाद, कुकरमुत्तां, और सेम आदि का भारत से निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान सब्जियों के निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

1991-92		1992-93	
मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)
417888	200.62	320242	179.38

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कलकत्ता।

(ग) और (घ) कुकरिट सब्जियों के उत्पादन और प्रसंस्करण तथा निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

गुयाना के साथ संयुक्त उद्यम

1732. **डा. ए.के. पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुयाना के राष्ट्रपति ने हाल में भारत की अपनी यात्रा में वहां संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये भारतीय व्यापारियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधानुसार बनाने हेतु संयुक्त वाणिज्य मंड़ल की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। हाल में आपनी भारत यात्रा के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति ने अपनी चर्चाओं में सरकार और भारतीय व्यापारियों से गुयाना में निवेश करने तथा संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन किन्हीं निश्चित परियोजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1993 में जार्जटाउन(गुयाना) में हुई भारत-गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक में सिद्धान्त रूप से सहमित हुई कि दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच निर्यात अंतःक्रिया को बढ़ाने के लिए संयुक्त व्यापार परिषद का गठन किया।

सिल्क यार्न बैंक योजना

1733. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के सूरत और अहमदाबाद जिलों में प्रायोगिक आधार पर 'सिल्क यार्न बैंक' योजना का क्रियान्वित करने का है, जो हथकरघा क्षेत्र में सिल्क यार्न का प्रमुख उपभोक्ता है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां। गुजरात में प्रायोगिक आधार पर सिल्क यार्न बैंक योजना कार्यान्वित करने का निर्ण५ लिया गया है।

(ख) हथकरघा बुनकरों को सप्लाई की गई अतिरिक्त सिल्क यार्न की मात्रा के आधार पर इक्विटी के रूप में सहायता दी जाती है।

चाय बोर्ड मुख्यालय का गुवाहटी में स्थानांतरण

1734. **श्री प्रवीण डेका** : क्या **वाणिज्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चाय बोर्ड मुख्यालय को गुवाहाटी में स्थानांतरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसके कब तक स्थानातंरण हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एयरलाइनों द्वारा किराए में कमी

1735. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एयर टैक्सी चालकों ने अपने किरायों में कमी कर दी है;

(ख) क्या कुछ एयरलाइनों ने, जिनमें इंडियन एयरलाइंस भी शामिल है, विभिन्न प्रकार की रियायतें देनी आरम्भ की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस किराया घटाने की अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु कुछ कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) (घ) और (ङ) हवाई टैक्सी संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा लिये जाने वाले किरायों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनेक प्रचालकों ने प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में, अपनी मार्केट हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए, विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं।

विद्युत करघा सेवा केन्द्र

1736. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान कर्नाटक में विद्युत करघा सेवा केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित किए जायेंगे, और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1994-95 में खोले जाने वाले विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के स्थानों के बारे में निर्णय राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त होने के बाद तथा विद्युत करघा बाहुल्य क्षेत्रों के आधार पर किया जायेगा।

(ख) नये विद्युत करघा सेवा केन्द्रों को खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार 3 लाख रु. की पूंजी की राशि तथा 4.50 लाख रु. का आवर्ती व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ब्याज दर उदारीकरण

1737. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्याज दर उदारीकरण के लिए कोई स्पष्ट नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विश्व बैंक से इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) ब्याज दरों की प्रमुख वृहत्-आर्थिक प्रवृत्तियों और प्राथमिकताओं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा आपसी विचार-विमर्श द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उनमें संशोधन किए जाते हैं।

वर्ष 1992-93 के दौरान भारत के वित्तीय मंत्री में घटनाक्रम का अपने देशगत आर्थिक ज्ञापन(1993) में उल्लेख करते हुए विश्व बैंक ने "ब्याज दर उदारीकरण की व्यावहारिक नीति" का सुझाव दिया है।

हमारी ब्याज दर नीतियां हमारी विशिष्ट स्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं।

प्रत्यक्ष कर वसूली प्रणाली

1738. **डा. असीम बाला** : **क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष कर वसूली प्रणाली में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रणाली कब से आरम्भ की जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क), (ख) तथा(ग) ऐसे चार तरीके हैं, जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष करों की वसूली की जाती है, अर्थात्, स्रोत पर कर की कटौती, कर का अग्रिम भुगतान, स्वतः निर्धारण कर का भुगतान और निर्धारित कर का भुगतान। वित्त विधेयक, 1994 में यह व्यवस्था की गई है कि निगमित कर निर्धारिती अब अग्रिम कर का भुगतान मौजूदा, तीन किश्तों की बजाय चार किश्तों में करेंगी। इसके अतिरिक्त, इस विधेयक का उद्देश्य एक वर्ष में 1,20,000 रु. से अधिक के किराए के भुगतानों को भी स्रोत पर कर की कटौती के दायरे में लाने का है।

मध्य प्रदेश में बैकों द्वारा ऋण वितरण

1739. **श्री सूरज भानु सोलंकी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में 1991-92 और 1992-93 के दौरान तथा 31 जनवरी, 1994 तक कितना ऋण वितरित किया गया है;

(ख) अब तक कितना ऋण वसूल किया गया है; और

(ग) शेष राशि न वसूल किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी बैंक

1740. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की पर्याप्तता के मानदण्डों का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक आफ टोकियो को छोड़कर भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता के मानदण्डों का पालन किया है।

(ख) बैंक आफ टोकियो ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि उन्होंने कमी को पूरा करने हेतु अपने टोकियो मुख्यालय से धनराशि भेजने के लिए जापान के वित्त मंत्रालय की अनुमति मांगी है। बैंक को आशा है कि मार्च 1994 के अंत तक प्रेषण प्राप्त कर लेगा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ टोकियो के साथ मामला उठाया हुआ है। पूंजी पर्याप्तता की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने तक भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के अधिशेष लाभ को प्रेषित करने के उसके अनुरोध को स्थापित रखा है।

[हिन्दी]

उद्योगों में कार्यरत श्रमिक

1741. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार उद्योगों में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं, और

(ख) उत्तर प्रदेश में बीड़ी उद्योग में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार विभिन्न उद्योगों में नियुक्त कार्मकारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) लगभग 4,50,000।

विवरण

भारत में मुख्य कर्मकारों की औद्योगिक श्रेणियां

क्र॰ सं॰	श्रेणी	व्यक्तियों की कुल संख्या (ग्रामीण और शहरी)
1.	खेतीबाड़ी	110,702,346
2.	कृषि श्रमिक	74,597,744
3.	पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, शिकार और बागानी, बगीचा और सम्बन्धित कार्यकलाप	6,040,739
4.	खनन और उत्खनन	1,751,275
5 (क)	गृह उद्योग में विनिर्माण, प्रसंस्करण, सर्विसिंग और मरम्मत कार्य	6,804,021
5 (ख)	गृह उद्योग से इतर क्षेत्र में विनिर्माण, प्रसंस्करण, सर्विसिंग और मरम्मत कार्य	21,867,458
6.	भवन निर्माण	5,543,205
7.	व्यापार एवं वाणिज्य	25,296,337
8.	परिवहन, भण्डारण और संचार	8,017,746
9.	अन्य सेवाएं	29,311,622

स्रोत : भारत की जनगणना 1991-संघीय प्रारम्भिक जनगणना का उद्धरण 1991, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी

[अनुवाद]

विज्ञान स्नातक

1742. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने बेरोजगार विज्ञान स्नातक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं, और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर विज्ञान स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया है। योजना में ऐसे सेक्टरों, सब-सेक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिनमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभाव्यता है। भौगोलिक रूप से तथा फसलवार विविधीकृत कृषि विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं। इससे रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विज्ञान स्नातकों को भी लाभ पहुंचेगा।

विवरण

31-12-91 की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर विज्ञान स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) की संख्या

क्र. सं.	राज्य	चालू रजिस्टर पर संख्या (हजारों में)
1	2	3
	राज्य/संघ शासित प्रदेश	
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	**
3.	असम	17.9
4.	बिहार	94.9
5.	गोवा	2.1
6.	गुजरात	11.1
7.	हरियाणा	3.3
8.	हिमाचल प्रदेश	4.4
9.	जम्मू और कश्मीर	3.7
10.	कर्नाटक	21.5
11.	केरल	57.5
12.	मध्य प्रदेश	47.7
13.	महाराष्ट्र	43.5
14.	मणीपुर	4.9
15.	मेघालय	0.4

1	2	3
16.	मिजोरम	0.6
17.	नागालैण्ड	0.2
18.	उड़ीसा	15.1
19.	पंजाब	8.5
20.	राजस्थान	15.8
21.	सिक्किम	*
22.	तमिलनाडु	95.3
23.	त्रिपुरा	0.8
24.	उत्तर प्रदेश	49.2
25.	पश्चिम बंगाल	148.6
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.2
27.	चण्डीगढ़	3.0
28.	दादरा और नागर हवेली	**
29.	दिल्ली	40.1
30.	दमन और दीव	**
31.	लक्षद्वीप	**
32.	पाण्डिचेरी	2.4
	योग	750.8

टिप्पणी : 1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

3. ** आंकड़े 50 से कम।

विमानों के रख-रखाव पर सम्मेलन

1743. **श्रीमती शीला गौतम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 में विमानों के रख-रखाव पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारतीय वायु सेना के केंद्रीय सर्विसिंग विकास संगठन द्वारा "उभरती विमानन अनुरक्षण प्रौद्योगिकी" विषय पर जनवरी, 12-13, 1994 को एक राष्ट्रीय कन्वेंशन "एवियामैट" आयोजित की गई थी।

(ग) और (घ) कन्वेंशन की अंतिम सिफारिशें संकलित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

अवैध वित्त कंपनियां

1744. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में अवैध वित्त निवेश कंपनियां देश में व्यवसाय कर रही हैं और लोगों को ठग रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है, और

(घ) सरकार का ऐसी कंपनियों के व्यवसाय को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) से (घ) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनियों का पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किया जाता है, जो कंपनियां वित्तीय कारबार करती हैं, कंपनी रजिस्ट्रार उनके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इन कंपनियों का वर्गीकरण उनके वित्तीय कार्यकलापों के आधार पर करता है, जैसे ऋण, निवेश, किराया खरीद, वित्त पोषण, उपस्कर लीजिंग, विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (चिटफंड कंपनी) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी । भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III ख के प्रावधानों के तहत जमाराशियां स्वीकार करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को तीन दिशानिर्देश दिए हैं। सभी गैर बैंकिंग कंपनियों को अपनी जमाराशियां जुटाने संबंधी कार्यकलापों के संबंध में उन्हें लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होता है। कुछ कंपनियां, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया, उन्हें नई जमाराशियां स्वीकार करने के लिए निषेध कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों संबंधी समिति

1745. **श्री गुमान मल लोढा** :
डा॰ चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों का व्यापक अध्ययन करने के लिए श्री शंकर एन॰ आचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है,

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) श्री शंकर एन. आचार्य की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल पिछड़े इलाकों में औद्योगिकीकरण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन के संबंध में था।

(ख) इस समिति ने 24-12-1993 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ग) अध्ययन दल की सिफारिशों का सारांश रिपोर्ट के पैरा 7.3 में है, जिसे संलग्न किया गया है।

(घ) वित्त विधेयक, 1994 में पांच वर्षीय कर अवकाश की रियायत ऐसे जिलों को देने का प्रस्ताव किया गया है जो निर्धारित की जाने वाली कुछ मार्गनिर्देशिकाओं के अनुसार पिछड़े हुए हैं।

7.3 उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए अध्ययन दल की सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(क) औद्योगिक विकास में पिछड़े इलाकों के लिए केंद्रीय सरकार के कर-प्रोत्साहनों को दुबारा इस रूप में बनाने की आवश्यकता है, जिससे कर आधार का कम से कम नुकसान हो और यह सुनिश्चित हो सके कि कर प्रोत्साहन में निहित राजस्व हानि को देश में अत्यधिक औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए ही प्रभावकारी रूप से लक्षित किया जा सके।

(ख) केंद्रीय प्रोत्साहन के लिए राज्य में पिछड़े जिलों की पहचान उद्देश्यपरक एवं राष्ट्रीय रूप से निर्धारित मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए न कि राज्य औसतों पर आधारित मानदंडों पर। औद्योगिक निवेश के लिए कर-रियायत के संदर्भ में संभवतया निम्नलिखित कुछ सीमित संकेतकों पर विचार किया जा सकता है :

(i) क्षेत्र में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद;

(ii) क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादनकर्त्ता सेक्टर का हिस्सा;

(iii) क्षेत्र के कुल नियोजन में उत्पादनकर्त्ता सेक्टर द्वारा किए गए नियोजन का हिस्सा;

(iv) प्रति वर्ग कि.मी. पक्की सड़क;

(v) प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत;

(vi) प्रति हजार की आबादी पर टेलीफोनों की संख्या;

(vii) बैंक की शाखाओं की संख्या और प्रत्येक बैंक की शाखा द्वारा कितनी औसत आबादी की सेवा की जा रही है, और

(viii) प्रति हजार की आबादी पर ऋण एवं जमा।

इन सूचकांकों या संकेतकों को तुलना की दृष्टि से उचित महत्व देते हुए एक सम्मिलित सूचकांक के रूप में बनाना होगा।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण अधिमानतः राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रों के रूप में किया जाना चाहिए। राज्य इस लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप में पूरा कर सकते हैं क्योंकि प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए उन्हें परिभाषित किया गया है। जिलों के लिए इस प्रयोजन हेतु बिना किसी कठिनाई के आवश्यक सांख्यिकीय सूचना भी उपलब्ध हो सकती है।

(घ) सभी मानदंडों की समय-समय पर पुनरीक्षा और निरंतर आधार पर प्रणाली का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है।

(ङ) मानदण्डों का एक उचित सैट तैयार करने, औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची प्रदर्शित करने हेतु उन्हें जिला स्तर के आंकड़ों पर लागू करने और पिछड़े जिलों की सूची की समय-समय पर पुनरीक्षा के लिए योजना आयोग में एक सेल का गठन किया जाए, जिसमें उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को निरन्तर आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। ऊपर उल्लिखित मानदण्ड के सैट से इसका शुभारंभ किया जा सकता है।

कारों का आयात

1746. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुरानी कारों के आयात की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आयात और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पुरानी कारों सहित कारों के आयात की अनुमति केवल उन व्यक्तियों, संस्थाओं को ही दी जाती है, जिनका उल्लेख वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 26-6-1992 की सार्वजनिक सूचना सं. 21-आई.टी.सी. (पी.एन.)/92-97 में किया गया है, बशर्ते कि वे उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में दी गई शर्तों को पूरा करते हों। इस सार्वजनिक सूचना की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) चूंकि पुरानी कारों का आयात केवल विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ऐसे आयातों के देशीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है और इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

उद्योगों को बंद करना

1747. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक एककों को सरकार की पूर्व अनुमति लिये बिना बंद किये जाने की अनुमति देने के उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रमिकों के संरक्षण पर भी विचार किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में श्रमिकों की राय जानी गई है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) "नए औद्योगिक संबंध विधान" पर रामानुजम समिति की सिफारिशों और विभिन्न मंचों पर आयोजित विचार-विमर्श के आधार पर तथा पुनर्सरचना संबंधी अंतर-मंत्रालयीन ग्रुप की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार कर लिए गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। ये प्रस्ताव कर्मकारों तथा नियोजकों के संगठनों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ किये गये व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित है।

[अनुवाद]

सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई विदेशी यात्राएं

1748. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा अक्सर की जाने वाली विदेश यात्राओं पर रोक लगाने हेतु निर्देश जारी किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्देशों और उनके उद्देश्यों का अद्यतन ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा को विनियमित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को विदेश सभी भेजा जाए जब यह निहायत ही आवश्यक हो और इस मामले की व्यवस्था विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा नहीं की जा सकती। व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता हासिल करने के लिए ऐसी प्रतिनियुक्तियों की संख्या तथा विदेश में इस तरह के दौरों की अवधि को न्यूनतम रखे जाने की आवश्यकता है।

भारतीय मध्यस्थता अधिनियम परिषद

1749. **डा. असीम बाला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के वर्तमान संदर्भ में भारतीय मध्यस्थता अधिनियम परिषद, 1940 की क्या संभावनाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय मध्यस्थता अधिनियम परिषद में संशोधन करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय विधान पुस्तक में भारतीय मध्यस्थता अधिनियम परिषद, 1940 नाम से कोई विधान नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नीति

1750. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नीति के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसे अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसको "निर्गम नीति" का नाम दिया जा सके, अतः "निर्गम नीति" के संबंध में कोई निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय एक नया औद्योगिक संबंध कानून तैयार कर रहा है।

महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता

1751. **श्री रामनिहोर राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "महिला उद्यम निधि" योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे नये छोटे तथा लघु उद्योग एककों, जिनकी परियोजना लागत 20 लाख रुपये से अधिक न हो, को कार्यकारी पूंजी प्रदान करने के लिए एक "सिंगल विंडो" योजना आरंभ की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इन एककों के लिए कौन से मद आरक्षित किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार "महिला उद्यम निधि" योजना के अंतर्गत 753 इकाइयों को कुल 5.2 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी।

(ग) से (ङ) अपनी स्थापना से ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सावधि ऋण प्रदान करने के लिए तथा इसी एजेंसी द्वारा नयी अति लघु और लघु क्षेत्र की इकाइयों को कार्यशील पूंजी भी प्रदान करने के लिए एकल खिड़की योजना (एस.डब्ल्यू.एस.) परिचालित कर रहा है। इस समय जिन लघु क्षेत्र की इकाइयों की परियोजना लागत 20 लाख रुपये तक है और कार्यशील पूंजी की अपेक्षायें 10 लाख रुपये तक की हैं, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं। आरंभ में यह

योजना केवल राज्य वित्तीय निगमों (एस.एफ.सी.)/दोहरे कार्य वाले राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एस.आई.डी.सी.) द्वारा ही परिचालित की गई थी, लेकिन बाद में इस योजना को परिचालित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को भी इसका पात्र बनाया गया था। एकल खिड़की योजना का संबंध विशेष उत्पादों या उद्योगों या उद्योगों से नहीं है।

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद

1752. **श्री शरद दिघे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यू कैंडा कोयला खान में हाल ही में घटी आग लगने की दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए 1987 में बंद की गयी खानों में राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद को पुनः खोलने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) खानों में सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय परिषद को बंद करने के निर्णय का संदर्भाधीन खान दुर्घटना से कोई सबंध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निगमित क्षेत्र

1753. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों को अत्यधिक निवेश की अनुमति दिए जाने से भारतीय निगमित क्षेत्र अस्थिर हो जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) वर्तमान सुधार प्रक्रिया में निगमित क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी विशेष भारतीय कंपनी में किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा उसी समूह के विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेश उस कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत तक की सीमा के अधीन होते हैं। सामूहिक रूप से विदेशी संस्थागत निवेशक देशीय शेयर बाजारों/इशुओं के जरिए कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों के अभिरक्षकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को दैनिक आधार पर विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए लेन-देन के ब्यौरे भेजने होते हैं और "सेबी" विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किएं गए निवेशों पर कड़ी दृष्टि रखती है।

उड़ीसा के कृषि आधारित एकक

1754. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने उड़ीसा में कृषि आधारित एककों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किन जिलों का सर्वेक्षण किया गया है, और

(ग) ऐसे एकक किन-किन स्थानों में स्थापित करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने उड़ीसा में कृषि पर आधारित एककों को स्थापित करने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

नशीले पदार्थों के मामलों के लिए न्यायालय

1755. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
प्रो॰ प्रेम धूमल :
श्री सत्य देव सिंह :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नशीले पदार्थों की लत लग जाने संबंधी मामलों की सुनवाइ के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान देश में ऐसे कितने न्यायालयों का गठन किया जाएगा;

(ग) न्यायालयों में ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) इन्हें कब तक निपटा दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा विशेष अदालतों की स्वीकृति की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विशेष अदालतों की स्वीकृति की गई है :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष अदालतों की संख्या
1	2	3
1.	गोवा	1
2	महाराष्ट्र	15
3.	मणिपुर	4

1	2	3
4.	मेघालय	5
5.	त्रिपुरा	1
6.	वेस्ट बंगाल	4
7.	तमिलनाडु	6
8.	राजस्थान	1
9.	दिल्ली	10
	कुल	47

सभी राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतों का गठन करें। यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकी कि मार्च, 1994 के अंत तक कितनी और विशेष अदालतों का गठन होगा।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न अदालतों में 36400 मामले (अनंतिम) लंबित पड़े हैं। उनके अंतिम निपटान के लिए कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। तथापि, राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे अदालतों और अभियोजकों से यह अनुरोध करें कि मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कदम उठाएं।

[हिन्दी]

चारा मशीनें

1756. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ वर्ष पूर्व आयात की गई "फोमेटा" नामक चारा मशीनों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) इन मशीनों की वर्तमान स्थिति क्या है और उनसे कितना लाभ प्राप्त हुआ है, और

(घ) इस समय कार्य कर रही मशीनों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) यह आसूचना प्राप्त हुई थी कि आयातकों ने प्रदर्शन सबंधी प्रयोजनों के लिए भारत कृषक समाज के उपयोग के लिए 50 चारा मशीनों के आयात के लिए उनको जारी किए गए दिनांक 30 मार्च, 1987 के तदर्थ छूट आदेश की शर्तों का उल्लघंन करते हुए 3 करोड़ रुपये से अधिक की सीमाशुल्क राशि का अपवंचन

किया है। जांच-पड़ताल करने से प्रथम दृष्टया आयातकों द्वारा उल्लंघन किए जाने की बात की पुष्टि हुई। मशीनों को जब्त कर लिया गया और आयातकों तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था।

(ख) इस मामले में न्यायनिर्णयन हो गया था और मशीनों को जब्त कर लिया गया है। आयतकों को शुल्क मुक्त निकासी की गई मशीनों पर 3.37 करोड़ रुपये शुल्क अदा करने और 3.8 करोड़ रुपये जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है। आयातकों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों पर 1.58 करोड़ रुपये की राशि का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाया गया है। चूंकि विभाग द्वारा मशीनों को रोक कर रखा गया है, इसलिए फिलहाल उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ब्रिटेन के साथ समझौता

1757. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने पर्यावरण क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अनुदान देने की पेशकश की है और नवम्बर, 1993 में इस आशय का कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में इस उपयोग का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। नवम्बर, 1993 में यूनाइटेड किंग्डम सरकार के साथ "यूनाइटेट किंग्डम/भारत पर्यावरण अनुदान, 1993" हस्ताक्षरित किया गया, जिसके जरिए यूनाइटेट किंग्डम सरकार 5 वर्ष की अवधि में पर्यावरण क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 60.00 मिलियन पौंड की राशि देगी।

(ग) अनुदान के तहत अब तक कोई परियोजना शामिल नहीं की गई है।

[अनुवाद]

12.00 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों के नाम हैं, जो कुछ विषयों पर बोलना चाहते हैं। कुछ विषय राज्यों के रोजमर्रा के कार्य से सम्बन्धित हैं और कुछ विषय केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हैं। कुछ विषय लोक महत्व के हैं। अब मैं एक-एक करके उनके नाम लूंगा। इसलिए, कृपया मेरा साथ दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्व के सवाल को आपके सामने इसलिये रखना चाहता हूं कि पिछले 47 वर्ष से अदर बेकवर्ड क्लासिस का जो रिजर्वेशन का हक है वह लगातार टलता आया है। हिन्दुस्तान भर में बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह हक उनको अब तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन अदालत में लम्बित होने के कारण यह हक नहीं मिला और जब हक मिला तो UPSC से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेस में लोगों को भर्ती करने के जो नोटीफिकेशन आने शुरू हुए, ... (**व्यवधान**) ...

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नाम के सामने

[अनुवाद]

"देश के पेपर उद्योग में संकट" दिया है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूं।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनेक माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा, बशर्ते कि आप धैर्य रखें और समय का ध्यान रखें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान में अखबारी कागज बनाने वाले कारखाने बहुत संकट में हैं। देश में अखबारी कागज की, जो वार्षिक आवश्यकता है, वह 5.6 लाख टन है और हमारा जो स्वदेशी उत्पादन है, वह 4.78 परसंट है। अखबारी कागज पर से जो आयात किया जा रहा है वह 3.087 टन है।

उपाध्यक्ष महोदय, कागज उद्योग पर जो संकट आया है, क्योंकि आयात शुल्क कम कर दिया गया है। हिंदुस्तान में करीब 4.78 लाख टन का उत्पादन होता है। सरकारी क्षेत्र में 6 मिलें हैं और इसके अलावा 14 मिलें और हैं। इस संबंध में केलकर कमेटी ने 1988 में और 10वीं लोकसभा में बनी एस्टीमेट्स कमेटी ने रिपोर्ट दी है। आज देश में कागज उद्योग में 15 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। बाहर से सिर्फ 1 लाख टन कागज आयात करने की आवश्यकता है। अभी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार बच्चे पढ़ने-लिखने के लिए जो कागज इस्तेमाल करते हैं, उस पर तो एक्साइज ड्यूटी पहले की तरह है, लेकिन अखबारी कागज पर एक्साइज ड्यूटी मंझले

और छोटे अखबारों के लिए फ्री कर दी गई है, इनको 200 टन कागज आयात करने की छूट दी गई है। आज देशी मिलों में 40 लाख टन कागज का स्टाक पड़ा हुआ है, जो उठ नहीं रहा है। इस तरह से कागज उद्योग पर इतना बड़ा संकट आ गया है। जो कागज पहले 800 डालर प्रति टन की दर से आयात किया जाता था, उसके दाम घटकर 300-400 डालर प्रति टन रह गए हैं। इस तरह से विदेशी मिलें घाटा उठा कर भी यहां पर कागज भेज रही हैं, जिससे कि यहां का कागज उद्योग समाप्त हो जाए और फिर विदेशी मिलें मनमाना मुनाफा कमाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस नई आर्थिक नीति के चलते यह स्थिति पैदा हुई है और इससे चारों तरफ से संकट है। आज कागज उद्योग पर, जो इतना बड़ा संकट आया है और यह उद्योग बंद होने के कगार पर है, 15 हजार कर्मचारी जिसमें काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि इस उद्योग की रक्षा के लिए सरकार तत्काल कदम उठाएं।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, कल भी मैंने आपसे अनुमति देने का अनुरोध किया था। कृपया आज मुझे अनुमति दीजिए, महोदय ...**(व्यवधान)**...

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, श्री शरद यादव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह एक बहुत गंभीर विषय है। महोदय कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश जी, आपकी सूचना सूचना-कार्यालय में 10 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए थी, जो कि 10 बजे के बाद पहुंची है। इसलिए कृपया बैठ जाइए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रोशन लाल (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मीणा जाति के लोग मूल रूप से राजस्थान से संबंधित हैं। राजस्थान में मीणा जाति को अनुसूचित जन-जाति में रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मीणा जाति के लोग राजस्थान से ही आकर बसे हैं, परंतु मेरे खुर्जा संसदीय क्षेत्र में करीब डेढ़ लाख मीणा जाति के लोग रहते हैं, जिनको जन-जाति में शामिल नहीं किया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अपनी सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है कि उत्तर प्रदेश की मीणा जाति को भी अनुसूचित जन-जाति में शामिल किया जाए, परंतु यह मामला भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन है। मीणा जाति को अनुसूचित जन-जाति में शामिल न करने से इस जाति के लोग विधान में दी गई रियायतों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि मीणा जाति को शीघ्र अनुसूचित जन-जाति में शामिल करने की घोषणा की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रोशन लाल जी, जब तक कि कोई असाधारण स्थिति न हो आप इस तरह से यह पढ़ नहीं सकते हैं। यह ठीक नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री खण्डूरी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आमतौर पर परम्परा यही रही है कि आप सदन में वक्तव्य नहीं पढ़ सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, गढ़वाल क्षेत्र में प्रोजेक्ट 'टाईगर के अधीन अधिकारियों द्वारा बाघों की समुचित देखभाल व निगरानी में ढील दिए जाने से ये जानवर इस पार्क के बाहर आकर गढ़वाल के गांवों में आतंक फैला रहे हैं। अधेड़ उम्र के बाघों द्वारा आए दिन स्त्रियों व बच्चों पर दिन के समय ही हमला किया जा रहा है। अब तक एक दर्जन से भी अधिक लोग ऐसे बाघों की चपेट में मेरे जनपद पौड़ी गढ़वाल और चमोली में आ गए हैं। प्रोजेक्ट 'टाईगर' के कायदे कानूनों की वजह से जनता बाघों के आतंक के खिलाफ कुछ करने में असमर्थ है। गांवों में बाघों का आतंक व्याप्त होने से लोग अपनी दिनचर्या भी नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि अभिभावकों ने अपने छोटे बच्चों को स्कूलों में भेजना भी बंद कर दिया है क्योंकि बाघों ने कितने ही बच्चों को घायल कर दिया है या मार दिया है। बाघों द्वारा मारे गए या घायल लोगों को उचित मुआवजा भी नहीं मिल पर रहा है क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय के नियम ऐसे हैं कि आर्थिक सहायता लेने में बहुत कठिनाई होती है। मेरा पर्यावरण एवं वन मंत्री से निवेदन है कि बाघों के इस आतंक को रोकने का तुरंत बंदोबस्त करें और मुआवजा प्रक्रिया को भी ठीक करें। इसके साथ ही नरभक्षी बाघों को मारने हेतु एक व्यापक व उचित नीति बनायें, वर्तमान नीति गलत ही नहीं बल्कि अनुचित है।

[अनुवाद]

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय, मेरे राज्य में विधवाओं के लिए पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान में विलम्ब होने से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। पेंशन के भुगतान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहां तक कि लाभकर्ताओं को प्रार्थना-पत्र भी उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार लोगों को राजनीतिक तरीकों से परेशान कर रही है। इसके साथ-साथ, केन्द्र सरकार ने भी समय पर राशि जारी नहीं की है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य को तत्काल कुछ धनराशि जारी करें और राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दें कि वे ऐसे मामले में उपयुक्त राजनीतिक मुद्दों को न उठाएं।

12.15 म.प.

[हिन्दी]

महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से हरिजन-आदिवासियों पर अत्याचारों की बाढ़-सी आ गई है। 24 फरवरी को छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां के बिलासपुर जिले के चंद्रपुर में सुंदरवती नाम की एक महिला मजदूर, जो वहां के हैंड-पंप पर जिसके यहां काम करती थी, उसकी चादर धो रही थी तो अचानक केदार सिंह हवलदार वहां आया। उस महिला के जवाब देने के बाद वह हवलदार उस महिला को भीगे कपड़ों में राजेश अग्रवाल की राईस मिल में ले गया। चादर के बारे में पूछने के बाद उस महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया और केवल एक साड़ी के टुकड़े में बड़ी मुश्किल से वह आदिवासी महिला अपनी लाज बचाती है। वह साड़ी का टुकड़ा उसके शरीर से खींच लिया गया और बाल पकड़कर उसको जमीन पर पटक दिया गया। राजेश अग्रवाल, हवलदार और चौकी के प्रभारी ने मिलकर उस महिला की लात और मुक्कों से पिटाई की। उस महिला के शरीर पर मेडिकल करने पर चोट के निशान पाए गए हैं। इसके बाद उस महिला के पति सामरा को उसकी पत्नी के साथ राईस मिल में बंद कर दिया गया। बाद में पत्नी को छोड़कर उसके पति को झूठे मामले में जेल भेज दिया गया और 28 फरवरी को वह एस.डी.एम. के यहां जमानत पर रिहा हुआ। रिहा होने के बाद उसने लोगों को और प्रेस को घटना के बारे में बताया, जिससे सभी को जानकारी मिली। इस देश में जहां "यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ति तंत्र रमन्ते देवता" के गायन गाए जाते हैं, तो भी हरिजन-आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा और देश इसको कब तक विवशता से देखता रहेगा ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ठोस उपाय किए जाएं, ताकि कानून के रक्षक कानून की रक्षा के लिए वर्दी पहनकर कम से कम बेबसों की इज्जत के साथ खिलवाड़ न कर सकें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : नियम 193 के अंतर्गत बहस होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज आपने दो प्रश्न उठाने के लिए सूचना दी है आपको एक प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : महोदय, मैं इन माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं, जो चर्चा करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : इस पर मंत्री जी का बयान आना चाहिए और महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं को लेकर 193 के तहत डिसकशन होना चाहिए।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य ने महिलाओं को निर्वस्त्र करके उसे अपमानित करने की घटना को बताया। इसी प्रकार फरीदाबाद में भी दो बच्चों की लड़ाई में एक मां को निर्वस्त्र करके जला देने का काम किया गया। वह महिला घायलावस्था में अस्पताल में पड़ी हुई है। ये जो घटनाएं बार-बार हो रही हैं इससे स्पष्ट है कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर दुश्मनी निकालने की समाज में एक आम प्रवृत्ति बनती जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाये तथा सभी मुख्यमंत्रियों को कड़ा निर्देश दिया जाये कि महिलाओं के साथ इस तरह का जो भी अमानवीय व्यवहार करता है या उनकी सामाजिक रूप से अपमानित करने की कोशिश करता हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। अगर पुलिस कर्मचारियों द्वारा इसमें लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तभी महिलाओं को अपमानित करने वाले मामले रुकेंगे। यह बड़े शर्म की बात है, बार-बार हमारी बहनों को बेइज्जत होना पड़ता है।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजागंज) : इसी सदन में विदेश मंत्रालय में ढाका में कार्यरत एक आई.ए.एस. अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी को जलाने का मामला उठा था। सरोज दुबे जी ने भी उषा ढींगरा को जलाये जाने का मामला उठाया था। सरकार चुप रहती है हम जलाई जाती हैं, प्रताड़ित की जाती है, बेइज्जत की जाती है। सरकार आश्वासन देती है, लेकिन द्रौपदी के शरीर से वस्त्र उतारने का क्रम जो शुरू हुआ वह अभी तक जारी है। आज भी दु:शासन हंसते है और आनन्द लेते हैं। सरकार इस पर जवाब दे और महिलाओं के निर्वस्त्रीकरण को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाये।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, जब यह प्रश्न उठाया गया था, तो उस दिन एक चर्चा हुई थी। अब मैं यह नही समझती कि ऐसी छोटी-मोटी चर्चाएं समस्या का हल कर सकती हैं ? हर हाल में इसका हल बहुत ही कठिन है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस सत्र से इस प्रश्न पर नियम 193 के अन्तर्गत पूरी बहस अवश्य होगी। इस प्रश्न पर हम पिछले दो सत्रों में चर्चा करनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रश्न को सरकार की प्राथमिकता सूची में जगह नहीं मिल पाई।

इसलिए, महोदय, मैं दृढ़ता से यह मांग करती हूं कि महिलाओं पर अत्याचार के विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत पूरी चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि हमें इस मामले को राजनीति में घसीटने की बजाए इस पर अनेक सुझाव देने का अवसर प्राप्त हो सके।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी की राय से मैं पूर्णतः सहमत हूं और यह मानती हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में पूर्ण चर्चा होनी चाहिए। इतना ही पर्याप्त नहीं हैं, हम शून्यकाल में भी अक्सर ऐसे ही एक-दो मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं मिलता है। जैसा कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है, हमारे पास इस मुद्दे पर अनेक सुझाव हैं। इसलिए, मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वे महिलाओं पर अत्याचार के विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत एक चर्चा करवाने की व्यवस्था करें।

अब महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया क्षमा कीजिए। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बाद में देखूंगा।

[हिन्दी]

कुमार उमा भारती (खजुराहो) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इसी मामले में इतना निवेदन है कि 193 के अंतर्गत इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ आप कड़ाई के साथ गृह मंत्रालय को निर्देश दीजिए कि जब भी इस प्रकार का कोई मामला सदन में लाया जाता है तो गृह मंत्रालय ठीक से उसकी रिपोर्ट पेश करे। अभी तक मैंने सदन में जो महिलाओं के बारे में मामले उठाए थे, उनके बारे में आश्वासन दिया गया था कि सदन में उसके बारे में रिपोर्ट पेश की जाएगी और अगर गृह मंत्रालय कड़ाई के साथ प्रदेश सरकारों को निर्देश देगा तो इस पर कार्रवाई होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर 193 के अंतर्गत चर्चा के सुझाव को स्वीकार करें और सदन में इस बारे में विचार-विमर्श अवश्य होना चाहिए।

प्रो. रीता वर्मा : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही हैं यह तो इसी से पता चलता है कि दौना गांव की जो घटना हुई थी, उसके बारे में लोकसभा में अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है और राज्य सभा में भी 40 दिन के बाद स्टेटमेंट दिया गया है। इसी से सरकार की गंभीरता प्रकट होती है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गृह मंत्रालय इस मामले में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। जैसा गीता जी ने कहा कि पिछले दो सत्रों में बार-बार इस मामले पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई समय नहीं मिलता है उनकी समस्याओं की कोई अहमियत नहीं है और इस सत्र में भी सरकार के रवैये से लग रहा है कि पता नहीं इस पर चर्चा होगी या नहीं। मैं आपसे अपील करती हूं कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 193 में अंतर्गत इस पर चर्चा कराएं और गृह मंत्रालय को निर्देश दें कि इस पर समुचित बयान दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती कमला कुमारी करेड्डुला (भद्राचलम) : मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निष्पक्ष रूप से बोलूंगी। यह किसी दल विशेष का मामला नहीं है; यह मामला केवल किसी एक राज्य अथवा एक विशेष घटना अथवा एक विशेष दल तक सीमित नहीं है। इसे किसी भी दल, किसी भी व्यक्ति विशेष से ऊपर होना चाहिए।

यह बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे जैसे देश में स्वतंत्रता के 45 वर्ष बाद भी, जहां इतनी सभ्यता विकसित हो गई है, तथाकथित सभ्य लोग हैं अपराधी खुले आम धूम रहे हैं; उनके लिए कोई कड़ी सजा नहीं है। कुछ मामलों में तो पुलिस अथवा गृह विभाग द्वारा चाहे वह राज्य कोई भी हो एफ.आई.आर. तक भी दर्ज नहीं की गई हैं। यह रवैया है पुलिस और गृह विभाग का। उन्होंने महिलओं पर अत्याचार के विषय को रोचक विषय बना दिया है। विशेषकर कि हमारे जैसे देश में चाहे वह एक कमजोर वर्ग की महिला से अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हो अथवा कोई भी महिला हो, अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सदन को इस संबंध में एक विधान पारित करना चाहिए और राज्य सरकार को निर्देश देने चाहिए कि वे कड़े कदम, कानूनी कदम उठाएं और साथ ही गृह मंत्रालय को भी ऐसी ही कार्यवाही करनी चाहिए। इसके बाद नियम 193 पर चर्चा करनी चाहिए।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : अब मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं 'महिलाओं पर अत्याचार' विषय पर बोलूं अथवा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घटित रेल दुर्घटना के बारे में बोलूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आपको महिलाओं पर अत्याचार विषय पर बोलना चाहिए।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या उस विषय पर बोलने के लिए आप मुझे फिर अवसर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस विषय पर बाद में बोल सकती हैं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : सदन का तथा शून्यकाल का समय बरबाद किए बिना मैं यह कहूंगी कि मैं सुझावों से पूर्णतः सहमत हूं, जो हमारी महिला सांसदों द्वारा दिए गए है। इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी ही चाहिए, ताकि हम महिलाओं पर अत्याचार जैसे गंभीर मुद्दे को उठा सके।

क्या अब मैं अपना दूसरा मुद्दा उठाऊं, जिसके लिए मैंने सूचना दी थी ? परसों हमारे निर्वाचित क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। श्री जार्ज फर्नान्डीज।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज को बुलाया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि शून्यकाल में केवल असाधारण विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। अर्थात् शून्यकाल में केवल अत्यधिक महत्व के प्रश्न ही उठाये जाने चाहिये।

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुजा) : महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना एक वक्तव्य दें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है ···**(व्यवधान)**··· महोदय महिलाओं पर अत्याचार ऐसा विषय है जिस पर हम सब चर्चा करने के इच्छुक हैं। ···**(व्यवधान)**···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कृपया पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ···**(व्यवधान)**···

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं और इस बात पर मुझे बहुत परेशानी है कि महिलाओं के सवाल पर केवल महिलायें ही बोल रही हैं। यहां अभी कहा गया कि अनेक दुःशासन हैं और इन सवालों पर उनको जैसे काफी मजा आता हैं, लेकिन दुःशासन केवल एक ही तरफ नहीं हैं। हम यह समझते हैं कि महिलाओं का जब भी कोई सवाल यहां आता है तो केवल महिलाएं ही उस पर बोलें और पुरुष अपने मन में बहुत कुछ होते हुए भी, उसके समर्थन में, सहानुभूति में कुछ बातें ही कहें, स्थिति की गंभीरता को न समझते हुए, जैसे महिला कोई एक मजाक की चीज हैं, यह कोई मुंह दबाकर हंसने जैसी बात नहीं है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं और इसकी मुझे बहुत परेशानी है, आपत्ति है। इस सदन में कुछ लोग ऐसे ही हंसते हैं।

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

उपाध्यक्ष जी, इसके साथ जिस सवाल को उठाने का मैंने नोटिस दिया था, वह सवाल भी महिलाओं के साथ जुड़ा है इस शहर में रेड लाइन बसें चलती हैं, जिनके बारे में कल मंत्री जी ने एक बयान भी दिया था और कहा था कि उसमें कोई घूस वगैरह नहीं ली गयी थी, लेकिन मैं यहां घूस आदि के बारे में बोलने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। आजकल जिस लिबरेलाइजेशन की चर्चा जोरों पर है, आप हर मामले में निजीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उसका उदाहरण दिल्ली में चलने वाली रेड लाइन बसें हैं, जिनमें इस प्रकार के नारे लिखे हुए हैं, जिन्हें देखकर और पढ़कर मुझे बेहद परेशानी होती है, लेकिन इस सदन में उनका जिक्र किये बगैर मैं नहीं मानता हूं कि सरकार उनके बारे में कुछ सोचेगी या उसका कोई इलाज हो जायेगा, क्योंकि 28 फरवरी के टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर एक समाचार छपा है, जिसके बारे में मैंने कल इस प्रदेश के कुछ बड़े सरकारी लोगों से बात की थी, उसके बाद पुलिस के लोगों से भी बात की थी, लेकिन मुझे पता लगा है कि इस पर कोई कार्यवाही न तो राज्य सरकार ने की है और न संबंधित किसी विभाग ने की है। नई रेड लाइन बसों में लिखा है "स्कर्ट पहन कर, कमर क्यों बल खाती हो, नजरें मिलाकर नजरें क्यों झुकाती हो।" इसके आगे लिखा है "आंखों में लगा कर काजल, गुलाब जैसी महकाती हो, बस में खड़ी होकर क्यों ड्राईवर को तरसाती हो।"

ऐसी चीजें अगर बसों में लिखी जायें, निजी बसों में लिखी जायें, डी.टी.सी. की बसों में लिखने की तो बात ही नहीं है, लेकिन रेड लाइन बसों की पूरी योजना जिस तरह से कुछ गुंडे लोगों के हाथ में चली गयी और उनकी हरकतों को जिस तरह महिलाओं को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, छोटी बच्चियां स्कूल जाने वाली ही स्कर्ट पहनती हैं, बड़ी महिलाएं स्कर्ट नहीं पहनती हैं, जब उन बच्चियों के बारे में ऐसी बातें बसों में लिखी जायें और ऐसा नहीं है कि गलती से किसी ने लिख दिया हो, बाकायदा लिखा हुआ है और एक बस में नहीं, सैंकड़ों बसों में इस प्रकार की अश्लील बातें, भद्दी बाते लिखकर महिलाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार बसों में हो रहा है, उससे ऐसे लगता है जैसे इस शहर में, राजधानी में कोई सरकार ही नहीं है। महिलाएं आज रोती हैं और कहती है कि हम कहां जायें, क्या करें, बसों में कैसे बैठें। कदम कदम पर महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, आप लोग जिस उदारीकरण की नीति पर चल रहे है, आप इसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने आपको इतना मनमोहित कर लिया है कि आपकी उदारीकरण की नीति इस देश की सभ्यता को कहां ले बैठेगी, हमारी एक-एक मान्यता को कैसे ले बैठेगी, उसका उदाहरण यहां चलने वाली रेड लाइन बसें हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि गृह मंत्रालय इस पर तत्काल कार्यवाही करे और दूसरे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तत्काल सूचना दी जाये कि एक-एक बस की जांच हो और जिनमें इस तरह की चीजे लिखी पाई जायें उनको जब्त कराने की, उनके मालिकों को गिरफ्तार करने और अदालत में तत्काल उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेजने का काम सरकार करे। उन्हें जेल भेजने की बात हो। इंडियन पीनल कोड की दफा 509 में इनसल्टिंग दी मौडेस्टी ऑफ ए वूमैन का कानून आपके पास है। उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और स्टेट ट्रांसपार्ट अथारिटी को तत्काल ताकीद देनी चाहिएं। मैं मानता हूं कि दिल्ली में सरकार है, दिल्ली प्रशासन है। हमने उस सरकार से इस बारे में बात की है, लेकिन हम चाहेंगे कि गृह मंत्रालय इस पर तत्काल पहल करे। यह केवल महिलाओं का मामला नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और मान्यता से जुड़ा हुआ मामला है, यह मानकर इसकी कार्यवाही की जाए।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और सदन का ध्यान बहुत महत्वपुर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था तब समाचार पत्रों की हड़ताल थी, जिस कारण किसी को उसकी इम्प्लीकेशन्स का पता नहीं लगा। बाद में जब लोगों ने उसे पढ़ा तो उन्हें मालूम हुआ। वित्त मंत्री ने बिदेशी आयात पर तो आयात शुल्क कम कर दिया, लेकिन लघु उद्योगों में बनने वाली चीजों पर उत्पाद शुल्क लगाया है। इसके कारण आज उत्तरी विभाग के सभी लघु उद्योग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आप जानकर हैरान होंगे कि साबुन, पाइप फिटिंग्स, हेयर फिक्सर, स्टील उद्योग, आयुर्वेदिक दवाइयों पर शुल्क लगाया हैं छोटे उद्योगों में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं श्री फर्नान्डीज ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि उदारीकरण की नीति जो भारत के लिए होनी चाहिए, वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए कर दी है और भारत में जो लघु उद्योग हैं, उनको बन्द करने पर तुले हुए हैं।

हम मांग करते है कि बढ़ाया गया उत्पाद शुल्क तुरन्त वापस लें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम इनकी बात का पूरा समर्थन करते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मैं तत्कालिक लोक महत्त्व के विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी संघ लोक सेवा आयोग और प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें सरकार द्वारा घोषित आरक्षण नीति के तहत मंडल कमीशन के 27 प्रतिशत आरक्षण का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। उम्र के संबंध में छूट के बारे में और चांसेस रिलैक्सेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इस देश के जो 52 फीसदी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है।

इतना ही नहीं, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए सरकार टालमटोल की नीति अपना रही है, आयरन फिल्टर गेट लगा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सरकार आयरन फिल्टर गेट को तुरन्त हटाने और आरक्षण के लिए मंत्रालय को आदेश दे। नये किस्म के क्रीमी लेयर न लगायें।

इस सवाल को तीन दिन पहले मैंने उठाया था। माननीय कल्याण मंत्री जी ने ···**(व्यवधान)** सरकार ने एश्योरेंस दिया था···**(व्यवधान)**···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : यह एक ऐसा इशू है, जिस पर सब चिंतित है। इस प्रकार की जहां भी स्थिति आई है, वह सरकार के विलम्ब के कारण ही आई है। यहां भी चार साल का विलम्ब सरकार की वजह से हुआ है। इसका रिलैक्सेशन हमेशा दिया जाता है। इसलिये सहज स्वाभाविक रूप से रिलैक्सेशन की मांग की जा रही है जिसका समर्थन सभी कर रहे हैं। जैसा कि यह कह भी रहे हैं कि कल्याण मंत्री जी ने कह भी दिया है···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार मुझे खेद है कि मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव इस विषय पर बोल ही चुके हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : तीन दिन पहले जब मैंने यह सवाल उठाया था, तो कल्याण मंत्री जी ने कहा था कि इस पर सरकार विचार करेगी। मुझे उच्च पदस्थ सूत्रों से खबर मिली है कि

[श्री नीतीश कुमार]

इस मामले को जानबूझ कर उलझाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के रैफ्रैंस की तैयारी हो रही है जो कि मात्र टालने के लिये है, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय न हमले। विलम्वित न्याय, न्याय न मिलने के समान है। यह सवाल साफ है कि मैंने चार तर्क देकर अपनी बात को कहा था। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 1990 में मिलना था और अगर मिल गया होता और मामला कोर्ट में न गया होता, तो उन्हें आरक्षण की सुविधा मिली होती। 9 प्रकार की कैटेगिरीज को यू.पी.एस.सी. में आरक्षण मिला हुआ है। सबको ऐज रिलेक्सेशन और चांस रिलेक्सेशन मिला हुआ है। क्रिमी लेअर का जब प्राविजन हो गया तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण के साथ-साथ आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को यह सुविधा मिली। हर प्रकार से उनका हक बनता है कि अन्य कैटेगिरिज के अनुरूप इनको ऐज और चांस में रिलेक्सेशन मिले। अब जान-बूझकर इस सुविधा से उन्हें वंचित करने के लिए साजिश हो रही है। हम मांग करते हैं कि कल्याण मंत्री जी ने इस सदन में जो आश्वासन इस पर विचार करने का दिया था, उस पर तत्काल कार्यवाही हो। चूंकि यू.पी.एस.सी. में परीक्षायें घोषित हो चुकी है। अगर इस पर निर्णय तत्काल नहीं लिया जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। इस गंभीर स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर तुरन्त अमल करना चाहिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग निरंतर की जा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। कल्याण मंत्री जी ने तीन दिन पूर्व सदन में इसके संबंध में आश्वासन दिया था। जब सारा सदन इस बात पर सहमत है तो निश्चित रूप से छूट दी जानी चाहिए। अगर छूट नहीं दी जाएगी, तो इसका वास्तविक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को और ओ.बी.सीज. को नहीं मिलेगा। इस विषय को और लंबा न खींचा जाए। मंत्री जी तत्काल घोषणा करें, ताकि उन्हें लाभ पहुचाया जा सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इससे सहमत थे कि शून्यकाल को 12 बजकर 30 मिनट पर समाप्त कर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है। कल शून्यकाल एक बजे तक चला।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने शून्य काल को आधे घंटे के लिए सीमित रखा है जैसा कि सभी दलों द्वारा सहमति प्रकट की गई थी। माननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाये हैं।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, कुछ अत्यावश्यक मामले पिछले दो-तीन दिन से लंबित पड़े हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ मामलों को समय की कमी के कारण चर्चा के लिए नहीं लिया जा सका, इस तरह से माननीय सदस्यों के मन में उत्तेजना और अशक्ति होगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, देवेन्द्र जी ने जो मामला उठाया, वह कोई मामूली मामला नहीं है। अभी आडवाणी जी ने कहा। मैं समझता हूं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वे भी इस बात को मानेंगे कि यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। उनको पांच साल के ऐज और चांस की छूट दी जाए। जिन राज्यों में बैकवर्ड क्लासिज की सूची नहीं बनी है, उनको बनाया जाए। दिल्ली में कुछ सैनी जाति के लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सैनी को पूरे देश में पिछड़ी जाति में मान्यता मिली हुई है, लेकिन दिल्ली में नहीं मिली हुई है। मैं मांग करता हूं कि जिन राज्यों में बैकवर्ड क्लासिज की लिस्ट नहीं बनी है, वहां एक महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सैकेटरी, ज्योंट सेक्रेटरी को भेजे। एक महीने में तमाम देश के बैकवर्ड क्लासिज की सूची को आप बनाए और जितनी भी सर्विस निकल रही हैं, सिर्फ यू.पी.एस.सी. ही नहीं, बल्कि चाहे बैंक की सर्विस हो या दूसरी सर्विसिज हों, हर सर्विस में बैकवर्ड क्लास के लिए 27 परसेंट सीटे रिजर्व की जाए। शिक्षण संस्थाओं में भी यूनिवर्सिटी में, कालेज में चाहे एडमिशन का मामला हो या प्रोफेसर के पद का मामला हो, 27 परसेंट सीटे बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व की जाए। यह हमारी मांग है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को जो विस्फोटक स्थिति बन रही है, उसके बारे में चेतावनी देने के लिए केवल एक मिनट का समय लेना चाहता हूं और यदि इसको रोकने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए गए, तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार के लाखों कर्मचारियों ने बहुत पहले, पिछले वर्ष 12 अक्तूबर को सरकार के साथ एक समझौता किया था कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार ने कहा था कि इसे एक महीने में गठित कर दिया जाएगा। आयोग ने गठन और उसके विचारार्थ विषयों का निर्णय होना था। अब पांच महीने गुजर गए हैं। वे इस संबंध में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वे इस बारे में चुप हैं। आयोग और उसके विचारार्थ विषयों की घोषणा करने के लिए मंत्रिमण्डलीय सचिव और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को दिए गए अभ्यावेदन विफल रहे हैं। इस पर कोई अनुक्रिया नहीं हुई है। मंत्रिमण्डलीय सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि संसद के इस सत्र के शुरू होने से पहले सब बातों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। अतः सरकार अपने आश्वासन से मुकर गई है।

हमें बताया गया है कि इसमें विलम्ब होने का कारण प्रधान मंत्री कार्यालय में फाइलों का जमा हो जाना है, जहां कोई भी उन फाइलों को नहीं निकाल रहा है। अतः इस मामले में बिलम्ब करने का नतीजा यह होगा कि पूरे देश में केन्द्र सरकार के कर्मचारी फिर से आन्दोलन के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अतः यह बेहतर होगा कि सरकार ने कर्मचारियों को जो आश्वासन दिया है कि वह पांचवां वेतन आयोग गठित करने के बारे में घोषणा करेगी, उसकी घोषणा करने के लिए समय पर कदम उठाए जाएं।...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री शरद यादव जी, हम इस बात पर सहमत हो गए हैं कि हम 12.30 बजे मध्याह्न पश्चात तक शून्यकाल का कार्य पूरा कर लेंगे।

...**(व्यवधान)**...

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कृपया श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य को बोलने की अनुमति दीजिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के बारे में है, जो कि संकट में है।...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी यदि मैं आपके लिए सभा का समय बढ़ाऊंगा, तो मुझे दूसरों को भी बोलने का अवसर देना पड़ेगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी का ध्यान राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के उस संकट की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जो उसके वातावरण को खराब कर रहा है, जहां कर्मचारियों का एक वर्ग नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर रहा है और गुण्डागर्दी और हिंसा के माध्यम से इसके काम को पूरी तरह से अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा है। एक कथित अनियमित पदोन्नति आदेश जिस पर निदेशक से दैहिक हिंसा की धमकी देकर हस्ताक्षर करवाए गए थे, इसका तत्कालिक कारण है। हमने देखा है कि इसके बाद न तो निदेशक को और न ही अन्य अधिकारियों को ही कार्यालय आने दिया गया है और वेतन बिल नहीं बनाने दिए गए। इसके बावजूद हम में से कुछ संसद सदस्य मंत्रालय और विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि तत्स्थानिक सर्वेक्षण के माध्यम से मत्रालय के अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच करवाई जाए। मंत्रालय इस संबंध में निष्क्रिय बैठा हुआ है और संकट को गहराने दे रहा है।

अब दूसरी बात यह है कि समाचारों पत्रों की रिपोर्टों से हमने सुना है कि मंत्रालय ने फैक्स संदेश के माध्यम से पदोन्नति को निरस्त करते हुए निदेशन द्वारा दिए गए आदेश को बदल दिया है। इससे राष्ट्रीय पुस्तकालय के वातावरण में एक नया तनाव उत्पन्न हो रहा है।

हम सरकार से निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को कोई भी ऐसा आदेश देने से पहले विभाग को तत्काल अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निदेशक कार्यालय आते हैं, और पदोन्नति आदेश पर केवल अपना विचारित निर्णय दें और पुस्तकालय में जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जो लगातार निदेशक के प्राधिकारों का अनेक अधिकारियों द्वारा उल्लंघन हो रहा है और जो गुन्डागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बारे में भी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए।

हम चाहते हैं कि इस प्रतिष्ठित संस्थान का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जाए और संसद सदस्यों को तत्काल सूचित किया जाए कि सरकार द्वारा इन संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : ओ.बी.सी. वाले का क्या हुआ ?...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में नीतीश जी, और अन्य सदस्य बोल चुके हैं, मेरा अनुरोध है कि...

...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : इस पर सरकार का रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा, हम यह जानना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : महोदय, इसका इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, इस सभा में और भी माननीय सदस्य हैं, जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाने हैं। इस विषय ने काफी समय ले लिया है। आप इस मामाले की तात्कालिकता सरकार को बता चुके हैं। कृपया अब दूसरे लोगों को भी अपने मामले उठाने का अवसर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सरकार ने आश्वासन दिया है इसका इम्पलीमेंटेशन होना चाहिये। अब एक सप्ताह से ज्यादा समय नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**... हम इसलिये बार-बार कह रहे हैं, क्योंकि अगर यू.पी.एस.सी. का एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा। ...**(व्यवधान)**...हम यह जानना चाहते है कि इस आश्वासन का इम्पलीमेंटेशन होगा या नही होगा, आप हमें सिर्फ यह बता दें। ...**(व्यवधान)**...

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : ऐसा महसूस होता है कि नीतीश कुमार जी को हर चीज में सरकार की ओर से साजिश ही नजर आती है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। आप माननीय सदस्यों के दिल में जितनी भावना है कि पिछड़ी जाति के नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए, उतनी ही नहीं, उससे कई गुना ज्यादा भावना इधर बैठे हुए माननीय सदस्यों को भी है और सरकार की भी है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि इतने गंभीर मसले, जो इस तरह से उठाए जाते हैं...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है।

[हिन्दी]

तो आप बताइये किस तरह से उठाए जाएं। एक सप्ताह का समय हैं, कल्याण मंत्री ने एश्योरेंस दिया है। मुझको जानकारी है कि लॉ मिनिस्ट्री में और वेलफेयर मिनिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में रेफर करने की तैयारी हो रही है,...**(व्यवधान)**... कि मामला खटाई में पड़ जाए और इस साल लोगों को लाभ न मिले।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : **महोदय, मैं आपने माध्यम से माननीय सदस्य से केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार कोई भी गैर-कानूनी काम नहीं करेगी।** ...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले पर हमें आश्वासन दिया गया है, अब आप हमें यह बताएं कि आप इसमें क्या करने वाले है ? आप सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है आंप इसको टालेंगे। आप इसमें कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे ?

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, देर से न्याय मिलना न्याय न मिलने के समान है। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय सदस्यों की भावनाओं को निश्चित रूप से उचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं एक बजे तक सदस्यों के नाम पुकारूंगा। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। यदि प्रत्येक सदस्य एक या डेढ मिनट तक बोलना चाहता है तो हमें एक बजे तक समय बढ़ाना पड़ेगा। आज का दिन एक आसाधारण दिन है और इसको एक पूर्वोदाहरण परंपरा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। शून्यकाल साढ़े बारह बजे तक समाप्त करना होगा। चूंकि अनेक सदस्य बहुत उत्तेजित हैं और सभा के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया, जिसमें सभा का अधिक समय लग गया, इसलिए दूसरे लोगों को अपनी समस्याओं पर प्रकाश डालने का अवसर देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अतः असाधारण परिस्थितियों में समय बढ़ाया जा रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हर एक को बुलाऊंगा। आपका नाम अंत में पुकारा जाएगा। सभापतित्व करने वाले अधिकारी के साथ बात करने में समय नष्ट हो गया। कुछ वरिष्ठ सदस्य वास्तव में क्षुब्ध हो गए हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे देश में अखबारी कागज उद्योग में चल रही मंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। अखबारी कागज उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि बहुत कारगर ढंग से काम कर रहे हैं, ये अब एक कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं और लगभग 10,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज का ढेर लग गया है और इसका अनेक फैक्ट्रियों के विभिन्न गोदामों में भण्डारण किया गया है। एक फैक्ट्री अर्थात हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेल्लूर में स्थित है और पिछले दो सप्ताह के दौरान उसमें 10,000 मीट्रिक टन से अधिक अखबारी कागज का ढेर लग गया है। नेपा मिल, तमिलनाडु मिल, मैसूर मिल जैसी अन्य मिलें और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि अखबारी कागज का मुक्त आयात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नित्तला जी, आपको अपने मित्रों को भी अवसर देना चाहिए। इसलिए कृपया अपनी बात जल्दी से समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, आपके बार-बार दखल देने के कारण मैं अपनी बात जल्दी समाप्त नहीं कर पा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपकी बात में दखल दे रहा हूं, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला : अखबारी कागज उद्योग में 2:1 फार्मूला अपनाया जा रहा है अर्थात दो टन अखबारी कागज खरीदने पर एक टन आयात करना पड़ता है, लेकिन यह फार्मूला बिलकुल ही कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जमाखोरी विरोधी कानून है। प्रश्न यह है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सस्ती पर अखबारी कागज हमारे देश में आयात किया जाता है। यह प्रेस के लिए भी खतरनाक है। आज वे उन्हें रियायती दर पर अखबारी कागज दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद पूरे देशी उद्योग को हानि होगी और ये लोग इस तरह से पूरे भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगे। इसका प्रेस पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं माननीय उद्योग मंत्री से इस समस्या के समाधान हेतु एक तत्काल बैठक बुलाने का आग्रह करता हूं, जिसका अखबारी कागज उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सामना कर रहे हैं।

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चेन्नितला की इस मांग का समर्थन करता हूं।

महोदय, सरकार द्वारा कतिपय कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्यों की घोषणा में विलम्ब के कारण एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उदाहरण के लिए नारियल केवल केरल राज्य में ही नहीं उगाया जाता है, बल्कि यह हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है। अब समस्या यह है कि नारियल का मूल्य तेजी से गिर गया है, लेकिन सरकार ने पिछले कई महीनों से इसके समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की है और इस बात को अब लगभग एक वर्ष होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस जी, स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री पी.सी. थॉमस : महोदय, रबड़ का घोषित मूल्य बहुत कम है, अतः जो मूल्य घोषित किया गया है, उसका जोरदार विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यही कठिनाई है। यदि आपको बोलने का अवसर दिया गया है, तो आप दो या तीन मिनट तक बोल रहे हैं। आपको यह बात मन में रखनी चाहिए कि और सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं और आपको उन्हें अवसर देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते ही हैं; संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कुछ प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों पर गंभीर अभ्यारोपण किया गया और सम्पूर्ण देश को इसकी खबर है। लेकिन अभी भी ये बैंक कदाचार को जारी रखे हुए हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझसे कहा गया है कि वहां पर कई बैंक संचालकों द्वारा अभी तक कोई भारी कार्रवाई नहीं की गई है।

महोदय, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में परिवर्तन के पश्चात तथा निजीकरण की प्रक्रिया की पहल के बाद श्री हर्षद मेहता जैसे कुख्यात दलाल बड़े पैमाने पर भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं। यहीं पर इसका अन्त नहीं होता। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने गत तुलन-पत्र में बहुत ही निराशाजनक स्थिति दर्शायी है। आजकल कलकत्ता में क्या हो रहा है? वे लगातार

[श्री रुपचन्द पाल]

अपने कार्यालयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल रहे हैं। वे अपने कार्यालयों को कभी टाटा सेन्टर से चटर्जी इन्टरनेशनल, तो कभी जीवन दीप से कॉमर्स स्ट्रीट और फिर वहां से किसी दूसरे स्थान पर बदल रहे हैं, लेकिन उनके पास अपार परिसम्पत्तियां भूमि और भवन हैं, जो कि उनको इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया से विरासत में मिले हैं। छठें दशक के मध्य में एक बहु-मंजिला भवन के निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। उस निर्णय से सहमत होने के बदले वे लोग पैसा बहा रहे हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की फिजूलखर्ची और कदाचार को समाप्त करने के लिए तुरन्त क़दम उठाये।

श्री आर. प्रभु (नीलगिरिस) : मैं सभा का ध्यान एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ समय से कतिपय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में अश्लील विज्ञापन प्रकाशित होते रहे हैं। मैं इस बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय को, जो हमारे देश के युवाओं को प्रभावित करता है, विशिष्ठ रूप से इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि कुछ महिलाओं ने मुझसे पिछले सप्ताह भेंट की थी और मुझे कुछ विज्ञापन एवं कैसिट दिया था जिसे मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखना चाहूंगा। मैं इन विज्ञापनों को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं जब तक इन विज्ञापनों में से किसी को आपके सामने नहीं रखता, आप इसका महत्त्व नहीं समझ पायेंगे। विज्ञापन यूं है :

"अद्भुत सत्य कथाएं मेरे अद्भुत कल्पना लोक का आनन्द लीजिए।"

हमारे देश के युवाओं को हांगकांग अथवा आस्ट्रेलिया की किसी महिला के उत्तेजक कल्पना लोक में शामिल होना पड़ता है।

इसके दो पहलू है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने का कार्यक्रम बनाया है, हम अपनी आर्थिक प्रणाली में सुधार कर रहे हैं। हम अपनी नैतिक प्रणाली में सुधार नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, ऐसे विज्ञापन सभी समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और आज भी कुछ प्रमुख समाचार-पत्रों ने ऐसे विज्ञापन प्रकाशित किए हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे विज्ञापनों पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगा दें।

इसका एक और महत्त्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी है। इन विज्ञापनों का भुगतान कौन कर रहा है ? इन दूरभाष कॉलों का भुगतान कौन करे रहा है ? यहां के लोग किसी और की उत्तेजक कल्पनाओं को सुनने के लिए हांगकांग को फोन मिलाते हैं, लेकिन अन्ततः इसका भुगतान कौन करता है? उल्टे हमारे विभाग द्वारा इसका विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है। इसका मोटा हिसाब किया जाय तो गत दो वर्षों में इन विज्ञापनों के कारण प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपया, विदेशी मुद्रा के रूप में देश से बाहर जा रहा है। इस पर प्रतिबन्ध लगाने का यही तरीका है कि इन रिवर्स चार्जों को स्वीकार करना और विदेशी मुद्रा में भुगतान करना बंद कर दिया जाय। तब स्वतः ही यह गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। ये विज्ञापन हमारे देश के नैतिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं यह बात सरकार के ध्यान में ला रहा हूं। गत दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई है? सरकार को इन विज्ञापनों पर तुरन्त ही प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

मैं आपकी अनुमति से इन विज्ञापनों को सभा-पटल पर रखता हूं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी यह सूचना देने का प्रयास किया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चलक्कुडी में दुर्भाग्यवश परसों माल-गाड़ी रेल दुर्घटना घटी। माल-गाड़ी की अट्ठाईस बोगियों में, जिसमें डीजल और मिट्टी का तेल था आग लग गई, लेकिन इस दुर्घटना में प्रत्यक्ष रूप से कोई मौत नहीं हुई।

माल-गाड़ी के चालक द्वारा समय पर की गई कार्रवाई से सम्पूर्ण रेल-गाड़ी जलने से बच गई। अतः इस माल-गाड़ी के चालक को समय पर और बहादुरी से कार्रवाई करने के लिए इनाम दिया जाना चाहिए।

जब अग्नि-शमन बल द्वारा आग पर काबू पाने के लिए उपकरण लाया जा रहा था, तब दुर्भाग्यवश उपकरण एक कुएं में गिर गया। एक व्यक्ति उपकरण निकालने के लिए कुएं में उतर पड़ा, परन्तु दुर्भाग्यवश वह इस प्रयास के दौरान कुएं में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हू कि अग्निशमन उपकरण को कुएं से निकालने के प्रयास में कुएं में डूब कर मर गए व्यक्ति के निकट संबंधियों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

दो स्थानीय व्यक्तियों ने 28 बोगियों को मुख्य रेल से अलग करने का अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया। मेरा अनुरोध है कि रेल विभाग द्वारा उनको भी पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

यह रेल दुर्घटना धान के खेतों के मध्य में घटी, जिसके फलस्वरूप खेतों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अतः उन खेतों के मालिकों को भी किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा इस दुर्घटना की तुरन्त जांच करवाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुश्किल इस बात की है कि यदि बोलने का अवसर दिया जाता है, तो आप अपना भाषण समाप्त ही नहीं करते हैं, आप यह नहीं महसूस करते हैं कि आपके कुछ मित्र भी बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में एक दानापुर स्थान हैं, जहां बहुत बड़े छावनी के इलाके में पिछले पांच-दस सालों से सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है। सड़क की ऐसी जर्जर स्थिति हो गई है कि बड़े गड्ढे हो गए हैं। हमने वहां के अधिकारियों के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान नहीं जा सका है।

1.00 म.प.

वहां आये दिन ऐसी दुर्घटनायें होती रहती हैं जिसके कारण वहां के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां के नागरिकों में इसको लेकर आक्रोष व्याप्त है और वे एक नारकीय जीवन बिता रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यथाशीघ्र उन सड़कों

[श्री राम कृपाल यादव]

की मरम्मत कराई जाये, जिससे वहां पर आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके और लोगों को चोटें लगती हैं उस पर अंकुश लगे।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के अंदर जो निजी विमान सेवायें हैं, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं यह मामला केवल मामला उठाने के लिए ही नहीं उठा रही हूं। इस देश में प्राइवेट एयरलाइंस की उड़ानो में यात्रियों को शराब वितरित की जाती है। जबकि हमारे इंडियन एयरलाइंस में और रेल सेवा में ऐसा नहीं है। निजी विमान सेवा के प्रबन्धक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अपने किरायों में भी कमी करते हैं, यह तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो शराब का वितरण किया जाता है, इससे अभद्रता की घटनायें घट रही हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि यह तुरंत बन्द होना चाहिए। जब इंडियन एयरलाइंस और रेलवे नैतिक नियमों का पालन कर रही हैं, तो इनको भी ऐसा करना चाहिए। सरकार बताये कि इस सम्बन्ध में क्या कर सकती है, यदि कुछ नहीं कर सकती है तो क्यों नहीं कर सकती है ?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : कांग्रेस को छोड़कर, सभी राजनीतिक दल चुनाव संबंधी सुधार की मांग करते रहे हैं और हम इन सुधारों की मांग पहली बार नहीं कर रहे है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान जेना जी, यह सभा की प्रतिष्ठा की बात है। क्या नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई करने की कोई गुंजाइश नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने परसों कहा था कि षड्यन्त्र रचा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है। यह किसी व्यक्ति अथवा संस्थान बनाम संसद के बीच है। प्रक्रिया में कुछ नियम हैं और आप उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : चुनाव आयोग कार्यालय एक संस्थान है और आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं करने के लिए षड्यन्त्र किया गया है और सभी राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय चुनाव संबंधी सुधारों के मामले को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ष 1990 से कानून का मसौदा लम्बित पड़ा हुआ है और सरकार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कोई परवाह नहीं की। यद्यपि जनता दल, भाजपा और वामपंथी जैसे राजनीतिक दल चुनाव संबंधी सुधार की मांग करते रहे हैं, फिर भी सरकार चुप्पी साधे बैठे है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने यह षड्यन्त्र रचा है कि चुनाव संबंधी सुधार न किया जाये। उसके बाद पहचान पत्र जारी करने का मामला गंभीर मुद्दा बन गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि पहली जानवरी से वे चुनाव का आयोजन नहीं करने वाले हैं। उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के चुनाव मार्च 1995 में होने हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि वह जनवरी 1995 से चुनाव

का आयोजन नहीं करेंगे। यह एक गम्भीर मामला है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस पर वास्तव में सरकार की क्या स्थिति है और क्या सरकार इसी मामले के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : बिहार के भूतपूर्व विधायक श्री पंकज कुमार सिन्हा, जो कि ईस्लामपुर, नालन्दा जिले के रहने वाले हैं, कहीं घूमने गये थे तो उनका अपहरण कर लिया गया। यह आठ-नौ महीने पहले की बात है। उनके बच्चे बिलख रहे हैं और उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। उनकी पत्नी ने जगह-जगह अपने पति की रिहाई के लिए गुहार लगाई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अपहरणकर्ताओं ने रिहाई के लिए मोटी रकम की मांग की है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सिन्हा के परिवार पर जो यह विपदा आई है, उसका निराकरण करने और उनके परिवार वालों को राहत दिलाये तथा उनका पता लगाकर उनको छुड़ाने का काम करे। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री आर. प्रभु : मुझे समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी गई है। मैं इसको प्रमाणित करना चाहती हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ नियम और विनियम हैं, और यदि आप सभा पटल पर कोई दस्तावेज रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसा सभा के नियम एवं प्रक्रियाओं के अनुसार करना चाहिए।

श्री आर. प्रभु : महोदय, मैंने इसकी पूर्व सूचना दे दी है और मैं इसको प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें यह काम नियमों के अनुसार करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह पंकज कुमार सिन्हा वाला मामला बहुत गंभीर है। सरकार को इस पर बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को कतिपय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार चलाना होगा। यदि पीठासीन अधिकारी खड़े हो, तो सदस्य के लिए यह उपयुक्त नहीं है कि वह भी खड़ा हो जाए।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : पंकज कुमार सिन्हा के आतंकवादियों से रिहा कराने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोढ़ा, क्या आप जानते हैं कि इसके कतिपय नियम हैं? जब पीठासीन अधिकारी खड़ा हुआ हो, तो सदस्यों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। आप ऐसा ही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि सदस्यों का यह व्यवहार उचित नहीं हैं, शून्य काल 12.30 बजे समाप्त होना चाहिए। यदि इसकी अवधि बार-बार बढ़ाते रहें, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम नियम बनाते हैं और जान-बूझकर या अनजाने में उनका उल्लंघन करते हैं। यह आपके लिए उचित नहीं है।

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, तीन या चार वर्षों से अधिक समय से आंध्र प्रदेश में निदेशक (कल्याण) का पद, जो केन्द्र सरकार का पद है, रिक्त पड़ा है। यह पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को देखने के लिए सृजित किया गया है। यही पद अर्थात् निदेशक (कल्याण) का पद भोपाल और अन्य राज्यों में तीन या चार वर्षों से रिक्त पड़ा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर बढ़ते हुए अत्याचारों को देखते हुए मैंने इन पदों को तत्काल भरने का अनेक बार अनुरोध किया। अतः मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए कल्याण मंत्रालय तत्काल कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना हुई है। करीब एक सौ से अधिक पत्रकार, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार और संसद की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार शामिल हैं, भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में संसद भवन के गेट नंबर दो पर अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। वह लोग अंधाधुंध तरीके से हिन्दुस्तान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने, इस देश में पेप्सी कोला और कोका कोला को निमंत्रित करने, विदेशी अखबारों के विदेशी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाने के खिलाफ इस देश के पत्रकारों ने आज पहली बार स्वदेशी आंदोलन को लेकर संसद भवन के सामने गेट नंबर दो पर अपनी गिरफ्तारी दी है। मैं उनकी सराहना करता हूं और इस बात की निन्दा करता हूं कि आज गेट नंबर दो पर पुलिस ने उन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गिरफ्तारी देने वाले पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। आपको

इसकी जांच के लिए कहना चाहिए और साथ ही साथ भारत सरकार को इस बात का निर्देश देना चाहिए कि इस देश के प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धजीवी और पत्रकार भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ अब सड़क पर आ गए हैं। भारत सरकार को संभलना चाहिए और विदेशी पत्रकारिता, अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हिन्दुस्तान में आने से रोकना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है। मैं चाहता हूं कि आप समय का ध्यान रखिए। यदि आपको बोलने का अवसर दिया गया, तो अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने का अधिकार है। आप अपना मुद्दा सोमवार को उठा सकते हैं।

यदि पीठासीन अधिकारी कोई कड़ा निर्णय लेते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहने जा रहा हूं कि एन.टी.सी. के एक लाख साठ हजार मजदुरों का जो मामला है, उस कार्पोरेशन को बी.आई.एफ.आर. दिया जा रहा है, तो उसमें समय लगेगा और जब तक उसका निर्णय नहीं होता है, तब तक सरकार उनकी मदद करे, जिससे वहां के मजदूरों को वेतन मिल सके।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर एन.टी.सी. से संबंधित सवाल को आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। हमारे रक्षा विभाग को सप्लाई किये गये कपड़ों में करोड़ों रुपये की दलाली ली गयी है। दूसरे बेनामी, और अस्तित्व रहित पार्टीज को करोड़ों रुपये का कपड़ा बेचकर उसका गबन किया गया है। यह कार्पोरेशन महाराष्ट्र में है। उसमें व्याप्त घोटाले और अनियमितताओं की जांच के लिये एक समिति भी बनी थी, जिसने जांच-पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया गया है, कोई उस पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। गलत आंकडे दिखाकर समिति की भी अवमानना की गयी है। जिस आदमी ने इस अनियमितता के बारे में शिकायत की थी, इस कांड का पर्दाफाश किया था, उसको कत्ले-आम करने की धमकी दी जा रही थी और अंत में उसे नौकरी से ही हटा दिया गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले को कुचला गया है, इसकी तुरन्त जांच कराई जाये। यह दूसरा बोफोर्स काण्ड है, जिसमें कई करोड़ रुपये का गबन हुआ है। इसलिये सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये, ताकि सही-सही तथ्य पता लग सके।

[अनुवाद]

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : हमने संविधान संशोधन संख्या 73 द्वारा अनुच्छेद 243 में संशोधन कर पंचायती राज अधिनियम पारित किया और अप्रैल, 1993 से यह लागू हो गया। संविधान ने संसद को प्राधिकृत किया है कि वह इस उपबंध को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे। राज्य सरकारों को यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। एक वर्ष बीत जाने के बाद पंचायती राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, क्योंकि संसद ने इसकी अवधि

को बढ़ाया नहीं है। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि इस विषय के संबंध में एक विधेयक संसद में पास किया जाए, ताकि इसे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जा सके अन्यथा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि समय के अभाव के कारण कुछ सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला। मुझे आशा है कि इसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। अब हम अगली मद, सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं।

1.12 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इंडियन एयरलाइंस, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि. के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंश कौर) : श्री गुलाब नबी आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधार (4) के अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) इंडियन एयरलाइंस के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5546/94]

(2) (एक) अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5447/94]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5448/94]

(ख) (एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) की मद (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5449/94]

कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री सीताराम केसरी की ओर से मैं कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालयों में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5450/94]

काफी बोर्ड के वर्ष 1992-93 के सामान्य निधि लेखाओं संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवदेन और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें आदि

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) काफी बोर्ड के वर्ष 1992-93 के सामान्य निधि लेखाओं संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5451/94]

(3) वाणिज्य मंत्रालय के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5452/94]

(4) (एक) खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5453/94]

शिक्षुता नियम, 1991, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.एस. संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता नियम, 1991, जो 1 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा इसका शुद्धि-पत्र जो 30 अक्टूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538 (केवल अंग्रेजी संस्करण) और 11 दिसम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 612 (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रख गया। देखिए संख्या एल.टी. 5454/94]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5455/94]

(3) श्रम मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5456/94]

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग और भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मलिकार्जुन) : श्री जी. वेंकट स्वामी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 12956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5457/94]

(ख) (एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5458/94]

(2) (एक) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5459/94]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 5460/94]

(4) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5461/94]

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम, 1993 और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अंतर्गत जारी अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : डा. अबरार अहमद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनियम (संसोधन) नियम, 1993, जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 776 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5462/94]

(2) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1993 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3 (अ), जो 5 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, ताकि भारत में किसी निवासी को अपने व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए 500 अमरीकी डालर तक की विदेशी मुद्रा रखने की अनुमति दी जा सके, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5463/94]

विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना और भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लिमिटेड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993, जो 30 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 791 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेश व्यापार (कतिपय मामलों में नियमों के लागू होने से छूट) आदेश, 1993, जो 31 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1056 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5464/94]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. 5465/94]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, वित्त अधिनियम, 1989 और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 आदि के अंतर्गत जारी अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 784(अ), जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना के साथ संलग्न सारिणी में विनिर्दिष्ट माल को, जब उनका एक्वाकल्चर फार्म की संक्रियात्मक अपेक्षाओं के संबंध में एकीकृत एक्वाकल्चर फार्म में उपयोग करने के लिए शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों द्वारा, उससे उत्पादित एक्वाकल्चर उत्पादों के निर्यात के लिए भारत में आयात किया जाए तथा उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क यदि कोई है, से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 785(अ), जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना के साथ संलग्न सारिणी में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 1044(अ), जो 28 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरो के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1045(अ), जो 28 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 46(अ), जो 21 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातों के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए मलेशियाई डालर को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को मलेशियाई डालर में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 47(अ), जो 21 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो निर्यात के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए मलेशियाई डालर में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 62(अ), जो 21 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्राओं को विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यामक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 63(अ), जो 28 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो निर्यात के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 732(अ), जो 6 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1989 की अधिसूचना संख्या 219/89-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 733(अ), जो 6 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 110/86-सी.शु. में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 27(अ), जो 18 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ब्राजील, मैक्सिको कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य

अमरीका से आयातित पालीबिनाइल क्लोराइड रेजिन की विनिर्दिष्ट श्रेणियों पर एण्टी डम्पिंग शुल्क लगाने के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 28(अ), 18 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों या निर्यात प्रसंस्करण जोन में काम करने वाली इकाइयों द्वारा आयातित माल को उस स्थिति में एण्टी डम्पिंग शुल्क के उदग्रहण से छूट देने के बारे में है, जब ऐसे माल को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता अनुज्ञापन (संशोधन) विनियम, 1994 जो 28 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 42(अ), में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5466/94]

(2) सा.का.नि. 41(अ), जो 28 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत 26 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 5/2-अंतर्देशीय तथा वायु यात्रा कर को विखण्डित करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5467/94]

(3) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) संशोधन नियम, 1993, जो 13 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 747(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) संशोधन नियम, 1993 जो 13 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 745(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधन तथ शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1993, जो 13 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ), में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5468/94]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) नियम, 1993, जो 29 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, जो 29 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलई/12/93 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (चेयरमैन तथा सदस्यों के निबंधन और सेवा शर्तें) नियम, 1994, जो 7 फरवरी, 1994, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 153(अ), में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5469/94]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 735(अ), जो 7 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ढुलाई श्रेणी के कच्चे लोहे को, जिसमें फास्फोरस अन्तर्वस्तु 0.2 प्रतिशत और उससे अधिक है और जिसका उत्पादन मुख्य ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग करने वाले एकक द्वारा किया जाता है, उस पर उदग्रहणीय समस्या उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1994, जो 27 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 33(अ), में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5470/94]

(6) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 की अंतर्गत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 1993, जो 14 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 748(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5471/94]

(7) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 160(अ), जो 10 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्रीमती के. शुक्ला को समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण का सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह उक्त अधिकरण के सदस्य के रूप में भार ग्रहण करती, नियुक्त करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5472/94]

(8) अधिसूचना संख्या का.आ. 191(अ), जो 18 फरवरी, 1994 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68 एन के अंतर्गत 29 मई, 1994 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 385(अ) में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5473/94]

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 128, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आश्रय, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 130, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि नेशनल एसोसिएशन फार दि बलाइंड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने बारे में है।

(तीन) का.आ. 131, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "एक्शन फार फूड प्रॉडक्शन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 132, जो 15 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि थियोसोफिकल सोसाइटी, अडयार, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 133, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "एनीबीसेंट ट्रस्ट, अडयार, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 134, जो 15जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "टी.टी., रंगानाथन क्लीनिक रिसर्च फाउन्डेशन, मद्रास" को कतिपय शर्तों

के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 135, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "लेडी टाटा मैमोरियल ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 136, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "संगीत अकादमी, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 137, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "जमनालाल बजाज फाउण्डेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 138, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "जमनालाल बजाज फाउण्डेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 139, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय भाषा परिषद् कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 140, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "जमशेदपुर सोसाइटी फार द वेलफेयर आफ मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, जमशेदपुर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 141, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) अंतर्गत "जमशेदपुर सोसाइटी फार द वेलफेयर आफ मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन,

जमशेदपुर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 142, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "काउंसिल फार एडवान्समेंट आफ पिपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलाजी, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है

(पन्द्रह) का.आ. 143, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "काउंसिल फार एडवान्समेंट आफ पिपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलाजी, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 144, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत क राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "केरल लेबर वेलफेयर फंड बोर्ड, केरल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 147, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मोबाइल क्रेचिज फार वर्किंग मदर्स चिल्ड्रेन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष से 1992-93 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 148, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री रामकृष्ण आश्रम, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(उन्नीस) का.आ. 149, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री रामचन्द्र मिशन" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 150, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री रामचन्द्र मिशन" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 151, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री दोरबजी टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 152, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा, 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल सेन्टर फार परफार्मिंग आर्ट्स, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 153, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हरियाणा अमल्गमेटिड फण्ड फार दि वेलफेयर आफ एक्स सर्विस मैन" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 154, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दयानन्द एंग्लो-वेदिक कालेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 155, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "केरल आर्टीजन्स एण्ड स्कील्ड वर्कर्स (डैथ-कम-रिटार्यमेंट) बेनफिट स्कीम, क्यूलोन" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 156, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "गुरुदेव सिद्ध पीठ, महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 157, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री कैलाश आश्रम महासंस्थान ट्रस्ट, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 158, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 159, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "गुजरात राज्य राहत समिति, अहमदाबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 160, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेवा मंदिर, उदयपुर, राजस्थान" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 161, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति, गोविन्दपुरा, भोपाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधनी कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 162, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मुस्लिम शिक्षा सोसाइटी, कालीकट" को कर निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 163, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मुस्लिम शिक्षा सोसाइटी, कालीकट" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 164, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मिशनरीज आफ चैरिटी, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 165, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत

"जे.आर.डी. टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 166, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा, 10(23ग) के अंतर्गत "जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास, अमृतसर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 167, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "तमिलनाडु भूतपूर्व कार्मिक कल्याण निधि, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 169, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दहेज निवारण एवं समाज कल्याण परिषद् इटावा, उत्तर प्रदेश" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 170, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 171, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "एफ.आई.ई. फाउन्डेशन, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 172, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 173, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "रामाकृष्ण मिशन, बेलूर, पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन

कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 174, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "रमन केन्द्र, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 175, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सामाजिक बानिकी अनुसंधान और विकास सोसाइटी, तमिलनाडु" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 176, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, मुम्बई" को करनिर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 177, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "नाडार महाजन संगम मदुरै" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 178, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "नाविक" कल्याण निधि सोसाइटी, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 179, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "लिटल सिस्टर्स आफ दी पूअर, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 180, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "जलियांवाला बाग राष्ट्रीय न्यास, अमृतसर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन करनिर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचास) *का.आ. 181, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत* "हस्तशिल्प निर्यात संर्वधन परिषद, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 182, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि आगा खां फाउंडेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए छूट देने के बारे में है।

(बावन) का.आ. 183, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन आफ इण्डिया, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 184, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "राजीव गांधी फाउन्डेशन, सामान्य निधि, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 185, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि केरल टुडे वर्कर्स वेलफेयर फण्ड बोर्ड, त्रिवेन्द्रम" को करनिर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 186, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "स्वामी रामानन्द तीर्थ स्मारक समिति, हैदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 187, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री सत्य सांई केन्द्रीय न्यास, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्तावन) का.आ. 188, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "एसोसियेशन आफ मेडिकल फिजिसिस्ट्स आफ इण्डिया मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठावन) का.आ. 189, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सर्व सेवा संघ, वर्धा" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 190, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "जहांगीर आर्ट गैलरी, मुम्बई को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(साठ) का.आ. 191, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "एसोसियेशन आफ मेडिकल फिजिसिस्ट आफ इण्डिया, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्सठ) का.आ. 192, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 193, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "तेल समन्वय समिति, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 194, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनन्द, गुजरात" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंसठ) का.आ. 195, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन

कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंसठ) *का.आ. 196, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित* हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्याधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियासठ) का.आ. 197, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 198, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "रेल परिवहन संस्थन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 199, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सर रतन टाटा न्यास, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनहत्तर) का.आ. 145, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "एस.एस. जिन्दल न्यास, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्तर) का.आ. 146, जो 15 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए चल बालग्रह, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्याधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकहत्तर) आयकर (इक्कीसवा संशोधन) नियम, 1993, जो 22 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1003(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5474/94]

(10) (एक) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93, के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5475/94]

(11) राष्ट्रीस आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक की 1 जुलाई, 1992 से 30 जून, 1993 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5476/94]

1.14 म.प.

लोक लेखा समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं बाह्य निर्माण-दूरदर्शन संबंधी लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) का सत्तावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 7 मार्च, 1994 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा।
2. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
3. वर्ष 1994-95 के लिए जम्मू और कश्मीर बजट पर सामान्य चर्चा।
4. वर्ष 1994-95 के लिए लेखा मांगों (जम्मू और कश्मीर) को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करना।
5. वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू और कश्मीर) पर चर्चा और मतदान।
6. वर्ष 1994-95 के लिए मणिपुर बजट पर सामान्य चर्चा।
7. वर्ष 1994-95 के लिए लेखा मांगों (मणिपुर) को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करना।

8. वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर) पर चर्चा और मतदान।

क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने को चाहने वाले संकल्प तथा मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर पहले ही पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, महोदय आपकी अनुमति से मैं सदन से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि 9 मार्च, 1994 को रेल बजट संबंधी मदों पर विचार पूरा हो जाने के पश्चात् इन राज्यों से संबंधित बजटों पर चर्चा किए बिना पारित करने की कृपा करें।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :

देश के विभिन्न प्रदेशों में स्थित नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के द्वारा संचालित व अन्य कपड़ा मिलों के लगातार बीमार कपड़ा मिल घोषित होने व अन्य ऐसे कई कपड़ा मिल जो बीमार होने की स्थिति में खड़े हैं, जिनमें इंदौर की राजकुमार मिल, उज्जैन की हीरा मिल व रतलाम की सज्जन मिल प्रमुख हैं, के सन्दर्भ में समस्त कपड़ा नीति पर विचार।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासाट) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करें :

1. स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन को स्वीकृति देने के संबंध में मौजूद विषयमताओं को हटाने के लिए गोवा मुक्ति संघर्ष के स्वतंत्रता सेनानानियों की लंबे समय से चली आ रही मांग।

2. देश भर के राष्ट्रीय कपड़ा मिलों से 1 अप्रैल, 1994 से बजटीय सहायता की प्रस्तावित वापसी।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : कृपया निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करें :

कृषि और देश को विकासोन्मुखी बनाने के लिए कृषकों को उनकी भूमि के मूल्यांकन के अनुसार ऋण लेन-देन हेतु सीमा सुनिश्चित करके पास बुक दी जाए, जिससे कृषक साहूकारों से बचकर अपनी इच्छानुसार उचित मूल्य पर अपनी उत्पादित वस्तुओं का विक्रय कर सकें।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न मदों को जोड़ा जाए :

1. देश के खेत मजदूरों के लिए अखिल भारतीय पैमाने पर कानून बनाने की आवश्यकता।

2. कपाट द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को विकास के कार्यों पर दिए जा रहे आवंटन पर विचार की आवश्यकता।

[अनुवाद]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करें

1. हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों पर, जहां कार्यरत और सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है, केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना।
2. हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्वैन नदी तथा इसकी सहायक नदियों का निकालना।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत संरक्षित राजस्थान राज्य के समस्त ऐतिहासिक स्मारकों, राजभवनों की समुचित देखभाल एवं अनुरक्षण की आवश्यकता।
2. जापान की सहायता से संचालित "अरावली विकास योजना" में अजमेर जिले को सम्मिलित करने की आवश्यकता।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न प्रस्ताव सम्मिलित करें

1. अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों की सेवा शर्तों की घोषणा की जाए व इनकी मांगें पूरी की जाएं।
2. बरेली (उ.प्र.) में मेडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज की घोषणा की जाए।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए

1. विदिशा, रायसेन व सीहोर जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर गैस एजेन्सियां खोली जाएं।
2. विदिशा में बीजा मंडल व उसकी बावड़ी का जीर्णोद्धार कराया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 बजकर 30 मिनट पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.19 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.42 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.30 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

रेल बजट - सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (रेलवे)
तथा
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची की मद संख्या 12, 13 और 14 पर चर्चा करेंगे। इसके लिए तीन दिन में 15 घंटे का समय दिया गया है। आज जो चर्चा शुरू हुई है, वह 8 और 9 मार्च को भी जारी रहेगी।

अब श्री राम नाईक बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले इस सरकार को प्रताड़ित करिए, एक तो यह कोरम पूरा नहीं करा पाए। 3-3 बार घंटी बज रही है ···**(व्यवधान)**··· यह क्या तरीका है, क्या यह इनका मैनेजमेंट है। आए-दिन 3-3 बार घंटी बजेगी, यह घटना घट रही है। ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आप इनको इस पर कम से कम प्रताड़ित तो कीजिये।**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मेरा कहना यह है कि रेल बजट इतना महत्वपूर्ण विषय है और रेल के केबिनेट मिनिस्टर यहां नहीं हैं।···**(व्यवधान)**··· यह कितनी अपमानजनक स्थिति है कि रेल बजट होने के बाद रेल मंत्री यहां नहीं हैं।···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय रेल मंत्री ने श्री लेंका को सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने के वास्ते प्राधिकृत करने के लिए 3-3-1994 का एक पत्र भेजा है।

2.44 म.प.

रेल बजट, 1994-95 - सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (रेलवे), 1994-95;
अनुदानों की पूरक मांगें (रेलवे), 1993-94

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

(एक) "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 14 तथा 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दे दी जाय।"

(दो) "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशि से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :

मांग संख्या 8, 15 तथा 16।"

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली, वर्ष 1994-95 के लिए लेखानुदान की मांगें (रेलवे)

(के लिए कार्य-सूची के अनुसार)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखानुदान की मांग की राशि
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	2,47,67,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	14,47,83,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	113,42,31,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	240,52,66,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	177,73,39,000
6.	सवारी और मालडिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	253,76,57,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	124,67,82,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	198,50,40,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	821,62,96,000

1	2		3
10.	परिचालन व्यय-ईंधन		513,45,88,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं		89,54,35,000
12.	विविध संचालन व्यय		117,84,91,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		285,12,12,000
14.	निधियों में विनियोग		996,66,67,000
16.	परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव		
		राजस्व	7,50,67,000
		अन्य व्यय	
		पूंजी	191,03,07,000
		रेलवे निधियां	1798,34,16,000

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 1993-94 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें (रेलवे).
(के लिए कार्य-सूची के अनुसार)

मांग की संख्या	मांग का नाम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखनुदान की मांग की राशि
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर		30,00,00,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों की अदायगी और अति पूंजीकरण का परिशोधन		46,00,00,000
16	परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव		
		अन्य व्यय	
		रेलवे निधियां	1,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम नाईक को बोलने के लिए बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : लेंका जी तो पहली तारीख को मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे, न ही वे इस सदन के सदस्य हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर अपने विचार रखने से पूर्व मैं अपनी इस बात पर घोर आपत्ति रखना चाहता हूं कि रेल मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं। किसी भी कारण से कोई कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब रेल बजट पर चर्चा की तारीख निश्चित थी, तो ऐसे समय पर रेल मंत्री का उपस्थित न रहना, यह नियमों की दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन प्रोपराइटी का सम्मान करने की जो भावना है, उसके विपरीत है। इतने सीनियर मंत्री, जो 4 बार रेल बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, ऐसे समय पर उनका यहां पर उपस्थित न रहना और इसके लिए सदन का भी काफी समय जाया जाना, इस पर मैं घोर आपत्ति करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब रेल बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय मेरे मन में थोड़ी-सी आशा थी कि रेल मंत्री ऐसा बजट पेश करेंगे, जिसका सारा सदन समर्थन करेगा और जो रेल यात्रियों, उपनगरीय प्रवासियों और एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने वालों द्वारा स्वागत-योग्य बजट होगा। ऐसा बजट पेश किया जाएगा, जो देश के विकास में योगदान दे सकेगा, इस प्रकार की एक आशा मेरे मन में जो थी, उस आशा पर रेल मंत्री जी ने पानी फेर दिया है। यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ा कर 1000 करोड़ रुपए का नया बोझा डाला गया है, जिससे आम आदमी को परेशानी होगी। पहला हमला तो अधिवेशन शुरू होने से पहले गेहूं, चावल, चीनी, पैट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा कर 6000 करोड़ का बोझ आम आदमी पर डाल कर किया गया। दूसरा हमला फिर रेल बजट प्रस्तुत करके किया गया और इसके बाद तीसरा हमला वित्त मंत्री जी ने यहां पर बजट प्रस्तुत करके किया। इन तीनों हमलों को सामने रख कर मैं अपनी बात रखता हूं।

इस सारी कार्यवाही में मुझे लगता है कि रेल बजट के माध्यम से देश के विश्वास को तोड़ा गया है।

[अनुवाद]

रेल मंत्री महोदय ने देश को धोखा दिया है।

[हिन्दी]

ऐसी मेरी राय है। इसका कारण यह है कि पिछले एक साल में कई महत्वपूर्ण समितियों में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रेलवे कनवेंशन कमेटी का सदस्य रहा हूं, रेलवे कंसलटेटिव कमेटी का सदस्य रहा हूं, स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य रहा हूं और फाइनांशल मैटर्स का अध्ययन करने के लिए जो स्टडी ग्रुप बनाया गया था, उसका कनवीनर रहा हूं। इसलिए रेल को नजदीक से देखने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है।

सारा कुछ देखने से ऐसा लगता था कि कोई नयी चीज बजट में आएगी, लेकिन इसमें कोई

[श्री राम नाईक]

नई चीज नहीं रखी गई है और उसी घिसे-पिटे रास्ते पर चलते हुए आम आदमी पर बोझ डाल दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि रेल मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि रेल मंत्री जी संसदीय समितियों द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों की ओर भी ध्यान नहीं देते हैं।

एक दृष्टि से वे संसद की अवमानना कर रहे हैं। संसद की रेलवे स्टैण्डिग कमेटी का मैं सदस्य हूं। उस समिति ने श्री सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में पांच रिपोर्ट पेश की है, जैसे पैसेंजर एमेनिटिज, डबलिंग आफ रेलवे लाईन, कलकत्ता मैट्रो प्रोजेक्ट, गेज कन्वर्सन, ओपनिंग आफ न्यू लाईन्स और सबर्बन रेलवेज है। इस समिति में 45 सदस्य हैं, जो सभी पार्टी के हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सूरजभानु सोलंकी (धार) : आपने समिति में जो कुछ भी किया है, यहां उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। आप वे बातें यहां नहीं बोल सकते। मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री राम नाईक : एक बार उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाता है, तो वे सभा की संपत्ति बन जाती हैं। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और आप भी इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री सूरजभानु सोलंकी : लेकिन सभा का समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उसका खेद है।

श्री राम नाईक : निर्देश देने का काम पीठासीन अधिकारी का है। अगर आपको यह लगता है कि यह समय की बर्बादी है, तो आप घर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहां कोरम नहीं है। आप अपने सभी सदस्यों को आने का अनुरोध भी कर सकते हैं। फिर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री सूरजभानु सोलंकी : ये सब बातें फिर से दोहराई जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इसमें विषय यह है कि सदस्यों ने एक राय से सिफारिश की है, लेकिन उसमें से एक का भी सम्मान रेल मंत्री ने नहीं किया है, इस बात की हमें घोर आपत्ति हैं। यह कमेटी का पहला प्रयोग चल रहा है और इस समय पर रेल मंत्री ऐसा करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर रेल मंत्री की भर्त्सना करने के सिवाय हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। वैसे रेलवे कन्वेशन समिति ने लोकोमोटिव डील के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह कहां की सरासर गलत बात हो रही है और बाद में एक्शन रिपोर्ट पेश की है और उसमें कह दिया है कि सरकार कैसे काम करती है? ऐसा करने के बाद रेल मंत्रालय की ओर से एक प्रकार का, जो नीति में परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि रेल मंत्री संसदीय समिति की अवमानना करते हैं। पिछले साल मार्च महीने में आपने कोंकण रेलवे के काम को स्टे दिया और कुछ लोगों ने वहां

मांगें की कि एनवायरनमेंटल समस्या है। इस वजह से ओझा कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने 6-7 महीने काम करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कोंकण रेलवे का काम नहीं हुआ, इसलिए सभी चीजों में 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह बोझा लोगों पर जाने वाला है। ओझा कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन उसको सांसद के सामने नहीं रखा गया। मैं मांग करता हूं कि वह रिपोर्ट सदन के सामने रखनी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि आपने ईस्टर्न लाबी के सामने स्टे दिया है या प्रधान मंत्री ने कौन से कारणों से स्टे दिया है या सो-काल्ड एनवायरमेंटल एप्रोच क्या है, वह नेशनल है या एंटी नेशनल है। ओझा कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने रखने के बाद ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जस्टिस ओझा जैसे व्यक्ति का कमीशन आपने एपाइन्ट किया और इतना पैसा खर्च किया तो वह रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिए। वैसे डा. ननजुडप्पा की अध्यक्षता में आपने फ्रेट एंड फेयर कमेटी गठन किया, इसका उल्लेख रेल मंत्री के भाषण में है। वह रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए। रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद यह पता चलेगा कि इसमें प्रोप्रायटी की बात है। डा. ननजुडप्पा का टाइम्स आफ इंडिया में एक लेख छपा है, जिसकी कटिंग मेरे पास है, उन्होंने कमेंट्स दिए हैं :

[अनुवाद]

हम उस पर टीका-टिप्पणी तो कर सकते हैं, लेकिन वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

[हिन्दी]

ये कैसे संसद की अवमानना करना चाहते हैं। उस रिपोर्ट को मानेंगे या नहीं यह बात दूसरी है। यदि वह रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ जाती है तो उनकी क्या राय है और हमारी क्या राय है, इसके बार में हम कुछ कह सकते थे। रेल मंत्री के एक और काम पर मुझे आपत्ति है। 13 अक्टूबर, 1993 को मुम्बई में एक महिला सबर्बन ट्रेन की जो घटना हुई और 26 महिलायें गाड़ी के नीचे आकर मर गईं। यहां पर मांग की गई थी, मंत्री जी ने भी माना था कि उनके नजदीकी रिश्तेदारों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम कुछ करेंगे। रेलवे कंवेशन कमेटी में भी हमने यह सवाल उठाया था, मुम्बई शहर के सांसदों ने भी कहा और समिति के अन्य सदस्यों ने भी कहा था तो मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि रेल बजट पर मैं इस मांग पर कुछ कहूंगा। लेकिन रेल बजट देखने पर इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्या मुम्बई की महिलाओं और पुणे के पांच-सात साल के बच्चों की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है ? आप मुम्बई शहर के लोगों से इतने नाराज क्यों हैं ? अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो आप सबका विश्वास प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

आपने जो फाइनेंशियल स्टेटिक्स दिये हैं, वह देखकर भी मैं परेशान हो गया हूं, क्योंकि 1992-93 के रेल बजट के पृष्ठ दो पर आपने लिखा है कि जो माल ढोने का लक्ष्य था, वह 354 मिलियन टन से 350 मिलियन टन हो गया, मतलब चार मिलियन टन कम हो गया। गये साल के रेल बजट में आपने कहा था कि अयोध्या में हुई घटना के कारण प्रवासियों की संख्या में भी कमी हुई है और यह करीब पांच प्रतिशत तक हुई है। उस समय तो कुछ भी हो ऐसा कह दिया

[श्री राम नाईक]

जाता था कि अयोध्या के कारण ऐसा हुआ है। यह बात सही है कि दिसम्बर में यह काण्ड हुआ और जनवरी-फरवरी में दंगे हुए। लेकिन 1993-94 में क्या हुआ, उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था, तब भी आपका जो माल ढोने का लक्ष्य था, वह 418 मिलियन टन था, जबकि आपने 362 मिलियन टन ही पूरा किया। इसका मतलब आपका 56 मिलियन टन माल ढोने का काम कम हो गया। इसी तरह से यात्रियों की दृष्टि से आपकी आय जो आनी चाहिए थी उसमें 245 करोड़ रुपए यात्रियों से और 581 करोड़ रूपए माल ढोने, दोनों को मिलाकर गये साल में 826 करोड़ रूपए की आपको अपेक्षा थी, जो कि पूरी नहीं हुई। इस प्रकार का चित्र आपने पेश किया है क्या हम उसको तरक्की कहें, क्या विकास कहें ? इस प्रकार के आंकड़े देकर आप कहते हैं कि मैं गर्व के साथ रेल बजट देश के सामने रख रहा हूं। वही आदमी गर्व से बात कह सकता है, जिसको लगे कि वह कुछ काम कर सकता है। लेकिन दिवालियापन का चित्र पेश करते हुए आप कहें कि रेलवे प्रगति कर रही है और उसके साथ देश की प्रगति जुड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि जो आप ऐसा कह रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई आधार नहीं है।

आपने इस रेल बजट में 10-12 नई गाड़ियां शुरू करने की बात कही है और कुछ बढ़ाने की बात भी कही है। ये गाड़ियां जहां शुरू होंगी वहां लोगों में आनन्द होगा। जहां आपने सप्ताह में एक दिन चलने वाली गाड़ियों को सप्ताह में दो या तीन दिन कर दिया है वहां के लोगों में भी खुशी होगी। लेकिन जब हम सारे देश पर विचार करते हैं और देखते हैं कि आपकी पर्फार्मेंस क्या है तो पता चलता है कि आपका नजरिया गाड़ियां शुरू करने का है, आप गाड़ियां किस प्रकार चलाते हैं, उस पर नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है, जैसे कोच बनाने का लक्ष्य है, आप ए.सी. और प्रथम श्रेणी के कोचेज बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी श्रेणी के कोचेज बनाने कम कर दिये हैं।

[अनुवाद]

यही बात आपके कार्यक्रम में भी है।

3.00 म.प.

[हिन्दी]

क्यों आपने बंद किया ? सेकंड क्लास के कोचेज़ नहीं बनायेंगे और केवल फर्स्ट क्लास, ए.सी.सी. फर्स्ट क्लास, और ए.सी.सी. के बनायेंगे। इस बात पर हम सब लोगों को गंभीर आपत्ति है। मैं चाहूंगा कि इस नीति में परिवर्तन होना चाहिये।

रेल मंत्री ने 1994-95 के रेल बजट में 997 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है और इस घाटे को पूरा करने के लिये सीधी और सरल नीति यह बनाई है कि कोयला, आयरन, डीजल, पेट्रोल और अन्य सामान पर भाड़ा बढ़ा दिया जाये और साथ ही जो पी.डी.एस. के अंदर गेहूं, चावल, चीजें आती हैं, उससे आम आदमी परेशान होगा। इसका असर यह होगा कि ये चीजें और महंगी हो जायेंगी। तो इस प्रकार से आपने ट्रेफिक रेट का स्लेब बनाया है।

[अनुवाद]

आप निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा कर सकते हैं, जिसे आर्थिक व्यवस्था के हिसाब-किताब का ज्ञान नहीं है।

[हिन्दी]

लेकिन आपने जो इस प्रकार का परिवर्तन किया है इसमें माल ढोने के मूल्य में और बढ़ोत्तरी करेंगे और इस भूमिका का भी हम विरोध करेंगे। इससे औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। आप इस बात का भी ख्याल रखें।

आपने यात्री सेवा के लिये भी वही किया है कि 100 कि.मी. तक साधारण दर्जे तक कोई भाड़ा नहीं बढ़ाया है। क्या आप बतायेंगे कि आज देश में कितनी पैसेंजर्स ट्रेन रह गयी है जिन पर आम जनता यात्रा करती है। इस देश में 1 करोड़ लोग रोजाना रेल से यात्रा तो करते हैं लेकिन इनमें अधिकतर मेल, एक्सप्रेस और सुपर फास्ट या राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं।

श्री रमेश चेन्नीतला (कोट्टायम) : यह विद ड्रा करना है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : अगर आप इसकी तुलना यात्रियों से करते हैं तो इसे वापस लिया जाना ही ठीक है।

[हिन्दी]

लेकिन यह सब आप किसलिये कर रहे हैं ? आप तो ए.सी. क्लास को प्रधानता दे रहे हैं। आम आदमी 100-150 कि.मी. तक ही नहीं जाता है, क्योंकि उसको पैसेंजर गाड़ी मिलती ही नहीं है।

[अनुवाद]

आप अपने क्षेत्र की समय–सारणी को देखिये कि कितनी यात्री गाड़ियां चल रही हैं- और जो पैसेंजर गाडी चलती हैं, उस पर आपको ख्याल आयेगा कि

[अनुवाद]

इस राहत का फायदा किसी को नहीं मिलेगा, आम यात्रियों का एक बहुत बड़ा भाग जो नियमित रूप से अथवा कभी-कभी यात्रा करता है, उसको भी इसका फायदा नहीं होगा।

[हिन्दी]

और इसलिये आपने इन लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और

[अनुवाद]

इस बात का मात्र संकेत करते हुए कि आपने आम आदमी को, राहत प्रदान की है, लेकिन वह राहत आम आदमी के लिए नहीं है, एक तरह से आप संसद को धोखा दे रहे हैं।

[श्री राम नाईक]

[हिन्दी]

इस प्रकार की घोषणा पर मेरी शिकायत है।

क्या आपके पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि सेकंड क्लास स्लीपर के रिजर्वेशन में झगड़े बढ़ रहे हैं ? इससे बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ रहा है क्योकि कंडक्टर और टी.सी. बहुत पैसा लेते हैं। मेरे ख्याल में न केवल लोगों से बल्कि एम.पीज़ से भी शिकायतें आयी हैं और आपने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है।

[अनुवाद]

आप राजस्व अर्जित नहीं करना चाहते, आप तो यह चाहते हैं कि टिकट कलक्टर भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाकर धन वसूल करे।

[हिन्दी]

वे तो अपना खजाना भरते जा रहे हैं और रेल विभाग के लिये कुछ भी तो नहीं। मेरी मांग है कि यह सेकंड क्लास स्लीपर सिस्टम में दुबारा परिवर्तन लाना चाहिये।

जहां तक उप-नगरीय रेल भाड़े में वृद्धि करने का सवाल है, यह चौथा साल है जब आप बढ़ाते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इसके बारे में स्टैंडिग कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं और मुम्बई के एम.पीज़ ने भी की है। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी हालत में मंथली सीज़न टिकटों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।

यदि इस प्रकार के रेट बढ़ाएंगे तो लोगों को यह मंजूर नहीं होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि सबर्बन ट्रेन्स के बारे में जो लोग मांग कर रहे हैं उसके बारे में इतना गुस्सा आपके मन में क्यों है और आपके गुस्से का कारण क्या है। आप मुंबई वालों पर क्यों इतना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं इसके बारे में आपसे स्पष्ट जानकारी चाहता हूं। जब हम इनसे बात करते हैं तो ये आश्वासन देते हैं लेकिन जब इनका बजट आता है तो उसमें कुछ भी सुविधाओं की झलक नहीं मिलती है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि देश में एक करोड़ लोग रोज रेल-यात्रा करते हैं और उसमें से 66 लाख सबर्बन ट्रेवल करने वाले मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। उसमें से मुंबई शहर में 48 लाख यात्री रोज यात्रा करते हैं, कलकत्ता में 13 लाख यात्रा करते हैं और मद्रास में 5 लाख यात्रा करते हैं। इसमें कितनी ओवर क्राउडिंग होती है, यह जानकर शहाबुद्दीन जी आपको आश्चर्य होगा कि हमारी रेलवे स्टैण्डिग कमेटी का स्टडी ग्रुप बना था और वह मुंबई आया तो हमने कहा कि लोकल ट्रेन में भीड़ के समय पर सुबह यात्रा करेंगे। तो रेलवे के जनरल मैनेजर ने कहा कि आप उसमें सेफ नहीं रहेंगे। मैंने कहा कि मैं साथ हूं तो ट्रेन में जाकर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जब गाड़ी मुम्बई स्टेशन पर पहुंची तो जैसे ही लोगों ने कूद मारी तो हमारे सदस्य अहलूवालिया जी ने कहा कि डाइविंग सूट पहनकर भी मैं इस गाड़ी में नहीं आ सकता हूं, इतनी भीड़ है। लेकिन जब हम चर्च गेट पर उतरे तो दो

महिलाओं ने कहा कि आपने उनको अंधेरी से गाड़ी में क्यों बैठाया। आपको उनको बोरिविली-विरार वाली गाड़ी में लाना चाहिए तो आपको पता चलेगा कि भीड़ कैसी है। एक प्रकार का इनह्यूमन वातावरण उपनगरीय गाड़ियों में बना हुआ है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक रेलवे ट्रेन में 880 लोगों के बैठने की जगह होती है और 880 आदमी आराम से खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार कुल 1760 आदमी आराम से सफर कर सकते हैं। मगर बोरिविली-विरार सेक्शन पर 4200 आदमी सफर करते हैं। मैंने उसकी एक केसेट बनाई है। वह मैंने जाफर शरीफ साहब को भेंट भी की है कि कैसे महिलाओं को कठिनाई होती है और कैसे वह लटकते रहते हैं और एक साल में 1500 से अधिक लोग इस प्रकार ट्रेन से गिरकर मर जाते हैं। इस प्रकार की गंभीर हालत है ओर उसके लिए आपने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं चलाया है। लेकिन इतने गंभीर शब्दों में मैं कहूं, उसके बदले मैं उस रिपोर्ट की सिफारिश पढ़ूं तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

यह पृष्ठ 24.41 पर है।

"समिति को यह पता चला है कि पश्चिमी रेलवे के कुछेक उपनगरीय खण्डों में जैसे कि बोरिविली-विरार खण्ड पर चलने वाली गाड़ियों में व्यस्त समय के दौरान 4200 यात्री प्रतिगाड़ी सफर करते हैं, जबकि इनमें 880 यात्रियों के बैठने और 880 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता है अर्थात् 1760 यात्री प्रति ट्रेन। इससे गाड़ी में इतनी भीड़ हो जाती है कि एक वर्ग मीटर के दायरे में कम से कम दस यात्री मौजूद होते हैं।

समिति यह सिफारिश करती है कि बोरिविली-विरार खण्ड जैसे भीड़-भाड़ वाले खण्डों में चलने वाली गाड़ियों में रेल लाइनें, रेल गाड़ियां बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

लेकिन उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। मुझे इस बात का दुख है और इसलिए मैं इस बारे में कहना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं कि कम से कम बोरिविली-विरार सेक्शन को 4 लाइन ट्रेक बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर मुंबई के लोगों ने क्या अपराध किया है, वैसे तो सबर्बन सर्विस इस देश के तीन बड़े शहरों में चलती हैं - मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास - और इन तीनों जगहों के फाइनेन्शिल रिजल्ट्स हमारे पास हैं, लेकिन मैं उनके विस्तार में यहां नहीं जाऊंगा। केवल इतना ही कहूंगा कि वर्ष 1992-93 में मुम्बई शहर की सबर्बन सर्विस के कारण आपको 42.82 करोड़ रुपए का मुनाफा या प्रॉफिट हुआ, जबकि कलकत्ता की सबर्बन सर्विस के कारण 201 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और मद्रास में इसके कारण 58 करोड़ का घाटा हुआ। जब मुम्बई शहर आपको मुनाफा करके देता है, दूसरी तरफ कलकत्ता और मद्रास में इस सर्विस के कारण आपको घाटा हो रहा है, फिर भी आप मुम्बई पर और बोझा क्यों डालते हैं जहां अनेक जगहों से लोग आकर प्रवास करते हैं। हमसे जो लोग भी मिलने के लिये आये, एम.पी., एम.एल.ए. या अलग-अलग संस्थाओं के लोग, उन्होंने कहा कि कलकत्ता में तो 50 परसेंट लोग विदाउट टिकट

[श्री राम नाईक]

ट्रेवल करते हैं, यह उन लोगों द्वारा दिया गया औफीशियल स्टेटमेंट है, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में भी मैंने किया है, इस दृष्टि से मुंबई शहर के साथ अधिक अन्याय करना उचित नहीं होगा। आपने बजट में भी क्या किया है – इन शहरों में तीन प्रकार के मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स होने चाहिये, कलकत्ता में पहले से ही मैट्रो अंडरग्राउण्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी टोटल कॉस्ट 1,540 करोड़ रुपये है और वर्तमान बजट में उसके लिये 165 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया गया है यानी १३ परसेंट पैसेंजर्स के लिये 165 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान आपने किया, मद्रास में ५ परसेंट पैसेंजर्स के लिये 30 करोड़ रुपये का प्रावधान आप करते हैं, लेकिन मुम्बई के मामले में 48 परसेंट पैसेंजर्स के लिये आप मात्र 37 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हैं, इसे देखते हुए आप ही बताइये कि क्या मुम्बई के साथ यह आपने न्याय किया है, ऐसा लगता है। क्या आपको ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि इसे देखकर मुम्बई का आदमी गुस्से में आयेगा। अब मुम्बई का आदमी कब और कैसे गुस्सा करेगा, यह मुझे नहीं मालूम लेकिन मुम्बई के साथ यह स्टैप मदरली ट्रीटमेंट आप कब समाप्त करेंगे। कोई तो उसके लिये आशा की किरण दिखाई देनी चाहिये ऐसी मेरी मांग है।

मुम्बई शहर में, जो छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको ही पूरा करने के लिये इस साल और 53 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जितना आपने बजट में दिया है, उससे आगे हमें 53 करोड़ रुपये और चाहिये। मेरी मांग है कि कम से कम इन दो प्रोजेक्ट्स के लिये - अंधेरी बांदरा के बीच 5-6 लाइनें डालने वाले प्रोजेक्ट और दूसरा जो रिवर्स करने के लिये प्रोजेक्ट है, उनको इसी साल पूरा करने का आपको उद्देश्य रखना चाहिये और इस काम के लिये 90 करोड़ रुपये अधिक प्रोवाइड करने चाहिए।

चार साल पहले, तत्कालीन रेल मंत्री ने "नीड फार न्यू इनिशिएटिव्ज बॉम्बे सबर्बन ट्रेन' के शीर्षक से एक व्हाइट पेपर प्रकाशित करके इस सदन के पटल पर रखा था, जो 10 सितम्बर, 1990 को प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने जो लिखा था, उसे मैं यहां थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

लेकिन निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों की जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं, हालत और भी खराब है। बस स्टापों पर लंबी और कभी न समाप्त होने वाली कतारों से किसी को भी परेशानी हो सकती है और उपनगरीय गाड़ियों में खड़े होने के लिए जगह ढूंढते समय जो अमानवीय व्यवहार दिखाई देता है, शायद किसी अन्य उपनगरीय रेल व्यवस्था में उसका कोई सानी नहीं है। भारतीय रेलवे में एक विशेष आकार वाले माल डिब्बे में जीवित गाय, भैंस, बकरी, गधे इत्यादि जैसे कितने पशु ले जाये जा सकते हैं, इसके लिए बहुत कठोर नियम हैं और इन नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करना रेलवे की अपनी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाओं के तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना

जाता है, लेकिन मानव परिवहन को नियंत्रित करने के लिए चाहे वह बूढे हों, जवान आदमी हो या महिलायें, लड़के हों या लड़कियां अथवा यहां तक कि चाहे शिशु ही क्यों न हो, ऐसे कोई नियम अथवा कानून नहीं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के तैंतालीस वर्ष के बाद भी ऐसे नियम अथवा कानून नहीं बनाये गये हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि योजना भवन और रेल भवन के सजे हुए वातानुकूलित कमरों में बैठे हुए हमारे नियोजक योजना बनाने में कहीं न कहीं इस अति अनिवार्य कारक को शामिल करना भूल जाते हैं, जिसका संबंध आम लोगों से होता है।

महात्मा गांधी ने अपनी एक सारगर्भित उक्ति में क्या कहा था। सब बातों पर आदमी को मद्देनजर रखते हुए विचार करो। इस स्थिति को आज ही बदलना होगा। कल नहीं और इसे अभी इसी वक्त बदलना संभव भी है। अब, इसे चार वर्ष हो चुके हैं।

[हिन्दी]

उसमें से उन्होंने दो हजार करोड़ के टाइम-बाउंड प्रोजेक्ट दिए थे कि यदि ये मंजूर किए जाएं, तो कितने साल में पूरे होंगे। लेकिन इन्होंने उसमें से एक भी प्रकल्प नहीं लिया।

श्री प्रणव मुखर्जी यहां पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप प्लानिंग में कुछ नहीं सोचते हैं। सबर्बन सिटीज़ में रहने वाले लोग शादी-ब्याह में जाने के लिए प्रवास नहीं करते, रोज काम में जाने के लिए करते हैं।

[अनुवाद]

वे औद्योगिक संपत्ति उत्पन्न करने वाले एजेन्ट हैं।

[हिन्दी]

उसके कारण मुम्बई जैसे शहर से आपको 50 प्रतिशत रिवेन्यू मिलता है। उसके लिए अलग से प्रोविजन करना चाहिए। उसमें परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है।

अभी हाल में विचार-विनिमय करके महाराष्ट्र सरकार और रेलवे मंत्रालय ने एक नया मुम्बई अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट-II करने का तय किया है। वह रेल की कमपोनैन्ट की दृष्टि से 1,304 करोड़ का प्रोजेक्ट है और राज्य सरकार ने भी कहा है कि 769 करोड़ करना चाहिए तो कुल मिलाकर 2073 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। हमको लगता था कि जब राज्य सरकार ने मान लिया, रेल मंत्री ने मान लिया तो इस प्रोजेक्ट में से कुछ आएगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट में से भी इस बजट में कुछ नहीं आया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा-सा सदन को विश्वास में लीजिए। आप यह भी ख्याल रखिए कि मुम्बई हाईऐस्ट टैक्सेस देता है, हाईऐस्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देता है। आखिर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खाने के लिए तो कुछ देना चाहिए। मुम्बई शहर के लोगों का सारा जीवन रेलवे पर निर्भर है। जब तक मुम्बई में कुछ नई बात नही करेंगे, तो वह रेलवे लाइन कब गिर सकती है, कहना मुश्किल है।

[श्री राम नाईक]

[अनुवाद]

जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है, हमारी स्थिति डांवाडोल है।

[हिन्दी]

जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिए हैं, उसमें से 4 बहुत महत्व के हैं। उनमें इस साल कुछ न कुछ टोकन प्रोविजन जरूर करना चाहिए।

[अनुवाद]

1. पश्चिमी रेलवे पर दो गाड़ियों का अंतर चार से तीन मिनट करने के लिए अधिकतम 301 करोड़ रुपये।
2. मध्य रेलवे पर दो गाड़ियों का अंतर 4 से 3 मिनट करने के लिए अधिकतम 246 करोड़ रुपये।
3. बोरीविल्ली-विरार खंड पर चार रेल लाइनें बिछाने पर 267 करोड़ रुपये।
4. अंधेरी और गोरेगांव के बीच में अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था करने पर 153 करोड़ रुपये।

[हिन्दी]

इन प्रोजेक्ट्स के दोष मैं अभी बताना चाहता हूं, क्योंकि आप इन प्रोजेक्ट्स पर ऐसे ही चलेंगे तो लोगों का विरोध होगा। यदि ये प्रोजेक्ट लेंगे तो उसकी कैपिटल कॉस्ट रिकवर करने के लिए आप सरचार्ज लगाने वाले हैं। कलकत्ता मे मैट्रो होगा तो उस पर सरचार्ज नहीं होगा, मद्रास में मास ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो उस पर सरचार्ज नहीं होगा, हिन्दुस्तान में रेलवे लाइन के लिए कहीं पर भी सरचार्ज नहीं है तो मुम्बई में क्यों होगा। जो रेलवे लाइन आपको मुनाफा दे रही है, उस पर सरचार्ज लगाएंगे, जहां 4200 लोग एक गाडी में जाते हैं, ऐसे लोगों पर सरचार्ज लगाएंगे, क्या बढ़ाया हुआ किराया काफी नहीं है? यह केवल राम नाईक के अकेले के लिए नहीं है, मुम्बई के सारे एम॰पीज॰ ने मिलकर आपको बताया है कि हम इस सरचार्ज का पूरा विरोध करते हैं।

एक बात कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बहुत दिनों से चली है। उसकी चर्चा कितने सालों से कर रहे हैं। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करके अलग-अलग बिल्डिंग बनाकर उसे बेचकर, किराए पर देकर आपको करोड़ों रुपये मिल सकते हैं।

उस दिन जब मैंने कहा, पहले तो शीला जी ने कह दिया कि हां, रेलवे बेच सकती है, फिर मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि आप इंटरवीन कीजिए तो उन्होंने कहा कि अब तक हमने उस पर कोई फैसला नहीं किया है। डिसीजन लीजिए और उसके बाद जो भी पैसा उससे आएगा, वह बी॰यू॰टी॰पी॰ की दृष्टि से पहले पूरा मुम्बई में सबर्बन सर्विस डेवलपमेंट करने के लिए उपयोग में लाइए, बाद में बचे हुए पैसे को केन्द्र सरकार ले सकती है। लेकिन इसमें भी मुम्बई के साथ अन्याय करने का ऐग्रीमेंट हुआ है कि एक तिहाई मुम्बई को, एक तिहाई राज्य सरकार और एक तिहाई

केन्द्र सरकार को उसमें जाना पड़ेगा। मुम्बई की जमीन में पैदा हुआ पैसा इस प्रकार बाहर नहीं जाना चाहिये।

मुम्बई आर्थिक दृष्टि से धनवान है। इसलिये कोंकण रेलवे की तरह मुम्बई सबरबन रेलवे बौंड शुरू किये जाने चाहिये। इससे मुम्बई को आवश्यक पैसा मिलेगा। हम सब लोग उसके लिये कोशिश करेंगे। वहां के बैंक्स, वहां के नागरिक और वहां की संस्थायें व ट्रस्ट भी कोशिश करेंगे।

इस बजट में कहा गया है कि रेलवे कैटरिंग कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं। हम इसके विरोधी नहीं हैं। आपने रेलवे फाइनान्स कारपोरेशन, रेलवे ब्रिज बिल्डिंग, रेलवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंटेनर कारपोरेशन बनाया। अगर आप मुम्बई में उपनगरीय रेलवे के लिये अलग कारपोरेशन बना देंगे तो बहुत पैसा आपको मिल सकता है लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं और दूसरों को भी करने नहीं देंगे। यह स्थिति बहुत गम्भीर है। इसका ख्याल करके अपने बजट में परिवर्तन करें।

आपने बजट भाषण में कहा है कि हम बहुत सबसिडी देते हैं। मैं आपको कुछ फीगर्स देना चाहता हूं। विदेशों में जो लोग कहते हैं कि सबसिडी के आधार पर जीवन नहीं चलना चाहिये, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लैंड मे ब्रिटिश रेलवे को 22.4 परसेंट, स्विट्जरलैंड में 35.7, जर्मनी में 51.2 और फ्रांस मे 42.3 परसेंट सबसिडी मिलती है। आप सबरबन वालों को देना नहीं चाहते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कमर्शियल काम करते हैं। इनमें काम करने वाले यात्री रोज आते-जाते हैं। उनको यह देनी चाहिये। रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसकी मांग की है। मैं उसका एक पैरा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "समिति का यह विचार है कि उपनगरीय यातायात, जिसमें मुख्यतः फैक्टरी मजदूर कार्यालय जाने वाले इत्यादि शामिल हैं, वह नगरों और उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में योगदान कर रहे हैं और रेलवे से बेहतर व्यवहार के हकदार हैं। समिति के विचार में इसके लिए, योजना आयोग को उपनगरीय रेलवे को अलग से धनराशि देने पर विचार करना चाहिए तथा उपनगरीय सेवाओं को और अधिक राज सहायता दी जाए, जैसा कि अनेक बाहर के देशों में है।"

[हिन्दी]

इस बात पर आप गंभीरता से विचार करें और फिर एक दफा चर्चा करें। वोट ऑन एकाउन्ट में जा रहे हैं। जनरल बजट अप्रैल में आयेगा। इस बीच आपको काफी समय मिलेगा। उस भूमिका में इसे करना चाहिये।

यह भी बात सामने आई है कि किराया बढ़ने से ज्यादा आमदनी नहीं हो रही है। 1992-93 का रिकार्ड है कि सबर्बन पैसेंजर्स कम हुए हैं। पैसेजर्स कम नहीं हुए हैं, बल्कि बिना टिकट आने-जाने वाले पैसेंजर्स में बढोत्तरी हो गई है। कलकत्ता में 50 परसेंट बिना टिकट ट्रेवल करते

[श्री राम नाईक]

हैं। अगर यह किराया बढ़ेगा तो बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या और बढ़ जायेगी। इनमिक्स में ला ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्नस नाम की चीज होती है। इस पर आपको ख्याल करना चाहिये।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के नजदीक की कुछ महत्वपूर्ण बातों को एनयूमरेट करना चाहता हूं। मैं ज्यादा उस पर भाषण नहीं करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सबसे बड़ी बात यह है कि उपनगरीय रेल का जो सबरबन सेक्शन है, उसको बढ़ाने की सिफारिश स्टैंडिंग कमेटी ने की थी। मेरे क्षेत्र में पश्चिमी रेलवे है जो कि विरार से धानु तक बढ़ानी चाहिये। यह हमारी पहली मांग है। एक जुलाई को डी.एम.यू. लोकल शुरू करने का सफल प्रयोग हुआ, उसके लिये मैंने आपको धन्यवाद दिया था। दुबारा धन्यवाद देता हूं लेकिन उसके साथ-साथ आप नई 26 डी.एम.यू. ट्रेन बनाने जा रहे हैं। तो मेरी यह मांग है कि एक और ट्रेन वहां पर चालू करनी चाहिए।

दूसरे मुम्बई और कल्याण सेण्ट्रल रेलवे और पश्चिम रेलवे को जोड़ने के लिए दिवा वसई लाइन है, उसका उपयोग वहां प्रवासियों के लिए करना चाहिए। अगर वहां आप डी.एम.यू. सेक्शन देंगे तो उसकी सेवा भी शुरू हो सकती है। मैंने शुरू से ही कहा कि बोरिवली-विरार सेक्शन बहुत क्राउडेड सेक्शन है, इसलिए बोरिवली-विरार के लिए इस प्रकार की डी.एम.यू. ट्रेन्स कुछ शुरू की जायें। इसके बारे में सबकी एक राय है। यह भीड़ यदि आपको कम करनी है तो आज की स्थिति में एक टैम्परेरी अरेजमेंट के तौर पर सारी मुम्बई की गाड़ियां, जो आज 9 डिब्बों की होती हैं, उनको आप 12 डिब्बे की कीजिए। यदि उनको 12 डिब्बे की की जाय तो उसी समय पर ज्यादा प्रवासी उसमें जा सकते हैं और इसलिए इस मांग को भी बियोंड पार्टीज सबका समर्थन है तो यह बात चूंकि बजट में आने जैसी चीज भी नहीं है, यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने की चीज है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना चाहिए और गाड़ियां समय पर चलनी चाहिए।

सब अर्बन में 2-3 मिनट की भी देरी होती है, तो मतलब बहुत देरी हो गई, लेकिन आज यह दिखाई देता है कि 20-25 मिनट की देरी से गाडियां चलती हैं। इन सारी बातों को देखकर मैं आज इतना ही निवेदन करूंगा कि यह वोट ओन एकाउण्ट है और वोट ओन एकाउण्ट के समय पर हमने आपके सामने हमारी बातें रखी है। जब आपका जनरल बजट आयेगा, उस समय पर फिर स्टेंडिंग रेलवे कमेटी आपको कुछ सिफारिशें देगीं। इन सारी बातों को देखकर आपसे मैंने जो यह कहा, उसके ऊपर विचार करके जो योग्य मांगे हमने रखी हैं, उनको मान्यता देनी चाहिए।

मुम्बई के प्रवासियों की और देश के भी जो दूसरी श्रेणी के प्रवासी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान आपको करना चाहिए, नहीं तो किराया वृद्धि के इसी घिसे-पिटे रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो सारे देश में मजबूर होकर हम लोगों को आन्दोलन करना पड़ेगा और मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, 3 बजकर 30 मिनट पर हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करना है और उससे पहले श्री शरद दिघे को अपना भाषण भी शुरू करना है।

श्री राम नाईक : यह मेरा अंतिम वाक्य है। मैं अपना भाषण अब समाप्त कर ही रहा हूं।

[हिन्दी]

और यदि ऐसा आन्दोलन होता है तो मुम्बई शहर के प्रतिनिधि के नाते, जिसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे गौरव है, हम पीछें नहीं रहेंगे।

इतना बताकर मैं आपको धन्यवाद देता हू, उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया। मैं फिर से आशा करता हूं कि मेरी बातों को सरकार मानेगी और उसी प्रकार से उत्तर में जानकारी दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 1994-95 के रेल बजट का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं रेल बजट पर आम टिप्पणियां बाद में करूंगा। लेकिन आरंभ में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुम्बई से संसद सदस्य होने के नाते मैं मुम्बई उपनगरीय रेलवे के संबंध में माननीय सदस्य श्री राम नाईक की एक-एक बात का समर्थन करता हूं। मुम्बई में उपनगरीय रेलवे के दैनिक यात्री जिन कठिनाइयों और मुसीबतों को झेलते आ रहे हैं, वे अब उनके लिए असहनीय हो गई हैं और यदि रेल मंत्रालय इस मामले पर अत्यन्त गंभीरता से विचार नहीं करता, तो मुम्बई में समूचा उपनगरीय रेलवे परिवहन व्यवस्था ठप्प हो जाएगी। मैं श्री राम नाईक के इन विचारों से सहमत हूं कि हमें यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मुम्बई के दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों और मुसीबतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, भले ही समय-समय पर मुम्बई के अधिकतर संसद सदस्यों ने विभिन्न स्तरों पर इन मामलों को रेल मंत्रालय के समक्ष रखा है। मुम्बई में दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों के संबंध में कई बार सर्वसम्मति से सुझाव दिये गये हैं और रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है। अतः सर्वप्रथम मैं रेलमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस मामले पर पूरी गंभीरता से विचार करें और मुम्बई के यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिये शीघ्र उपाय करें।

इसके साथ-साथ इस बजट में उपनगरीय रेल यात्रियों के सीजन टिकट किराये में जो वृद्धि की गई है, उसका मैं जोरदार विरोध करता हूं। विरोध के इस मुद्दे पर मैं श्री राम नाईक के साथ हूं कि मुम्बई के दैनिक यात्रियों को कोई राहत दिये बिना किराये में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये थी और उपनगरीय रेल टिकट किराये में वृद्धि किया जाना उचित नहीं है। सरकार इसे सीमान्त वृद्धि कह सकती है, लेकिन मैं यह नहीं सोचता कि यह सीमान्त वृद्धि है। 90 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले सीजन टिकट धारकों के लिए 1 रुपये से 9 रुपये प्रति यात्री वृद्धि की गई है। लेकिन आप देखेंगे कि जहां तक मुम्बई के दैनिक यात्रियों का संबंध है, वे प्रायः त्रैमासिक सीजन टिकट लेते हैं और भीड़-भाड़ तथा रेल डिब्बों में यात्रियों की अधिक भीड़ जैसी परेशानियों के कारण वे

[श्री शरद दिघे]

प्रथम श्रेणी के लिये त्रैमासिक सीजन टिकट खरीदना पसन्द करते हैं अथवा यह कह लीजिये कि वे इसके लिये विवश हो जाते हैं। द्वितीय श्रेणी रेल डिब्बों में प्रवेश करना भी बहुत कठिन है। असलियत तो यह है कि अधिकतर यात्रियों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिये त्रैमासिक सीजन टिकट के लिए चार गुना अधिक किराया देना पड़ रहा है। अतः व्यावहारिक दृष्टि से वास्तविकता तो यह है कि मुम्बई में प्रत्येक दैनिक यात्री को अगले माह से जारी किये जाने वाले प्रत्येक सीजन टिकट के लिये 90 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। अतः उनकी कठिमाइयों पर विचार करना होगा।

इसके बाद मैं मुम्बई के दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों का और अधिक खुलासा करना चाहूंगा और श्री राम नाईक द्वारा कही गई बातों के साथ अपने विचार जोड़ना चाहूंगा। लेकिन जहां तक रेल बजट का संबंध है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं यह भी खुलासा करना चाहूंगा कि किस तरह से प्रगति की गई है और जहां तक पूरे भारत का संबंध है, रेल मंत्रालय किन-किन कठिनाइयों के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। इन दोनों बातों पर मैं बाद में खुलासा करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : शरद दिघे जी, आप अपनी बात बाद में जारी रख सकते हैं। गैर सरकारी सदस्यों का कार्य पूरा हो जाने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।

3.32 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

अट्ठाईसवां-प्रतिवेदन

श्री सूरजभानु सोलंकी (धार) : महोदय, मैं, यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 2 मार्च, 1994 को इस सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 2 मार्च, 1994 को इस सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.33 म.प.

पूर्वी क्षेत्र में तेल और गैस का दोहन संबंधी संकल्प...जारी

उपाध्यक्ष महोदय : आज के गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों की मद संख्या-I के लिये कुल

दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। इसमें से एक घण्टा और दो मिनट पहले ही बीत चुके हैं। शेष समय 58 मिनट है। श्री सुब्रत मुखर्जी बोल रहे थे। वह छः मिनट तक पहले भी बोल चुके हैं। वह अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं :

[हिन्दी]

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी इस पर काफी देर तक चर्चा हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में ओ.एन.जी.सी. संभावना रहने पर भी सही तौर पर ड्रिलिंग का काम नहीं करने की वजह से वहां सफिशियेट हाईड्रोकार्बन रहते हुए भी, और खास करके इच्छापुर में 69 परसंट हाईड्रोकार्बन वहां की मिट्टी से मिली है।

ओ.एन.जी.सी. द्वारा इच्छापुर वेस्ट बंगाल में जितना ड्रिलिंग का काम किया जाना चाहिए था, उतना नहीं किया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों की यह राय है कि वेस्ट बंगाल बेसिन में हायड्रोकार्बन भरा हुआ है। वहां पर जो तेल निकला, उसको टेस्टिंग के लिए हल्दिया रिफाइनरी में भेजा गया और वहां पर उस तेल को सही बताया गया, लेकिन इस सबके बावजूद ड्रिलिंग के काम को अधूरा छोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गोल्फ ग्रीन वैल की ड्रिलिंग 6800 मीटर होनी थी, लेकिन 5800 मीटर करके छोड़ दी गई। इसी तरह से बोडरा वैल नंबर 11, साउथ 24 परगना में भी 5500 मीटर के बजाए 4950 मीटर ड्रिलिंग की गई। इसी तरह से डायमंड हरबर वैल नंबर 1 में 6500 के बजाए 5555 मीटर ड्रिलिंग की गई। इन सारी चीजों को देखने से लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसके तहत भारत सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है। इसकी पुष्टि राष्ट्रपति महोदय के 25 जनवरी को निकाले गए उस आर्डीनेंस से भी होती है, जिसमें यह कहा गया है कि जमीन के अंदर माइंस और तेल आदि को देखने का काम प्राइवेट एजेंसीज भी कर सकती हैं। इससे यह साबित होता है कि यह ओ.एन.जी.सी. का षड्यंत्र था, पूरी ड्रिलिंग नहीं की जा रही थी, ताकि इस काम का निजीकरण हो जाए। इस तरह हिंदुस्तान के रुपए को बरबाद किया जा रहा है। इस समय रेल बजट पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन रेल बजट को देखने से भी लगता है कि रेलवे को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, क्योंकि 5-5 सुझावों में से एक को भी नहीं माना गया। इस तरह से हिंदुस्तान के सारे कार्यों का निजीकरण करने का बंदोबस्त भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे अधिक गलत बात और कोई नहीं हो सकती है।

इसलिए इस तरह की बातों का हम संसद में विरोध करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातों का जिक्र मैं पहले ही अपने भाषण में कर चुका हूं। आज आपने मुझे इस पर फिर से समय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र उपेक्षित रहा है।

[श्री द्वारका नाथ दास]

हर कोई यह जानता है कि असम तेल संसाधनों तथा वन संसाधनों आदि जैसे कतिपय संसाधनों में काफी समृद्ध क्षेत्र है।

मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि खासकर दक्षिणी असम के बारे में यह एक कहावत है कि यह क्षेत्र तेल पर तैर रहा है। लेकिन आज तक केवल दस ही स्थानों पर तेल की खुदाई का कार्य किया जा चुका है। इन दस स्थानों में से छः स्थानों पर यह कार्य बंद हो चुका है। दो स्थानों पर गैस निकल रही है और शेष दो स्थानों पर तेल निकल रहा है। यह हम नहीं जानते कि इन छः स्थानों पर यह कार्य बंद क्यों किया गया। इससे ऊर्जा पैदा होती है। हमने भारत सरकार से विशेष अनुरोध किया था और यह कहा था कि इससे बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन क्या आप असम की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। वहां 24 घन्टों में से कम से कम 16 से 17 घन्टे तक बिजली गुल हो जाती है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। मैं नहीं जानता कि बिजली क्यों नहीं पैदा की जा सकती। मैंने अनेक पत्र लिखे हैं और यह अनुरोध किया है कि इससे बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन आज तक इस संबंध में कोई भी उत्तर नहीं मिला।

मैं जानता हू कि गैस ऊर्जा का एक स्रोत है। बागानों द्वारा विशेषकर चाय बागानों द्वारा अनेक बार मांग की गई है कि उन्हें गैस की आपूर्ति की जाये ताकि उनके पास उनके चाय बागानों तथा कारखानों तथा अन्य चीजों के अनुरक्षण के लिये ऊर्जा उपलब्ध हो सके। लेकिन आज तक भारत सरकार ने उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया है कि क्या वे चाय-बागानों के लिये गैस की आपूर्ति करेंगे अथवा नहीं। चाय असम का एक ऐसा स्रोत है जिससे भारत को करोड़ों रुपये की आय प्राप्त होती है।

हैरानी की बात यह है कि दक्षिणी असम में बरक घाटी में स्थित ओ.एन.जी.सी. कार्यालय में स्थानीय लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता। मेरी समझ में नहीं आता कि ओ.एन.जी.सी. में स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे ओ.एन.जी.सी. कर्मचारी संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि प्रोन्नति के मामले में, सेवाओं के मामले में और ऐसे सभी क्षेत्रों में, ओ.एन.जी.सी. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन नहीं करता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में मैं यह महसूस करता हूं कि ओ.एन.जी.सी. में इनकी संख्या बहुत ही कम है क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि विज्ञापनों में यह कहा जाता है कि क्योंकि उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। यह बेकार की बात है। इस कारण से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को ओ.एन.जी.सी. में विशेषकर दक्षिणी असम में सेवाओं से वंचित रखा जाता है।

मैं यह कह सकता हूं कि सरकार असम में तेल खुदाई संबंधी कार्य के संबंध में सभी कार्य सही नहीं कर रही है क्योंकि ओ.एन.जी.सी. मामलों के संबंध में सरकार आंख मिचौनी के खेल जैसी नीति अपना रही है।

अतः मैं यह चाहता हूं कि सरकार को पूर्वोत्तर में विशेषकर दक्षिणी असम में ओ.एन.जी.सी. के कार्यकरण के बारे में प्रत्येक चीज को सही रखना चाहिये। मेरे क्षेत्र में दो अथवा तीन स्थानों पर छिद्रण कार्य किया गया है लेकिन अन्ततः करोड़ों रुपये खर्च करने के पश्चात इसे छोड़ दिया गया। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया। पहले तो छिद्रण किया जाता है और फिर बाद में बिना किसी परिणाम को प्राप्त किये इसे छोड़ दिया जाता है। ऐसा किसलिए किया जाता है?

दक्षिणी असम में विशेषकर बरक घाटी में तेल और गैस के पर्याप्त स्रोत हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर गहराई से विचार किया जाये और यह देखा जाये कि बरक घाटी में, जो कि दक्षिणी असम में है, ओ.एन.जी.सी. के इस कार्य को गहन रूप से किया जाये।

आप भली प्रकार से जानते हैं कि असम औद्योगिक दृष्टि से सर्वथा पिछड़ा हुआ है। इस सभा में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह उद्‌घोषणा की थी कि असम को पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी, ताकि इसे औद्योगिक दृष्टि से उन्नत किया जा सके। मेरे क्षेत्र में दो मिल लगी हुई है। एक तो कछार पेपर मिल है। मैं सोचता हूं कि दो अथवा तीन वर्षों में इसका निजीकरण कर दिया जाएगा। दूसरी कछार चीनी मिल है जो कि छः अथवा सात वर्षों से बंद पड़ी हुई है। बरक घाटी में उद्योगों की यह स्थिति है। अतः, तेल दोहन के मामले में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दक्षिणी असम विशेषकर बरक घाटी की ओर ध्यान दिया जाये, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां पर तेल के पर्याप्त भंडार हैं। इसलिये सरकार को यह देखना चाहिये कि वहां पर तेल का दोहन किया जाये।

मैं सोचता हूं कि सरकार इस मामले पर गहराई से विचार करेगी और मुझे आशा है कि बरक घाटी में इस दोहन कार्य से तेल आपूर्ति के मामले में भारत की स्थिति निश्चित तौर पर सुधर जायेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री असीम बालाजी के प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि न केवल पूर्वी हिन्दुस्तान, बल्कि देश के उन हिस्सों में प्राकृतिक तेल और गैस के सर्वेक्षण, खुदाई और उसके संरक्षण तथा भंडारण का भरपूर इंतजाम किया जाना चाहिए। एक जमाना था जब इस देश में तेल की अत्यधिक कमी थी। उस दृष्टि से प्राकृतिक तेल और गैस आयोग का गठन हमारे देश में हुआ था। उसने बहुत बड़ी भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान की हैसियत से इस देश के नव-निर्माण में निभाने का काम किया। उस आयोग के काम को और भी बढ़ाया जा सकता था, विस्तार किया जा सकता था, यदि उसका कार्य और विस्तृत हुआ होता। सम्भवतः इस देश के अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर से प्राकृतिक तेल और गैस को आयात करने में हम जो बर्बाद करते हैं उसकी सुरक्षा हमारे देश में हुई होती। लेकिन अभी उदार नीति अर्थ तंत्र की हमारे देश में बनाई गई और कल ही इस आदरणीय सदन में माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया, जब उनसे पूछा गया कि निजी क्षेत्र के, अनिवासी भारतीयों के और विदेशी कम्पनीज के कितने-कितने अनुबंध इस देश में तेल के भंडारण, संरक्षण, खुदाई और सर्वेक्षण के भारत सरकार को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने कहा

[श्री मोहन सिंह]

कि 10 अनिवासी और 30 विदेशी कम्पनीज के आवेदन प्राप्त हुए। जहां तक मैं उनके जवाब को समझा हूं मुझे लगता है कि सिर्फ चार विदेशी कम्पनीज के और दो देशी कम्पनीज के आवेदन सही हैं। कुल 6 कम्पनियों से अभी तक अनुबंध हुआ है और वह भी केवल कुछ सीमित इलाकों यथा गोंडवाना, गोदावरी की तलहटी में। उत्तरी और पूर्वी हिन्दुस्तान के बारे में जहां पर अतुल भंडार है, अभी तक न तो तेल विभाग द्वारा और न ही भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी पूर्वी सीमा, अराम में काफी भंडार हैं। सरसरी तौर पर थोड़ा बहुत सर्वेक्षण बिहार में हुआ लेकिन पिछले साल जवाब दिया गया कि सर्वेक्षण के बाद इस तरह की कोई चीज़ उपलब्ध है या नहीं, भारत सरकार को पता ही नहीं है। लेकिन अब नये सिरे जो सूचनायें सोन नदी की घाटी, दामोदर नदी घाटी, झारखंड इलाके के संबंध में प्राप्त हुई है, उसके अनुसार वहां पर प्राकृतिक गैस और तेल उपलब्ध है। सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। यदि उदारवादी नीति अपनायी है तो इसके लिये निजी कंपनियों से अनुबंध होने लगे हैं लेकिन प्राकृतिक गैस आयोग ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। भारत सरकार को निजी कंपनियों को [illegible] भेजने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि जो पूर्वी इलाकों में सर्वेक्षण और खुदाई का प्रावधान है, उसे भारत सरकार स्वीकार करे और माननीय मंत्री जी उपने उत्तर के समय यह आश्वासन इस सदन को दें कि बिहार और बंगाल में इस तरह की कौन सी योजनायें ली जानी हैं जिसे समयबद्ध तरीके से करने को तैयार है। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने लिमिटेड टाइम लिया।

[अनुवाद]

इस तरीके से बहुत से माननीय सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग ले सकते हैं। आप थोड़ी समय-सीमा में भी पूरी बात को संक्षेप में कह सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी बातें बहुत ही सफल तरीके से और संक्षेप में कही हैं। यह एक अच्छी बात है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने भाषण को संक्षेप में कहना चाहता हूं। वास्तव में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है और यह राष्ट्रीय हित से भी संबंधित है। इस संकल्प में तीन अलग-अलग बातें कही गयी हैं। पहली बात यह है कि ओ.एन.जी.सी. द्वारा सामान्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में और विशेषतः पश्चिम बंगाल में तेल दोहन कार्यों की घोर उपेक्षा की जा रही है। संकल्प की दूसरी बात यह है कि इन क्षेत्रों में तेल दोहन कार्यों को और तेजी से करने की मांग की गई है। तीसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है और मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात का समर्थन करेंगे, कि जहां तक तेल दोहन का संबंध है, इसमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इस संकल्प में जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये हैं आप इन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पास समय का अभाव है। मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करता हूं और मैं अधिक समय भी नहीं लूंगा। परन्तु कृपया आप यह देखें कि इस विषय के प्रति न्याय होना चाहिये।

मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में दोहन कार्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के काफी अच्छे अवसर हैं। देश के मेरे पास कतिपय आंकड़े मौजूद है। जो यह सिद्ध करते हैं कि देश में तेल के विशाल भंडार हैं। सरकार की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में कुल तलछटीय बेसिन 1.72 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसमें से केवल 0.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में पड़ता है। इतने विशाल क्षेत्र में तेल के मामले में भारत के लिये आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

एक अन्य बात तो हमें ध्यान में रखनी चाहिये, वह यह है कि अभी तक इसके बहुत ही छोटे भाग में दोहन कार्य किया गया है। पूरे क्षेत्रों को 26 बेसिनों में बांटा गया है। इन 26 बेसिनों में से पांच बेसिनों में आज तक भी कोई दोहन कार्य नहीं हुआ है और शेष 21 बेसिनों को चार वर्गों में विभक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल इस वर्गीकरण के वर्ग 2 में आता है। वर्ग-I में आने वाले छः बेसिनों में व्यापक दोहन कार्य किया गया है जो कि बाम्बे-हाई क्षेत्र कहलाता है। वास्तव में बाम्बे-हाई क्षेत्र में अत्यधिक दोहन किया गया है और मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि इस क्षेत्र का पूरी तरह से शोषण कर दिया गया है।

[अनुवाद]

वहां पर उत्पादन पहले ही आधा हो गया है क्योंकि बम्बई हाई में अधिक काम है। अतः, आवश्यकता इस बात की है कि खोज का कार्य किया जाये या खोज के कार्य का विस्तार किया जाए ताकि हम तेल की पुनः आपूर्ति कर सकें। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप बम्बई हाई को समाप्त कर देंगे और अन्ततः देश में तेल का कोई उत्पादन नहीं होगा और अन्त में आप बाहर से तेल आयात करने के लिए देश के हितों को बेच देंगे। मैं कुछ मिनट बाद इस बात पर आऊंगा।

सच्चाई यह है कि उत्पादन में कमी आनी शुरू हो गई है। तेल के स्वदेशी उत्पादन में कमी आ रही है और इस संबंध में मेरे पास जो आंकड़ा है, उससे पता चलता है कि वर्ष 1989-90 में देश में कच्चे तेल का उत्पादन 34 मिलियन टन था। यह वर्ष 1992-93 में घटकर 27 मिलियन टन हो गया। सच्चाई यह है कि उत्पादन घट रहा है और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह मांग 79 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। आप इसे समझ सकते हैं। मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है और स्वदेशी उत्पादन नियमित रूप से घटता जा रहा है। यदि आप आत्मनिर्भरता के प्रतिशत पर विचार करें तो आप देखेंगे कि यह भी घट रहा है। आत्मनिर्भरता का प्रतिशत जो 1984-85 में 67.8 प्रतिशत था वह वर्ष 1992-93 में घटकर 42.9 प्रतिशत हो गया है। अतः हम अधिक आयात कर रहे हैं और स्वदेशी उत्पादन घट रहा है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि वर्ष 1992-93 के दौरान तेल के आयात पर 17,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जो कि वर्ष 1992-93 के रक्षा बजट से अधिक है, हम तेल के आयात पर पूरे देश की रक्षा पर हो रहे व्यय से अधिक खर्च करते हैं। मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय जो कि इस विषय के ज्ञाता हैं मेरी इस बात से, कि वर्ष 2000 में कुल आयात का बिल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा, सहमत होंगे।

मैं केवल पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोज कार्य की दोषदर्शी उपेक्षा पर बोलूंगा।

[श्री चित्त बसु]

मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में इच्छापुर में तेल मिला है, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निकट मेरे माननीय मित्र के निर्वाचन क्षेत्र का भाग है। मुझे मालूम है कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 42 से अधिक तेल कुएं खोदे गए थे। यद्यपि, मैं जानता हूं कि अभी तक 900 करोड़ खर्च किए गए हैं और मैं यह मानता हूं कि इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि आपने इस पर बहुत खर्च किया है। मेरा आरोप यह है कि आपने इसको गलत ढंग से खर्च किया है, आपने कार्य का निर्धारण गलत ढंग से किया है, आपकी कार्य योजना ठीक नहीं थी और यह वैज्ञानिक नहीं थी। मैं यह भी मानता हूं कि इसमें कोई साजिश भी है।

4.00 म.प.

इस संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में उच्च स्तर पर साजिश हुई है। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरे पास इसे सिद्ध करने के लिए दस्तावेज हैं। यह दस्तावेज मंत्री महोदय जी के पास उपलब्ध है। हमने उसमें विस्तार से लिखा है कि यह सब कैसे किया जा रहा है। इसपोट-I से जो नमूना लिया गया था, हल्दिया तेल शोधक कारखाने में उसकी जांच की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री चित्त बसु : मुझे विषय मालूम है। ···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : और भी माननीय सदस्य हैं। वे इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : मेरे साथ न्याय मत कीजिए, लेकिन विषय के साथ तो न्याय कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कनिष्ठ सदस्य भी हैं। उन्हें कुछ बातें कहनी हैं।

श्री चित्त बसु : ठीक है। उन्हें इस बात का उत्तर देना चाहिये कि क्या यह सच है कि इसपोट-I में जो तेल पाया गया था, हल्दिया तेल शोधक कारखाने ने उसकी जांच की थी, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वहां वास्तव में तेल पाया गया था और यहां से तेल निकालना जारी रहना चाहिए।

दुर्भाग्य से हुआ यह है कि तेल निकालने का काम जारी नहीं रखा गया। कतिपय तथाकथित कारणों से तेल निकालने का काम रोक दिया गया था। सच्चाई यह है कि तेल विशेषज्ञ जानते हैं कि यह आयलीगैसिंग सैंड पैकेजिंग से संबंधित है।

इस क्षेत्र में तेल कुओं के पाए जाने की हर संभावना है। एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी सी.एफ.सी. ने भी पश्चिम-बंगाल के कुओं के कतिपय पहलुओं की जांच की है। उन्होंने भी यह महसूस किया है कि इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है। बोदरा डायमण्ड हार्बर और अन्य कुओं के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। इन सभी मामलों में हमने इंगित किया है कि अनुकूलतम स्तर अर्थात् पहुंच स्तर कम था, लेकिन गहराई लक्ष्य तक नहीं पहुंचा गया। गहराई लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खुदाई का कार्य रोक दिया गया था। हमें संदेह है कि इसका कारण यह है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नहीं चाहता है कि पश्चिम-बंगाल क्षेत्र में तेल निकाला जाए। पश्चिम बंगाल में एक बार तेल मिल जाने से वहां का जोरदार और अत्यधिक आर्थिक विकास होगा। पश्चिम की बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यह नहीं चाहती है कि भारत तेल के मामले में कभी भी आत्मनिर्भर

हो। यदि भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाता है तो विश्व का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री चित्त बसु इस विषय पर 4.31 म.प. तक मंत्री जी के उत्तर सहित चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी।

...(व्यवधान)...

श्री चित्त बसु : यह बात सही है कि उन्होंने यह उल्लेख किया है कि केवल छह कम्पनियों को कतिपय विदेशी ठेके दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य भी हैं।

श्री चित्त बसु : मैंने यह बोलने में दस मिनट का समय लिया है, उससे अधिक नहीं। खैर मैं इसे पूरा करूंगा।

यह तेल कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के लिए दिया गया विज्ञापन है। उन्होंने तेल क्षेत्र में निवेश करने के लिए विदेशी निजी कम्पनियों को आमंत्रित करने के लिए बहुत सारी रियायतें दी हैं। मैं तो कहूंगा कि यह भारत सरकार का विज्ञापन है। इस नए विज्ञापन से स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन आया है। अब सरकार कहती है कि अब सरकार के विनियम के बिना भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किए जा सकते हैं। इससे पहले भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए विदेशी कम्पनियों को ठेके दिए गए थे, लेकिन उसमें एक शर्त थी। एकत्र किये गए आंकड़ों को उसके विचारों के लिए भारत सरकार को दिया जाएगा। अब वे भूकम्पीय सर्वेक्षण को जारी रखने के लिए कहते हैं। वे सभी आंकड़े लेते हैं लेकिन उसमें से भारत सरकार को कुछ नहीं दिया जाता है। यहां तक कि भारत सरकार को सूचना भी नहीं दी जाती है। महोदय, वे हमारी सभी छुपी हुई सम्पदा के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं और हमारी सरकार यह भी नहीं जानती है कि हमारी धरती के नीचे वास्तव में क्या छिपा हुआ है। यह राष्ट्र विरोधी है और मैं पूरा जोर देकर यह बात कहता हूं। कोई भी राज्य सरकार निकाली गई सम्पदा के लिए रायल्टी की मांग नहीं करने वाली है। यदि उनकी भूमि पर तेल मिलता है, तो विदेशी कम्पनियों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह राज्य सरकार को रायल्टी देंगी। क्या इससे हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा होती है ? मैं सभा से पूछ रहा हूं। सरकार उन्हें मनमर्जी का दोहन और शोषण करने के लिए रियायतें दे रही है। लेकिन संबंधित राज्य सरकार को रायल्टी दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उत्पादन में हिस्सेदारी करने के बजाए सरकार मुनाफे में हिस्सेदारी करने की प्रणाली पर समझौता करने जा रही है। यदि विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल निकाला जाता है तो हम निकाले गए किसी भाग विशेष की मांग नहीं कर सकते हैं। हम लाभ के कुछ प्रतिशत की मांग कर सकते हैं उस पर भी विदेशी कम्पनियां अपनी लेखा बहियों को इस तरह से तैयार करके रखेंगी कि व्यय अधिक होंगे और लाभ कम और भारत को अपने वित्तीय हित से हाथ धोना पड़ेगा। जैसा कि श्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि इतनी अधिक रियायतें देने के बावजूद भी केवल छह विदेशी कम्पनियों ने भारत में अपने नाम पंजीकृत करवाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि मंत्री महोदय के उत्तर श्री असीम बाला के भाषण सहित इस विषय को 4.31 बजे म.प. तक समाप्त करना है। चार और सदस्यों को अभी इस पर बोलना है, उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री चित्त बसु : आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री महोदय ने इस मुद्दे पर इस सभा को सूचित किया था। इस संकल्प का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में तेल की खोज की गतिविधियों को बढ़ाना है। सरकार की स्थिति क्या है ? कुछ ही दिन पहले 24-2-94 को, सरकार ने कहा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार पश्चिम बंगाल में खुदाई टिग्स की संख्या कम करने की योजना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री चित्त बसु : महोदय, बिहार और पश्चिम बंगाल भारत के अंग हैं। 24 तारीख को उन्होंने अचानक यह कह दिया कि पश्चिम बंगाल में खुदाई गतिविधियां बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। महोदय, आप मुझे ऐसा कहने की अनुमति नहीं दें, मैं यह नहीं कह रहा हूं। यह सब उस दिन उन्होंने कहा है और आप इतने अधीर हो गए। महोदय, मुझे खेद है कि मुझे अपनी आवाज उठानी पड़ रही है और अपनी आवाज उठाने का यही सही अवसर है। यह गिड़गिड़ाने का अवसर नहीं है। आप राष्ट्र के पूरे हितों को बेच रहे हैं और आप राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं तथा आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं क्योंकि आप कुछ मिनट का समय बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका विरोध करता हू और सभा को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह निजी सदस्यों का समय है और आप इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। समय बढ़ाया जा सकता है। बिहार के मित्रों, आघात पहुंचाने वाली बात यह है कि गंडक परियोजना को पहले ही बंद कर दिया गया है और उनमें यह कहने तक धृष्टता आ गई है कि बिहार में इस कार्य का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है और बिहार में कोई खुदाई योजना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं और वह महानुभाव क्या कर रहे हैं ? वह संयुक्त राज्य अमेरिका से पैसा वापस लाने और उसके न्यायालय में अपने मामले का बचाव करने में अधिक रुचि ले रहे हैं और भारत के हितों को बेच रहे हैं। अतः यह एक दोषरहित विधेयक नहीं है। मैं इसका विरोध करता हू और यह कहता हू कि संसद को समय की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और यह कहने में अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए कि किसी तरह से विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों को इस तरह की राष्ट्र विरोधी रियायत नहीं देनी चाहिए।

अतः मैं विनम्रता से यह मांग करता हूं कि तेल की खोज संबंधी पूरी नीति को संशोधित किया जाए ताकि देश की धरती के नीचे छिपी हुई अपार तेल सम्पदा का समुचित ढंग से दोहन किया जा सके और तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके तथा हमारे आर्थिक हित पूरी तरह से संरक्षित और सुरक्षित रह सकें और हम अपने देश की राजनीतिक संप्रभुता को संरक्षित, सुरक्षित रख सकेंगे और उसे अधिक सशक्त बना सकेंगे। मैं जोर देकर कहता हूं कि हम केवल पेट्रोल की कुछ बूंदों के लिए अपने देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेचने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चार और सदस्यों को इस वाद-विवाद में भाग लेना है। मैं जानना चाहता

हूं कि क्या वे सभी लोग अपनी बात को केवल दो मिनट तक सीमित रख सकते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम हर एक विषय के लिए समय नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसे भी सदस्य हैं, जिन्होंने अपने विधेयक और संकल्प बहुत पहले प्रस्तुत कर दिए थे। उनके विषय को भी समय मिलना चाहिए। सभी विषय समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अतः माननीय सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। समय बढ़ाना संभव नहीं है। मैं आपसे अपने मुद्दे बहुत संक्षेप में रखने का और दो से तीन मिनट से अधिक समय न लेने का अनुरोध करता हूं। कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्हें अपनी बात शुरू करने में कुछ कठिनाई होती है। यह बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मुझे यह भी मालूम है कि कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बहुत कम समय में व्यक्त कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि श्री तेजनारायण जी अपने सभी मुद्दों को मिनटों में रख सकते हैं। श्री तेजनारायण सिंह जी कृपया शुरू कीजिए।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, मैं असीम बाला जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार जानबूझ कर भारत के समूचे उत्तर पूर्वी हिस्से को जहां तेल का भंडार है, को उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है। अगर सरकार ऐसे न देखे तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तेल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुखाड़ के समय में सिंचाई का काम तेल से ही होता है। सरकार देशी सामान छोड़कर विदेशी सामान ज्यादा पसंद कर रही है। कांग्रेस का एक जमाना था जब महात्मा गांधी कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी सामान का बहिष्कार करो। अब वही कांग्रेस पार्टी कहती है, देशी छोड़ो और विदेशी अपनाओ।

इस देश का दुर्भाग्य है कि देशी चीजों को छोड़ कर विदेशी चीजों को पसन्द किया जा रहा है। हमारे यहां तेल के बहुत भंडार हैं। भारत सरकार ने इसका काम ओ.एन.जी.सी. को दिया था लेकिन उसने काम पूरा नहीं किया। सरकार का उस पर दबाव होना चाहिये था कि वह जल्द से जल्द इस काम को पूरा करे और अधिक से अधिक तेल निकाले, जिससे देश की समस्याओं को दूर किया जा सके। आज एक ही जगह पर तेल का भंडार नहीं है। बिहार का चम्पारण जिला इससे अछूता नहीं है। पूर्वी इलाके में असम, बंगाल है, इन राज्यों में तो है ही, चम्पारण में भी है। वहां देखने की बात तो दूर रही, आज तक सरकार ने सर्वेक्षण का काम नहीं कराया है। तेल का बहुत बड़ा वहां खजाना है। अगर प्राइवेट कम्पनियों पर आप ज्यादा आत्मनिर्भर रहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा और देश बर्बाद हो जायेगा।

इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत सरकार के आग्रह पर राष्ट्रपति जी ने 25 जनवरी को एक अध्यादेश निकाला, जिसके द्वारा प्राइवेट कम्पनियों को अधिकार मिल गया कि देश की धरती के नीचे तेल के भंडार का वह पता लगायें। ओ.एन.जी.सी. यह काम पहले भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार की यह साजिश थी कि उसने ओ.एन.जी.सी. को करने नहीं दिया। अब वही काम प्राइवेट कम्पनियां कर रही हैं। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि बिना तेल के भारत का विकास नहीं होगा। कुवैत जैसा छोटा देश भी आज तेल के बल पर ही विश्व में अपनी मान मर्यादा बनाये हुए है, किसी के सामने भी हाथ नहीं पसारता है इसलिए हमारी धरती के अंदर जो तेल है, उसको बाहर निकालने की सरकार को कोशिश करनी

[श्री तेज नारायण सिंह]

चाहिए। मैं समझता हूं कि देश का इससे पूर्णरूपेण विकास हो जायेगा, इसलिए मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करे जिससे हमारे देश का विकास हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया के अंदर वही देश सबसे अधिक समृद्ध और शक्तिशाली माना जाता है, जो तेल की दृष्टि से आत्मनिर्भर है।

दुर्भाग्य से स्वाधीनता के पश्चात् इस क्षेत्र में हमारे शासकों ने ध्यान तो दिया, लेकिन जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप आज स्वाधीनता के 47 वर्षों के पश्चात् भी हमारा देश आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सका और हमें करोड़ों-अरबों रुपये प्रतिवर्ष तेल मंगाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं।

असीम बाला जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव के दो तीन हिस्से हैं। मैं समझता हूं कि केवल पश्चिम बंगाल की उपेक्षा का ही प्रश्न नहीं है, राजस्थान की भी घोर उपेक्षा की गई है। राजस्थान में थार मरुस्थल के अन्दर नागौर, बीकानेर के बेसिन में, जैसलमेर के पास कहा जाता है कि सबसे अच्छे तेल के भंडार का पता लगा है और गुणवत्ता के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे मालूम पड़ता है कि जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में, रेगिस्तान के क्षेत्र में पाया जाने वाला तेल, वहां पाई जाने वाली गैस गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत अच्छे किस्म की है परन्तु जितना उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, आयल इण्डिया लिमिटेड, ओ.एन.जी.सी. अथवा जो भी एजेंसी है, उस क्षेत्र के अन्दर तेल के सर्वेक्षण के लिए, तेल के वेधन के लिए, तेल के विपणन के लिए, तेल के वितरण के लिए या तेल के भण्डारण के लिए राजस्थान की निरन्तर इस मामले में उपेक्षा की गई है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अधिकांश राज्यों के अन्दर रिफाइनरीज, तेलशोधक संयंत्र स्थापित किये गये हैं लेकिन राजस्थान के अन्दर तेलशोधक संयंत्र आज तक भी स्थापित नहीं किया गया। राजस्थान से होकर तेल की लाइनें तो निकली हैं, लेकिन वह मथुरा पहुंच गई हैं या करनाल पहुंच गई हैं या इधर-उधर दूसरे स्थानों पर पहुंच गई हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का प्रश्न नहीं है, राष्ट्र की किसी भी नदी के बेसिन में या किसी भी समुद्रतटीय मैदान में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में या असम, बंगाल की घाटी में जहां पर भी तेल उपलब्ध हो सकता हो, गैस उपलब्ध हो सकती हो, जहां हाइड्रो कार्बन्स पाये गये हों, यह ऐसे लक्षण हैं कि वहां तेल मिल सकता है।

वहां पर भारत सरकार को चाहे अधिकाधिक पैसा भी खर्च करना पड़े, केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहारे रहकर यह काम नहीं किया जा सकता है, वहां आयल इण्डिया लिमिटेड हो, चाहे ओ.एन.जी.सी. हो या गेल हो, इनके साथ-साथ जिन विदेशी कम्पनियों को आप तेल की खुदाई, अन्वेषण और सर्वेक्षण आदि के लिए बुला रहे हैं, उन सबमें कोआर्डीनेशन हो, समन्वय हो ताकि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना तेल और गैस चाहिए, वह हम प्राप्त कर सकें।

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि 1992-93 में हमारा तेल उत्पादन का जितना लक्ष्य था, उससे 10 लाख 66 हजार टन तेल का उत्पादन कम रहा है और केवल दो करोड़ 26 लाख 96 हजार टन तेल का उत्पादन रहा। अब सरकार लीपापोती करती है कि बिजली की किल्लत रही, भण्डारण की दिक्कत रही या बम्बई हाई के अन्दर संकट पैदा हो गया। कुंओं में जितना उत्पादन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारे ओ.एन.जी.सी. या दूसरे जो काम करने वाले जिम्मेदार लोग थे, वह भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराये जाने चाहिए। वह समय रहते इस ओर ध्यान देते, समय रहते नये कुंओं का पता लगाते तो यह स्थिति नहीं होती।

हम जब गुजरात में जाते हैं, तो अहमदाबाद के पास मेहसाना और कलोल के पास तेल कुओं से दूर-दूर तक आग जली हुई दिखाई देती है। वहां गैस जलकर बेकार जाती है इसलिए उस गैस के ज्वलन को रोका जाय। आज एक तरफ तो हमारे परिवारों के अन्दर गैस की मांग बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल की मांग बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ हम अंधाधुंध पेट्रोल और गैस को उस प्रकार से अपव्यय कर रहे हैं।

यह भी राष्ट्र का दुरुपयोग है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो संकट हमारे ऊपर आए हुए हैं, पेट्रोल और गैस की दृष्टि से, खनिज तेल के उत्पादन में निरंतर कमी हुई है। नये तेल क्षेत्रों की खोज में हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास खोज कार्य के लिए साधनों की कमी है। पेट्रोल पदार्थों की खपत देश में तेजी से बढ़ती जा रही है और विदेशी मुद्रा भी डालर के रूप में अरबों रुपयों में हमें खर्च करनी पड़ रही है। विदेशी व्यापार में घाटा हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय कर्जदारी बढ़ रही है। ऐसी सारी परिस्थितियों के अंदर हमें यह मांग करके कि तेल राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता है। क्षेत्रीयवाद, प्रांतीयतावाद, इन सबसे ऊपर उठ करके सर्वोपरि प्रमुखता प्रदान करते हुए पेट्रोल के क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जब पाकिस्तान की साइड में उसी सिंध के रेगिस्तान में इतना तेल मिल रहा है तो हमारे यहां जो जैसलमेर का इलाका है ···**(व्यवधान)**··· जोधपुर और बाड़मेर, बीकानेर और नागौर, वहां पर अगर ज्यादा से ज्यादा सर्वेक्षण कराया जाये तो मैं समझता हूं कि वहां बहुत कुछ तेल निकल सकता है। ···**(व्यवधान)**··· मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे कृष्णा-गोदावरी के बेसिन हों, चाहे केरल के समुद्री तटीय मैदान हों, चाहे बंगाल का इलाका हो, चाहे बिहार का चम्पारण हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, इस तरह के स्थानों पर भी पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि वहां पर भी तेल मिल सकता है या नहीं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि विदेशी कम्पनियों के ऊपर निर्भरता छोड़ दें, अगर मल्टीनेशनल को बुलाया गया तो जितनी आवश्यकता है, उतनी ही उनकी सहायता ले लें। लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण, उनके ऊपर वर्चस्व और उनके ऊपर संरक्षण आपका और आपकी ओ.एन.जी.सी., ऑल इंडिया आदि का रहना चाहिए, ताकि वे समय आने पर कहीं हमें धोखा न दे दें और हमारे राष्ट्र के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास न करें, यह प्रयास अवश्य करना चाहिये।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमें तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र

[प्रो. रासा सिंह रावत]

में किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी है और उसके साथ में हमें आत्मनिर्भरता ज्यादा प्राप्त करनी है।

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मैं मात्र एक अहम् बात कहना चाहता हूं क्योंकि मुझसे पहले जो भी सदस्यगण बोले हैं, उन सभी ने इस बात पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की है कि हमारी सरकार देश में तेल की खोज करने हेतु समुचित कदम नहीं उठा रही है। बहुत-सी नदियों के बेसिन तथा अन्य स्थान ऐसे हैं, जहां से तेल मिलने की काफी सम्भावनाएं हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी लोकप्रिय सरकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने में अत्यधिक रुचि रखती है। हमारी सरकार किसी भी बात की अनदेखी नहीं कर रही है। शायद हमारी सरकार आर्थिक-सुधारों की भी अनदेखी नहीं कर रही है।

हमारे मंत्री महोदय एक अत्यंत सक्रिय व्यक्ति हैं। उन्हें देशभर में तेल की खोज की सभी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिये। जहां कहीं भी ऐसी सम्भावनाएं हों, सरकार को निष्ठापूर्वक सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी सरकार इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही है। इन क्षेत्रों में, हमारा देश गम्भीर संकट का सामना कर रहा है। हम बाहर से तेल का आयात कर रहे हैं। इसी वजह से तेल की कीमतों में दिन-प्रति-दिन वृद्धि हो रही है।

मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि इस सभा के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ताकि माननीय सदस्यों को यह पता चल सके कि सरकार इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वानुमान प्रतिवेदन के अनुसार, समूचा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विशेष तौर पर बरक घाटी में तेल के विशाल भंडार हैं। लेकिन यह देखा गया है कि ओ.एन.जी.सी. ने वहां अभी ड्रिलिंग ही शुरू की है और एक गड्ढा खोदने के बाद वे उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के बारे में भी यही स्थिति है। ऐसा कहा जाता है कि तेल अथवा गैस पाइप लाइन की लम्बाई उतनी नहीं है, जितनी कि होनी चाहिए।

उतनी लम्बाई तक पहुंचने से पहले ही वे ड्रिलिंग बंद कर देते हैं। यही समस्या है। इस तरह से, सरकारी पैसे की फिजूलखर्ची की जा रही है।

दूसरे, मैं आपको बंगलादेश की सीमा के बारे में कुछ बताऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि बंगलादेश तेल एवं प्राकृतिक गैस की ड्रिलिंग के लिए जोरदार ढंग से कार्य कर रहा है। भारतीय क्षेत्र में भी बंगलादेश के निकट ऐसे तेल क्षेत्र स्थित हैं। यदि भारत सरकार द्वारा तेल अथवा प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर सम्भवतः इन्हें भारतीय क्षेत्र से बंगलादेश द्वारा निकाला जा सकता है। इसी वजह से, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में तुरंत कदम उठायें।

यह कहा जाता है कि बरक घाटी से कुछ कूप खनन संयंत्र (टिग्स) अन्य स्थानों पर ले जाये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में असम की बरक घाटी में ड्रिलिंग कार्य बंद करने जा रही है।

अंत में, मैं यही कहना चाहता हूं कि एडमटीला तथा बंसकंड़ी में गैस पाई गई है; लेकिन इस गैस का उपयोग नहीं किया जा रहा है; इसे जलाया जा रहा है, जबकि गैस-टरबाइन के लिए प्रयास जारी हैं, राज्य सरकार ने डी.एल.एफ. कम्पनी के साथ पहले ही एक ठेका तय कर लिया है तथा उन्होंने एडमटीला एवं बंसकंडी से निकलने वाली गैस उन्हें देने के लिए ओ.एन.जी.सी. से सम्पर्क किया है। ऐसा कहा जाता है कि ओ.एन.जी.सी. ने उन्हें गैस देने से इन्कार कर दिया। अतः, मैं मंत्री महोदय से गैस-टरबाइन का निर्माण करने के लिए अनुरोध करता हूं, ताकि एडमटीला एवं बंसकंड़ी से निकलने वाली गैस, गैस-टरबाइन डी.एल.एफ. कम्पनी को दी जा सके तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष तौर पर बरक घाटी में बिजली की कमी की समस्या को हल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इस विषय पर डा. असीम बाला ने, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके जरिए उन्होंने बहुत मजबूती के साथ सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट किया है। इस प्रस्ताव को यदि सरकार मान लेती है, तो इससे देश की संप्रभुता की रक्षा होगी, देश तेल की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा और क्षेत्रीय असंतुलन भी दूर होगा। इस बारे में सारे सदन के सदस्यों की एक राय है, जिसकी ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि नौजवान मंत्री जो मेरे मित्र भी हैं, इन बातों की तरफ अवश्य ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि उत्तर बिहार में फारवीस गंज से लेकर नरकटिया गंज तक, चाहे गंगा का बेसिन हो या गंडक का बेसिन हो, यहां पर बहुत तेल की प्राप्ति की संभावनाएं हैं। कई जगहों पर खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया गया। इसके पीछे क्या नीयत है, वही नीयत है जो इस प्रस्ताव में बताई गई है। सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़े हुए इलाकों को विकसित किया जाए या देश तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो। इस बारे में माननीय सदस्य चित्त बसु जी ने भी प्रकाश डालते हुए कहा है कि विश्व बैंक से सरकार जुड़ी हुई है और विदेशी आकाओं के द्वारा हमारी नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है। इस तरह की बातें बिल्कुल ठीक नहीं हैं और हमारा सरकार से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संभावित तेल क्षेत्रों में खनन का कार्य आरंभ करवाया जाए। इस विषय की ओर से आप आंखें बंद न करें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अब तो धन की कमी की बात भी सरकार नहीं कह सकती है, क्योंकि विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है, इसलिए इस काम को शीघ्र शुरू करवाया जाए, लेकिन इसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। विदेशी कंपनियों को चीन में भी बुलाया गया है, लेकिन वहां उन पर चीन की प्रभुता रहती है। आपके हाथ से प्रभुत्व निकलता जा रहा है। आप कैटेगोरिकल जवाब दें कि उत्तर बिहार में पाये जाने वाले तेल भंडार का पता कराया जाएगा या नहीं ? इसके लिए कुछ समय निर्धारण किया

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

है या नहीं ? अगर निर्धारण किया है तो क्या समय है ? पश्चिम बंगाल के बदावरी के बेसिन में और दूसरे इलाकों जैसे आसाम में तेल के भंडार मिले हैं, उनको खुदवाया जाए, जिससे वहां का स्थानीय विकास हो और देश की तेल के मामले में आत्मनिर्भरता लायेंगे या नहीं। संसद में हमको बीस सालों से रहने का मौका मिला है। एक जमाना था जब हिन्दुस्तान तेल देने के लिए तैयार था। उस समय सोवियत यूनियन ने प्रस्ताव दिया था कि हिंदुस्तान में तेल का भंडार है इसलिए आप खुदाई कीजिए तो आपको तेल के भंडार मिलेंगे। वे नहीं चाहेंगे कि हिन्दुस्तान आत्म-निर्भर हो और यहां का विकास हो। हमारे माननीय मंत्री जी सावधान रहें और ऐसी नीतियां तय करें, जिससे राष्ट्र का विकास हो और छुटे हुए क्षेत्र का विकास करें, इसलिए इस प्रस्ताव को मान लिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक पर चर्चा के लिए आधे घंटे का समय और बढ़ा देते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, डा. असीम बाला जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में तेल की जो विशाल संभावना है, उसका पता लगाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए जो प्रस्ताव लाए हैं, तो इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। पूर्वी क्षेत्र की हर मामले में भारत सरकार उपेक्षा कर रही है। अभी पूर्वी क्षेत्र के कांग्रेस के सांसद ने मंत्री जी के लिए कहा कि ये डायनामिक मिनिस्टर हैं, इसलिए यह उपाधि सुनकर मंत्री जी गद्‌गद् हो रहे थे। ये डायनामिक मिनिस्टर हैं तो इसमें शक नहीं है।...**(व्यवधान)** आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बयान दिया है कि उनको मालूम है कि एक सांसद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए दो करोड़ रुपया खर्च किया था। कई प्रकार की डायनामिज्म की बातें कहीं हैं। रेलीवेंस है या नहीं, आपको जीरो-आवर में पता चल जाता कि आप कैसे बसें दिल्ली में चला रहे हैं...**(व्यवधान)**... और रेड-लाइन बसें भी चल रही हैं...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं यह बात इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य बिहार से निर्वाचित होकर आये हैं तथा उन्हें यह मालूम नहीं है कि जो बसें दिल्ली में चलती हैं, वह परिवहन मंत्रालय के अधीन नहीं आती। वे बसें राज्य सरकार के अधीन आती हैं।

सदस्यगण हत्यारी बसें एवं ऐसे ही सभी प्रकार के मामलें उठाते चले आ रहे हैं। मैंने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक नीतिगत निर्णय था, जिसे कि दिल्ली प्रशासन ने लागू किया था। यदि सदस्यगण इस बारे में बोले हैं, तो

वे अवश्य ही बिल्कुल सही बोले होंगे। मैं भी इस बात से उतना ही चिन्तित हूं। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवहन मंत्रालय का दिल्ली में चलने वाली रेड लाइन बसों के साथ कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मेरा आग्रह उनकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से नहीं था। रेड लाइन बसें जो चल रही हैं, उसमें श्री टाईटलर की भूमिका के चर्चे हमने सुने हैं, क्योंकि हमें भी दिल्ली मे रहते हुए कुछ अर्सा हो गया है, इसलिए इस तरफ इशारा किया था। वे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसीलिए अपनी सफाई दे रहे थे। अभी रेल बजट आया, उसमें भी उसी प्रकार से बिहार और पूर्वी इलाकों की उपेक्षा की गई है। गैस और तेल का पता लगाने के लिए तथा उसके खनन का जब भी सवाल आता है तो उस क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है।

ओ॰एन॰जी॰सी॰ के द्वारा बिहार के चम्पारण, दरभंगा आदि क्षेत्रों में काम किया जा रहा था। हम रोज देखते थे कि उसके अधिकारी पटना से हेलिकाप्टर पर उड़ान भर कर मौके पर जाया करते थे। अचानक वहां काम बन्द कर दिया गया। पिछली लोक सभा में सरकार की तरफ से जवाब आया था कि हम वहां काम बन्द नहीं करेंगे, वहां तेल और गैस मिलने की सम्भावनायें हैं और वह यूनिट वायबल होगी। ऐसा सरकार का आकलन था। लेकिन इस सरकार के आते ही मापदंड बदल गये और वहा काम बन्द कर दिया गया। मैं इस सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि राजनैतिक कारणों से जानबूझ कर राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर वहां काम बन्द कर दिया गया। ईस्टर्न रिजन के अधिकांश राज्य इनके हाथ से बाहर हैं। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये नहीं चाहते कि इन इलाकों में, जो विशाल सम्भावनायें हैं, उनका पता लगायें और विकास करें। ऐसी हमें आशंका है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह जो असंतुलन है इसको दूर करने के लिए सरकार को सख्ती से निर्देश दिया जाना चाहिए। पहले की सरकार ने किस आधार पर इसको वायबल माना और अब की सरकार ने क्यों इसको बन्द कर दिया, इसको मंत्रीजी को साफ करना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि आप उपेक्षा कर रहे हैं। फिर टाईटलरजी कहेंगे कि संदर्भ से बाहर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। वित्त मंत्रीजी ने अपना बजट पेश करते हुए कहा था कि हम अल्पमत से बहुमत की ओर बढ़ गये। क्या यह बात बजट से सम्बन्धित थी ? टाईटलरजी हम आपसे पूछना चाहते हैं। उसमें सतीश शर्माजी की क्या भूमिका रही है, यह जग जाहिर है। सारे लोग जानते हैं। बिहार से जिसका दल बदल कराया, उसको मंत्री पद तो दिया, लेकिन जिस बिहार से दल बदल कराया, उसका विकास का काम भी कुछ करते। जिनको फर्टिलाइजर सौंपा है उनका ही कारखाना कैसे चलेगा। सरकार को सारी स्थिति को देखना चाहिए। इधर से उधर हो गये, आप इसका गुणगान कर रहे हैं कि भारी उपलब्धि हो गई, लेकिन उस इलाके के साथ आप न्याय नही कर रहे हैं। हम लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। वहां पर विशाल सम्भावनायें हैं उसका पता लगायें। बैलेंस आफ पेमेंट का जो असंतुलन है वह किस कारण है, यह भी देखें। हमारा आयात करने पर जिस चीज पर सबसे ज्यादा खर्च होता है वह पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। हमारे यहां इनकी सम्भावनायें हैं, उसका पता लगाना चाहिए।

[श्री नीतीश कुमार]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, पिछली बार भी बहस हुई थी कि तेल पर इतना खर्च होता है, हमें अपने तेल भंडारों का पता लगाना चाहिए। उसके लिए बाहर से जो टेक्नोलाजी की जरूरत हो, पूंजी की जरूरत हो, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन हमें अपने रिसोसेज को एक्सप्लोर करना चाहिए और विदेशों पर निर्भरता समाप्त करनी चाहिए। आज जो दुर्गति हो रही है वह तेल इम्पोर्ट पर होने वाले खर्चे के कारण हो रही है। हमें अपने देश में खपत कम करनी चाहिये। यह देखा गया है कि सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, इनको गाड़ी खरीदने के लिये लोन मिल रहा है। इनको कर्ज देने की क्या जरूरत है ? यदि देखा जाये तो चीन में बड़े-बड़े अधिकारी लोग साइकलों से आते-जाते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी मैटाडोर से आते हैं, जिस पर 3 रु. लगते हैं। यदि पेट्रोल का खर्च ज्यादा बनता है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह हमारे अधिकारियों को भी करना चाहिये। मंत्री लोगों को भी मैटाडोर से आना चाहिये तभी तेल की बचत की जा सकती है। परन्तु होता क्या है ? मंत्री लोग एक गाड़ी लेकर चलेंगे तो उनके आगे-पीछे गाड़ियां चलेंगी और सिक्यूरिटी के नाम पर दो तीन गाड़ियां साथ-साथ चलती हैं। इन सब का फायदा क्या है ? सिक्यूरिटी के नाम पर इतना तेल की बर्बादी हो रही है। पिछली बार श्री जार्ज साहब ने प्रश्न उठाया था कि पता नहीं किसंकी गलती से सिक्यूरिटी की तरफ से गोली चल जाये और कोई मारा जाये, क्योंकि ये लोग नये-नये हथियार लेकर चलते हैं तो गफलत में कोई भी मारा जा सकता है और उसमें तेल का खर्च अलग है। सरकार ने डी.एल.वाई. टैक्सियां रखी हुई है, क्या इन पर खर्चा नहीं पड़ता है ? इस देश में रहने वाले हर इंसान की जान की कीमत है। और वी.आई.पी. की इतनी कीमत है कि उसके आगे-पीछे गाड़ियां चल रही हैं और इससे तेल की फिजूलखर्ची नहीं होती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही आग्रह है कि तेल की बचत और विदेशी मुद्रा बचाने के लिये यही एक उपाय है कि देश के अधिकारी वर्ग साइकिल पर यात्रा करें और उनको कार लौन न मिले जिससे कम गाड़ियां आयेगी और तेल का खर्च कम होगा। कई बार यह देखा गया है कि अधिकारी लोगों को कहीं भी जाना हो सरकारी गाड़ी से जाएंगे, यह उचित नहीं है। इससे पर्यावरण पर भी नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी। तेल का आयात कम करने से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और विदेशों पर निर्भर नहीं रहना होगा क्योंकि आज हो यह रहा है कि हर बात के लिये हम विश्व बैंक पर आश्रित होते जा रहे हैं। इस स्थिति से बचने में हमें मदद मिलेगी। देश के अंदर जो क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है, वह नहीं होगा। मेरी भारत सरकार के मंत्री से अपील है कि वे इस बारे में न्याय करें और देश के पूर्वी क्षेत्रों में तेल की संभावनाओं का पता लगाये और वहां पर जो प्राकृतिक गैस के संसाधन उपलब्ध हैं, उसका इस्तेमाल देश के विकास के लिये करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा. असीम बाला द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : उपाध्यक्ष

महोदय, प्रारम्भ में, मैं डा. असीम बाला एवं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कि इस चर्चा में भाग लिया है।

डा. असीम बाला ने संकल्प पेश करते हुए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं, जिनका मैं उत्तर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक ओर तो तेल की मांग बढ़ रही है और दूसरी ओर घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आ रही है। यह सच है कि कच्चे तेल का उत्पादन जो वर्ष 1989-90 में 34 मिलियन मीट्रिक टन था, हाल ही के वर्षों में घटता चला जा रहा है तथा वर्ष 1992-93 में यह घटकर 26.95 मिलियन मीट्रिक टन तक रह गया है। हमने तेल-भंडारों के संतुलन को बनाये रखने तथा उनको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, जो कतिपय सुधारात्मक उपाय प्रारम्भ किये थे, अधिकांशतः उन्हीं कारणों से मुम्बई हाई के तेल उत्पादन में गिरावट आने से कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है। सुधारात्मक उपायों के ही एक हिस्से के रूप में, हमें अधिक अनुपात में तेल एवं गैस का उत्पादन करने वाले अनेक कुओं को बंद करना पड़ा था। तथापि, मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इन सुधारात्मक उपायों के सकारात्मक परिणाम निकले हैं तथा 1993-94 से आगे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। वर्ष 1993-94 में उत्पादन 27 मिलियन मीट्रिक टन होगा तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रत्येक परवर्ती वर्ष में 5 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि होगी तथा यह उम्मीद है कि वर्ष 1996-97 में तेल का उत्पादन 44.45 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगा।

डा. असीम बाला ने इच्छापुर-I की खोज का उल्लेख किया है तथा अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि ओ.एन.जी.सी. ने नई रिग एवं भूकम्प पूर्वेक्षण के रूप में अतिरिक्त साजो-सामान जुटाने की बजाय, पश्चिम-बंगाल में चरणबद्ध तरीके से इन यंत्रों के हटाने की रणनीति अपना ली है। उन्होंने इच्छापुर-I में आगामी कार्य करने के लिए ओ.एन.जी.सी. द्वारा जो विभिन्न विकल्प अपनाने चाहिये थे, उनके बारे में भी सुझाव दिया था। मैं माननीय सदस्य को पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि इच्छापुर-I में हाईड्रोकार्बन का पता लगने से इच्छापुर-II में भी ड्रिलिंग कार्य सक्रियता से शुरू किया जा रहा है। कम गैस वाले क्षेत्र को और भी सुस्पष्ट करने के लिए त्रिआयामी भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण किये जाने का भी निर्णय लिया गया था। त्रिआयामी सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है। तथापि, जब गैस वाले क्षेत्रों का परीक्षण किया गया था, तो इसमें एक घन मीटर प्रति दिन की दर से संघनीकृत हाईड्रोकार्बन की अनार्थिक मात्रा तथा 1600-2000 घन मीटर प्रतिदिन की दर से गैस का उत्पादन हुआ था। इससे आगे दबाव कम था तथा यह दबाव दीर्घकालीन आधार पर भी नहीं था। 1990 में सी.एफ.पी. फ्रांस ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पश्चिम बंगाल में हाईड्रोकार्बन खोजने का 'ओलिगॅसीन लो स्टेंड वेजें' एक अंतिम अवसर है। डा. असीम बाला ने गोल्फ ग्रीन-I का उल्लेख किया था, और उन्होंने कहा था कि इसे लक्षित गहराई तक ड्रिल नहीं किया गया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यद्यपि गोल्फ ग्रीन-1 क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां ड्रिल किये गये कुएं से यह संकेत मिलता है कि उसमें कोई हाईड्रोकार्बन नहीं है।

कृष्णानगर-राणाघाट क्षेत्र में ऐसे ही अलग-अलग रेतीले खण्डों के भी नक्शे बनाये गये थे, जिसमें इच्छापुर-II कुएं में हाइड्रोकार्बन मिलने के संकेत थे। सकल-सी.एफ.पी. ग्रुप भी इस क्षेत्र

[कैप्टन सतीश कुमार शर्मा]

में ओल्डर पेलिऑसीन सीक्वेन्स के दोहन के लिए सहमत हुआ था, लेकिन इच्छापुर-II कुएं में गैस खोजने का यह प्रयास भी निष्फल सिद्ध हुआ।

ओ.एन.जी.सी. ने इस क्षेत्र में अनेक भू-रसायन संबंधी सर्वेक्षण किये हैं। उनके परिणामों तथा इच्छापुर-I की ड्रिलिंग के आधार पर, ओ.एन.जी.सी. ने इस क्षेत्र में त्रिआयामी भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण हेतु कार्रवाई की है। संक्षेप में जहां तक इच्छापुर का संबंध है, मेरा उत्तर सकारात्मक है। हमें इस क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन के कुछ संकेत मिले हैं तथा त्रिआयामी भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण जारी रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य से इस क्षेत्र को चित्रित करने तथा आगामी खोज हेतु वास्तविक सम्भवनाओं का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

यद्यपि, ओ.एन.जी.सी. द्वारा समुचित भूकम्पीय एवं अन्वेषण संबंधी ड्रिलिग कार्य किया गया है, लेकिन बंगाल बेसिन में अभी तक इसके परिणाम उत्साहजनक नहीं निकले हैं। इसके बावजूद, ओ.एन.जी.सी. ने इस क्षेत्र में आगामी कार्य अभी भी जारी रखा हुआ है।

गोल्फ ग्रीन-एक कुएं की खुदाई का लक्ष्य 6000 मीटर रखा गया था लेकिन खुदाई का उद्देश्य 5826 मी. की गहराई पर ही पूरा हो गया था क्योंकि इसमें 470 मीटर को योजनाबद्ध बेधन के बजाय इओरीन लाइमस्टोन चट्टान की परत के 506 मीटर तक चट्टान का बेधन कर दिया गया। 40 मीटर मोटी परत जिसका पहले उल्लेख किया गया था वह सख्त चूना पत्थर की परत थी जिसका कोई लाभ नहीं था। ऐसा दावा किया गया था कि इस क्षेत्र में तेल मिलेगा लेकिन खुदाई और लॉग सम्बंधी आंकड़ों से यह पता चला कि इस क्षेत्र में तेल नहीं है। 5785 मीटर और 57770.5 मीटर के दो अन्तरालों के बाद यहां पर तेल होने का पता चला लेकिन इसका कोई व्यापारिक लाभ नहीं था। यह कुआं विवाद में फंस गया और इसलिए इसे छोड़ दिया गया।

माननीय सदस्य ने बोदरा-दो कुएं का उल्लेख किया था जिसे डाइमन्ड हार्बर-एक की ही तरह छोड दिया गया था। माननीय सदस्य ने यह भी उल्लेख किया था कि फ्लैश पाइंट से पता चलता है कि इसमें इच्छापुर-एक की तरह उत्कृष्ट कच्चा तेल है और इस पर परिशोधन लागत कम आयेगी। मैं इस संबंध में सभा को वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं।

बोदरा-दो कुएं में आरम्भ में 5500 मीटर की गहराई तक मायोसिन चट्टान की संभावनाओं का परीक्षण करने की योजना थी। परन्तु 4735 मीटर की गहराई पर ही अपेक्षित मयोसिन चट्टान में बेधन कर दिया गया और इसलिए इसकी गहराई को 4950 मीटर तक करना पड़ा। संयोगवश जिन दो उद्देश्यों से परीक्षण किए गए थे, उससे पता चला कि वे जल युक्त हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में गैस घुली हुई थी और इसलिए इस कुएं को छोड़ दिया गया।

डायमण्ड हार्बर-एक की दस माह तक पहले एक गहरे रिग से जांच की गई। तदनन्तर, 'वर्क ओवर रिग' द्वारा ढाई वर्ष के बहुत लम्बे समय तक इसकी पुनः जांच की गई। जिन सभी क्षेत्रों में परीक्षण किए गए उनमें हाइड्रोकार्बन मिलने के संकेत नहीं मिले, इसलिए इस कुएं को छोड़ दिया गया।

इच्छापुर-एक कुएं से कुछ गैस को उत्पादन हुआ, जिसका साधारणतः ए.पी.आई. घनत्व अच्छा था। इसमें गैसोलिन का तत्व भी अधिक होने की संभावना है, जिसके कारण फ्लैश पाइंट कम था।

चूंकि इस कुएं से उत्पादन बहुत कम (1 घन मीटर प्रतिदिन) था, इसलिए इतनी गैस भी उपलब्ध नहीं थी, जिससे कि किसी भी तरह के परिशोधन पहलू पर विचार भी किया जा सकता।

माननीय सदस्य ने पुरजोर से पश्चिम बंगाल में तेल मिलने की संभावनाओं की बात कही है और कहा कि सरकार ने राज्य में इस दिशा में सभी प्रयास अचानक बन्द कर दिये। परन्तु तथ्य इस बात को सिद्ध नहीं करते हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में हाइड्रोकार्बन का पता लगाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रयास किया है, जोकि इस क्षेत्र में किए गए 650 करोड़ रुपये के अत्यधिक व्यय से पूरी तरह से स्पष्ट होता है और जिसमें व्यापारिक सफलता नहीं मिली। 45 कुएं खोदे गए हैं और गहन भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये। आठवीं योजना के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोन ने भूकम्पीय सर्वेक्षण के 6590 मानक रेखा कि.मी. (एस.एल.के.), दो-आयामी एवं तीन-आयामी और पांच अन्वेषण कुओं की खुदाई करने की योजना बनाई है। बोली लगाने के चौथे, पांचवें और छठे दौर में राज्य में अन्वेषण के लिए कई खण्डों की पेशकश की गई है। बोली के सातवें दौर के अन्तर्गत, जो 30 जून, 94 को समाप्त हुई है, पांच खण्डों की फिर से दो तटीय और एक अपतटीय, की पेशकश की गई है।

माननीय सदस्य ने अन्त में रसोई गैस की कमी का जिक्र करते हुए यह सुझाव दिया कि त्रिपुरा में जो गैस उपलब्ध है, उसे पाईप लाइन की सहायता से पश्चिम बंगाल के इलाके में लाया जा सकता है। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि त्रिपुरा में गैस का वर्तमान उत्पादन और बिक्री 'असम्बद्ध गैस' का लगभग 35 लाख घन मीटर प्रतिदिन है। आठवीं योजना के अन्त तक गैस की मांग 18 लाख टन मीटर प्रतिदिन होने का अनुमान है जबकि उत्पादन की संभावना का अनुमान लगभग 20 लाख घन मीटर प्रतिदिन है। इस प्रकार त्रिपुरा से पड़ोसी राज्यों में ले जाने के लिए मुश्किल से ही कुछ गैस बचेगी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बंगाल बेसिन में अपना योजनाबद्ध कार्य जारी रखेगा, यद्यपि सम्पूर्ण भारत में अन्वेषण कार्य की गति बढ़ाने और निजी भारतीय और विदेशी कम्पनियों की सहायता से विभिन्न बेसिनों में खोजे गये तेल क्षेत्रों का और विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में बंगाल बेसिन में अन्वेषण के लिए लगाई गई बोलियों के विभिन्न चरणों में कई अन्वेषण इलाकों की खोज की पेशकश की गई है।

मैं आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करता हूं। पश्चिम बंगाल में अन्वेषण के चौथे दौर में दो, पांचवें दौर में दो, छठे दौर में छः और लगाई गई बोलियों के सातवें चरण में पांच तटीय खण्डों का प्रस्ताव रखा गया। हमें आशा है कि ऐसी प्रमुख कम्पनियां, जिनके पास पर्याप्त प्रौद्योगिकी और संसाधन हैं, सातवें चरण में दिलचस्पी दिखायेंगी।

श्री रमेश चेन्नित्तला ने अपने भाषण के दौरान यह इच्छा व्यक्त की थी कि हाइड्रोकार्बन की

[कैप्टन सतीश कुमार शर्मा]

संभाव्यत: के आधार पर देश के विभिन्न भागों में अन्वेषण संबंधी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य को मानदण्ड नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि कोचीन, कावेरी बेसिन, कृष्णा-गोदावरी बेसिन आदि क्षेत्रों में अन्वेषण संबंधी कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिया गया है उस पर पहले ही अमल किया जा रहा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिन तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में खोजे गये क्षेत्रों के गहन अन्वेषण तथा विकास का कार्य कर रहा है।

जहां तक केरल कोंकण तटीय क्षेत्र का संबंध है, वहां अब तक आठ कुएं खोदे गये हैं। इसमें से पांच तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा, दो शेल द्वारा और एक बी.बच.पी. द्वारा खोदा गया है। इनमें से किसी भी कुएं से हाइड्रोकार्बन होने का संकेत नहीं मिला। आठवीं योजना में, 1992-97 के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 14,000 कि.मी. क्षेत्र में दो-आयामी अथवा त्रि-आयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण और 6 अन्वेषण कुए खोदने का विचार किया गया।

श्री सुधीर गिरि ने सरकार द्वारा भारतीय और विदेशी कम्पनियों को अन्वेषण खण्ड सौंपने की पेशकश संबंधी निर्णय का जिक्र किया। माननीय सदस्य का यह विचार था कि सरकार ने विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अन्वेषण खण्ड सौंपने का निर्णय दबाव के कारण किया है। यह सच नहीं है।

जैसा कि पहले बताया गया है, बहुत ही कम समय में कुछ छोटे एवं मध्यम आकार के क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य को बढ़ाने और उनका विकास करने के उद्देश्य से ही बोली लगाने के लिए विदेशी एवं भारत की गैर-सरकारी कम्पनियों को आमन्त्रित किया गया था। इससे देश को और तेजी से काम करने के लिए न केवल अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे, बल्कि इससे देश में उन्नत प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने में भी मदद मिलेगी।

देश में अपेक्षित अनुमानित हाइड्रोकार्बन संसाधनों की मात्रा 21 बिलियन टन तक है। देश में अब तक केवल 2100 मिलियन टन प्राप्ति योग्य तेल भण्डार स्थापित किए गए हैं। आठवीं योजना के दौरान ओ.एन.जी.सी. तथा ओ.आई.एल. की योजनाबद्ध कार्रवाई से यह अपेक्षा की जाती है कि 350 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त प्राप्ति योग्य तेल भण्डार स्थापित किए जाएंगे।

कुमारी ममता बनर्जी ने बताया कि पूर्वी क्षेत्र में अन्वेषण कार्य के लिए तेरह स्थानों का पता लगाया गया है। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है कि इन मामलों की जांच करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के लिए एक कृतिक बल का गठन किया जाना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि अभी तक पश्चिम बंगाल के तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में, पैंतालीस स्थानों पर वास्तव में खुदाई का काम शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बंगाल बेसिन में अन्वेषण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों के साथ बातचीत करता रहा है।

श्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कारनडिगी, लाहिल और रायगंज में

तीन कुओं को छोड़ दिया गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुराने गोंडवाना क्षेत्र में तीन कुएं खोदे गये थे जो सूखे निकले और इसलिये उनको छोड़ दिया गया। कुमारी ममता बनर्जी जी ने हल्दिया तेल शोधन कारखाने के विस्तार के संबंध में बहुमूल्य सुझाव भी दिये हैं। इस संबंध में उनको श्री सुब्रत मुखर्जी का समर्थन मिला। दोनों माननीय सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की कि हल्दिया तेल शोधन कारखानों के विस्तार के संबंध में तुरन्त निर्णय लिया जाना चाहिए।

सर्वप्रथम, मैं इस माननीय सदन के सभी सदस्यों की जानकारी के लिए संक्षेप में तथ्यों को रखना चाहूंगा। जून, 1981 में हल्दिया तेल शोधन कारखाना संबंधी मूल विस्तार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसमें कुछ फेर-बदल करके संशोधित रिपोर्ट फरवरी, 1993 में पुनः प्रस्तुत की गई। सितम्बर, 1982 की दरों के आधार पर 573.54 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से हाइड्रोक्रेकर सहित तीन एम.एम.टी.पी.ए. को 2.5 से बढ़ाकर 5.5 एम.एम.टी.पी.ए. करने के लिए 225 एकड़ भूमि की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसमें 103.61 करोड़ रुपयों के बराबर विदेशी मुद्रा होगी। इस प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं किया गया, चूंकि एक एकड़ के विस्तार पर जो लागत आयेगी, वो एक नये तेल शोधन कारखाने को स्थापित करने की लागत के बराबर होगी।

6-7 वर्षों के पश्चात् तेल शोधन कारखाने के विस्तार करने की संभावना पर पुनः समीक्षा की गई। इस संबंध में, (क) रिक्त भूमि अधिकतर अतिरिक्त जलाशय एवं अन्य सुविधाओं से घिरी हुई पाई गई, (ख) मितव्ययता एवं वस्तु की मांग पर विचार करने से यह संकेत मिलता है कि 6 एम.एम.टी.पी.ए. से युक्त तेल शोधन कारखाने को स्थापित करना ज्यादा सस्ता होगा। जल, ऊर्जा, रेल आदि की अपर्याप्त उपलब्धता हल्दिया तेल शोधन कारखाने का 6 एम.एम.टी.पी.ए. तक बढ़ाने में परेशानी उत्पन्न करेगी। इसके अतिरिक्त हल्दिया बन्दरगाह में भी कई गतिरोध हैं जिसके कारण वैकल्पिक बन्दरगाह के विकास को एक आकर्षक विकल्प माना गया था। हल्दिया तेल शोधन कारखाने की क्षमता में और 3 एम.एम.टी.पी.सी. तक विस्तार करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए ई.आइ.एल. दल ने अक्टूबर 1990 में हल्दिया का दौरा भी किया था और यह पाया था कि इसका विस्तार करना फिर से एक नये तेल शोधन कारखाने के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं की व्यवस्था करने के बराबर होगा।

मंत्रालय ने भारतीय तेल निगम से अप्रैल, 1993 में पुनः एक बार निवेदन किया कि हल्दिया के विस्तार की संभावना के बारे में पुनः जांच करें। इसके उत्तर में भारतीय तेल निगम ने अप्रैल, 93 में पत्र लिखा कि अप्रैल, 1990 में उनके द्वारा भेजे गये पत्र में हल्दिया तेल शोधन कारखाने की जो स्थिति दर्शाई गई थी, उसमें अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। आज की स्थिति के अनुसार सरकार के पास भारतीय तेल निगम का हल्दिया तेल शोधन कारखाने से संबंधित कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। विद्यमान सुविधाओं में व्याप्त गतिरोधों को दूर करके हल्दिया तेल शोधन कारखाने की क्षमता को पहले ही 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 2.75 एम.एम.टी.पी.ए. कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, तेल शोधन कारखाने के ल्यूब आयल ब्लाक को 136 हजार मीटर प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 162 हजार मीटर टन प्रति वर्ष किया गया है। ल्यूब आयल ब्लाक को आगे 222 हजार मीटर टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का कार्य चल रहा है, जो मई 1994 तक पूरा हो जाएगा।

मैं इस माननीय सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हाल ही में मुझे पश्चिम बंगाल के

[कैप्टन सतीश कुमार शर्मा]

मुख्य मंत्री जी से पश्चिम बंगाल में तेल एवं गैस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत करने का अवसर मिला था। माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक हल्दिया तेल शोधन कारखानें के विस्तार करने संबंधी परियोजना में शामिल होने के लिए उत्सुक है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी परियोजना का प्रस्ताव, जो कि तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, और आर्थिक रूप से अर्थक्षम हो, स्वागत किया जाएगा और मेरा मंत्रालय भी उस पर अवश्य विचार करेगा। हम आशा करते हैं कि प्रस्ताव के मिलते ही हम कार्यवाही करेंगे। हमने अन्वेषण के संबंध में पहले ही किए गए प्रयासों और अन्वेषण गतिविधियों में सुधार करने योग्य आवश्यक उपायों के बारे में संक्षेप में बातचीत की है। हम उपलब्ध आंकड़ों की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं और साथ ही बंगाल बेसिन में तीन-आयामी भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्य में तेजी ला रहे हैं।

4.59 म.प.

(प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुईं)

महोदय, श्री द्वारकानाथ दास जी ने खोदे गये छः से दस कुओं को छोड़ देने, चाय बगान को गैस की आपूर्ति करने संबंधी लम्बित अनुरोध, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों सहित स्थानीय युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने आदि, असम से संबंधित कतिपय मामलों का उल्लेख किया। मैं यह बताना चाहूंगा कि स्थानीय युवकों को सरकार की नीति के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जा रहा है। वास्तव में, आयल इण्डिया में सभी कर्मचारी असम के हैं और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लोगों की भर्ती भी की जा रही है। वास्तव मे, हाल ही में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया है।

जहां तक कछार में अन्वेषण का संबंध है, सातवीं योजना के दौरान 32 कुएं खोदे गये थे और आठवीं योजना के दौरान 14 कुएं खोदे जाने की योजना है। चार क्षेत्रों का पता लगाया गया है, जिनमें दो तेल के और दो गैस के क्षेत्र हैं।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : आप सारा उत्तर वैस्ट बंगाल को ही दे रहे हैं। नार्थ बिहार में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जो मशीनें दी गई थीं, वे लौटाई जा रही हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर एक्सप्लोरेशन का काम होता रहेगा ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : आप तो ईस्ट से वैस्ट बंगाल में आ गये थे।

[अनुवाद]

कछार में बिजली पैदा करने के लिए 30 हजार क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन देने के लिए ओ.एन.जी.सी. ने प्रस्ताव किया है। ऊर्जा मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।

महोदय, माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने यह आशंका व्यक्त की है कि सरकार को आंकड़ों की जानकारी दिये बगैर निजी कम्पनियों को भूगर्भीय सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने दिया जा रहा हैं। यह बात गलत है जो आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं, उनकी एक-एक प्रति ओ.एन.जी.सी. को और आयल इंडिया को अनिवार्यतः दी जाती है।

जहां तक खोज कार्य के लिए निजी कम्पनियों को भूखण्ड देने का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहूंगा कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड खोज तथा उत्पादन कार्य जारी रखेगी तथा तेल उत्पादन के कार्य में तेज़ी लाने के लिए निजी तथा बाहरी निवेश प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जहां तक लाभ के बंटवारे का प्रश्न है, लागत के बराबर तेल की वसूली के पश्चात तेल क्रय करने का पहला अधिकार सरकार के पास है। लाभ के तौर पर प्राप्त तेल को इस प्रकार बांटा गया है कि इसका अधिकतर हिस्सा सरकार को प्राप्त होगा।

श्री तेज नारायण सिंह ने बिहार में तेल खुदाई कार्य का उल्लेख किया है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि बिहार में छः कुएं खोदे गये थे तथा 29,822 मीटर क्षेत्र पर सर्वेक्षण कार्य किया गया था। पूर्व तथा पश्चिम चम्पारण में चार कुएं खोदे गये परन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

प्रो. रासा सिंह रावत ने इच्छा व्यक्त की है कि राजस्थान में तेल की खोज के लिए प्रयत्न किए जाएं। वर्ष 1966 सें हम पहले ही तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग/ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान में तेल खोज का कार्य व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 53 कुओं की खुदाई की है तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 कुओं की खुदाई की है। 11,500 स्टैंडर्ड लाइन किलोमीटर पर भूकंपीय सर्वेक्षण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया गया है तथा 1200 स्टैंडर्ड लाइन किलोमीटर पर ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, इसके अतिरिक्त, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 300 वर्ग किलोमीटर में 3-डी सर्वेक्षण भी किया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : आर.एस.ई.बी. ने रामगढ़ में विद्युत परियोजना आरम्भ करने के लिये जो कि गैस पर आधारित है, उसकी आज्ञा दे रहा है। गैस तो वहां उत्पादित हो रही है, लेकिन जैसलमेर में विद्युत परियोजना के लिये उस गैस का उपयोग भी होना चाहिये।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : आपके सुझावों को मैंने नोट कर लिया है।

[अनुवाद]

श्री कमला मिश्रा मधुकर तथा श्री नीतीश कुमार ने बिहार में किए गये कार्य के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं तथा जहां तक तेल की खोज के कार्य का संबंध है, उन्हें यह लगता है कि इस क्षेत्र में बिहार की उपेक्षा की गई है, जिस पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग वर्ष 1956 से बिहार में तेल खोज का कार्य कर रहा है।

[कैप्टन सतीश कुमार शर्मा]

अभी तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वायु-चुंबकीय, भू-चुंबकीय तथा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त 7138 आई.के./एस.एल.के. क्षेत्र पर भूकंपीय सर्वेक्षण किया है तथा छः कुओं की खुदाई की है जिसमें वाणिज्यिक सफलता नहीं मिली है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आठवीं योजना के दौरान बिहार राज्य में तेल की खोज का कार्य जारी रखा है तथा इसकी योजना भूकंपीय सर्वेक्षण करवाने की है।

पूर्व तथा पश्चिम चम्पारण में चार कुएं खोदे गए हैं, जिसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कमर्शियल सक्सैस नहीं मिला, यह आपने कैसे डिसाइड कर लिया ? क्या उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया है ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : कमर्शियल सक्सैस न भी मिले, आयल बिजनस में बिहार, बंगाल और पूरे देश के लिये यह जरूरी नहीं है। जहां हमारा आयल प्रोसैस हो, वहीं हमारा साइंटिफिक काम होना चाहिये, जैसे टूडी है, उसके बाद ज्यादा एडवांस 3 डी यानी थ्री डायमैनशन है। इस किस्म का हाई क्वालिटी सैसमिक डाटा हम वहां से कोलैक्ट कर रहे हैं। उसी से आयल प्रौसपैक्टस और हाइड्रो प्रॉसपैक्टस बनते और आईडैंटिफाई होते हैं। इससे अगला फेस एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग का हो सकता है। मैं कमर्शियल सक्सैस में नहीं जा रहा हूं। वैस्ट बंगाल और बिहार में सबसटैंशल कमर्शियल सक्सैस नहीं हो पाया है, लेकिन गुजरात, बम्बई हाई में हुआ है।

[अनुवाद]

जहां तक तेल की प्राप्ति का सम्बन्ध है, यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। भूकंपीय कार्य इसका पहला चरण होता है तथा वर्तमान में विश्व में जो अत्याधुनिक ढंग से भूकंपीय कार्य किया जाता है, उसे 3-डी वैज्ञानिक आंकड़ा संकलन कहते हैं। यही कार्य हम बंगाल विशेषतया बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल तथा उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक करना चाहते हैं जहां पर दूसरी ओर हमें तेल के भण्डार मिले हैं।

राजस्थान में भी यही स्थिति है, तथा जिस क्षेत्र में हमें तेल मिला था, उसका एक हिस्सा इस समय पाकिस्तान में है। राजस्थान में हमारे क्षेत्र में भी तेल के भण्डार हैं। हमें गैस भी मिली है। वहां पर अत्याधुनिक 3-डी आंकड़ा संकलन कार्य किया जायेगा।

अभी तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वायु-चुंबकीय, भू-चुंबकीय, तथा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त 7138 आई.के./एस.एल.के. क्षेत्र पर भूकंपीय्र सर्वेक्षण किया है तथा छः कुओं की खुदाई की है जिसमें कोई वाणिज्यिक सफलता नहीं मिली है। तेल तथा प्राकृत्कि गैस आयोग ने आठवीं योजना के दौरान तेल तथा गैस की खोज का कार्य जारी रखा है।

श्री चित्त बसु : मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार में गंडक परियोजना से रिग मशीन हटा ली गयी है। इस रिग मशीन को असम भेजा जाना था। मैं यह बात अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मेरी बिहार के मुख्यमंत्री से बात हुई है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदया, आपके माध्यम से मैं श्री चित्त बसु को यह बताना चाहूंगा कि रिग मशीन कोई स्थायी वस्तु नहीं है। इन रिग मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य को अक्सर भेजा जाता है। ये एक स्थान पर कार्य करती हैं तथा दूसरे स्थान पर खुदाई होती है। अन्य स्थान पर भूकंपीय कार्य चल रहा होता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार(बाढ़) : एक मिनट मंत्री जी, वहां एप्रीहेंशन यही है कि यहां से रिग मशीन हटा ली गई तो इसका मतलब यहां काम बन्द कर दिया गया है। इसके बारे में आप कुछ बता दें कि काम बन्द नहीं हुआ तो हम लोगों को संतोष हो जायेगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं आपसे वही तो कह रहा हूं। 56 में मैंने शुरू किया, जो काम हमने वहां किया था और अब मैं कह रहा हूं कि एर्थ प्लान में भी हमें बिहार में काम करना है। मैं आपको कह रहा हूं कि वहां जो सर्वे कराएंगे, वह भी हाई कल्ट टैक्नोलोजी से कराएंगे, जो 3-डी काम है, वह बिहार में और कराएंगे।

[अनुवाद]

पूर्व तथा पश्चिम चंम्पारण में चार कुएं खोदे गये हैं परन्तु दुर्भाग्यवश इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। आयल इंडिया लिमिटेड ने बिहार में 17500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जिसमें पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपाल गंज, सिवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा तथा सारन जिले आते हैं। पेट्रोलियम खोज कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। अभी तक बिहार सरकार द्वारा कोई लाईसेंस जारी नहीं किया गया है। इसलिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि विलम्ब राज्य सरकार की ओर से हो रहा है। **(व्यवधान)**

श्री नीतिश कुमार : क्या आपने राज्य सरकार से बात की है ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : हम आपकी राज्य सरकार के साथ मामले को उठा रहे हैं। आपकी सहायता से इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे लिए बिहार में तेल प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी इसकी प्राप्ति होगी; उतना ही यह देश के लिए हितकर होगा। अभी तक बिहार सरकार की ओर से कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, इसलिए ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोई खोज कार्य नहीं किया जा रहा है।

श्री नीतीश कुमार : मैं अवश्य ही इस मामले को उठाऊंगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : आप मेरे पास आकर, मेरी इस संबंध में सहायता करें। 31-3-1993 तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बिहार में खोज कार्य पर 70.56 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

[कैप्टन सतीश कुमार शर्मा]

महोदय, बहुमूल्य सुझाव देने के लिए मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर सहित देश के सभी हिस्सों में खोज कार्य को मेरे मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हमारा प्रयत्न तेल के नए भण्डार खोजना है जिसके लिए हमने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोज के कार्य को और तेज करने के लिए योजना तैयार की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न गैर-सरकारी भारतीय तथा विदेशी कम्पनियां भी इस कार्य में तेज़ी लाने में सहायता करेंगी जो कि खोज कार्य हेतु भूखण्डों को प्राप्त करने के लिए होने वाली बोली में भाग ले रही हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जायेगी तथा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र को इस कार्य के लिए प्राथमिकता मिलती रहेगी। इस आश्वासन को समक्ष रखते हुए मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अपना सांविधिक संकल्प वापस ले लें। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वे सदन को इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तथा बिहार से और रिग मशीनें नहीं हटायी जाएंगी।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैंने आश्वासन दिया है। महोदया, मैं माननीय सदस्य श्री चित्त बसु तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार तथा बंगाल के अन्य सदस्यों को विशेष रूप से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सीमित सफलता के बावजूद इन दो राज्यों में मेरा इरादा कार्य की गति को धीमा करने का नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में खोज करने का है तथा खोज कार्य भूकंपीय कार्य के साथ आरंभ होता है। उसके पश्चात् खोज के लिए खुदाई की जाती है। इन दोनों राज्यों के सदस्यों को मैं इसका आश्वासन दे सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : मेरे पास अद्यतन जानकारी है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गैस टरबाईन के लिए गैस देने को तैयार नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले पर विचार करेंगे।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं स्थिति का पता लगाऊंगा।

सभापति महोदया : सदन की इच्छा अनुसार समय बढ़ा दिया गया है।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। बंगाल बेसिन क्षेत्र में तेल तथा गैस के विशाल भण्डार मिलने की संभावना है। खुदाई के कार्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की भूमिका स्पष्ट नहीं है। जबसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कार्य करना आरंभ किया है; उनके अवसरों पर इसने एक ही ढर्रे पर एक ही दिशा में प्रयास किए हैं। उनका यह कहना है कि उनके भरसक प्रयत्नों के बावजूद तेल की खोज का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह पूर्णतया तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, 10,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में खोज कार्य हेतु औसतन 500 कुएं खोदे जाते हैं। सोवियत संघ में इस कार्य के लिए औसतन 90 कुएं खोदे जाते हैं। भारत में औसतन

केवल 11.6 कुएं खोदे जाते हैं। बंगाल बेसिन क्षेत्र में अभी तक 10,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में केवल 2.2 कुएं खोदे गये हैं। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग खोज कार्य को कैसी प्राथमिकता दे रहा है तथा इससे यह बात भी प्रमाणित होती है कि बंगाल बेसिन क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

इन कुछ रिग मशीनों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के बारे में मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। असम में ऐसे 13,000 कर्मचारी हैं, त्रिपुरा में 1250 कर्मचारी हैं तथा बंगाल में 1400 कर्मचारी हैं। इन रिग मशीनों को वापस मंगाये जाने की स्थिति में इन कर्मचारियों के संबंध में मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया है।

कृष्णा-गोदावरी के अपतट में दक्षिणी पश्चिम में राव्वा फील्ड में जी.एफ.-15.1 कुएं से मिले तेल के सम्बन्ध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। परीक्षण काल के दौरान उन्होंने कुएं से 2450 बैरल तेल तथा 77,000 क्यूबिक मीटर गैस निकाली है।

यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुआं उस ब्लाक में आता है, जिसे अमरीका की एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय तेल कम्पनी 'अमोको' ने त्याग दिया था।

पश्चिम बंगाल में विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में कुओं की खुदाई का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन फिर इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन कृष्णा-गोदावरी बेसिन में रावा क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में हुए अनुभव से सिद्ध हो गया है कि जिन कुओं को अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'अमोको' ने छोड़ दिया था, वहां से तेल मिला है। उन्होंने तो उस क्षेत्र को छोड दिया था, लेकिन वहां भारी मात्रा में तेल मिला है।

अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उस छोड़े गये कुओं में भी तेल की खोज का कार्य जारी रखने का प्रयास करना चाहिए विशेषकर इच्छापुर, कृष्णानगर तथा रावघाट क्षेत्र में/मैंने बोदरा क्षेत्र का उल्लेख किया है। मूल बात यह है कि वे 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन 2.2 कुएं खोदते हैं। अमरीका में 10,000 वर्ग किलोमीटर में औसतन 500 कुएं खोदे जाने की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। ऐसा अन्तर क्यों है ? सरकार इस क्षेत्र में सर्वेक्षण करवाकर अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार खुदाई क्यों नहीं करवाती। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे सारे बंगाल बेसिन क्षेत्र की ओर ध्यान दें। बंगाल बेसिन में केवल बंगाल ही नहीं बल्कि उड़ीसा, असम तथा बिहार भी आता हे। ये सारा क्षेत्र बंगाल बेसिन के अन्तर्गत आता है। बंगाल बेसिन में तेल के भण्डार मौजूद हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे इस दिशा में उचित कदम उठायें।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को एक आश्वासन देना चाहता हूं। अन्वेषण कार्य के लिए विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल और बिहार में और अधिक प्रयत्न करने के सम्बंध में जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उस संबंध में मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि आज देश के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किस प्रकार हम कम से कम समय में और तेल खोज सकते हैं। आने वाले वर्ष से तेल का उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा; अगले तीन वर्षों के दौरान तेल का उत्पादन बढ़ेगा, परन्तु देश के समक्ष चुनौती यह है कि भारत को और तेल की खोज करनी होगी, ताकि तेल के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो सके। मेरा प्रयत्न यह है कि केवल तेल

[कैप्टन सतीश कुमार शर्मा]

तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इंडिया को ही केवल तेल खोजने का कार्य न सौंपा जाये, बल्कि अन्य कम्पनियों को भी जो कि इस क्षेत्र में आ रही हैं– केवल तेल की खोज के क्षेत्र को ही नहीं परन्तु मैं अन्वेषण कार्य को भी इसमें ले रहा हूं। अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां तथा अनिवासी भारतीयों की कम्पनियां, जो इस देश में अन्वेषण के क्षेत्र में पदार्पण कर रही हैं, उन्हें भी तेल खोजने के कार्य में लगाया जाये। इतना करना भी पर्याप्त नहीं होगा तथा मैं अन्य माध्यमों की सहायता से भी इसका पूरा प्रयास कर रहा हूं कि अगले तीन वर्षों में भारत में तेल मिल सके। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस दिशा में प्रयास किए जायेंगे। विशेषकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि यह कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर रह गया है। हम इस कार्य को और अधिक परिपूर्ण करने की ही चेष्टा नहीं करेंगे, अपितु जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, उच्च प्रौद्योगिकी के साथ 3-डी सर्वेक्षण कार्य वहां किया जायेगा।

डा. असीम बाला : अपना संकल्प वापस लेने से पहले मैं एक बात जानना चाहूंगा। बोली के छठे दौर के अन्तर्गत सरकार पुनः 46 ब्लाकों से प्रस्ताव आमन्त्रित कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कितने ब्लाक बोली में आते हैं। रोजगार के संबंध में मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा। अगर आप इस रिग को वहां से हटायेंगे, तो उस पर पहले से कार्य कर रहे लोगों की स्थिति क्या होगी ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिंता को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तक पहुंचा दूंगा तथा उनसे निवेदन करूंगा कि जो लोग काम पर लगे हुए हैं, उन्हें हटाया न जाये तथा उनके लिए वैकल्पिक रोजगार ढूंढा जाये।

डा. असीम बाला : मंत्री महोदय के इस आश्वासन के पश्चात् मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूं।

अपना संकल्प वापस लेने के लिए मैं सभा की अनुमति चाहता हूं।

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

5.14 म.प.

शैक्षणिक संस्थाओं आदि में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम (टिंडिवनाम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि यह सभी शैक्षणिक संस्थाओं में उनके लिए सत्ताइस प्रतिशत स्थान आरक्षित करे और

केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नौकरियों में नियुक्ति के लिए उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी प्रदान करें।"

अस्सी वर्ष के निरन्तर आन्दोलन के पश्चात् आज देश ने इस मांग को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। 8 सितम्बर 1993 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने का आश्वासन दिया गया है, अन्य पिछड़े वर्गों में चार सदस्यीय समिति द्वारा स्पष्ट किए गए 'सम्पन्न वर्ग' (क्रीमी लेयर) के लोगों को इस आरक्षण से बाहर रखा जायेगा।

माननीय कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी को मैं शुभकामनायें देता हूं, जिन्होंने इसकी घोषणा की तथा मैं इसके कार्यान्वयन तथा इस संदर्भ में की गयी प्रथम नियुक्ति करने के लिए भी उन्हें बधाई देता हूं।

इस विषय में मंडल आयोग के सम्बन्ध में अन्य बातों के विस्तार में जाने से पहले कि इसका कार्यान्वयन किस प्रकार किया गया, मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे मन में जो भी है तथा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं; वह केवल पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 'पद' का हिस्सा है। परन्तु संविधान में संशोधन केवल 'पद' के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसमें संशोधन लोगों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिये किया गया, चाहे यह सामाजिक पिछड़ापन हो अथवा शैक्षणिक पिछड़ापन। पदों में आरक्षण देकर, पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियां देकर हम यह सोच सकते हैं कि हम सामाजिक पिछड़ेपन को हटा रहे हैं। परन्तु जिन लोगों ने यह संविधान संशोधन पारित किया था; उनकी मंशा यह नहीं थी अथवा जब यह संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से समाज के अन्य वर्गों अर्थात् विकसित समुदाय के बराबर लाना था।

जब आप केवल पदों अथवा सरकारी नौकरियों में आरक्षण करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आपके पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो इन नौकरियों को प्राप्त करके पदों को संभालेंगे। परन्तु वास्तव में ऐसे लोगों को इन नौकरियों के पात्र बनाने का कोई माध्यम नहीं है। आज शिक्षा एक व्यापार बन गया है। यह एक महंगा काम हो गया है तथा स्वयं वित्त-पोषित प्रणाली को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्री कामराज द्वारा जिस निःशुल्क शिक्षा पद्धति का सूत्रपात्र किया गया था तथा जैसा कि तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में किया गया था; यह प्रणाली उसके अनुरूप नहीं है। आज हमने इन सब बातों को त्याग दिया है।

यहां, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या वास्तव में पिछड़े हुए लोग अथवा पिछड़े वर्गों के लोग चाहे वे किसी भी समुदाय के क्यों न हों, ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में हैं जो उन्हें सरकारी नौकरी दिलवा सके। गांवों में उनकी शिक्षा का स्तर सबसे घटिया है। अध्यापक वहां नहीं रहते। बीच में शिक्षा छोड़ कर जाने वालों की सूची नहीं बनाई जाती। अगर उन्हें उचित शिक्षा प्राप्त करनी हो तो उन्हें गांव से बाहर नज़दीक के नगर में आकर स्वयं वित्त पोषित प्रणाली के अन्तर्गत चल रहे नर्सरी स्कूल में प्रवेश लेना पड़ता है। क्या आप इसी प्रकार उन्हें ऊपर उठाने जा रहे हैं अथवा उन लोगों का पिछड़ापन दूर करने जा रहे हैं।

[श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम]

संविधान संशोधन के समय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को इस संदर्भ में मैं उर्धत करना चाहूंगा। यह भाषण उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए दिया था। उन्होंने 16 मई, 1951 को यह भाषण दिया। मैं उनके भाषण को कार्यवाही वृत्तांत के पृष्ठ 8821 से उद्धृत करता हूं :

"आपको उन पिछड़े वर्गों में अन्तर करना होगा, जिनका विशेष रूप से संविधान में उल्लेख किया गया है कि इनकी सहायता और विकास करना है तथा ऐसा करते हुए इस समुदाय अथवा उप–समुदाय का विचार नहीं करना है। अगर आप समुदाय के दृष्टिकोण से ही उनके बारे में सोचेंगे तो आप इस मुद्दे में साम्प्रदायिकता ले आयेंगे। परन्तु, अगर आप केवल पिछड़ेपन को लेकर ही ऐसे लोगों के बारे में सोचेंगे चाहे उनका धर्म कोई भी हो अथवा कोई भी अन्य ऐसी बात हो, हमारा यह कर्त्तव्य बन जाता है कि उनकी शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के लिए उनकी सहायता करें ."

"स्वाभाविक रूप में, अगर यह प्रगति दूसरों की कीमत पर होती है तो इसका कोई अर्थ नहीं। हम लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं; उन्हें नीचे धकेलना नहीं चाहते। परन्तु इस अन्तराल के दौरान अनेक बार कठिनाइयां हमारे सामने आईं क्योंकि हमने इसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया था। हमारा यह कहना है कि तकनीकी तथा किसी अन्य तरह की शिक्षा देने के लिए क्या हम पिछड़े वर्गों के लोगों को कुछ उचित प्रोत्साहन तथा अवसर प्रदान करेंगे। अन्यथा हो सकता है उस प्रोत्साहन तथा अवसर के अभाव में वे यह शिक्षा प्राप्त न कर पायें तथा वे जहां हैं, वहीं रह जायें तथा हम उन्हें ऊपर न उठा सकें। इसलिए यह संशोधन का उद्देश्य इसी बात पर ज़ोर देना है।"

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब संविधान संशोधन किया गया था तो इसका उद्देश्य मात्र कुछ लोगों को नौकरी देना नहीं था। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाना था क्योंकि पिछड़ापन उन पर थोपा गया था। यह उनकी गलती नहीं थी। यह उन पर थोपा गया था यह उन पर अभिशाप था अथवा धर्म अथवा उच्च वर्ग अथवा धनवान लोगों अथवा शक्तिशाली लोगों द्वारा किया गया उत्पीड़न।

इसका कारण कुछ भी हो, यह सदियों तक होता रहा है। हज़ारों सालों से ऐसा होता आ रहा है। परन्तु जब उन्हें अपनी स्थिति का आभास हुआ तब उन्होंने ऊपर आने का प्रयत्न किया। पंडित जी ने इसे स्वीकार किया। तत्कालीन संसद ने इसे स्वीकार किया और उसके बाद ही उन्होंने संविधान में संशोधन किया। पहली प्राथमिकता उन्होंने शैक्षणिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन को दी। आर्थिक पिछड़ेपन को भी इसमें शामिल किया गया। आज हमने पिछड़ेपन को त्याग दिया है। परन्तु शैक्षणिक पिछड़ापन तथा आर्थिक पिछड़ापन।

आज हम क्या कर रहे हैं ? पंडित जी ने तकनीकी संस्थानों तथा मेडिकल संस्थानों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए इसे स्पष्ट किया था। आज स्थिति क्या है ? क्या पिछड़े वर्ग के लोग इन संस्थाओं में प्रवेश करने की स्थिति में हैं ? सरकार द्वारा चलाये जा रहे मेडिकल कालेजों तथा इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या बहुत कम है और आज इन्हें भी निजी हाथों में सौंपा जा

रहा है। इस प्रकार तकनीकी संस्थान, इंजीनियरिंग कालेज तथा मेडिकल कालेज अधिकतर निजी हाथों में चले गये हैं तथा उन्हें स्वयं वित्त पोषित प्रणाली के आधार पर चलाया जा रहा है।

[अनुवाद]

ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत आप कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार इन संस्थाओं में प्रवेश कर सकेंगे, इनमें दाखिला पा सकेंगे और फिर सरकारी नौकरियों में आ सकेंगे। हम किस तरीके से इस समस्या का हल खोज रहे हैं। मेरे विचार से हमने उन लोगों को अलविदा कह दी है जिन्होंने संविधान में संशोधन किया था। हम उनके प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। हम पिछड़ी जातियों के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पुनः यह कहा था :

"हमें संविधान के मौलिक निर्देशों का तथा अपनी नीति के मौलिक उद्देश्यों का भी आदर करना है कि हम उन लोगों को ऊपर लाने के लिये प्रोत्साहित कर सकें और उनकी सहायता कर सकें जो पिछड़े हुए हैं और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक विकास के उचित अवसर तथा उचित प्रशिक्षण प्रदान कर सकें।"

इस तरीके से शैक्षिक पिछड़ेपन के बारे में संकेत किया गया था, जबकि वर्ष 1951 में संविधान में इस प्रयोजन से संशोधन किया गया था।

जिस समय संशोधन किया गया था, उस समय संसद में दिये गए एक अन्य भाषण के अंश मैं यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं। यह भाषण भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर.वेंकटरमन द्वारा दिया गया था। 2 जून, 1951 को लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था :

"इस सभा में तथा इसके साथ-साथ अन्यत्र स्थानों पर लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि इस संशोधन के द्वारा हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में कार्यवाही करने का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम साम्प्रदायिकता, इसके इतिहास, इसके अतीत से सम्बंधित तथ्यों का सावधानी से विश्लेषण करें, तो हम यह महसूस करेंगे कि राज्य के सभी लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए यह संशोधन अनिवार्य है वर्ष 1926 में, मद्रास के स्वतन्त्र मंत्रालय ने इस साम्प्रदायिकता का परित्याग किया। इसके बाद दो सदस्यों ने इसका समर्थन किया जोकि मूलतः कांग्रेस दल के थे किन्तु बाद में उन्होंने दल बदल लिया। लेकिन जब लगभग 15 से 20 वर्ष तक इसका अस्तित्व बना रहा और इस बीच सामाजिक न्याय की हमारी अवधारणा में बदलाव आता रहा...."

उस समय भारत सरकार के गृहमंत्री श्री राजगोपालाचारी थे, जिन्हें कि राजाजी कहा जाता था।

"जिस समय माननीय गृह मंत्री जी प्रथम कांग्रेस सरकार के अन्तर्गत मद्रास के प्रथम प्रधान बने थे, उन्होंने साम्प्रदायिकता के परित्याग के इस सिद्धान्त को न्यायपालिका में नियुक्तियों में लागू कर दिया। उन्होंने कहा : मुझे यकीन है कि वह इससे सहमत होंगे कि माननीय गृह मंत्री शायद उन चंद लोगों में से हैं, जिनमें अपनी बात कहने का

[श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम]

> साहस है और यदि वह यह महसूस न करते कि यह सिद्धान्त सामाजिक न्याय और पूर्ण रचनात्मकता का सही प्रतिबिम्ब हैं, तो वह इस सिद्धान्त को अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्तियों के मामले में लागू न करते।"

इससे इस बात का साफ पता चलता है कि तत्कालीन समाज शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में कितना व्यथित था। सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में यह बात और अधिक प्रबल प्रतीत होती है। केवल यह बात ही नहीं है। यदि सामाजिक पिछड़ेपन को वास्तव में दूर किया जाना है, यदि सरकार का ऐसा करने का इरादा है, तब यह केवल शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करके ही किया जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सभापति महोदया, इस संदर्भ में, मैं एक बार फिर आंदोलन के इतिहास की बात बताना चाहता हूं। ऐसा बात नहीं है कि पिछड़ी जातियों का यह आन्दोलन तमिलनाडु से शुरू हुआ था। यह आंदोलन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, जो कांग्रेस का नेता था और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष था, जिसका नाम श्री पेरियार ई.वी. रामासामी नायकर था। वही एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने ऐसा किया। वह प्रथम समाज सुधारक थे और वह केवल तमिलनाडु के लिये ही नहीं, बल्कि समूची मद्रास प्रेजीडैन्सी के लिये, जो कि केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों और आज के उड़ीसा के किन्हीं क्षेत्रों से मिलकर बनी थी, एक समाज सुधारक के रूप में उदित हुए थे। अतः वह एक ऐसे व्यक्ति थे, जो छुआछूत के विरुद्ध अडिग रहे और वह एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने गांधी जी के छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई करने के इरादों को बल प्रदान किया था। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों के लिये अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह उनका कठोर संघर्ष ही था जिसने लोगों को उनके पिछड़ेपन का एहसास कराया और उन्हें एकजुट होने और अपने भविष्य के बारे में सोचने के प्रति जगाया। इस तरीके से हम अस्तित्व में आये। इस समय हमें पेरियार ई.वी. रामासामी नायकर को याद करना चाहिये, जिन्हें प्यार से थांथेई पेरियार कहा जाता है। उन्होंने बाबा साहिब अम्बेडकर और अपने समकालीन बहुत से समाज सुधारकों का समर्थन प्राप्त किया।

जिस समय तमिलनाडु में तत्कालीन अन्तरिम सरकार बनायी गयी थी, उस समय क्या स्थिति थी ? यह सरकार 'जस्टिस पार्टी' की सरकार नहीं थी। यह निर्दलीय लोगों की सरकार थी। इस संदर्भ में, मैं त्यागराय चेट्टियार का उल्लेख करना चाहूंगा, जो आन्ध्र के रहने वाले थे। वह संयुक्त राज्य के नेता थे और उन्हें तमिलनाडु का नेता माना जाता था। तमिलनाडु के मुट्टय्या मुडालयर ने मद्रास प्रेजीडैन्सी में प्रथम बार साम्प्रदायिकता का परित्याग किया और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिये प्रथम बार कानून बनाया। अतः पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की बात केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं थी। केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी ऐसा था। यह अवधारणा हर तरफ बल पकड़ चुकी थी। पिछड़े वर्गों की इन मांगों को मान्यता प्रदान करने में देश को लगभग 75 से 80 वर्ष लगे हैं, जो आज हर समय चर्चा का विषय बनी हुई है, भले ही यह चर्चा इनके पक्ष में हो अथवा विपक्ष में। आज यह बात अपरिहार्य बन गई है कि पिछड़े वर्गों की भावनाओं को समझना होगा और उनकी मांगों को, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को ठोस अवसर प्रदान करना होगा।

सौभाग्यवश तमिलनाडु में राजनैतिक परिदृश्य कुछ ऐसा रहा है कि बाद की सरकारों ने

इस भावना को बल प्रदान किया कि पिछड़ी जातियां सामाजिक दृष्टि से तथा शिक्षा की दृष्टि से ऊपर उठ सकें। प्रत्येक राजनैतिक दल को यह वचन देना होता है कि वह पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये अडिग रहेगी। इसी कारण से, तमिलनाडु में, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, अथवा डी.एम.के. की सरकार हो अथवा ए.आई.ए.डी.एम.के. की सरकार हो, उन्हें पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के लिये तौर-तरीकों का पता लगाना पड़ता है।

आज इस आन्दोलन ने एक नया रूप अपना लिया है। यहां तक कि मंडल कमीशन भी कांग्रेस सरकार की ही उपज है। कांग्रेस शासन के अन्तर्गत ही मंडल कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सभी रचनात्मक गतिविधियों के होते हुए भी हम यह देख रहे हैं कि हमारी आशाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। यद्यपि जनता दल सरकार ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किये, तथापि वांछित परिवर्तन अभी तक भी नहीं हुए हैं। निस्संदेह मैं भी सारा श्रेय उनको ही देता हूं कि वे लोग पिछड़ी जातियों के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को उजागर करने के लिये श्रेय के सही पात्र हैं। लेकिन जिस समय कार्यान्वयन की बात आयी, वे लोग शैक्षिक पिछड़ेपन को बड़ी सुविधा से भूल गये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके बिना पिछड़ी जातियों को अन्य जातियों के समान नहीं बनाया जा सकता।

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काकासाहिब कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी, 1953 को गठित किया गया था। इस आयोग ने बार-बार शैक्षिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन की बात पर बल दिया। 20 दिसम्बर, 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने लोकसभा में एक निर्णय की घोषणा की कि तत्कालीन संसद सदस्य श्री बी.पी. मंडल की अध्यक्षता मे 'एक आयोग गठित किया जायेगा जो इन समुदायों की सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन की परिस्थितियों की जांच करेगा। जिस समय 1978 में इस आयोग का गठन किया गया, उन्हें कहा गया कि मामले का अध्ययन करें और इन समुदायों के सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये तौर तरीकों का पता लगायें। पंडित जी के शासन काल में शैक्षिक तथा सामाजिक पिछड़ापन था। मोरारजी देसाई के शासनकाल में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन हो गया। खैर, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। आयोग से कहा गया कि वह ऐसे मानदण्ड निर्धारित करें जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों की परिभाषा की जा सके, इस प्रकार पता लगाये गये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिये उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करें तथा पिछड़े वर्गों के उन नागरिकों के पक्ष में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये आरक्षण की वांछनीयता अथवा अन्यथा प्रावधान किये जाने का पता लगाये जिन्हें केन्द्र अथवा राज्यों के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं और दूसरी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

दिसम्बर, 1980 में मंडल आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपने प्रतिवेदन में आयोग ने सबसे पहले यह सिफारिश की कि ओ.बी.सी. अन्य पिछड़ी जातियों - के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण सभी सरकारी सेवाओं में तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं में लागू किया जाना चाहिए। यहां पर मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि यहां आकर लोग मंडल को भूल गये। उन्होंने केन्द्र तथा राज्य दोनों में सभी सरकारी सेवाओं में तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। दूसरे उन्होंने विशेष शैक्षणिक सुविधाओं की भी सिफारिश की थी, जो कि अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के सांस्कृतिक परिवेश को उच्चस्तरीय बनाने की दृष्टि

[श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम]

से और तीसरे उन्होंने देश के औद्योगिक और व्यापारिक जीवन में अन्य पिछड़े वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने की सिफारिश की थी।

उस समय जो राजनैतिक परिदृश्य था, उसके कारण श्री वी.पी.सिंह ने शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को छोड़ दिया और उन्होंने इसकी बजाये अधिक रूप से पिछड़ेपन और केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर जोर दिया। मैं यह बात इस सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि श्री वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किये जाने के उनकी सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की लोकसभा में घोषणा की थी। लेकिन उनका प्रयास रिपोर्ट को पूर्णरूपेण लागू करना नहीं था। उनका निर्णय आधे-मन से लिया गया निर्णय था और इसीलिये शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन की बात को कभी भी लागू नहीं किया गया, लेकिन आज क्या स्थिति है।

जैसा कि आज स्थिति बनी हुई है हमें पिछड़ी जातियों से पूर्णतया शिक्षित लोगों को लेना है ताकि 27 प्रतिशत आरक्षण का कोटा पूरा किया जा सके। यहां तक कि इन आरक्षित पदों के मामले में भी, पात्र व्यक्ति दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर घूमता नजर नहीं आयेगा। पिछड़ी जातियों के लोग गांवों में अधिक संख्या में मिलेंगे। उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दशा क्या है ? पिछड़ी जातियों के लोगों के बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, वह किस प्रकार की है ? क्या इससे नौकरियों में आरक्षण दिये जाने का मौलिक विचार पूरा हो जाता है ? हम उनके लिये क्या कर रहे हैं ? गांवों में किस तरह के विद्यालय हैं ? गांवों में हमारे पास अच्छी शिक्षण संस्थायें नहीं हैं। अतः हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि, वहां पर रहने वाले बच्चों को किस तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही है। यदि ऐसी स्थिति में पिछड़ी जातियों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वे अग्रणी जातियों के लोगों से कभी भी प्रतियोगिता नहीं कर सकते। पिछड़ी जातियों के बच्चे शेष अग्रणी जातियों के बच्चों के समतुल्य कभी भी नहीं आ सकते।

ए.आई.ए.डी.एम.के. सरकार से मेरा अनेक मामलों में मतभेद हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, एम.जी.आर. ने जो कदम उठाये हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्थिक पिछड़ेपन को पिछड़ेपन का एकमात्र आधार बताया। लोगों ने उनका अपमान किया और तब उन्होंने अपने तरीके बदल लिये। अन्ततोगत्वा, शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिये 69 प्रतिशत आरक्षण किया गया। इस तरह से तमिलनाडु में यह हुआ है और कर्नाटक काफी पहले से ही इसमें सफलता प्राप्त कर चुका है। अतः इन राज्यों में पिछड़ी जाति के लोग शिक्षा में आगे आने के लिये अच्छी स्थिति में है।

गांवों में शिक्षा की बहुत ही बुरी स्थिति है। अति निर्धन लोगों को दी जाने वाली शिक्षा की स्थिति बहुत ही बुरी है। जहां एक ओर सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) का उचित ढंग से पता लगाना अभी बाकी है, सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिये करने की घोषणा की है, भले ही वे लोग किसी भी जाति से संबंध रखते हों।

[अनुवाद]

हम वित्तीय रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें सामाजिक

पिछड़ेपन और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करना चाहिये ? आप उन संसद सदस्यों पर विचार नहीं कर सकते हैं, जो कुछ परिस्थितियों के कारण दूसरे समुदायों के बराबर हैं। कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग से संबंधित हो सकता है और वह आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सकता है। उसकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति क्या है ?

गांव के धनी व्यक्ति की बात भिन्न है। उसके तीन या चार बच्चे हो सकते हैं और उनमें स केवल एक ने ही कॉलेज स्तर की शिक्षा पाई हो, और वह शिक्षा न पाई हो जिसकी नौकरी पाने के लिए आवश्यकता है। यह केवल डिग्री हासिल करने के लिए हो सकती है। हो सकता है अन्य बच्चे खेती का काम कर रहे हों या सड़कों पर घूम रहे हों। अतः, यह वास्तविक स्थिति है। खैर यदि आपने संपन्न तबके के लिए एक बार दस प्रतिशत आरक्षण स्वीकार कर लिया है तो आपको उसे वह सुविधा देनी होगी। मैं इसके और विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु उन अन्य लोगों की स्थिति के बारे में क्या है जो पिछड़े समुदायों के हैं ? आप उन्हें क्या न्याय देने जा रहे हैं ? क्या आप उन्हें वे सुविधाएं देने जा रहे हैं ? जिससे वे अन्य समुदायों के बराबर आ जाएंगे ? यदि यही तरीका है तो आप उनसे कैसे निपटने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि देश को निकट भविष्य में एक और सामाजिक क्रान्ति का सामना करना पड़ेगा। जब तक यह बात हमारे मन में नहीं आती है और जब तक हम वास्तविक समस्याओं पर विचार नहीं करते हैं, तब तक हम इस सामाजिक उत्पीड़न की समस्या को समाप्त नहीं कर सकते हैं।

इस संबंध में उस बात पर जोर देना चाहता हूं, जो पंडित जी ने 2 जून, 1951 को इस समस्या से निपटने के तरीके के बारे में कही थी। उन्होंने जो कुछ कहा था, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "हमारे पास विनम्रता से व्यवहार करने के बहुत से रास्ते हैं। यदि कठोरता से काम लेना पड़ा, तो चारों तरफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।"

यदि आवश्यकता है, तो सरकार को कठोर रास्ता अपनाना चाहिए। यह पंडित जी ने कहा है। आप 2 जून 1951 के वाद-विवाद का पृष्ठ संख्या 10100 देखिए। उन्होंने जो कहा था, उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "अतः, हमें वास्तविकताओं को समझना होगा और उनसे निपटना होगा—केवल वास्तविकताओं को ही मत समझिए बल्कि उनके साथ न्याय भी करना होगा। यह सही है कि बड़े पैमाने पर इन कार्यों को करते समय आपको कठिनाइयों और अन्याय का सामना करना पड़ेगा। आप इसमें उस समय सहायता नहीं पहुंचा सकते हैं जब आप बड़े सामाजिक सुधारों और परिवर्तनों पर विचार कर रहे हों। आप उनका हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अतः मैंने राज्य सरकारों को ऐसे मामलों पर गौर करने और उनके उपाय ढूंढने का सुझाव दिया है, यदि आवश्यक हुआ तो इस संबंध में अतिरिक्त कानून बनाए जा सकते हैं। यह काम आगे बढ़ना चाहिए आप इसे रोक नहीं सकते हैं। इस बात की घोषणा के लिए न्यायालय पर निर्भर मत रहिए कि क्या कानून सही है या गलत है। अनुच्छेद 19 (2) में संशोधन के लिए भी न्यायालय पर निर्भर मत रहिए। यह कतिपय मामलों के बारे में कानून बनाने के दायरे में विस्तार करने के लिए एक संशोधन है।"

[श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम]

पंडित जी इस तरह से समस्याओं पर विचार करना चाहते थे, कल मुझे श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात सुनने का अवसर मिला। मैं उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने सामाजिक उत्थान के संबंध में एक मुद्दे का उल्लेख किया था या उस मांग का उल्लेख किया, जो इस संबंध में समाज से उठ रही है। उन्होंने तमिलनाडु और अन्य राज्यों में आरक्षण के प्रतिशत के बारे में एक मुद्दे का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत हैं। जब तक राज्यों में व्याप्त स्थिति पर निर्भर रहते हुए इस बात को महसूस नहीं किया जाता है तब तक आरक्षण भिन्न होना चाहिए, हो सकता है और होना चाहिए। अन्यथा, उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम शब्द नहीं है। बल्कि यह लोगों का शब्द है जो कि इस स्थिति में अंतिम शब्द बनने जा रहा है। अतः यह कहना कि उच्चतम न्यायालय ने इस तरह से निर्णय दिया है और हमें इन सब मानदण्डों का पालन करना चाहिए, से पिछड़े वर्गों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। मुझे इस संबंध में कल्याण मंत्री महोदय श्री सीताराम केसरी और हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने इस समस्या को उठाया है और जो इतने आगे तक बढ़ आए हैं।

मैं केवल उनके और सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह समस्या है, जो हमारे देश के सबसे गरीब वर्ग अर्थात् पिछड़े वर्गों को चिन्तित करती है। इस पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा और उन्हें इस समस्या को समझना चाहिये।

केवल सरकारी कम्पनियों और संस्थानों में नियुक्तियों से समस्या हल नहीं होगी। दूसरी ओर आपके पास देने के लिए नौकरियां नहीं हैं। जब तक हम लोगों को शिक्षित, स्नातक नहीं बनाते हैं तब तक हम उनके लिए रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल शिक्षा देने से ही सामाजिक पिछड़ापन दूर हो सकता है और उन्हें सरकारी नौकरियां दिलाने के लिए हमें एक लम्बा रास्ता तय करना है, मैं केन्द्रीय सरकार और संबंधित मंत्रालय से उस तरीके पर गौर करने का अनुरोध करता हू जिस पर चलकर हमारे महान नेता कामराज और तमिलनाडु के प्रिय मुख्य मंत्री ने इसको लागू किया और इस समस्या का समाधान किया। शिक्षा उनका पहला ध्येय था। उन्होंने सब के लिए शिक्षा मुफ्त की। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि हर गांव में स्कूल हो और हर एक पंचायत जिला परिषद में दो या तीन हाई स्कूल हों, उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि लगभग हर तालुका या तहसील में एक कॉलेज हो और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू किया जाए।

आज हम देख रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के नाम पर तमिलनाडु में ही लगभग 100 या 150 अथवा 200 सवर्ण समुदाय के उम्मीदवारों को दाखिले दिए जा रहे हैं। यह बात न्यायालय के ध्यान में आई थी और न्यायालय ने सरकार को शैक्षिक संस्थाओं में पूरी दाखिला प्रणाली की समीक्षा करने का निर्देश दिया। इस प्रकार से पिछड़े वर्गों को हानि पहुंचाई जाती है, वे इस स्थिति में नहीं हैं कि वे उनके लिए बनाई गई आरक्षण नीति का लाभ उठा सकें। यदि तमिलनाडु में ही ऐसी स्थिति है तो अधिकांश राज्यों में भी यही स्थिति होगी। अतः आरक्षण कोटे में भी एक पिछड़ा व्यक्ति अपना अधिकार सम्मत प्रवेश नहीं पा रहा है। अतः मैं पुनः इस बात पर ज़ोर देता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत, जिसमें शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, जिसमें मेडिकल के क्षेत्र में दाखिले की एक सीट आठ लाख रुपए या कम से कम 5 लाख रुपए या यह न्यूनतम

पांच लाख से दस लाख रूपए तक बढ़ जाती है बेची जाती है, जिसमें इंजीनियरिंग कालेज की एक सीट पांच लाख रुपए में या उससे अधिक में बेची जाती है और निजीकरण के रूप में मान्यता दी जाती है या स्ववित्तपोषण संस्थान के नाम पर मान्यता दी जाती है और उच्चतम न्यायालय भी इसको मान्यता देता है। जब कोई छात्र यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय में जाता है कि उसे स्कूल या कालेज में उसकी सीट से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि उसका वाणिज्यिकरण कर दिया गया है तो उच्चतम न्यायालय इस मामले में पड़ा और उसकी गहराई से जांच की और उसके अंतिम निर्णय से छात्रों को उस राशि से कहीं अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है, जो कि न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने से पहले करना पड़ता था। उच्चतम न्यायालय भी पिछड़े वर्गों के साथ इस तरह से व्यवहार करता है, यदि छात्रों को शिक्षा देने का यही तरीका है, तो पिछड़े वर्गों को पिछड़ेपन से बाहर निकलने का क्या रास्ता है ? यदि कुछ किया जाना है तो सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए और इस पर पिछड़े वर्गों के शैक्षिक पिछड़ेपन के साथ विचार किया जाना चाहिए।

मैंने यह संकल्प इस सभा के सभी सदस्यों और संबंधित मंत्रालय द्वारा विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों में व्याप्त वास्तविक समस्याओं पर सोच विचार करना है। ये समस्याएं हर राज्य में भिन्न हो सकती हैं। हर एक राज्य में व्याप्त स्थिति के अनुसार उनका सामना किया जा सकता है। हम एक समान कानून नहीं बना सकते हैं, एक समान निर्देश नहीं दे सकते हैं और यह नहीं कह सकते हैं कि हमें इस तरह से पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करना है, उससे न्याय नहीं मिलेगा। अंतः वास्तविक न्याय के संदर्भ में, यदि न्याय दिया जाना है तो मैं समझता हूं कि मेरे संकल्प से सरकार को आवश्यक संविधान संशोधन और कानूनी संशोधन और आवश्यक सुधार लाना सुविधाजनक होगा ताकि लोगों की स्थिति बेहतर हो सके। हमें धर्म और समुदाय के नाम पर पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदया, अभी श्री राममूर्ति जी ने पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित जो संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और संक्षेप में इस पर अपने विचार रखना चाहूंगा।

सरकार ने जो मण्डल कमीशन बनाया था उसकी सिफारिश पर 27 परसेण्ट रिजर्वेशन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। पिछले दो दिनों से इस सम्बन्ध में बातें चल रही हैं कि उनको अभी उम्र में जो छूट दी जानी चाहिए, वह नहीं दी जा रही है, उसमें अड़चन आ रही है। इस सम्बन्ध में लोग कोर्ट में केस करने की बात सोच रहे हैं। इससे जो मिला है, वह भी अधर में लटक जायेगा।

बहुत ही सोच समझकर यह आयोग बनाया गया था। कई राज्यों ने तो पहले से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया हुआ है, जिसस वहां के पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़े हैं। हमारे नेताओं में चाहे अम्बेडकर जी हों या पटेल जी हों या और लोग रहे हों, उन लोगों ने काफी चिन्तन करके पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आरक्षण का प्रावधान रखा था, ताकि इन वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके।

[श्री राम टहल चौधरी]

जिस तरह से हमारे हरिजन और आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसी तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मैं इस सम्बन्ध में एक व्यावहारिक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के सही मानो में गरीब लोगों को आगे बढ़ाया जाय और उनके आगे बढ़ने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई को दूर किया जाय।

हालांकि यह संकल्प में नहीं है, लेकिन इसकी जो जड़ है, इसमें जो खामियां हैं, उनको हमें दूर करना चाहिए। हमारे देहात के इलाके में गरीब लोग रहते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, हरिजन हों, आदिवासी हों या पिछड़े वर्ग के हों या अन्य वर्ग के परिवारों के लोग हों, गांवों में गरीब परिवार रहते हैं। वहां की स्थिति को हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे गांवों में आज जो स्थिति है, उसमें एक तरफ तो लोगों को साक्षर करने के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें व्यक्तिगत अनुभव है और सब माननीय सदस्य भी अपने क्षेत्रों में देखते होंगे कि 10-20 प्रतिशत भले ही सत्य हो लेकिन बाकी 80 प्रतिशत लोगों को सिर्फ कागज पर ही साक्षर करने का काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिले और वह भी मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या अन्य उच्च पदों पर रिजर्वेशन के माध्यम से आये और उनको हम इसमें जोड़ने का काम करें, उनको हम इसमें स्थान दें।

मैं बिहार से आता हूं और मैं समझता हूं कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी यही स्थिति होगी, हम सब को साक्षर करने का काम तो कर रहे हैं लेकिन गांवों में जायेंगे तो वहां स्कूल भवन नहीं हैं, कहीं शिक्षक नहीं हैं तो यह दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। आपको पूरे देश में सर्वे करना पड़ेगा, आप हर प्रदेश से रिपोर्ट मंगाइये कि किस प्रदेश में कितने स्कूल हैं और कहां स्कूल की आवश्यकता है।

6.00 म.प.

अभी आवश्यकता की बात छोड़ दीजिये। जहां स्कूल है वहां भवन नहीं है और जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है तो जो बेचारे गांव के पिछड़े वर्ग के गरीब लोग हैं उनको कहां स्थान दे पाएंगे, कहां इंजीनियर बना पाएंगे। जहां खामियां हैं, उनको यदि आप नहीं पकड़ेंगे तो यह काम नहीं हो सकेगा।

महोदया, हम बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त करेंगे। अभी कई राज्यों से पिछड़े वर्गों की सूची प्राप्त नहीं हुई है, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है ऐसे ही कई राज्यों से प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे राज्यों में ऐसा है, बहुत-सी गलतियां हैं। कहीं तो जिस जाति का नाम है, जिस जाति के लोग नहीं हैं, उस जाति का नाम जोड़ा गया है और जहां जिस जाति के नाम हैं, जिनको पिछड़े वर्ग में रखना चाहिये उनको छोड़ दिया गया है। इस तरह से गड़बड़ी है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है और गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। हम उच्च शिक्षा के लिये चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन मिला है उसके आधार पर लोग शिक्षा प्राप्त करें,

डॉक्टर और इंजीनियर बनें। तो मेरा सरकार से यह आग्रह होगा कि इसके लिए आप एक कोचिंग क्लास, हर जिले में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था कीजिये।...(**व्यवधान**)...

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अब 6 बज गए हैं, ये अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे इसलिये अब दूसरे विषय को लिया जाये।

सभापति महोदया : आप इसको अगली बार जारी रखें।

6.02 म.प.

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संकल्पों के लिए निर्धारित समय समाप्त हुआ।

सभापति महोदय : अब हम रेल बजट पर चर्चा आरंभ करेंगे। श्री शरद दिघे।

श्री डी.के. नायकर (धारवाड़ उत्तर) : बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। कृपया इस विषय को जारी रखिए।

सभापति महोदय : श्री शरद दिघे रेल बजट पर अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिए घण्टी बजाई जा रही है।

सभापति महोदय : घण्टी बज गई है। चूंकि गणपूर्ति नहीं है, इसलिए सभा सोमवार 7 मार्च, 1994 को 11 बजे म.पू. पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.06 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 मार्च, 1994/ फाल्गुन 16, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।